

F.No - PRD/Engagement of ICA/2021-22

BUREAU OF INDIAN STANDARDS New Delhi

National Competitive Bidding (NCB)

APPOINTMENT OF INTEGRATED COMMUNICATION AGENCY

Development and execution of Public Relations and Communication Strategy for Publicity and Promotion of the Bureau and its activities

REQUEST FOR PROPOSAL

Issued by:

Public Relations Department Bureau of Indian Standards 9, Bahadur Shah Zafar Marg New Delhi - 110 002 Phone: +91-11- 23234048 E-mail id: pr@bis.gov.in

DATA SHEET

1.	Name and Address of the	Bureau of Indian Standards	
1	Purchaser	Manak Bhawan	
		9, Bahadur Shah Zafar Marg,	
		New Delhi- 110002	
2.	Tender Name	Online applications are invited for engagement of	
		professional multimedia Integrated Communication	
		Agency capable of developing and executing	
		communication strategy.	
3.	Tender No. and Date	F.No-PRD/Engagement of ICA/2021-22 dated 27/01/2022	
4.	Method of Selection	The method of selection is Combined Quality cum Cost	
		Based Selection (QCBS) using 70:30 weightage for quality	
		and cost respectively.	
5.		The bids shall be valid for 90 (ninety) days from the opening	
	should be valid	of financial bid.	
6.	1	Can be downloaded from the Bureau's Website	
	Documents	www.bis.gov.in as well as Central Public	
		Procurement Portal at http://eprocure.gov.in/eprocure/app	
		Diddon must submit the hid through Control Dublic	
		Bidder must submit the bid through Central Public Procurement Portal only. No physical bid will be accepted.	
		The bid must include the following:	
		 Pre-Qualification proposal 	
		Technical proposal	
		• Financial proposal	
7.	Bid Document	27 January 2022 1830h	
	Publishing Start Date &		
	Time		
8.	Last date for Submission	All the queries should be received on or before the	
	of Pre- Bid Queries	prescribed date & time, through CPP Portal or email at	
		pr@bis.gov.in with subject line as follows: "E-tender for	
		Appointment of Integrated Communications Agency".	
		Clarification must be requested on or before 7th February	
		2022 Time 1800h. Bidder shall share the MS Word or PDF	
		file in soft copy of pre-bid queries at the time of requesting	
0	Pre-Bid Meeting	clarifications.	
9.	Time, Date & Venue	Date & Time of pre bid meeting – Meeting Schedule will be intimated through CPP Portal.	
10.	,	28 Jan 2022 1000h	
10.	Date & Time	20 Juli 2022 100011	
11.		The last date for submission of Proposal is 23 rd February	
11.	of bids	2022 Time 1700h. The proposal shall be submitted only	
	31 0100	through CPP Portal.	
12.	Data of annuit to 1	Will be informed through CPP Portal	
	Date of opening technical	IVIII DE IIIDIIICU UIIDUZII CI I TOLIAI	
	bids bids	will be informed through CTT Tortal	
13.	bids	Will be informed through CPP Portal	
13.	bids	_	

14.	Language of Bid	Proposal should be submitted in English or Hindi language
	Submission	only.
15.	Currency	Bid may be quoted in INR only.
16.	Name of the Contact	Director (Mktg & CA)
	Person for any	Public Relations Department
	clarification	Bureau of Indian Standards
		9, Bahadur Shah Zafar Marg New Delhi - 110 002
		Phone: +91-11- 23234048
		E-mail ID: <u>pr@bis.gov.in</u>

F.NO- PRD/ENGAGEMENT OF ICA/2021-22

BUREAU OF INDIAN STANDARDS INVITES REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

The Bureau of Indian Standards (BIS), the National Standard Body was established under the BIS Act 2016. The Bureau is responsible for the harmonious development of the activities of standardization, conformity assessment, quality assurance of good, articles, processes, systems and services and for matters connected therewith or incidental thereto.

Functions:

The Bureau through its core activities of standardization and conformity assessment, has been benefiting the national economy by providing safe, reliable and quality goods; minimizing health hazards to consumers; protecting the environment, promoting exports and imports substitute; controlling over proliferation of varieties etc. The standards and certification scheme of The Bureau apart from benefitting the consumers and industry also support various public policies especially in areas of product safety, consumer protection, food safety, environment protection, building and construction etc.

Objective of RFP:

The objective of the RFP is to engage a professional multimedia Integrated Communication Agency capable of developing and executing communication strategy for Bureau including Media planning, Digital amplification, Online & Offline content creation for wide dissemination/ outreach of The Bureau, its subordinate offices and initiatives taken from time to time. Interested Bidders are requested to submit their responses to the "RFP" at the address mentioned below on Central Public Procurement Portal (CPPP: http://eprocure.gov.in) on or before 23rd February 2022 Time 1700h.

The main objective of the assignment is to reposition 'Brand BIS'. The agency is required to develop ideas and execution strategies to achieve the same. The agency is expected to generate brand ideas and eventually develop a brand strategy and also developing a creative strategy which will help a common person understand the relevance of standards and eventually The Bureau along with other jobs detailed in the tender document.

A suitable Integrated Communications Agency will be selected as per Combined Quality cum Cost Based Selection (QCBS). The brief details of RFP are given below:

1)	Eligibility Criteria	As per Part-2, Point-5 of the RFP
2)	Validity of the	One year initially. Extendable to two more years, one at a time,
	Contract	based on satisfactory performance
3)	Availability of the	(a) CPP Portal www.eprocure.gov.in
	RFP document	(b)Website of the Bureau <u>www.bis.gov.in</u> (for reference only)
4)	Mode of submission	Online only
5)	Bid system and	Two bid system (Technical and Financial bids in two separate
	Envelope	envelopes)
6)	EMD	Bid Security Declaration to be submitted in the prescribed
		format in lieu of EMD
7)	Performance	3% of the total contract value
	Security	

	8)	Validity of bids	90 days from the date of submission of the bids	
Ī	9)	Cost of the RFP	Nil	
Ī	10)	Estimated Cost	Rs 2 crores to Rs. 3 crores	

All clarifications/ corrigenda will be published on CPP Portal as well as BIS Website. The official website for accessing the information related to this RFP is www.bis.gov.in along with Central Public Procurement Portal (http://eprocure.gov.in).

GENERAL CONDITIONS

- 1. This RFP document is neither an agreement nor an offer by **The Bureau of Indian Standards** (**BIS**), (hereinafter referred to as "The Bureau") to the prospective Bidders or any other person. The purpose of this RFP is to provide information to the interested parties that may be useful to them in the formulation of their proposal pursuant to this RFP.
- 2. The Bureau will not have any liability to any prospective bidder/ firm/ or any other person under any laws (including without limitation the law of contract, tort), the principles of equity, restitution or unjust enrichment or otherwise for any loss, expense or damage which may arise from or be incurred or suffered in connection with anything contained in this RFP document, any matter deemed to form part of this RFP document, the award of the assignment, the information and any other information supplied by or on behalf of The Bureau or their employees, any agency or otherwise arising in any way from the selection process for the assignment. The Bureau will also not be liable in any manner whether resulting from negligence or otherwise however caused arising from reliance of any bidder upon any statements in this RFP.

TABLE OF CONTENTS

The RFP includes the following documents:

SECTION 1 : Instructions to Bidder SECTION 2 : Terms of Reference

SECTION 3: Pre– Qualification and Technical Proposal - Standard Forms

SECTION 4: Financial Proposal - Standard forms

SECTION 5 : Service Level Agreement

SECTION 6: Integrity Pact

SECTION 7 : Declaration regarding non-blacklisting of the firm or company

SECTION 8: Declaration regarding no pendency of any criminal case against the firm

SECTION 9 : General Conditions of Contract (GCC)

SECTION 1: INSTRUCTIONS TO BIDDER

1.1 Introduction

- 1.1.1 The Organisation (hereinafter called "The Bureau") named in the data sheet will select an Integrated Communications Agency (hereinafter called "Agency") in accordance with the method of selection specified in the data sheet and the selection shall be on the basis of an evaluation through the selection process specified in this RFP (the Selection Process). Bidder shall be deemed to have understood and agreed that no explanation or justification for any aspect of the Selection Process will be given and that The Bureau's decisions are final without any right of appeal whatsoever.
- 1.1.2 The Bidder are invited to submit Pre-Qualification, Technical and Financial Proposals (collectively called as —the Proposal), as specified in the data sheet, for the services required for the Assignment. The Bidder shall submit the Proposal in the form and manner specified in this RFP, in relevant sections herewith. Performance Security Declaration to be submitted in the prescribed format in lieu of EMD
- 1.1.3 The Proposal will form the basis for award of work order to the selected bidder (hereinafter called "Agency"). The agency shall carry out the assignment in accordance with the Terms of Reference of this RFP (the—TOR).
- 1.1.4 The bidder shall submit the scanned copies of his proposal in three covers containing Pre- Qualification Proposal, Technical Proposal and Financial Proposal respectively, on the e- procurement portal. The submissions for Pre-Qualification shall be evaluated first as specified in this RFP. Subsequently the technical evaluation as specified in this RFP will be carried out only for those Bidder who meet the Pre-Qualification criteria. Based on this technical evaluation, a list of technically qualified Bidder shall be prepared in the order of their merit. The Financial Proposals of technically qualified bidder securing the highest rank will be opened.
- 1.1.5 Any entity which has been barred by the Central Government, any State Government, a statutory authority or a public sector undertaking, as the case may be, from participating in any project and the bar subsists as on the last date of the submission of the bid, would not be eligible to submit a Proposal.
- 1.1.6 A bidder should have, during the last 1 (one) year, neither failed to perform on any agreement, as evidenced by imposition of a penalty by an arbitral or judicial authority or a judicial pronouncement or arbitration award against the bidder or its Associate, nor been expelled from any project or agreement nor have had any agreement terminated for breach by such Bidder or its Associate within India
- 1.1.7 In past if ever worked for the The Bureau, the bidder must never have been penalised in terms of forfeiture of Bank Guarantee or any penalty imposed.
- 1.1.8 No bidder shall submit more than one Application.

1.2 Clarification and Amendment of RFP documents

- 1.2.1 Bidder may seek clarification on this RFP document, on or before the pre-bid meeting. Any request for clarification must be sent by standard electronic means (PDF and word file) The Bureau's e-mail: pr@bis.gov.in.
- 1.2.2 At any time before the submission of Proposals, The Bureau may, for any reason, whether at its own initiative or in response to a clarification requested by a prospective Bidder, modify the RFP documents by an amendment. All amendments/corrigenda will be posted only on The Bureau's Official Website as well as CPP

Portal. In order to accord the Bidder a reasonable time for taking an amendment into account, or for any other reason, The Bureau may at its discretion extend the Bid Submission Date.

1.3 Pre-Bid Meeting

- 1.3.1 Pre-Bid Meeting of the Bidders will be convened off-line at the date, time and place given in the data sheet. Bidder willing to attend the pre-bid should inform **The Bureau** beforehand in writing and email. A maximum of two representatives of each Bidder will be allowed to participate on production of an authorization letter from the Bidder [Form3C].
- 1.3.2 During the course of Pre-Bid Meeting, the Bidders will be free to seek clarifications and make suggestions for consideration of the The Bureau. The Bureau will endeavor to provide clarifications and such further information as it may, in its sole discretion, consider appropriate for facilitating a fair, transparent and competitive selection process.

1.4 Preparation of proposal

- 1.4.1 Bidder are requested to submit their Proposal in English or Hindi language and strictly in the formats provided in this RFP. The Bureau will evaluate only those Proposals that are received in the specified forms and complete in all respects.
- 1.4.2 In preparing their Proposal, bidders are expected to thoroughly examine the RFP Document. Material deficiencies in providing the information requested may result in rejection of a Proposal.
- 1.4.3 If any information related to financial proposal is included in the technical proposal the bidder shall be disqualified and his proposal will not be considered.
- 1.4.4 The Proposal must be digitally signed by the Authorized Representative (the Authorized Representative) as detailed below:
 - (i) by a partner, in case of a partnership firm or a limited liability partnership; or
 - (ii) by a duly authorized person holding the Power of Attorney, in case of a Limited Company or a corporation
- 1.4.5 Bidder should note the Bid Submission Date, as specified in Data Sheet, for submission of Proposals. Except as specifically provided in this RFP, no supplementary material will be entertained by The Bureau, and the evaluation will be carried out only on the basis of Documents received by the closing time of bid submission date as specified in Data Sheet. Bidder will ordinarily not be asked to provide additional material information or documents subsequent to the date of submission, and unsolicited material if submitted will be summarily rejected. For the avoidance of doubt, The Bureau reserves the right to seek clarifications in case the proposal is non-responsive on any aspects.
- 1.4.6 **Financial proposal:** While preparing the Financial Proposal, Bidders are expected to take into account the various requirements and conditions stipulated in this RFP document.

The agency would also be required to make a presentation of drafts to the Bureau and The Financial Proposal should be a lump sum Proposal inclusive of all the costs but excluding all the taxes associated with the Assignment. While submitting the Financial Proposal, the Bidder shall ensure the following:

1. All the domestic travel (within India) and stay costs associated with the Assignment shall be included in the Financial Proposal. These shall normally cover remuneration for all the personnel (Expatriate and Resident, in the field, office, etc.), accommodation, air fare, transportation, all kinds of equipment, printing of documents, secondary and primary data collection, etc. The total amount indicated in the Financial Proposal shall be without any condition

- attached or subject to any assumption and shall be final and binding. In case any assumption or condition is indicated in the Financial Proposal, it shall be considered non-responsive and liable to be rejected.
- 2. The financial proposal shall not include any conditions attached to it and any such conditional financial proposal shall be rejected summarily.
- 3. Based on the requirements of The Bureau, the actual quantity may vary from the indicative quantity and the payment shall be released as per the actual quantity only.
- 4. The proposal should be submitted as per the standard Financial Proposal submission forms prescribed in this RFP.
- 1.4.7 Bidder shall express the price of their services in Indian Rupees only.
- 1.4.8 The financial quote will consist of Retainer Fee for undertaking Social Media Management for a year and Rate contract for other deliverables as specified at Form 4B of this tender.
- 1.4.9 Rates quoted by the Agency for works under Rate Contract shall not exceed BOC rates for the said job, wherever applicable.
- 1.4.10 The bid shall be valid for 90 (ninety) days from the date of opening of financial bid.

1.4.11 Non-conformities between Figures and word:

- If, in the price structure quoted for the required services, there is discrepancy between the unit price and total price (which is obtained by multiplying the unit price by the quantity), the unit price shall prevail and the total price corrected accordingly;
- If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the sub-totals shall prevail and the total shall be corrected; and
- If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail

1.5 BID SECURITY DECLARATION

- i. A Bid Security Declaration (BSD) shall be submitted by the bidder in the format given at Form 3K of the tender document.
- ii. BSD should be submitted along with Technical Bid only.
- iii. BSD of the unsuccessful bidders shall cease to be valid after expiry of the final bid validity and latest on or before the 30 days after the award of the contract.
- iv. The BSD shall remain valid for a period of forty-five days beyond the final bid validity period.
 - If BSD is invoked for any reason, the concerned bidder shall be debarred from participation in the RFPs or tenders floated by The Bureau in future for 5 years and the fact shall be displayed on the Bureau's website and intimated to CPP Portal.

1.6 Performance Security:

- 1.6.1 Performance Security equivalent to 3 (three) percent of the total cost of Financial Proposal shall be furnished from any of the Commercial Bank, before start of work on assignment, in form of a Demand Draft/ FDR/ Bank Guarantee. The format of bank guarantee is specified in the **Form 3J** of the RFP. For the successful bidder the Performance Security will be retained by The Bureau until the completion of the assignment by the Bidder and be released 60 (Sixty) Days after the completion of the assignment.
- 1.6.2 The Performance Security shall be obtained from any commercial bank, in compliance with Applicable Laws (including, in case the bidder is a non-resident,

- in compliance with applicable foreign exchange laws and regulations).
- 1.6.3 The Performance Security shall be extended accordingly such that the Performance Security remains valid until the expiry of a period of 60 (Sixty) Days from the date of completion of the assignment. If Bureau shall not have received an extended/ replacement Performance Security in accordance with this clause at least thirty (30) days prior to the date of expiry of the existing Performance Security, The Bureau shall be entitled to draw the full amount of the bank guarantee then available for drawing and retain the same by way of security for the performance by the Integrated Communications Agency its obligations under this RFP.
- 1.6.4 The Bureau shall have the right to claim under the Performance Security and appropriate the proceeds if any of the following occur:
 - a) The agency becomes liable to pay penalty;
 - b) Any material breach of the terms hereof; or
 - c) Without prejudice to paragraph above, the Agency fails to extend the validity of the Performance Security or provide a replacement Performance Security in accordance with the provisions of this RFP.

1.7 Submission, receipt and opening of proposals

- 1.7.1 The Bidder shall submit his proposal in three covers containing Pre- Qualification proposal, Technical Proposal and Financial Proposal respectively, on the e-procurement portal.
- 1.7.2 The Proposal shall be submitted through e-procurement portal CPPP. The procedure for filing of e-tender is provided on the portal. Files uploaded on the portal should have file name in accordance to following format [form name, bidder name]. Bidder name should contain only first two words of its name. Proposal received in any other manner shall be summarily rejected. For example, see (Pre- Qualification Proposal, Company Name)
- 1.7.3 The Authorized Representative of the Bidder should authenticate Pre-Qualification, Technical and Financial proposal using his digital signatures. The Authorized Representative's authorization should be confirmed by a written power of attorney by the competent authority accompanying the Proposal as given in Form 3C.
- 1.7.4 No proposal shall be accepted after the closing time for submission of Proposals.
- 1.7.5 After the deadline for submission of proposals, the Pre-Qualification Proposal shall be opened by the Evaluation Committee to evaluate whether the Bidder meet the prescribed Minimum Qualification Criteria. The RFP details containing the Technical and Financial Proposals shall remain closed.
- 1.7.6 After the Proposal submission until the grant of the work order, if any Bidder wishes to contact The Bureau on any matter related to its proposal, it should do so through CPP Portal or through email at pr@bis.gov.in. Any effort by the bidder to influence The Bureau during the Proposal evaluation, Proposal comparison or grant of the work order decisions may result in the rejection of the bidder's proposal.

1.8 **Proposal Evaluation**

- 1.8.1 As part of the evaluation, the Pre-Qualification Proposal submission shall be checked to evaluate whether the Bidder meets the prescribed **Minimum** Qualification Criteria (As specified at Point No. 5, Part 2 Section 5 of this tender document).
- 1.8.2 Prior to evaluation of Proposals, The Bureau will determine whether each Proposal is meeting the requirements of the RFP at each evaluation stage as indicated below. The Bureau may, in its sole discretion, reject any Proposal that is not responsive hereunder. A Proposal will be considered acceptable only if it qualifies in each stage.

- 1.8.3 As part of the evaluation, the Pre-Qualification Proposals submitted [in Form 3A] should fulfil the Minimum Qualification Criteria. In case a Bidder does not fulfil the Minimum Qualification Criteria, the Technical Proposal [in Form 3D] of such a Bidder will not be opened and evaluated further. In such cases, the RFP details containing the Technical Proposal and Financial Proposal will not be opened after completion of evaluation of Pre-Qualification.
- 1.8.4 Subsequently the Technical Proposal submission, for Bidder who meet the Minimum Qualification Criteria (Shortlisted Bidder), shall be checked in accordance with the requirements of the RFP and only those Technical Proposals which are found satisfactory would be further evaluated in accordance with the criteria set out in this RFP document.
- 1.8.5 Financial proposal of only those bidders who are technically qualified shall be opened on the date & time specified in the data sheet in the presence of the bidders' representatives who choose to attendalong with a written power of attorney as given in Form 3C.
- 1.8.6 The Bureau reserves the right to reject any Proposal which is non-responsive and no request for alteration, modification, substitution or withdrawal will be entertained by The Bureau in respect of such Proposals. However, The Bureau reserves the right to seek clarifications or additional information from the bidder during the evaluation process. The Bureau will subsequently examine and evaluate Proposals in accordance with the Selection Process detailed out below.

1.9 Selection Procedure

1.9.1 Marking methodology to include normalization of technical and financial score:

The evaluation of the proposals shall be done as given under Point No. 10, Part 2 of Section 2 of this tender document.

Technical Score: (St)

Only those Bidders who have secured Technical Score of 70 or above shall be declared as qualified for evaluation of their 'Financial Bid'. Bidders who have secured less than 70 for Technical Score shall be disqualified.

Proposal with the highest technical marks (as allotted by the Consultancy Evaluation Committee (CEC) shall be given a score of 100 (Hundred) and other proposals be given technical score that are proportional to their marks w.r.t. the highest technical marks.

$St = 100 \times T/Tm$;

where St is the technical score, Tm is the score awarded of highest technical Proposal, and T is the Technical score of the bidder under consideration

Financial Score (Sf)

The cost indicated in the Financial Proposal shall be deemed as final and reflecting the total cost of services and should be stated in INR only. Omissions, if any, in costing of any item shall not entitle the Bidder to be compensated and the liability to fulfil its obligations as per the Terms of Reference within the total quoted price shall be that of the Bidder. The evaluation shall exclude taxes imposed under the Applicable Laws. The lowest Financial Proposal (Fm) will be given a financial score (Sf) of 100 points. The financial scores (Sf) of the other Financial Proposals will be determined using the following formula:

$Sf = 100 \times Fm/F$;

where Sf is the financial score, Fm is the lowest Financial Proposal, and F Bidder is the Financial Proposal (in INR) under consideration.

Final Marking:

The total score, both technical and financial, shall be obtained by weighing the quality and cost scores and adding them up. On the basis of the combined weighted score for quality and cost, the bidders shall be ranked in terms of the total score obtained. Proposals will finally be ranked in accordance with their combined technical (St) and financial (Sf) scores:

 $S = St \times Tw + Sf \times Fw$:

where S is the combined score, and Tw and Fw are weights assigned to Technical Proposal and Financial Proposal that will be 0.70:0.30.

The proposal obtaining the highest total combined score in evaluation of quality and cost will be ranked as H-1 followed by the proposals securing lesser marks as H-2, H-3 etc.

1.9.2 The Bureau reserves the right to change the indicative quantities as per its requirements and the payment shall be released only on the basis of the actual quantities utilized by The Bureau.

1.10 Award of wrk order

1.10.1 After selection, a Work Order will be issued, in duplicate, by The Bureau to the Successful Bidder and the Successful Bidder shall, within 7 (seven) working days of the receipt of the work order, sign and return the duplicate copy of the work order in acknowledgement thereof. In the event the duplicate copy of the work order duly signed by the Successful Bidder is not received by the stipulated date, The Bureau may, unless it consents to extension of time for submission thereof, may offer the contract to H2 bidder.

1.11 Performance Review

1.11.1 The Bureau shall constitute a Contract Management Committee (CMC) to monitor the progress of the assignment.

1.12 Confidentiality:

1.12.1Information relating to evaluation of proposals and recommendations concerning grant of the work order shall not be disclosed to the Bidder who submitted the proposals or to other persons not officially concerned with the process, until the winning firm has been notified. The undue use by any bidder of confidential information related to the process may result in the rejection of its proposal

1.13 Miscellaneous:

- 1.13.1 The Selection Process shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of India and the Courts at New Delhi shall have exclusive jurisdiction over all disputes arising under, pursuant to or in connection with the Selection Process.
- 1.13.2 The Bureau, in its sole discretion and without incurring any obligation or liability, reserves the right, at any time, to
 - a) suspend or cancel the Selection Process or amend or supplement the Selection Process or modify the dates or other terms and conditions relating thereto;
 - b) consult with any Bidder in order to receive clarification or further information;
 - c) retain any information or evidence submitted to The Bureau by, on behalf of or in relation to any Bidder; or
 - d) Independently verify, disqualify, reject or accept any and all submissions or other information or evidence submitted by or on behalf of any Bidder.
- 1.13.3 It shall be deemed that by submitting the Proposal, the Bidder agrees and releases

The Bureau, its employees, agents and advisers, irrevocably, unconditionally, fully and finally from any and all liability for claims, losses, damages, costs, expenses or liabilities in any way related to or arising from the exercise of any rights or performance of any obligations hereunder, pursuant hereto or in connection herewith and waives any and all rights and/ or claims it may have in this respect, whether actual or contingent, whether present or future.

- 1.13.4 All documents and other information provided by The Bureau or submitted by a Bidder to The Bureau shall remain or become the property of The Bureau. The Bidder is to treat all information as strictly confidential. The Bureau will not return any Proposal or any information related thereto. All information collected, analysed, processed or in whatever manner provided by the Bidder to The Bureau in relation to the assignment shall be the property of The Bureau.
- 1.13.5 The Bureau reserves the right to make inquiries with any of the Bidder about their previous experience record.

SECTION 2: TERMS OF REFERENCE

PART 1: OBJECTIVE AND SCOPE OF SERVICES

A. Objective of assignment

- 1. The main objective of the assignment is to enhance positive image of 'Brand BIS' and its key activities. The agency is required to develop ideas and execution strategies to achieve the same. The agency is expected to generate brand ideas and eventually develop a brand strategy.
- 2. The agency is expected to develop an integrated communication strategy and publicity plan to creatively help a common person and other stakeholders understand the relevance of Standards & Standard Marks effectively.
- 3. The agency will design and produce required creative and publicity material and to provide a creative vision and strategy for taking forward the communication campaigns to promote all the schemes & services under The Bureau for a period of one (1) year which may be extended for a subsequent period of two (2) years (one year at a time) at the same terms and conditions on mutual consent, subject to satisfactory performance of the agency.
- 4. The Agency shall plan, successfully implement and deliver with executing all promotional activities for The Bureau. The Agency shall identify major national, international events, days and observances which have the potential for promoting the services offered by The Bureau and providing widespread visibility and reach for the brand The Bureau and will assist in formulating an effective plan to capitalize on such opportunities.

B. Scope of Work and key deliverables:

The major sections covered under the scope of services are as follows;

1. Organisational Support:

- 1.1. Develop communication strategy to enhance image of 'Brand BIS'
- 1.2. Aid and assist The Bureau in day-to-day communication activities including development of presentations, press releases, EDMs, marketing material, communication etc.
- 1.3. Two key professionals representing agency (one client servicing person and on creative designer) will work directly on day to day basis from BIS HQ premises, and
- 1.4. They will ensure that deliverables meet time and quality requirements

2. Other Requirements:

- 2.1. A road map for a period of 12 months (Contract period);
- 2.2. Development and execution of PR communication strategy for The Bureau, based on long-term and short-term objectives,
- 2.3. Development of Brand Manual consisting of visual consistencies, such as colour schemes, fonts and other templates to ensure uniformity through online and offline outreach material and development of branding tools such as a distinct logo, event/campaign logos, letter heads, Identity cards etc. consistent with The Bureau's brand manual
- 2.4. Develop outreach material including brochures, publications, presentations, and other publicity materials
- 2.5 Proactively aid in identifying outreach/communication opportunities to brand BIS
- 2.6 Agency will create the necessary creative(s), Television Commercials, Radio Jingles, films, online and digital publicity materials, contests, BTL activities, etc. and implement the same in coordination with The Bureau's team
- 2.7 Performance assessment and study the impact of communication campaigns on monthly basis.

2.8 Television Commercial (TVC)

- 2.8.1 TVC should be an idea driven campaign conveying the message clearly and in impactful way. Television Commercials of 30 second duration, with 15 second / 20 second / 10 second edits for promoting the various services/ activities of The Bureau. The TVCs to be produced would be of HD quality. The contents of the TVCs would be entirely on fresh shoot unless the Bureau approves otherwise.
- 2.8.2 The Ad films will cover all the services/ functions that The Bureau performs in a way that it offers the viewers a better understanding of role of standards and The Bureau operations in engaging way.
- 2.8.3 Master Production is required in Hindi. Dubbing in at least 10 different regional languages.
- 2.8.4 The cost of Celebrity, if any, is not included in the scope. The agency will have to engage Professional actors which are best suitable for the job.

2.9 Films

- 2.9.1 The films may be educational or explanatory in nature on various activities & schemes of The Bureau, on products or Standards.
- 2.9.2 The films can be 5 minutes to 30 minutes in duration.
- 2.9.3 The film may require to be dubbed in desired languages wherein, the master production can be in Hindi or English. Adding subtitles may also be required.
- 2.9.4 2D/3D animation, Graphics etc. would require to be added in the film.
- 2.9.5 The films are to be developed with fresh shoot unless, The Bureau approves adding the stock footage.
- 2.9.6 Professional anchors, actors (if required), voice over artists, script writers and technicians etc. are required to be engaged for the films. The approval of The Bureau will be considered final in this regard.

2.10 Radio

2.10.1 Radio spots for the domestic market, with duration of 30 second / 20 second edit for showcasing The Bureau and its various services that would be identified. Production will be in Hindi/ English and at least 10 different regional languages. Professional artists are to be engaged for the job.

3. Media Strategy

- 3.1. Execute campaigns/ events of The Bureau, both online and offline, and conduct a situation analysis by identifying target audiences,
- 3.2. Develop media strategies and designing The Bureau campaigns, supported by media analyses and consumer insights,
- 3.3. Initiate The Bureau's presence on newer platforms and relevant channels
- 3.4. Ensure strategies are actionable with validated support and ideas that are aligned, with the strategy
- 3.5. Identify strategic partners and liaise with different media platforms/professionals (online and offline), to widen dissemination of The Bureau's activities/ events/reports,
- 3.6. Review, analyse and provide feedback on campaigns/ events, to determine if activities are having the desired outcome. Data Analytics reports for all parameters to be submitted every month.
- 3.7. Plan and execute PR activities.
- 3.8. Endorsement by celebrity, if required

4. Content Development & Management

4.1 Provide support in creating & amplifying:

- Blogs
- Outreach Material for Digital Media
- Publicity material for campaigns/ events steered by The Bureau
- 4.2 Assist The Bureau in identifying communication opportunities (within and outside the government) and help design a strategic communication amplifying policy for the organization.
- 4.3 Planning and Executing a Key Influencer Program on Digital platforms
- 4.4 The Agency will also assist in Social Media Management of The Bureau
- 4.5 Designing and production of creative for the print, television, radio, online, outdoor and other media during the one-year period, i.e. one year starting from the date of agreement as detailed below, on themes / subjects to be decided in consultation with The Bureau and adaptation of the master campaign Bus Panel, Shelter, Metro Panel/Raps/Train Panel/ Digital Signage
- 4.6 Management and content/creative creation for display boards at The Bureau HQ and other offices of The Bureau.

5. Social Media Management

BIS is present on all popular social media platforms like Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube and Instagram. Through these platforms, BIS make its target audience aware of its latest initiatives, events, standard promotion activities, announcements and awareness on important Standards and key activities of BIS in general. The social media management team is expected to expeditiously strategize and develop posts for all these platforms suitably for each social media platform so that masses can be reached effectively. The main expectations from the social media management team are:

5.1 Creation & Maintenance of Social Media Platforms of BIS

- 5.1 Creation and / or maintenances of Official accounts /pages of BIS on Twitter, Facebook, Instagram, You Tube and other social media platforms which may be required or may emerge in the future. Creating posts, GIF, animation and other content to reach Target Audience (Target Audience) effectively along with video capsules and live coverages on social media handles of The Bureau on regular basis.
- 5.2 Content (Pictorial and Copy) development on regular basis, which must be simple yet catchy. The posts must be creatively developed to convey the message in simple yet effective way. Daily informative and promotional updates to be posted in the form of relevant text, pictures, audio, unique / interactive content, interviews, news, quiz etc
- 5.3 Uploading the posts on all social media platforms where The Bureau is present with tagging the apt people/organisations/ideas. The posts must be developed keeping the character of the particular social media platform in mind. All concerned and appropriate people, organisations, ministries and other relevant bodies must be tagged in the post for effective reach.
- 5.4 Identifying other social media platforms, if any, which enhance the brand image of The Bureau and help, convey the messages impact fully to apt target audience.
- 5.5 Creation of relevant blog content
- 5.6 Engage with users by organising online surveys, quizzes, contests on relevant platforms in consultation with BIS.
- 5.7 Enhancement of views, likes, followers, subscriptions, overall visibility on social media
- 5.8 Identifying and developing appropriate hashtags. Proper usage of existing popular hashtags for enhancing the presence of the The Bureau on social media.
- 5.9 The Agency must cover important events/programmes of BIS live through Facebook Live/ Live Webcasting etc
- 5.10To provide training, skill-upgradation and capacity building of personnel at BIS to equip them to facilitate and provide support for Social Media Management & Content support.

5.2 Response Management

- (a) Development of effective response mechanism for social media handles of The Bureau. Answering to the comments/ queries/ complaints received, with approval of The Bureau. Mechanism to immediately address / answer to the comments/queries/complaints must be in place.
- (b) Should have a credible contingency plan to effectively handle crisis and emergencies.

5.3 Sentiment Analysis

(a) The Agency should regularly monitor the social media platforms and / or other digital media to gauge the contexts in which BIS is in news. A mechanism must be adopted by the social media management team to immediately know what is being said about BIS or its activities anywhere on social media. There must be a mechanism in place to immediately address if there is any concern.

5.4 Creative designing and repackaging:

- (a) Creative content generation, recreate or convert the content and repackage the available content. The content may be of various forms such as graphics, cartoons, smart art, animations, storyboard etc. design based on BIS schemes and programs and policies etc.
- (b) Repackaging of the content (videos and photographs) into suitable formats (video packages and others)
- (c) Uploading of repackaged and creative content on various social media platforms such as Twitter, Facebook, and YouTube etc.
- (d) Above is to be done without any infringement of Intellectual Property Rights (IPR).
- (e) Quality writing skills to be ensured in such activities

5.5 Enhancing reach of content on Internet and social media sites:

- (a) Agency would be responsible for enhancement of the reach of the messages and other schemes of Government on various social media platforms through paid / non-paid means so that the content would reach to the last mile on internet domain on real time basis. The agency should have capability to multiply the reach of content and promote content organically on various social mediaplatforms.
- (b) The agency should be able to develop interesting and innovative content, campaigns, competitions, so as to have proper communication strategy forvarious social media platforms to enhance the reach of content in real time basis.

5.6 Storage and submission of Content:

- (a) Storage of raw footages/ content and processed content (video packages) etc. for the purpose of archive in digital formats, and submission of same in easily retainable format to BIS every quarter.
- (c) Availability of archive content should be for at least 180 days.

5.7 Monitoring

Round the clock monitoring of BIS Social Media Platforms, their updation, analysis, moderation and intervention whenever required.

The scope of work and timelines assigned are as given under:

~	e of work and timelines assigned are as giv	Indicative	Timelines	
S.	Description of Item	Quantity per		
No.		year		
1.	Detailed Public Relations and	01	4 weeks from	
1.	Communication Strategy		the briefing	
		01	2 weeks after	
2.	Brand Manual		submission of PR & Comm.	
			Strategy	
	Creatives fo	r Print	Strategy	
.	Newspape			
3.		2	4 days	
3.	Strip Ad	4-6	4 days	
	Quarter Page Ad		•	
	Half Page Ad	4-6	4 days	
4.	Press Release (1-2 page)	80	Same day	
	writing/translation	. D. P.		
,	Creatives for		21	
۔ ا	Radio Spot (30 second)- BIS generic	2	3 weeks	
5.	Radio Spot (30 second)- Specific Topic	6	3 weeks	
	Language version of Radio Spot (8X10	80	2 week	
	Lang)			
	Creatives for	` '		
, ,	Television Commercial (30 seconds)	6	4 weeks	
. [a. Shorter version of TVC (15/20 seconds)	6	1 week	
	b. Corporate Film + Other Subjects (5- 10	5	4 weeks	
, .	mins)	7.0		
6.	c. Dubbing of the films (point b) [5X10	50	2 weeks	
,	languages] d. Dubbing of Videos for TVC (6X10	60	2 weeks	
	Lang)	00	2 weeks	
, }	e. Other films			
	10-15 mins of duration)	5	4 weeks	
	15-30 mins of duration	5	6 weeks	
	Creatives for Di	igital Films		
,	(Quantity to be equally divided amon	_		
	Promotional Campaign Film – Interview	12	1 week	
7.	led (2-6 mins duration)			
	Event & other information based videos	12	2 weeks	
, }	etc (2-6 mins duration) 2D Animation Film (2-3 minute duration)	5	2 weeks	
,	3D Animation Film (2-3 minute duration)	<u> </u>	2 weeks	
	Creatives for New Media/ Social Media			
, , ,	a. Text	180	2 days	
8.	b. Static	100	2 days	

	Facebook LIVE / Periscope / LIVE Twitter Chats/ Q & A/ Google Hangouts/ Webinars by professional set-up	15	Same day
	Blogs by influencers/ thinkers/ stakeholders	24	1 week
	Blogs (3 blogs in a month of 800 words each)	36	1 week
	Mobile Ads	HTML5 ads- 30 Static Ads- 30	1 week
	Enhancement in number of followers/subscribers on social media accounts of The Bureau (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn etc.)	10 lacs	12 months
	Paid Social Media campaign planning and execution	6 Campaigns	2 weeks
	Creatives for Outdoo	or Media (OOH)	
9.	Campaigns (planning and creatives' development)	6	1 week
	Merchandise (Branding)	
10.	Creatives for Aspirational merchandise (over a period of 1 year) like notepads, letterheads, mugs, certificates, trophy, pen, pen-drives, folders, bags, mementos etc. The items will be procured by The Bureau, agency is only supposed to design.	1 each	2 weeks
	Booklet/ Literature	Designing	
	Coffee table		
	Designing, editing, redrafting, proofreading, printing	1	6 weeks
11.	e-Book HD format (which can be printed later as booklet) and suitable format as e-Book No. of pages: 200 to 400 HD pictures with upgradation of the old available pictures Layout designing, Proof reading, Rewriting, if required Facilitation in uploading the eBook on The Bureau website Language: Hindi & English (Content in English and Hindi will be provided). Page wise display, page curl effect and flipping with sound effect Capable of being updated in the back end 'Go to Home' button to appear on all	2	3 weeks

	Pocket Booklet 10 to 20 pages - A6 Size	6	4 weeks
	Report Report Designing, editing, redrafting, proofreading, Printing Language English + Hindi	5	1 week
	Calendar Page: 12+2 (one page a month & cover + list of holidays)	1	6 weeks
	Diary approx. 240 pages (120 leaf) Separator Pages: 12	1	6 weeks
	Brochure- Sizes may vary	6	4 weeks
12.	Banner Designing	60	1-2 days
13.	Media Scanning and Reporting (compiling coverage of/relevant to BIS in		Weekly report (anything urgent be
	media).		reported immediately)

Note 1: All deliverables mentioned may not be desirable. The list is indicative of possible deliverables that could arise during a financial year.

Note 2: If images are required to be bought for any creative, apart from images required for Social Media Management the payment for buying images, on approval of The Bureau, will be made as per the actual bill (to be duly submitted by the agency along with the agency's bill)

Note 3: No additional adaptation charges shall be paid for changing shape/ layout / dimensions of any creative.

C. Submission of Deliverables:

- C.1 The agency is required to submit the final deliverables in required number of variants, in the appropriate formats (e.g. All video-based deliverables should be submitted in the HD format) and these deliverables will remain the property of The Bureau, with copyrights and will not be used for any purpose other than those intended under RFP.
- C.2 The agency would also be required to make a presentation of drafts to The Bureau and incorporate suggestions in the final deliverables.
- C.3 The communication strategy is to be submitted in four (4) weeks from briefing after signing the agreement and Brand Manual is to be submitted within 2 weeks of submission of communication strategy only if desired by the Competent authority.
- C.4 A monthly report of performance and impact of campaign along with media monitoring report of the particular month will be submitted and presented in first week of following month by the Agency.

PART 2: TOR related information

1 Conditions under which this RFP is issued

- 1.1 The Bureau will not be responsible for any delay in receiving the proposals. The issue of this RFP does not imply that The Bureau is bound to select a bidder or to appoint the selected bidder, as the case may be, for the services and The Bureau reserves the right to accept/reject any or all of proposals submitted in response to RFP document at any stage without assigning any reasons whatsoever. The Bureau also reserves the right to withhold or withdraw the process at any stage with intimation to all who submitted RFP Application.
- 1.2 Data provided by The Bureau to the agency are confidential in nature. The agency should not share the data without The Bureau's permission. A certificate regarding non-sharing/informing of confidential data to third party is to be given by the bidders along with Technical Proposal.
- 1.3 The Bureau reserves the right to change/ modify/ amend any or all provisions of this RFP document. Such revisions to the RFP / amended RFP will be made available on the website of The Bureau and CPP Portal.
- 1.4 The Bureau requires that the Bidder hold The Bureau's interest paramount, avoid conflicts with other assignments or its own interests, and act without any consideration for future work. The bidder shall not accept or engage in any assignment that may place it in a position of not being able to carry out the assignment in the best interests of The Bureau and the Project.
- 1.5 Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of their proposals, and their participation in the Selection Process, and presentation including but not limited to postage, delivery fees, expenses associated with any demonstrations or presentations which may be required by The Bureau or any other costs incurred in connection with or relating to its Proposal.
- 1.6 It is the The Bureau's policy to require that the Bidder observe the highest standard of ethics during the Selection Process and execution of work/assignment. In pursuance of this policy, the The Bureau:
 - (i) will reject the Proposal for award if it determines that the Bidder has engaged in corrupt or fraudulent activities in competing the work order in question;
 - (ii) will declare a Bidder ineligible, either indefinitely or for a stated period of time, to be awarded any contract or work order if it at any time determines that the Bidder has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for and in executing the work order.

2. Right to reject any or all Proposals

- **2.1** Notwithstanding anything contained in this RFP, the Bureau reserves the right to accept or reject any Proposal and to annul the Selection Process and reject all Proposals, at any time without any liability or any obligation for such acceptance, rejection or annulment, and without assigning any reasons thereof.
- **2.2** Without prejudice to the generality of above, The Bureau reserves the right to reject any Proposal if:
 - a) At any time, a material misrepresentation is made or discovered, or
 - b) The Bidder does not provide, within the time specified by The Bureau, the supplemental information sought by The Bureau for evaluation of the Proposal.
- 2.3 Such misrepresentation/improper response by the Bidder may lead to the disqualification of the Bidder. If such disqualification/rejection occurs after the Proposals have been opened and the highest ranking Bidder gets disqualified/rejected, then The Bureau reserves the right to take measures as may be deemed fit in the sole discretion of The Bureau including annulment of the Selection Process.

3. Acknowledgement of Understanding of Terms

3.1 It shall be deemed that by submitting the Proposal, the Bidder has:

- b. made a complete and careful examination of the RFP;
- c. received all relevant information requested from The Bureau;
- d. accepted the risk of inadequacy, error or mistake in the information provided in the RFPor furnished by or on behalf of The Bureau;
- e. satisfied itself about all matters, things and information, including matters herein above, necessary and required for submitting an informed Application and performance of all of its obligations there under;
- f. acknowledged that it does not have a Conflict of Interest; and
- g. agreed to be bound by the undertaking provided by it under and in term hereof
- 3.2 The Bureau and/ or its advisors/ Agencies shall not be liable for any omission, mistake or error on the part of the Bidder in respect of any of the above or on account of any matter or thing arising out of or concerning or relating to RFP or the Selection Process.

4. Settlement of Disputes

4.1In case of any dispute with respect to the rights, obligation, liabilities of both the parties to this RFP, or interpretation of any clause, the same shall be referred to sole arbitrator appointed by Director General, The Bureau of Indian Standards, whose decision shall be final and binding upon both the parties. The provisions the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015, shall be applicable.

5. Eligibility Criteria:

The bidder shall fulfil all of the following eligibility criteria independently on date of submission of bid. Agencies who do not meet the Minimum Qualification Criteria will not be considered for Technical Evaluation of bid. In case of consortium, the eligibility criteria should be collectively met by the consortium members. However, the lead partner should meet at least 50% of the turnover and experience criteria. Further, other members should also meet at least 25% of the turnover and experience criteria.

S.	Parameter	Pre-qualification criteria Description	Supporting documents to
No.			be submitted
1	Legal Entity	Bidder should be i. A company incorporated in India under the Companies Act, 2013 or any Act prior to that or a partnership firm registered under LLP Act, 2008/Indian Partnership Act, 1932 ii. Registered with the Goods and Service Tax Authorities iii. Should have been operating for the last four (4) years in India as on 31st December 2021	 i. Copy of Certificate of Incorporation/ Partnership Deed ii. Copy of Registration with GST authorities iii. Copy of PAN Card
2	Turnover	Bidder should have an average turnover of not less than INR 25 Crores in the last 4 financial years (2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20) from Media communication services/Creative services/ Promotional services For the purpose of this criterion, turnover of only the bidding entity will be considered. Turnover of any parent,	valid certificate of

	1		T
		subsidiary, associated or other related entity will not be considered. For MSEs, the average turnover of not less than INR 20 Crores in the last 4 financial years, as detailed above.	Small Enterprise (MSE) from appropriate authority.
3	Experience of handling 360 degree campaigns for at least 2	The Bidder should have the experience of handling 360-degree campaign covering designing / production of Creatives / commercials for various media including print, TV, radio, online,	a. Details of the work orders and Self-Certificate from the authorized signatory for each work.
	distinct Govt bodies/ PSU clients	outdoor, etc., digital media, social media, internet marketing, blogs, etc. for at least 2 distinct Govt. bodies/ PSU clients in the last 4 years. For MSEs, experience of handling 1 Govt. bodies/ PSU clients in the last 4 years is required.	b. For MSEs, Self-attested valid certificate of registration as Micro and Small Enterprise (MSE) from appropriate authority.
4.	Presence in NCR	Bidder must have its core team of key personnel based in Delhi NCR, and this includes Creative / Strategy/ Client Servicing/ Media/ Digital etc.	Self-certificate containing the address of the offices in NCR
5.	Geographic Presence	Bidder should have presence in at least 4 states in India, preferably Mumbai being one.	Self-certificate containing the address of these offices
6.	Compliance of Rule 144 (xi) of General Financial Rules and Orders issued thereunder	Any bidders from such countries which share land border with India will be eligible to bid only if the bidder is registered with the Competent Authority as specified by the Government of India. The bidders must check Rule 144 (xi) of GFR and Orders issued thereunder to be sure about their eligibility. In case the bidder is from such country, the evidence of valid registration must be submitted along with the above certificate.	Certificate to the effect confirming compliance of Rule 144 (xi) of General Financial Rules on the letter head in the format given as Form 3M.
7.	Preference to 'Make in India'	Only Class I & Class II Local Suppliers as defined in the Public Procurement (Preference to 'Make in India') Order shall be eligible to bid and Non-Local Suppliers shall not be eligible to bid. Bidders must visit the website of Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Government of India to be aware of the updated rule position. Minimum Local Content – The `local content' requirement to categorize a supplier as `Class-1 local supplier' is minimum 50%. For Class-II local	Certificate as per para 9 (a) of Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 (latest order dated 16.09.2020*).

supplier', the minimum 'local content'	
requirement is 20%.	

^{*}can be found at link

https://dipp.gov.in/sites/default/files/PPP% 20MII% 20Order% 20dated% 2016% 2009% 202020.pdf

- 5.2 All technical documents (eligibility criteria) submitted by the Agency should be properly paginated with a separate contents sheet indicating pagination for each document submitted.
- 5.3The bids/proposals without necessary/relevant supporting documents and proper pagination will be treated as invalid.
- 5.4 The criteria mentioned above will constitute the preliminary scrutiny and only those bidders complying with the same will be eligible for technical evaluation.
- 5.5 If a bidder furnishes wrong or misguiding data, statement(s) etc. about technical acceptability of the Services offered by it, its Bid shall be liable to be ignored and rejected in addition to other remedies available to the Bureau in this regard.

6. Technical Proposal Content

Technical proposal should be prepared considering the Terms of Reference, Detailed Approach & Methodology and any other information to highlight the capability of the bidders. Technical Proposal must be submitted in the form of duly signed forms i.e. Form 3E to Form 3I contained in Section 3 of RFP i.e. Technical Proposal-Standard Forms & Other Undertakings. The documents should be duly signed by Authorized Representative who has the capacity to sign along with Authorization Letter.

7. Self-Certified Documentary Evidence to be submitted in support of Eligibility with Technical Proposal

- a) Duly filled formats as given in Form 3E to Form 3I of Section 3 of the RFP
- b) Copy of contract/work orders along with completion certified indicating the details of previous assignments completed, Client, value of assignment/proportionate value in use of projects/ assignment in process date and year of award.
- c) Certificate from CA/ CMA certifying the segregated turnover (both total and from Media communication services/Creative services/ Promotional services).
- d) Sample of designed promotional marketing collateral, logo, brochures, newsletters, flyers, web pages, banner and hoardings etc.
- e) Details of TVCs, Radio Ads, Print Ads developed for Central / State Government Programmes. Samples can be shared as web links.
- f) Sample of designed promotional marketing collateral, logo, brochures, newsletters, flyers, web pages, banner and hoardings etc. (projects having compete 360-degree Media & creative work shall be considered for evaluation with adequate supporting document)
- g) Details of national level recognized awards won by the bidder for their creative work in the last 4 years.
- h) A certificate regarding non-disclosure/sharing of confidential information with third parties.
- i) Self-certificate letter undertaking the effect that the bidder is not blacklisted by any Central
 / State Government / Public Sector Undertaking in India on company's letter head signed
 by authorized signatory.
- j) Self-certificate letter undertaking the effect that the bidder is not penalized by BIS ever in past. (part of form 3A).
- k) Integrity Pact as given in Section 6 of the RFP

8. Presentation

The bidder is required to make a presentation of their credentials and the proposed methodology and approach, before the Consultancy Evaluation Committee (CEC) and the duration of presentation will be of an hour tentatively. The date, time & venue (or link, in case of virtual presentation) of the presentation will be notified in due course. The committee will assess the bidder for 40 marks (as detailed at Point 10.2 table, Point 3) on the basis of presentation.

9. Financial Proposal Content

Financial proposal must be submitted in the form of all the duly signed forms as per Section 4 of RFP i.e. Financial Proposal-Standard Forms. All amounts quoted in the financial proposal forms must be in Indian Rupees.

10. Evaluation of Proposals

- 10.1The bidders' proposals in the bid document will be evaluated as per the requirements specified in the RFP and adopting the qualification criteria spelt out in this RFP. The Bidders are required to submit all required documentation in support of the qualification criteria specified in RFP. The Bureau will constitute a Consultancy Evaluation Committee (CEC) to evaluate the proposal.
- 10.2Each Proposal, which pre-qualifies, shall be evaluated accordingly to the following criteria and granted a score. If the score is less than 70 as per the scoring criteria mentioned below, then the bidder will not qualify for financial evaluation and bidder's financial bid shall not be opened.

10.3 Technical Evaluation

S.No	Criteria	Marks
1	Organizational Capacity and Experience	50
1a	Gross annual turnover of the firm from Media communication	10
	services/Creative services/ Promotional services (as an average of last 3 years'	
	revenue in India)	
	Rs. 25 Cr \leq Turnover $<$ Rs. 30 Cr: 2 marks (For MSEs, turnover between 20 to 30 groups : 4 morks)	
	(For MSEs, turnover between 20 to 30 crores: 4 marks)	
	Rs. 30 Cr \leq Turnover $<$ Rs. 35 Cr: 4 marks	
	Rs. 35 Cr ≤ Turnover < Rs. 40 Cr: 6 marks Rs. 40 Cr < Turnover < Rs. 45 Cr: 8 marks	
	Rs. 40 Cf \geq 1 urnover $<$ Rs. 43 Cf. 8 marks Turnover \geq Rs. 45cr : 10 marks	
1b	Sample of designed promotional marketing collateral, logo, brochures,	10
10	newsletters, flyers, web pages, banner and hoardings etc. (projects having	10
	compete 360-degree Media & creative work shall be considered for evaluation	
	with adequate supporting documents)	
	4 or more citations = 10 Marks	
	3 Citations and more = 6 Marks	
	2 Citations = 4 Marks	
	1 Citation = 2 Marks	
	No Citation = 0 Marks	
1c	Experience in Social Media Management	10
	10 years or more = 10 Marks	
	8-10 years = 8 Marks	
	6-8 years = 6 Marks	
	4-6 years = 4 Marks	

	2-4 years = 2 Marks	
	Less than 2 years = 0 Marks	
	J	
1d	Experience of developing TVCs, Radio Ads, Print Ads for Central / State	10
Tu	Government Programmes or activities (no event recording shall be considered	10
	for evaluation),	
	4 or more citations = 10 Marks	
	3 Citations = 6 Marks	
	2 Citations = 4 Marks	
	1 Citation = 2 Marks	
	No Citation = 0 Marks	
10		10
1e	Award Winning 360 degree campaigns	10
	Bidder should have won national level recognized awards for their creative	
	work in the last 4 years.	
	Awards for 5 or more citations = 10 Marks	
	Awards for 4 citations = 8 Marks	
	Awards for 3 Citations = 6 Marks	
	Awards for 2 Citations = 4 Marks	
	Awards for 1 Citation = 2 Marks	
_	No Citation = 0 Marks	10
2	Current team experience suitable for the assignment (Qualification &	10
	Experience)- Details of minimum requirement of core team and evaluation	
	criteria laid out	_
2a	Design/ Media Expert	5
	8 years ≤ Experience < 10 years - 2 marks	
	10 years ≤ Experience < 12 years - 3 marks	
	12 years ≤ Experience < 15 years - 4 marks	
21	≥ 15 years' Experience- 5 marks	_
2b	Content Writer/ Copywriter	5
	5 years ≤ Experience < 7 years - 2 marks	
	7 years ≤ Experience < 9 years - 3 marks	
	9 years ≤ Experience < 12 years - 4 marks	
	≥ 12 years' Experience- 5 marks	4.0
3	Approach and Methodology (Based on the presentation by bidder, as	40
	detailed at Point 8)	1.0
	Linderstanding of 'Brand Bureau'	10
3a	Understanding of 'Brand Bureau'	
3b	Brand Vision and PR and communication strategy presented for The Bureau	10
-	· ·	

Total marks for Technical Evaluation–100

10.4 Financial Evaluation

- i. The bidders shall submit their quote as per the format provided in Section 4. Any monetary figure in decimal shall be rounded off to the nearest INR. In cases of discrepancy between the prices quoted in words and in figures, lower of the two shall be considered. For any other calculation/summation error etc. the bid may be rejected.
- ii. For financial evaluation the total fee for the period will be considered. The desired break up of individual activity will only be used during the extension of the contract which is for two years (12 months at a time). The terms and conditions and the rates for extension of the contract will remain same as agreed for the initial contract.

iii. Based on the requirements of The Bureau, the actual quantity may vary from the indicative quantity and the payment shall be released as per the actual quantity only.

10.5 Core Team Composition:

S.	Role	Mode	Educational & Professional Qualifications
No.			
1.	Design/ Media Expert	Full Time	 Bachelors/ P.G. Diploma/ Master's Degree in Mass-Com/ Design/ Advertisement/ Creative and similar fields Minimum 5 years of professional experience with experience in designing marketing collaterals for national and international projects.
2.	Content Writer/ Copywriter	Full Time	 Bachelors / P.G. Diploma/ Masters in Mass-Com/English Minimum 5 years of professional experience in content writing and content generation & copywriting (preferably from the Legal sector) for national and international projects

11. Purchase preference

Purchase preference as per Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 will be applicable. Latest order of PPP (MII) i.e. dated 16.09.2020 may be referred.

12. Payments

- i. Advance payment will not be considered.
- ii. The Bureau shall make payment on monthly basis depending upon the execution of work/activities during that particular month. The bills shall be raised in the name of 'The Bureau of Indian Standards'. The invoices should be submitted along with complete details of the work undertaken during the month, supporting documents and bills as well as technical certificate for completion of the assignment/activity for which the bills are submitted. A reconciliation sheet pertaining to the bills will be submitted every month. The payments shall be linked to deliverables and shall be released after technical acceptance by The Bureau. Payments are to be made within 30 days after delivery subject to such technical acceptance.
- iii. No other incentive/charges/expenses other than the cost quoted by the Agency shall be payable for work proposed in this tender. Cost for any tool/ software/ paid amplification for the purpose of communication/monitoring would be taken care by the agency only.
- iv. Taxes as applicable will be paid by The Bureau.
- v. Payments, if any, shall be made subject to deductions of TDS and such other taxes as may be applicable from time to time.
- vi. The agency shall be fully responsible for all claims made by any third party and shall also be responsible for all expenses incurred by The Bureau in any litigation initiated by any third party.
- vii. The final payment, shall be released only after completion of the required work for the year and on submission of a statement of work having been executed as per the requirements detailed in the RFP Document, or communicated subsequently by The Bureau
- viii. For facilitating Electronic transfer for funds the selected bidder will be required to indicate the name of the Bank and Branch, account number (i.e. bank names, IFSC

- Code and Bank A/c No.) and also forward a cheque leaf duly cancelled to verify the details furnished. These details should also be furnished on the body of every bill submitted for payments by the selected bidder.
- ix. If images are required to be bought for any creative, the payment for buying images, on approval of The Bureau, will be made as per the actual bill (to be duly submitted by the agency along with the agency's bill)
- x. No additional adaptation charges shall be paid for changing shape/ layout / dimensions of any creative.

13. Fraud and corrupt practices

- 13.1The Bidder and their respective officers, employees, agents and advisers shall observe the highest standard of ethics during the Selection Process. Notwithstanding anything to the contrary contained in this RFP, The Bureau will reject a Proposal without being liable in any manner whatsoever to the Bidder, if it determines that the Bidder has, directly or indirectly or through an agent, engaged in corrupt practice, fraudulent practice, coercive practice, undesirable practice or restrictive practice (collectively the —Prohibited Practices) in the Selection Process. In such an event, The Bureau will, without prejudice to its any other rights or remedies, will reject the bid proposal from that bidder.
- 13.2Without prejudice to the rights of The Bureau under this clause, hereinabove and the rights and remedies which The Bureau may have under the work order or the Agreement, if an Bidder, is found by The Bureau to have directly or indirectly or through an agent, engaged or indulged in any corrupt practice, fraudulent practice, coercive practice, undesirable practice or restrictive practice during the Selection Process, or after the issue of the work order or the execution of the Agreement, such Bidder or Digital Agency shall not be eligible to participate in any tender or RFP issued by The Bureau during a period of 2 (two) years from the date such Bidder is found by The Bureau to have directly or through an agent, engaged or indulged in any corrupt practice, fraudulent practice, coercive practice, undesirable practice or restrictive practice, as the case may be.
- 13.3For the purposes of this Clause, the following terms shall have the meaning hereinafter respectively assigned to them:
 - 13.3.1 Corrupt practice means (i) the offering, giving, receiving, or soliciting, directly or indirectly, of anything of value to influence the action of any person connected with the Selection Process (for avoidance of doubt, offering of employment to or employing or engaging in any manner whatsoever, directly or indirectly, any official of The Bureau who is or has been associated in any manner, directly or indirectly with the Selection Process or the work order or has dealt with matters concerning the Agreement or arising there from, before or after the execution thereof, at any time prior to the expiry of one year from the date such official resigns or retires from or otherwise ceases to be in the service of The Bureau, shall be deemed to constitute influencing the actions of a person connected with the Selection Process; or (ii) save as provided herein, engaging in any manner whatsoever, whether during the Selection Process or after the issue of the work order or after the execution of the Agreement, as the case may be, any person in respect of any matter relating to the Project or the work order or the Agreement, who at any time has been or is a legal, financial or technical Agency/ adviser of The Bureau in relation to any matter concerning the Project;
 - a. "fraudulent practice" means a misrepresentation or omission of facts or disclosure of incomplete facts, in order to influence the Selection Process;
 - b. "coercive practice" means impairing or harming or threatening to impair or harm, directly or indirectly, any persons or property to influence any person's participation or action in the Selection Process;

- c. "undesirable practice" means (i) establishing contact with any person connected with or employed or engaged by The Bureau with the objective of canvassing, lobbying or in any manner influencing or attempting to influence the Selection Process; or (ii) having a Conflict of Interest; and
- d. "restrictive practice" means forming a cartel or arriving at any understanding or arrangement among Bidders with the objective of restricting or manipulating a full and fair competition in the Selection Process.

14. Consortium

14.1The maximum number of partners in consortium shall be three. The eligibility criteria should be collectively met by the consortium members. However, the lead partner should meet at least 50% of the turnover and experience criteria. Further, other members should also meet at least 25% of the turnover and experience criteria. The work order will only be issued to the selected agency that has bid and the contract would also be signed with the same. The agency, if required, can allocate work further to any agency. However, The Bureau will not be dealing/communicating in any way with any such agencies. No bill/payment request will be entertained by The Bureau from such agency(ies)

15. Force Majeure Clause

15.1 If at any time during the continuance of this Contract, the performance in whole or in part by either party of any obligation under this contract shall be prevented or delayed by the reasons of any war, hostility, acts of the public enemy, epidemics, civil commotion, sabotage, fires, floods, explosion, quarantine restrictions, strikes, lockouts or act of God (hereinafter referred to as such acts) provided notice of happening of such event is given by one party to the other within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or the delay in performance, and deliveries under contract shall be resumed as soon as practicable after such event has come to an end or ceased to exist, and the decision of the Director General of the Bureau as the whether the deliveries have been so resumed or not, shall be final and conclusive, PROVIDED FURTHER that if the performance in whole or part of any obligation under this contract is prevented or delayed by reason of any such event for a period exceeding 60 days, either party may at its option terminate the contract provided also that the Bureau shall be at liberty to take over from the Contractor at a price to be fixed by Director General, which shall be final, all unused, undamaged and accepted material, bought out components and stores in course of manufacture in the possession of the contractor at the time of such termination or such portion thereof as the Bureau elect to retain.

16. Placement of Agency Representatives at The Bureau:

16.1 Two professionals from the agency are required to work on site on regular basis at The Bureau HQ. One has to be a client servicing person with experience of at least 2 years, he/she will receive inputs from The Bureau and get the desired job done. The other one has to be a creative person who can design creatives as per the requirements. The Bureau will only provide sitting space to the professionals. All other facilities/requirements of these professionals would be taken care by the agency only.

17. Termination of the Contract

- **17.1 By the The Bureau:** The Bureau may terminate the agreement with a written notice of termination to the Integrated Communications Agency, to be given after the occurrence of any of the events specified in this clause:
 - a) If the Agency does not remedy a failure in the performance of their obligations under the RFP, within a period of fifteen (15) days, after being notified or within such further period as The Bureau may have subsequently approved in writing;
 - b) If the Agency become insolvent or bankrupt;
 - c) Within fifteen (15) days, if the Agency fails to comply with any final decision reached as a result of arbitration proceedings pursuant to relevant clauses hereof;
 - d) Within seven (7) days, if the Agency submits to The Bureau a false statement which has a material effect on the rights, obligations or interests of The Bureau. If the Integrated Communications Agency places itself in position of conflict of interest or fails to disclose promptly any conflict of interest to The Bureau;
 - e) Within seven (7) days, if the agency, in the judgment of The Bureau has engaged in Corrupt or Fraudulent Practices in competing for or in executing the agreement
 - f) The Bureau, in its sole discretion and for any reason whatsoever, decides to terminate the agreement, it would do so with a notice of 30 days.

17.2 By the Agency: If the Agency decides to

terminate the Contract before the end of contract period, the Agency shall give an advance intimation of at least sixty (60) days. If the Agency terminates the contract/Agreement without prior notice of sixty (60) days, then the entire amount of Performance Security withheld by The Bureau shall be forfeited.

18. Indemnity:

- 18.1The Integrated Communications Agency agrees to indemnify and hold harmless to the The Bureau from and against any and all claims, actions, proceedings, lawsuits, demands, losses, liabilities, damages, fines or expenses (including interest, penalties, attorneys' fees and other costs of defence or investigation (i) related to or arising out of, whether directly or indirectly, (a) the breach by the selected Agency of any obligations specified in relevant clauses hereof; (b) the alleged negligent, reckless or otherwise wrongful act by the Agency or the omission including professional negligence or misconduct of any nature whatsoever in relation to Services rendered to The Bureau; (c) any Services related to or rendered pursuant to the Work order(collectively —Indemnified matter). As soon as reasonably practicable after the receipt by The Bureau of a notice of the commencement of any action by a third party, The Bureau will notify the Integrated Communications Agency of the commencement thereof; provided, however, that the omission so to notify shall not relieve the Agency from any liability which it may have to The Bureau or the third party. The obligations to indemnify and hold harmless, or to contribute, with respect to losses, claims, actions, damages and liabilities relating to the indemnified matter shall survive until all claims for indemnification or contribution asserted shall survive and until their final resolution thereof. The foregoing provisions are in addition to any rights which The Bureau may have at common law, in equity or otherwise.
- 18.2 The Integrated Communications Agency shall at all times indemnify and keep indemnified The Bureau against all claims/damages etc. for any infringement of any Intellectual Property Rights (IPR) while providing its services under the Project.
- 18.3 The Integrated Communications Agency shall at all times indemnify and keep indemnified The Bureau against any claims in respect of any damages or compensation payable in consequences of any accident or injury sustained or suffered by its (Integrated Communications Agency's) employees or agents or by

- any other third party resulting from or by any action, omission or operation conducted by or on behalf of the Integrated Communications Agency.
- 18.4 The Integrated Communications Agency shall at all times indemnify and keep indemnified The Bureau against any and all claims by Employees, Workman, Contractors, sub-contractors, suppliers, agent(s), employed engaged or otherwise working for the Integrated Communications Agency, in respect of wages, salaries, remuneration, compensation or the like.
- 18.5 All claims regarding indemnity shall survive the termination or expiry of the Work Order.
- **19.** Liability of the Integrated Communications Agency: Subject to additional provisions, if any, in this RFP the Integrated Communications Agency's liability under this agreement shall be as provided by the Applicable Law.
 - 19.1Professional Liability Insurance: The Integrated Communications Agency will maintain at its expense, Professional Liability Insurance including coverage for errors and omissions caused by the Integrated Communications Agency's negligence, breach in the performance of its duties under this RFP from an Insurance Company permitted to offer such policies in India, for a period of one year beyond completion of Services commencing from the Effective Date, (i)For an amount not exceeding total payments for Professional Fees made or expected to be made to the selected Agency hereunder or (ii) the proceeds, the Integrated Communications Agency may be entitled to receive from any insurance maintained by the Agency to cover such a liability, whichever of (i) or (ii) is higher with a minimum coverage of [insert amount and currency].

20. Obligations of The Bureau

20.1Assistance and Exemptions: The Bureau will use its best efforts to ensure to provide the Integrated Communications Agency with work permits and such other documents as necessary to enable the Integrated Communications Agency to perform the Services

21. Obligations of the Integrated Communications Agency

- 21.1General: The Integrated Communications Agency shall perform the Services and carry out their obligations hereunder with all due diligence, efficiency and economy, in accordance with generally accepted professional techniques and practices, and shall observe sound management practices, and employ appropriate advanced technology and safe methods. The Integrated Communications Agency shall always act, in respect of any matter relating to this RFP or to the Services, as faithful advisers to The Bureau, and shall at all times support and safeguard The Bureau's legitimate interests in any dealings with Sub- Agencies or third parties.
- 21.2 **Conflict of Interest:** Prohibition of Conflicting Activities: Neither the Integrated Communications Agency nor the Personnel shall engage either directly or indirectly, in any business or professional activities which would conflict with the activities assigned to them under this RFP during the term of this RFP or after the termination of the work order.
- 21.3 **Confidentiality**: The Integrated Communications Agency, their Sub-Agencies, and the Personnel of either of them shall not, either during the term or within two (2) years after the expiration of the Work order, disclose any proprietary or confidential information relating to the Project, the Services, this Contact or The Bureau's business or operations without the prior written consent of The Bureau.
- 21.4 Documents / Creatives Prepared by the Integrated Communications Agency to be the property of The Bureau: All designs, reports, other documents and software submitted by the Agency pursuant to this RFP shall become and remain the property of The Bureau, and the Agency shall, not later than upon termination or expiration

of the Work order, deliver all such documents and software to The Bureau, together with a detailed inventory thereof. The Integrated Communications Agency may retain a copy of such documents and software. Restrictions about the future use of these documents and software, if any, shall be specified in the Work Order.

22. Liquidity Damages

The timelines for the deliverables is tabulated above along with the scope of the work. The agency shall ensure timely completion of the activities as mentioned above. There will be a penalty @ 0.2% of the total value of work awarded for any delay in non-achieving the milestones as given in the scope of the work unless such delay is duly approved by the Bureau. Penalty for each assignment will be separate and the maximum penalty will be 10% of the total value of contract.

23. Severability

If any provision or condition of this Contract is prohibited or rendered invalid or unenforceable, such prohibition, invalidity or unenforceability shall not affect the validity or enforceability of any other provisions and conditions of this Contract.

24. Obligation to Maintain Eligibility and Qualifications

The Contract has been awarded to the Contractor based on specific eligibility and qualification criteria. The Contractor is contractually bound to maintain such eligibility and qualifications during the execution of the contract. Any change which would vitiate the basis on which the contract was awarded to the contractor should be pro-actively brought to the notice of the Bureau within 07 days of it coming to the Contractor's knowledge of the Contractor/Agency.

25. Changes in Constitution/ financial stakes/ responsibilities of a Contract's Business: Then Contractor must proactively keep the Procuring Entity informed of any changes in its constitution/ financial stakes/ responsibilities during then execution of the contract. Where the contractor is a partnership firm, the following restrictions shall apply to changes in the constitution during the execution of the contract:

- Contract for default as per the contract and avail or all remedies thereunder a
 new partner shall not be introduced in the firm except with the previous consent
 in writing of the Procuring Entity, which shall be granted only upon execution of
 a written undertaking by the new partner to perform the contract and accept all
 liabilities incurred by the firm under the contract before the date of such
 undertaking.
- 2. On the death or retirement of any partner of the contractor firm before the complete performance of the contract, the Procuring Entity may, at his option, terminate the.
- 3. If the contract is not terminated as provided in Sub-clause (2) above notwithstanding the retirement of a partner from the firm, that partner shall continue to be liable under the contract for acts of the firm until a copy of the public notice given by him under Section 32 of the Partnership Act, has been sent by him to the Procuring Entity in writing or electronically.

26.Governing Law and Jurisdiction

The Hon'ble Courts at Delhi alone shall have the jurisdiction, to try and decide the suit arising out of this agreement.

SECTION 3: PRE-QUALIFICATION AND TECHNICAL PROPOSAL – STANDARD FORMS

Form 3A:	Pre – Qualification Proposal Submission Form
Form 3B	Self-certification of fulfilling minimum Qualification
Form 3C	Format for Power of Attorney for Authorized representative
Form 3D	Technical Proposal Submission
Form 3E	Curriculum Vitae (CV) For Proposed Professional Staff
Form 3F	Understanding of Brand BIS.
Form 3G	Brand Vision and PR and communication strategy presented for The Bureau
Form 3H	Innovative Publicity Campaign
Form 3I	Strategy for awareness and publicity on 'Importance of Standards'
Form 3J	Format of Bank Guarantee for Performance Security
Form 3K	Format of Bid Security Declaration from Bidders in Lieu of EMD
Form 3L	Format of Certificate for Turnover and Net Worth from CA
Form 3M	Format of Certificate for Compliance of Rule 144 (xi) of General Financial Rules and Orders issued thereunder

Form 3A: Pre-Qualification Proposal Submission Form

Please note: The following form must be self-attested and printed with the submitting agency's letterhead

[Location, Date]

To Director (Mktg & CA) Public Relations Department Bureau of Indian Standards 9,Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

RFP dated [date] for selection of an Integrated Communication Agency

Dear Sir,

With reference to your RFP Document dated [date], we, having examined all relevant documents and understood their contents, hereby submit our Pre-Qualification Proposal for selection as [name of assignment]. The Proposal is unconditional and unqualified. We are submitting our Proposal as [name of the Bidder].

We understand you are not bound to accept any Proposal you receive. Further:

- 1. We acknowledge that The Bureau will be relying on the information provided in the Proposal and the documents accompanying the Proposal for selection of an Integrated Communication Agency, and we certify that all information provided in the Proposal and in the supporting documents is true and correct, nothing has been omitted which renders such information misleading; and all documents accompanying such Proposal are true copies of their respective originals.
- 2 This statement is made for the express purpose of appointment as an Integrated Communication Agency for the aforesaid Project.
- 3. We shall make available to The Bureau any additional information it may deem necessary or require for supplementing or authenticating the Proposal.
- 4. We acknowledge the right of The Bureau to reject our application without assigning any reason or otherwise and hereby waive our right to challenge the same on any account whatsoever
- 5. We certify that in the last one year, we have neither failed to perform on any assignment or contract, as evidenced by imposition of a penalty by an arbitral or judicial authority or a judicial pronouncement or arbitration award against the Bidder, nor been expelled from any project, assignment or contract by any public authority nor have had any assignment or contract terminated by any public authority for breach on our part.
- 6. We certify that in past if ever worked for the The Bureau, we have never been penalised in terms of forfeiture of Bank Guarantee or any penalty imposed.
- 7. We declare that:
- a) We have examined and have no reservations to the RFP, including any Addendum issued by the Authority;
- b) We do not have any conflict of interest in accordance with the terms of the RFP;
- c) We have not directly or indirectly or through an agent engaged or indulged in any corrupt

practice, fraudulent practice, coercive practice, undesirable practice or restrictive practice, as defined in the RFP document, in respect of any tender or request for proposal issued by or any agreement entered into with The Bureau or any other public sector enterprise or any government,

Central or State; and

- d) We hereby certify that we have taken steps to ensure that no person acting for us or on our behalf will engage in any corrupt practice, fraudulent practice, coercive practice, undesirable practice or restrictive practice.
- 8. We understand that you may cancel the selection process at any time and that you are neither bound to accept any Proposal that you may receive nor to select an Integrated Communication Agency, without incurring any liability to the Bidder.
- 9. We certify that in regard to matters other than security and integrity of the country, we or any of our affiliates have not been convicted by a court of law or indicted or adverse orders passed by a regulatory authority which would cast a doubt on our ability to undertake the Project or which relates to a grave offence that outrages the moral sense of the community.
- 10. We further certify that in regard to matters relating to security and integrity of the country, we have not been charge-sheeted by any agency of the Government or convicted by a court of law for any offence committed by us or by any of our affiliates. We further certify that neither we nor any of our consortium members have been barred by the central government, any state government, a statutory body or any public sector undertaking, as the case may be, from participating in any project or bid, and that any such bar, if any, does not subsist as on the date of this RFP.
- 11. We further certify that no investigation by a regulatory authority is pending either against us or against our affiliates or against our CEO or any of our Directors/ Managers/employees.
- 12. We hereby irrevocably waive any right or remedy which we may have at any stage at law or howsoever otherwise arising to challenge or question any decision taken by The Bureau in connection with the selection of an Integrated Communications Agency or in connection with the selection process itself in respect of the above mentioned Project.
- 13. We agree and understand that the proposal is subject to the provisions of the RFP document. In no case, shall we have any claim or right of whatsoever nature if the Project is not awarded to us or our proposal is not opened or rejected.
- 14. We agree to keep this offer valid for 90 (ninety) days from the date of opening of financial bid specified in the RFP.
- 15. We undertake that we are not blacklisted by any Central / State Government / Public Sector Undertaking in India.
- 16. A Power of Attorney in favour of the authorized signatory to sign and submit this Proposal and documents is attached herewith.
- 17. The Technical and Financial Proposal is being submitted in a separate cover. This Pre-Qualification Proposal read with the Technical and Financial Proposal shall constitute the application which shall be binding onus.
- 18. We agree and undertake to abide by all the terms and conditions of the RFP Document.

Yours sincerely,

Authorized Signature [In full and initials]: Name and Title of Signatory: Name of Firm: Address: Telephone: Fax:

(Name and seal of the Bidder/Member in Charge)

Form 3B: Self-certification of Minimum Eligibility

Please note: The following form must be self-attested and printed with the submitting bidder's letterhead

We hereby certify that our organisation M/s

has the following capabilities* along with the following documents and work orders of the projects undertaken as mentioned:

- 1 Copy of Certificate of Incorporation/ Partnership Deed
- 2 Copy of Registration with GST authorities
- 3 Copy of PAN Card
- (i)Certificate from CA/ CMA certifying the segregated turnover (both total and from Media communication services/Creative services/ Promotional services).
 (ii)For MSEs, Self attested valid certificate of registration as Micro & Small Enterprise (MSE) from appropriate authority.
- 5 (i)Details of the work orders and Self-Certificate from the authorized signatory for each work (ii)For MSEs, Self attested valid certificate of registration as Micro & Small Enterprise (MSE) from appropriate authority.
- 6 Self-certificate containing the address of the offices in NCR
- 7 Self-certificate that the bidder has presence in at least 4 states in India, Mumbai preferably being one of the states along with the address of such offices
- 8 Certificate to the effect confirming compliance of Rule 144 (xi) of General Financial Rules on the letter head in the format given at 3M.
- 9 Certificate as per papa 9 (a) of Pubic Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 (latest being 16th September 2020)

^{*}If at any time it is found out that the Integrated Communication Agency did not have the capabilities as enumerated above, The Bureau may put the Integrated Communication Agency in negative list without prejudice to any other civil/criminal action under the law and forfeiture of the PBG.

Please note: The following form must be notarised on the 100 Rupee Stamp paper

Know all men by these presents, We, [name of organization and address of the registered office] do hereby constitute, nominate, appoint and authorize Mr / Ms [name], son/daughter/ wife of [name], and presently residing at [address], who is presently employed with/ retained by us and holding the position of [designation] as our true and lawful attorney (hereinafter referred to as the —Authorized Representative|), with power to sub- delegate to any person, to do in our name and on our behalf, all such acts, deeds and things as are necessary or required in connection with or incidental to submission of our Proposal for and selection as an Integrated Communication Agency by The Bureau (the -Authority) including but not limited to signing and submission of all applications, proposals and other documents and writings, participating in pre-bid and other conferences and providing information/ responses to the Authority, representing us in all matters before the Authority and undertakings consequent to acceptance of our proposal and generally dealing with the Authority in all matters in connection with or relating to or arising out of our Proposal for the said Project or upon award thereof to us until accepting the work order with the Authority.

AND, we do hereby agree to ratify and confirm all acts, deeds and things lawfully done or caused to be done by our said Authorized Representative pursuant to and in exercise of the powers conferred by this Power of Attorney and that all acts, deeds and things done by our said Authorized Representative in exercise of the powers hereby conferred shall and shall always be deemed to have been done by us.

IN WITNESS WHEREOF WE, [name of organization], THE ABOVE NAMED PRINCIPAL HAVE EXECUTED THIS POWER OF ATTORNEY ON THIS [date in words] DAY OF [month] [year in _yyyy format].

For [name and registered address of organization] [Signature] [Name] [Designation] Witnesses:

- 1. [Signature, name and address of witness]
- 2. [Signature, name and address of Witness] Accepted Signature] [Name] [Designation] [Address] Notes:

Notes:

- 1. The mode of execution of the Power of Attorney should be in accordance with the procedure, if any, laid down by the applicable law and the charter documents of the executant(s) and when it is so required the same should be under seal affixed in accordance with the required procedure.
- 2. Wherever required, the Bidder should submit for verification the extract of the charter documents and other documents such as a resolution/power of attorney in favour of the person executing this Power of Attorney for the delegation of power hereunder on behalf of the Bidder.
- 3. For a Power of Attorney executed and issued overseas, the document will also have

to be legalized by the Indian Embassy and notarized in the jurisdiction where the Power of Attorney is being issued. However, the Power of Attorney provided by Bidder from countries that have signed The Hague Legislation Convention, 1961 are not required to be legalized by the Indian Embassy if it carries a conforming Apostille certificate.

Form 3D: Technical Proposal Submission Form

Please note: The following form must be self-attested and printed with the submitting agency's letterhead

[Location, Date]

Director (Mktg & CA) Public Relations Department Bureau of Indian Standards 9,Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Sub: RFP dated [date] for selection of an Integrated Communication Agency

Sir,

With reference to your RFP Document dated [date], we, having examined all relevant documents and understood their contents, hereby submit our Technical Proposal for Bureau of Indian Standards

We are submitting our Proposal as [name of the bidder].

If negotiations are held during the period of validity of the Proposal, we undertake to negotiate in accordance with the RFP. Our Proposal is binding upon us, subject only to the modifications resulting from negotiations in accordance with the RFP.

We understand you are not bound to accept any Proposal you receive. Further:

- We acknowledge that The Bureau will be relying on the information provided in the Proposal and the documents accompanying the Proposal for selection of the Integrated Communication Agency, and we certify that all information provided in the Proposal and in the supporting documents is true and correct, nothing has been omitted which renders such information misleading; and all documents accompanying such Proposal are true copies of their respective originals.
- 2. This statement is made for the express purpose of appointment as the Integrated Communication Agency for the aforesaid Project.
- 3. We shall make available to The Bureau any additional information it may deem necessary or require for supplementing or authenticating the Proposal.
- 4. We acknowledge the right of The Bureau to reject our application without assigning any reason or otherwise and hereby waive our right to challenge the same on any account whatsoever.
- 5. We certify that in the last 3 (three) years, we have neither failed to perform on any assignment or contract, as evidenced by imposition of a penalty by an arbitral or judicial authority or a judicial pronouncement or arbitration award

against the Bidder, nor been expelled from any project, assignment or contract by any public authority nor have had any assignment or contract terminated by any public authority for breach on our part.

6. We declare that:

- a) We have examined and have no reservations to the RFP, including any Addendum issued by the Authority;
- b) We do not have any conflict of interest in accordance with the terms of the RFP;
- c) We have not directly or indirectly or through an agent engaged or indulged in any corrupt practice, fraudulent practice, coercive practice, undesirable practice or restrictive practice, as defined in the RFP document, in respect of any tender or request for proposal issued by or any agreement entered into with The Bureau or any other public sector enterprise or any government, Central or State; and
- d) We hereby certify that we have taken steps to ensure that no person acting for us or on our behalf will engage in any corrupt practice, fraudulent practice, coercive practice, undesirable practice or restrictive practice.
- 7. We understand that you may cancel the selection process at any time and that you are neither bound to accept any Proposal that you may receive nor to select an Integrated Communications Agency, without incurring any liability to the Bidder.
- 8. We certify that in regard to matters other than security and integrity of the country, we or any of our affiliates have not been convicted by a court of law or indicted or adverse orders passed by a regulatory authority which would cast a doubt on our ability to undertake the Project or which relates to a grave offence that outrages the moral sense of the community.
- 9. We further certify that in regard to matters relating to security and integrity of the country, we have not been charge-sheeted by any agency of the Government or convicted by a court of law for any offence committed by us or by any of our affiliates. We further certify that neither we nor any of our consortium members have been barred by the central government, any state government, a statutory body or any public sector undertaking, as the case may be, from participating in any project or bid, and that any such bar, if any, does not subsist as on the date of this RFP.
- 10. We further certify that no investigation by a regulatory authority is pending either against us or against our affiliates or against our CEO or any of our Directors/ Managers/employees.
- 11. We hereby irrevocably waive any right or remedy which we may have at any stage at law or howsoever otherwise arising to challenge or question any decision taken by The Bureau in connection with the selection of an Integrated Communications Agency or in connection with the selection process itself in respect of the above mentioned Project.
- 12. We agree and understand that the proposal is subject to the provisions of the RFP document. In no case, shall we have any claim or right of whatsoever nature if the Project is not awarded to us or our proposal is not opened or rejected.

- 13. The Financial Proposal is being submitted in a separate cover. This Technical Proposal read with the Financial Proposal shall be binding onus.
- 14. We agree and undertake to abide by all the terms and conditions of the RFP Document.

Yours sincerely,

Authorized Signature [In full and initials]:

Name and Title of Signatory:

Name of Firm:

Address:

Telephone:

Fax:

(Name and seal of the Bidder/Member in Charge)

Form 3E: Curriculum Vitae (CV) For Proposed Professional Staff

Please note: The following form must be self-attested and printed with the submitting agency's letterhead

1. Proposed Position: [For each position of key profes	sional separate from 3G will be prepared]:
2. Name of Firm:	
3. Name of Staff:	
4. Date of birth:	
5. Nationality:	
6. Education: [Indicate college/university and special names of institutions, degrees obtained, and dates of	
7. Membership of Professional Associations:	
8. Other Training:	
9. Countries of work experience: [List countries where staff has worked in the last ten	years]:
10. Languages: [For each language indicate proficient and writing]:	ey: good, fair, or poor in speaking, reading,
11. Employment Record: [Starting with present positi held by staff member since graduation, giving for eadates of employment name of employing organization	ach employment (see format here below):
From [Year]: To Year] Employer:	Positions held:
12. Detailed Tasks Assigned: [List all tasks to be perf	formed under this Assignment/Job]:
13. Work undertaken that best illustrates Capability to Assignment/Jobs in which the staff has been involve those Assignment/jobs that best illustrate staff capab 12]	ed, indicate the following information for
	Location: Employer:
Main project features: Positions held: Activities perfo	ormed:
14. Certification:	

I, the undersigned, certify that to the best of my knowledge and belief, this CV correctly describes me, my qualifications, and my experience. I understand that any wilful misstatement

described herein may lead to my disqualification or dismissal, if engaged.

[Signature of staff member or authorized representative of the staff] [Full name of authorized representative]
Date:
Place:

Please note: The following form must be self-attested and printed with the submitting agency's letterhead

[Location, Date] Bidder is to provide here:

- The proposed communication strategy for repositioning of The Bureau
- Strategy for the integrated Online & Offline campaign in line with the communication strategy

Form 3G: Brand Vision and Public Relations & Communication Strategy presented for The Bureau

Please note: The following form must be self-attested and printed with the submitting bidder's letterhead

- Bidder to provide here script and storyboard for the TVC (Television commercials) and script for one radio spot, both with duration of 30 seconds each.

$\label{lem:condition} \textbf{Form 3H: Innovative Publicity Campaign online (emphasis on Social Media) and offline}$

Please note: The following form must be self-attested and printed with the submitting agency's letterhead

- Bidder to provide here the proposed strategy for a publicity campaign which should be innovative in approach (idea and media vehicles).

Form 3I: Strategy for awareness and publicity on 'Importance of Standards'

Please note: The following form must be self-attested and printed with the submitting agency's letterhead

[Location, Date]

- Overall strategy on creating awareness and publicising the 'importance of standards in the lives of a common man'.

Form 3J: Format of Bank Guarantee for Performance Security

(To be stamped in accordance with Stamp Act if any, of the country for issuing bank) Ref.: Bank Guarantee:

Date:

Dear Sir,

In consideration of The Bureau of Indian Standards, Government of India (hereinafter referred as the - The Bureau, which expression shall, unless repugnant to the context of meaning thereof include its successors, administrators and assigns) having awarded to M/s [name of the Integrated Communications Agency] a [type of company], established under laws of [country] and having its registered office at [address] (hereinafter referred to as the - Integrated Communications Agency, which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, include its successors, administrators, executors and permitted assigns), an Assignment for preparation of [name of assignment] Work order by issue of The Bureau 's Work order Letter of Award No. [reference] dated [date] and the same having been unequivocally accepted by the Integrated Communications Agency, resulting in a Work order valued at Rs. [amount in figures and words] for (Scope of Work) (hereinafter called the - Work order) and the Integrated Communications Agency having agreed to furnish a Bank Guarantee amounting to Rs. [amount in figures and words] to The Bureau for performance of the said Agreement.

We [Name of Bank] incorporated under [law and country] having its Head Office at [address](hereinafter referred to as the Bank), which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, include its successors, administrators executors and assigns) do hereby guarantee and undertake to pay The Bureau immediately on demand an or, all monies payable by the Integrated Communications Agency to the extent of Rs. [amount in figure and words] as aforesaid at any time up to [date] without any demur, reservation, contest, recourse or protest and/ or without any reference to the Integrated Communications Agency. Any such demand made by The Bureau on the Bank shall be conclusive and binding notwithstanding any difference between The Bureau and the Integrated Communications Agency or any dispute pending before any Court, Tribunal, Arbitrator or any other authority.

We agree that the Guarantee herein contained shall be irrevocable and shall continue to be enforceable until The Bureau discharges this guarantee.

The Bureau shall have the fullest liberty without affecting in any way the liability of the Bank under this Guarantee, from time to time to vary the advance or to extend the time for performance of the Work order by the Integrated Communications Agency nor shall the responsibility of the bank be affected by any variations in the terms and conditions of the work order or other documents. The Bureau shall have the fullest liberty without affecting this guarantee, to postpone from time to time the exercise of any powers vested in them or of any right which they might have against The Bureau and to exercise the same at any time in any manner, and either to enforce or to forbear to enforce any covenants, contained or implied, in the Work order between The Bureau and the Integrated Communications Agency any other course or remedy or security available to The Bureau. The Bank shall not be relieved of its obligations under these presents by any exercise by The Bureau of its liberty with reference to the matters aforesaid or any of them or by reason of any other act or forbearance or other acts of omission or commission on the part of The Bureau or any other indulgence shown by The Bureau or by any other matter or thing whatsoever which under law would but for this provision have the effect of relieving the Bank.

The Bank also agrees that The Bureau at its option shall be entitled to enforce this Guarantee against the Bank as a principal debtor, in the first instance without proceeding against the Integrated Communications Agency and not withstanding any security or other guarantee that The Bureau may have in relation to the Integrated Communications Agency's liabilities.

This Guarantee shall be irrevocable and shall remain in full force and effect until discharge by the Bank of all its obligations hereunder. This Guarantee shall not be affected by any change in the constitution or winding up of the Integrated Communications Agency /the Bank or any absorption, merger or amalgamation of the Integrated Communications Agency /the bank with any other Person.

Notwithstanding anything contained herein above our liability under this guarantee is limited to Rs. [amount in figure and words] and it shall remain in force up to and including [date] and shall extend from time to time for such period(s) (not exceeding one year), as may be desired by M/s [name of the Integrated Communications Agency on whose behalf this guarantee has been given. Date this [date in words] day [month] of [year in – yyyy' format] at[place]. WITNESS

- 1. [signature, name and address]
- 2. [signature, name and address]

[Official Address]
[With Bank Stamp]

Designation

Attorney as Per Power of Attorney No. Dated Strike out, whichever is not applicable. The date will be fixed as indicated in S.C.C.

The stamp papers of appropriate value shall be purchased in the name of bank which issues the - Bank Guarantee. The bank guarantee shall be issued either by a bank (any commercial bank) located in India.

Form 3K: Format of Bid Security Declaration from Bidders in Lieu of EMD

(On Bidders	Letter head)
participating i	authorized signatory of M/s, n the subject tender No . PRD/Engagement of ICA/2021-22 for the Development on of Public Relations and Communication Strategy for publicity and a The Bureau and its activities as its Integrated Communication Agency, do e:
	That I / we have availed the benefit of waiver of EMD while submitting our offer against the subject Tender and no EMD being deposited for the said tender. That I/We,
	Signature and Seal of Authorised Signatory of bidder Name of Authorized Signatory

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

Form 3L : Format of Certificate for Turnover and Net Worth from CA (On CA's Letter head)

Certified that M/s___having its Registered Office at ___has been having an annual turnover of not less than INR 25 Crores and net worth of. The details are

Financial Year	Total Crore)	Turnover (INR	IEC Related (INR Crore)	Net Crore)	Worth	(INR
FY2016-17						
FY2017-18						
FY2018-19						
EV2010 20						

This certificate is issued based on documentary evidences and Audited Accounts produced to me and copies of which are available with me that I shall be able to produce if directed or demanded by the Ministry of AYUSH. The certificate is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Signature	
Name of the Person	
Designation	Chartered Accountant
Name of the Firm	
Registration No./ MembershipNo.	
Address	
Email address	
Contact No.	

Date:
Place:

as under:

Form 3M: Format of Certificate for Compliance of Rule 144 (xi) of General F	'inancial
Rules and Orders issued thereunder	

(On Bidders Letter head)

I have read the clause regarding restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India; I certify that this bidder is not from such a country or, if from such a country, has been registered with the Competent Authority. I hereby certify that this bidder fulfils all requirements in this regard and is eligible to be considered.

In case of agencies registered with the Competent Authority, a valid registration Certificate shall be enclosed

$Section \ 4: Financial \ Proposal-Standard \ Forms$

Financial Proposal Submission Summary of Costs Form4A:

Form4B:

Form 4A: Financial Proposal Submission Form

[Location, Date]

To Director (Mktg & CA) Public Relations Department Bureau of Indian Standards 9,Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Dear Sir,

Subject: RFP dated [date] for selection of an Integrated Communication Agency

We, the undersigned, offer to provide the services for Integrated Communications Agency in accordance with your Request for Proposal dated [date] and our Proposal. Our attached Financial Proposal is for the sum of [amount(s) in words and figures].

Our Financial Proposal shall be binding upon us subject to the modifications resulting from arithmetic correction, if any, up to expiration of the validity period of the Proposal, i.e. [date].

We undertake that, in competing for (and, if the award is made to us, in executing) the above assignment, we will strictly observe the laws against fraud and corruption in force in India namely —Prevention of Corruption Act 1988.

We understand you are not bound to accept any Proposal you receive.

Yours sincerely,

Authorized Signature [In full and initials]: Name and Title of Signatory: Name of Firm: Address:

For Financial Evaluation, the total fee for the period will be considered. This Fixed Annual Fee will cover costs/expenses of the Integrated Communications Agency for undertaking work as detailed in the Scope of Work.

Break-up of costs for each of the items of work listed in the Scope of Work are to be submitted on a separate sheet of paper. This break-up of individual costs will **not** be considered for financial evaluation. However, the payment shall be made only on the basis of services availed for the actual quantity of each component.

Form 4B: Summary of Costs

Bidders shall not quote more than the applicable BOC (DAVP) rates where applicable.

PART	S. No.	Description of Item	Cost p.u.* in Rs.	Indicative Quantity per year**
A		Monthly Retainer Fee	(Monthly fee to be mentioned)	12
	1.	Monthly retaining fee will include following: a. social media management including development of creative ideas, campaigns, creatives, posts, copy writing for posts, development of effective response mechanism for social media handles of the The Bureau and monthly monitoring report for the presence of The Bureau on social media. b. Media Scanning & Reporting i.e. submitting a weekly report of coverage of/relevant to BIS (if urgent, the coverage be reported immediately).		
В		Rate Card Jobs		
	1.	Detailed Public Realtions and Communication Strategy		1
	2.	Brand Manual		1
	3.	HD Photography – half day		35-50
	٥.	HD Photography – Full day		
		Creatives for Print		
	4.	Print ad designing i	n HD	
		Strip Ad/ Quarter Page Ad / Half Page Ad	(Per sq.cms)	10-12
	_	Press Release (1-2 page)		80
	5.	Hindi Translation of Press Release		
		Creatives for Rad	dio	
	6.	Radio Spot (tentatively 30 secs of duration) (quote on per 10 secs basis)		8
		Language version of Radio Spot (per		80 (8X10
		language) tentatively 30 seconds duration		Lang)
		Creatives for TV in	n HD	
	(The films/commercials may have 3D animation, grap		o animation, graphi	
	7.	Television Commercial (30 seconds)		6
		a. Adaptations of TVC (15/20 seconds)		6
		b. Films on key activities/initiatives of BIS		5
		+ Other Subjects (5- 10 mins)		70 F7710
		c. Dubbing of the films (point b) (per		50 [5X10
		language) d. Dubbing of Videos for TVC (6X10		languages] 60
		Lang)		00
		Lais,		<u> </u>

	e. Films (10-15 mins of duration)		5
	f. Films (15-30 minutes of duration)		5
	Creatives for Digital P	latform in HD	
	Promotional Campaign Film – Interview led (2-6 mins duration)		12
8.	Event & other information based videos etc. (2-6 mins duration)		12
	2D Animation Film (2-3 minute duration)		5
	3D Animation Film (30 secs to 2 mins)		4
	Creatives for New Medi	a/ Social Media	
	GIF (5 secs)		
	Facebook LIVE / Periscope / LIVE Twitter Chats/ Q & A/ Google Hangouts/ Webinars: per live		180
	Animation for social media 5 to 15 secs with music or voice over		
	Blogs by influencers/ thinkers/ stakeholders		12
9.	Blogs by BIS (of 800 words)		24
	Facilitation fee (in percentage) for paid campaigns on social media*** (over the actual bill from the parent agency/Google.)		6
	Display board (at reception areas) creatives (4-5 per day) and its management (quote on per month basis) The creatives include modified social media posts, GIFs, TV spots, thought of the day, Quotes, Meeting schedule of the day, archival content etc.		15-16 per month
	Creatives for Outdoor Media (OO	H): Designing per crea	tive
10.	Designing Outdoor Creatives (HD)		6
	Booklet/Literature (or	ly Designing)	
11.	Development of e-book: Quote per page HD format (which can be printed later as booklet) and suitable format as e-Book No. of pages: 200 to 400 HD pictures with upgradation of the old available pictures Layout designing, Proof reading, Rewriting, if required Facilitation in uploading the eBook on The Bureau website Language: Hindi & English (Content in English and Hindi will be provided).		2

	Page wise display, page curl effect and	
	flipping with sound effect	
	Capable of being updated in the back end	
	'Go to Home' button to appear on all pages	
	Text size enhancement and reduction.	
	Downloadable in pdf file.	
	Coffee table Book (HD)	
	Designing, editing, redrafting,	
	proofreading: Quote on per page basis	
	Pocket Booklet Designing in HD (10 to	
	20 pages)- Quote per unit	
	Report in HD (100 to 200 pages+ Cover)	1 each
	Designing, editing, redrafting,	
	proofreading	
	Hindi & English	
	Calendar designing in HD. 12+2 (one	1
	page a month & cover + list of holidays)	1
	Diary designing in HD	
	240 pages (120 leaf) Separator Pages: 12	1
	pages with Cover	
	Brochure/Flyer Designing in HD	12
	Quote per one-sided A4 size page (any	
	other size will be calculated on pro-rata	
	basis)	
12.	Banner/Standee Designing	60
	TOTAL COST (EXCLUDING	•
	TAXES)	

^{*}The Per Unit Cost in Total only, will be considered for evaluation of financial bid.

Please Note:

- 1. The cost shall remain fixed during the tenure of the contract.
- 2. The services mentioned above will be sought as and when required except 'retaining fee' which will be paid on monthly basis till the agency is on-board.

^{**} Based on the requirements of The Bureau, the actual quantity may vary from the indicative quantity (as given in Part 1 of Section 2 of the tender document after considering above modifications) and the payment shall be released as per the actual quantity or services sought only.

^{***} Actual bills from the owner of social media handles (parent agency/Google) are to be submitted along with the agency bill including facilitation fee (in percentage), if applicable at the time of payment.

SECTION 5 : SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE BUREAU AND THE INTEGRATED COMMUNICATIONS AGENCY

(Name and Address of the succe expression shall, unless it be rep and include its successors and Standards,9,Bahadur Shah Zafar	this day ofbetween M/s_essful bidder) (hereinafter referred to as the AGENCY, which ugnant to the context or meaning thereof, be deemed to mean assigns) of the ONE PART and The Bureau of Indian Marg, New Delhi-110002(hereinafter referred to as the, which ugnant to the context or meaning thereof, be deemed to mean signs) of the OTHER PART.
WHEREAS the Agency is a serv	ice provider.
	a body corporate, enacted by Parliament. The Bureau intends on contract basis, therefore, invited bids through Open or order enquiry dated
and was selected as 'successful	ed its bid vide in accordance with the bid document bidder' pursuant to the bidding process and negotiation on Letter of Acceptance' (LoA) No to the agency on
forma part and parcel of this agre	nentioned in the RFP/ Tender document dated shall be seement. D agree to abide the terms and conditions as mentioned in the intment of Integrated Communication Agency".
(Signature of agency /	(Signature of Authorized Officer of the The Bureau)
Authorized Representative)	Nama
Name Designation	Name Designation
Address	Address
Seal of the Firm/Company	Seal of the The Bureau
Witness:	Witness:
(Signature)	(Signature)
Name of Witness	Name of Witness
Address	Address
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

SECTION 6: INTEGRITY PACT

On the Letterhead of the Bidder

"The Bureau" And "The Bidder" hereby agree not to indulge in any corrupt practices including without limitation any activity or action to influence the transaction on any aspect of contract and commit to take all measures necessary to prevent corruption maintaining complete transparency and fairness in all activities related to the Bureau. Users agree to follow and adhere with the Integrity Pact guidelines as under:

Preamble

The Bureau values full compliance with all relevant laws of the land, regulations, economic use of resources and of fairness / transparency in its relations with its Bidder.

Section 1- Commitments of the Bureau.

- 1. The Bureau commits itself to take all measures necessary to prevent corruption and to observe the following principles:
 - a. No employee of the Bureau, personally or through family members, will in connection with the bid for, or the execution of a person, any material or immaterial benefit which the person is not legally entitled to.
 - b. The Bureau will during the bid process treat all bidders with equity and reason. The Bureau will in particular, before and during the bid process, provide to all Bidders the same information and will not provide to any Bidder confidential/additional information through which the Bidder could obtain an advantage in relation to the process or the contract execution.
 - c. The Bureau will exclude from the process all known prejudiced persons.
- 2. If the Bureau obtains information on the conduct of any of its employees which is a criminal offence under the IPC/PC Act, or it there be a substantive suspicion in this regard, the Bureau will inform the Chief Vigilance Officer and in addition can initiate disciplinary actions.

Section 2- Commitments of the Bidder

- 1. The Supplier commit himself to take all measures necessary to prevent corruption. He commits himself to observe the following principles during his participation in the bid process and during the contract execution.
 - a. The Bidder will not, directly or through any other persons or firm, offer promise or give to any of the Bureau's employees involved in the bid process or the execution of the contract or to any third person any material or other benefit which he/she is not legally entitled to, in order to obtain in exchange any advantage before or during the execution of the contract.
 - b. The Bidder will not enter with other Bidders into any undisclosed agreement or understanding, whether formal or informal. This applies in particular to prices, specifications, certifications, subsidiary contracts, submission or non-submission of bids or any other actions to restrict competitiveness or to introduce cartelization in the bidding process.
 - c. The Bidder will not commit any offence under the relevant IPC/PC Act; further the Bidder will not use improperly, for purposes of competition or personal gain, or pass on to others, any information or document provided by the BUREAU as part of the business relationship, regarding plans, technical proposals and business details, including information contained or transmitted electronically.

- d. The Bidder will, when presenting his bid, disclose any and all payments he has made, is committed to or intends to make to agents, brokers or any other intermediaries in connection with the award of the contract.
- 2. The Bidder will not instigate third persons to commit offences outlined above or be an accessory to such offences.

Section 3: Disqualification from bid process and exclusion from future contracts

If the Bidder, before award or during execution has committed a transgression through a violation of Section 2, above or in any other form such as to put his reliability or credibility in question, the BUREAU is entitled to disqualify the Bidder from the bid process or take action as per the procedure mentioned in the "Incident Management Policy" available on GeM portal.

Section 4: Compensation for Damages

- 1. If the BUREAU has disqualified the Bidder from the bid process prior to the award according to Section 3, the BUREAU is entitled to reject the bid proposal of the bidder.
- 2. If the BUREAU has terminated the contract according to Section 3, or if the BUREAU is entitled to terminated the contract according to Section 3, the BUREAU shall be entitled to demand and recover from the Bidder damages of the amount equivalent to Performance Bank Guarantee.

Section 5: Previous Transgression

- 1. The Bidder declares that no previous transgressions occurred in the last three years with any Government Organization that could justify his exclusion from the bid process.
- 2. If the Bidder makes incorrect statement on this subject, he can be disqualified from the bid process and action can be taken as per the procedure mentioned in "Incident Management Policy".

(Signature & Seal of the bidder)

SECTION 7: DECLARATION REGARDING NON-BLACKLISTING OF THE FIRM OR COMPANY

I/We hereby declare that our firm or Company is not black-listed by any Ministry or Department of Central Government/ State Government or PSU or National Association of Software and Service Companies (NASSCOM) or other bodies under the Central Government/ State Government.

Dated theday of	2022.
	Signature of Authorized Officer
	Name & Address of the Signatory
	Seal of the Firm/ Company

SECTION 8: DECLARATION REGARDING NO PENDENCY OF ANY CRIMINAL CASE AGAINST THE FIRM OR COMPANY OR CONVICTION BY ANY COURT OF LAW

I/We declare that no criminal case is registered or pending against the firm or company or its owner or partners or directors anywhere in India. I/We further declare that neither I/we nor our firm/ Company is found guilty of any criminal offence or convicted by any Court of Law.

Dated theday of2022.	
<u> </u>	ure of Authorized Officer & Address of the Signatory
-	Seal of the Firm/ Company

SECTION 9: GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT (GCC)

1.1 Defined Terms

- 1) "Agent" is a person employed to do any act for another, or to represent another in dealings with third person. In the context of public procurement, an Agent is a representative participating in the Tender Process for and on behalf of its principals.
- 2) "Authorized Officer" means the officer who has been assigned the authority to execute therelevant Contract on behalf of the Bureau
- 3) "Beneficiary" (of Services/ Works) means the person for whom the Services/ Works are tobe delivered as specified in the Contract.
- 4) "Bid" (including the term 'tender', 'offer', 'quotation' or 'proposal' in certain contexts) means an offer to supply goods, services or execution of works made in accordance withthe terms and conditions set out in a document inviting such offers.
- 5) "Bidder" (including the term 'bidder', 'consultant' or 'service provider' in certain contexts) means any eligible person or firm or company, including a Joint Venture or consortium (that is an association of several persons, or firms or companies), participating in a tender process with the Bureau.
- 6) "Bill of Quantities" (including the term Price Schedule or BOQ) means the priced and completed Bill of Quantities forming part of the Bid.
- 7) "Consultancy services" covers a range of services that are of an advisory or professional nature and are provided by consultants. These Services typically involve providing expert or strategic advice e.g., management consultants, policy consultants or communications consultants. Advisory and project related Consultancy Services which include, for example: feasibility studies, project management, engineering services, Architectural Services, finance accounting and taxation services, training and development. It may include small works or supply of goods or other services which are incidental or consequential to such services;
- 8) "Contract" means the letter or memorandum communicating to the Contractor the acceptance of his Bid and includes Notification of Award, General Conditions of Contract, Special, and the other conditions and formal Agreement document including its Annexes, if executed;
- 9) "Contractor" or "Supplier" means the individual or the firm supplying the goods and services. The term includes his employees, agents, successors, authorized dealers, stockists, and distributors. Other homologous terms are: Vendor, Firm, Manufacturer, OEM, Bidder etc.;
- 10) "Day" means calendar day.
- 11) "Drawing" means the drawing or drawings specified in or annexed to the Specifications or the Tender Document/ Contract;
- 12) "Equipment" means the Contractor's machinery and vehicles brought temporarily to the Site to for performance of Service.
- 13) "General Conditions" means the General Conditions of Contract, also referred to as GCC.
- 14) "Goods" (including the term 'Services', 'Material(s)' in certain contexts) includes all articles, material, commodity, livestock, medicines, furniture, fixtures, raw material, consumables, spare parts, instruments, machinery, equipment, industrial plant, vehicles, aircrafts, ships, rolling stock assemblies, sub-assemblies, accessories, a group of machines comprising an integrated production process or such other categories of goods or intangible, products like technology transfer, licenses, patents or other intellectual properties (but excludes books, publications, periodicals, etc., for a library), procured or otherwise acquired. Procurement of goods may include certain small work or some services, which are incidental or consequential to the supply of such goods, such as transportation, insurance, installation, commissioning, training, and maintenance;
- 15) "Government" means the Central Government as the case may be;
- 16) "Inspection" means activities such as measuring, examining, testing, analyzing, gauging one or more characteristics of the product or service, and comparing the same with the specified requirement to determine conformity.
- 17) "Joint Venture" means a Joint Venture or a Consortium (that is an association of several persons, or firms or companies also referred as JV/C)
- 18) "Materials" means all supplies, including consumables, used by the Contractor forperformance of Service or for use by his
- 19) "Outsourcing of Services" means deployment of outside agencies on a sustained long term(for one year or more) for performance of other services which were traditionally being done in-house by the employees of Ministries/Departments (e.g., Security Services, Horticultural Services, Janitor/Cooking/Catering/Management Services for Hostels and Guest Houses, Cleaning/Housekeeping Services, Errand/Messenger Services and so forth). Besides outsourcing, other services also include procurement of short-term standalone services.
- 20) "Parties". The parties to the Contract are the "Contractor" and "the Bureau", as defined in this Clause;
- 21) "Performance Security" means monetary guarantee to be furnished by the successful Bidder in the form prescribed for due performance of the Contract placed on it. Performance Security is also known as Security Deposit or Performance Bank Guarantee.
- 22) "Procurement" or "public procurement" (or 'Purchase', or 'Government Procurement/ Purchase' in certain contacts) means acquisition by way of purchase, lease, license or otherwise, either using public funds or any other source of funds (e.g. grant, loans, gifts, private investment etc.) of goods, works or services or any combination thereof, including award of Public Private Partnership projects, whether directly or through an agency with which a contract for procurement services is entered into, but does not include any acquisition of goods, works or services without consideration, and the term "procure" or "procured" shall be construed accordingly;
- 23) "Procurement Process" means the process of procurement extending from the assessment of need; issue of invitation to prequalify or to register or to bid, as the case may be; the award of the procurement contract; execution of contract till closure of the Contract:
- 24) "Scheduled Commercial Bank" means a bank, defined as a scheduled bank under section 2(e) of the Reserve Bank of India Act, 1934.

- 25) "Service" is defined by exception as any subject matter of procurement other than goods or works, except those incidental or consequential to the service and includes physical, maintenance, professional, intellectual, training, consultancy and advisory services or any other service classified or declared as such by a Procuring Organization but does not include appointment of an individual made under any law, rules, regulations or order issued in this behalf. It includes 'Consultancy Services' and 'Other (Non-consultancy) Services';
- 26) "Site of Delivery" means the lands, spaces, and other places on, under, in or through which the services are to be carried out and any other lands or places provided by the Procuring Organization for the purpose of the Contract.
- 27) "Special Conditions" means Special Conditions of Contract, which over-ride the General Conditions, also referred to as SCC.
- 28) "Specification" or "Technical Specification" means the drawing/ document/ standard that prescribes the requirement to which product or service has to conform.
- 29) "Signed" includes digitally signed and or stamped, except in the case of an acceptance of Bid or any amendment thereof;
- 30) "Sub-Contractor" means is a person or corporate body who has a Contract with the Contractor to carry out a part of the construction work or routine maintenance in the Contract, which includes work on the Site.
- 31) "Temporary Works" means works designed, constructed, installed, and removed by the Contractor that are needed during the performance of Services.
- 32) "Variation" means an instruction given by the Authorized Officer, which varies the scope, quantum or performance standards of the Service performed.
- 33) "Tender"; "Tender Document"; "Tender Enquiry" or "Tender Process" or "Request for Proposal (RFP)": Tender Document means the document (including all its sections, Forms, and formats etc.) published by the Bureau to invite bids in a Tender Process, which is the whole process from publishing of the Tender Document till the resultant award of the Contract. Both the Tender Document, as well as Tender Process may be generically referred as "Tender' or 'Tender Enquiry' which would be clear from context without ambiguity.

2. The Contract

2.1 Interpretation and General Matters

2.1.1 General Interpretations

Except where the context requires otherwise, throughout this Contract:

- 1) The headings are for reference only and shall not limit, alter, or affect the interpretations in the Contract.
- 2) Words in the singular include the plural and vice-versa.
- 3) Words importing the masculine gender shall be taken to include other genders and wordsimporting persons shall include any company or association or body of individuals, whether incorporated or not
- 4) Terms and expressions not herein defined shall have the meanings assigned to them in the Indian Sale of Goods Act, 1930 (as amended) or the Indian Contract Act, 1872 (as amended) or the General Clauses Act, 1897 (as amended) as the case may be
- 5) Any generic reference to GCC shall also imply a reference to SCC as well.
- 6) In case of conflict, provisions of SCC and the tender document or Request for Proposal or the Expression of Interest shall prevail over those in GCC.

2.1.2 Severability

If any provision or condition of this Contract is prohibited or rendered invalid or unenforceable, such prohibition, invalidity or unenforceability shall not affect the validity or enforceability of anyother provisions and conditions of this Contract.

2.2 Modification/ Amendment

- 1) No variation in or modification of the terms of the Contract shall be made except by written amendment signed by the parties. In the event of any of the provisions of the Contract requiring to be modified after the Contract documents have been signed, the modifications shall be made in writing and signed by the Bureau and the Contractor and no service shall proceed under such modifications until this has been done. Requests for changes and modifications may be submitted in writing by the Contractor to the Bureau. The Bureau at any time during the currency of the Contract, may suo-moto or on request from the Contractor, by a written order, amend the Contract by making alterations and modifications within the general scope of Contract.
- 2) If the Contractor does not agree to the suo-moto amendment/ modification made by the Bureau, the Contractor shall convey its views to the Bureau within <u>seven</u> days from the date of the Contractor's receipt of the Bureau's amendment/ modification of the Contract. Otherwise, it shall be assumed that the Contractor has consented to the amendment.
- 3) Any verbal or written arrangement abandoning, modifying, extending, reducing, or supplementing the Contract or any of the terms thereof shall be deemed conditional and shall not be binding on the Bureau unless and until the same is incorporated in a formal instrument and signed by the Bureau and the Contractor, and till then the Bureau shall have the right to repudiate such arrangements.

2.3 Waivers and Forbearance

The following shall apply with respect to any waivers, forbearance, or similar action takenunder this Contract:

- a) Any waiver of the Bureau's rights, powers, or remedies under this Contract must bein writing, dated, and signed by an authorized Officer or representative of the Bureau granting such waiver, and must specify the terms under which the waiver is being granted.
- b) No relaxation, forbearance, delay, or indulgence by the Bureau in enforcing any of the terms and conditions of this Contract or granting of extension of time by the Bureau to the Contractor shall, in any way whatsoever, prejudice, affect, or restrict the rights of the Bureau under this Contract, neither shall any waiver by the Bureau of any breach of Contract operate as waiver of any subsequent or continuing breach of Contract.

2.4 Parties

2.4.1 Parties

The parties to the Contract are the Contractor and the Bureau, as defined in Clauses 1.1 above.

3. Governing Laws and Jurisdiction & Labour Laws and Related Obligations

3.1 Governing Laws and Jurisdiction

- **3.1.1 Governing Law:** The contract shall be governed and interpreted under Indian Laws.
- **3.1.2 Legal Jurisdiction:** No suit or other proceedings relating to performance or breach of Contract shall be filed or taken by the Contractor in any Court of law except the competent Courts having jurisdiction within the local limits of Delhi only.

3.2 Labour Laws and Related Obligations

3.2.1 Independent Contractor

- 1) The status of the Contractor shall be that of an independent contractor and <u>Primary Employer of staff deployed</u> during the Contract by him or other associates. The Contractor, its employees, agents performing under this Contract are not employees or agents of the Bureau, simply by virtue of Services delivered pursuant to this Contract.
- 2) The contractor alone shall be responsible for ensuring compliance of the laws and regulations etc. not limited to the labour laws; governing the services under this tender document and the Bureau shall not have any liability on this account.

4. Communications

4.1 Communications

- 1) All communications under the Contract shall be served by the parties on each other in writing, in the language of the Contract and served in a manner customary and acceptable inbusiness and commercial transactions.
- 2) The effective date of such communications shall be either the date when delivered to the recipient or the effective date specifically mentioned in the communication, whichever is later.
- 3) No communication shall amount to amendment of the terms and conditions of the Contract, except a formal letter of amendment of Contract, so designated.

4.2 Person signing the Communications

For all purposes of the Contract, including arbitration thereunder all communications to other party shall be signed by:

- (a) In case of the Contractor, the person who has signed the Contract on his behalf. A person signing communication in respect of the Contract on purported to be or to be on behalf of the Contractor, without disclosing his authority to do so, shall be deemed to warrant that he has authority to bind the Contractor. If it is discovered at any time, that the person so signing has no authority to do so, the Bureau may, without prejudice to any other right or remedy, terminate the Contract for default in terms of clause 14.1 below and avail all the remedies available therein and hold such person personally liable to the Bureau for all costs and damages arising from such remedies for termination of the Contract.
- (b) Unless otherwise stipulated in the Contract or the SCC, the Authorized Officersigning the Contract shall administer the Contract and sign communications onbehalf of the Bureau. Beneficiaries of Services and the Paying Authorities mentioned in the Contract or SCC shall also administer respective functions during Contract Execution.

4.3 Address of the parties for sending communications by the other party

For all purposes of the Contract, including arbitration thereunder the address of parties towhich all communications and notices shall be addressed by the other party shall be:

- a) The address of the Contractor mentioned in the Contract, unless the Contractor has notified change by a separate letter containing other communication and sent by any means of acknowledged receipt to the Bureau. The Contractor shall be solely responsible for the consequence of an omission to notify a change of address in the manner aforesaid, and
- b) The address of the Bureau shall be the address mentioned in the Contract. Contractorshall also send additional copies to officers of the Bureau presently dealing with the Contract.

5. Contractor's Obligations and restrictions on its Rights

5.1 Changes in Contractor's business

No changes in the constitution of Contractor's Firm/ Entity shall be permitted during the execution of the Contract. The Contractor must proactively keep the Bureau informed of such changes. Where the Contractor is a partnership firm, a new partner shall not be introduced in the firm except with the previous consent inwriting of the Bureau, which shall be granted only upon execution of a written undertaking by the new partner to perform the Contract and accept all liabilities incurred by the firm under the Contract prior to the date of such undertaking.

5.2 Obligation to Maintain Eligibility and Qualifications

The Contract has been awarded to the Contractor based on certain eligibility and qualification criteria. The Contractor is contractually bound to maintain such eligibility and qualifications. Any change which would affect Contractor's eligibility or qualification to receive this Contract should be poactively brought to the notice of the Bureau, within 7 days of its coming to Contractor's knowledge, otherwise it would amount to breach of contract and also violation of Code of Integrity. These changes include but not restricted to:

- 1) Change regarding declarations made by it in its Bid including but not restricted to:
- a) its ownership and incorporation pattern
- b) its status as a going concern insolvency, bankruptcy, receivership
- c) Suspension of its business or commercial activities for any reason including a legal proceeding
- d) Its (including their members or affiliates or subsidiaries) being declared ineligible or debarred for corrupt and fraudulent practices or for any other misdemeanour by Government or Public Entity
- e) Its proprietor, employee, partner or representative, directors and officers being convicted of any offence by a court involving moral turpitude in business dealings

- f) A conflict of interest as defined in the Tender Document or RFP, having developed/ discovered between staff of the Bureau and staff/representatives of the contractor or its Agents, involved in the Procurement process;
- g) Change in its declared status under the following:
- (i) Restriction on entities from countries with land-borders with India,
- (ii) Make in India provisions or local content of its offered product(s)
- (iii) MSE and Start-up
- 2) Change in its qualification criteria submitted in its Bid Experience; Past Performance; Non-performing Contracts/ Litigation; Performance Capability; Key Personnel; Critical Equipment; Financial Capability etc. as per the eligibility criteria contained in the tender document or RFP.

5.3 Restriction on Potential Conflict of Interests

Neither the Contractor nor the Personnel of the contractor shall engage, either directly or indirectly, in any of the following activities:

- a) during the term of this Contract, any business or professional activities in the India whichwould conflict with the activities assigned to them under this Contract.
- b) after the termination of this Contract, such other activities as may be specified in the SCC.

5.4 Consequence of breach by Constituents of a Contractor

5.4.1 In case of Partnership Firm

Should a partner in the Contractor firm commit a default or breach of clause <u>5.1</u>, it shall be lawful for the Bureau to terminate the Contract for default as per clause <u>14.1</u> and avail any or all remedies available to thereunder.

5.4.2 Decision of the Bureau Shall Be Final

The decision of the Bureau as to any matter or thing concerning or arising out of this clauseor on any question whether the Contractor or any partner of the Contractor firm has committed a default or breach of any of the conditions in this clause shall be final and binding on the Contractor.

5.5 Obligation to Indemnify the Bureau

The Contractor shall indemnify and keep indemnified the Bureau against all losses and claims for injuries or damage to any person or any property whatsoever which may arise out of or in consequence of the Contract and against all claims, demands, proceedings, damages, costs, charges and expenses whatsoever in respect of or in relation thereto under the provisions of various labour laws as amended from time to time. The Contractor shall indemnify, protect and save the Bureau against all claims, losses, costs damages, expenses, action suits and other proceeding, resulting from infringement of any patent, trademarks, copyrights etc. or such other statutory infringements

5.6 Confidentiality, Secrecy, IPR Rights

5.6.1 IPR Rights

All deliverables, outputs, plans, drawings, specifications, designs, reports, and other documents and software (whichever applicable) submitted by the Contractor under this Contract shall become and remain the property of the Bureau and subject to laws of copyright and must not be shared with third parties or reproduced, whether in whole or part, without the Bureau's prior written consent. The Contractor shall, not later than upon termination or expiration of this Contract, deliver all such documents and software to the Bureau, together with a detailed inventory thereof. The Contractor may retain a copy of such documents and software but shall not use it for any commercial purpose.

5.6.2 Confidentiality

- All documents, drawings, samples, data, or other information furnished by or on behalf of the Bureau to the Contractor, in connection with the Contract and the Tender Document, whether such information has been furnished prior to, during or following completion or termination of the Contract, are confidential and shall remain the property of the Bureau and shall not, without the prior written consent of the Bureau neither be divulged by the Contractor to any third party, nor be used by him for any purpose other than the design, procurement, or other work and services required for the performance of this Contract.
- 2) The obligation of the Contractor under this Clause, however, shall not apply to information that:
- a) now or hereafter enters the public domain through no fault of Contractor.
- can be proven to have been possessed by Contractor at the time of disclosure and which information was not previously obtained, directly or indirectly, from the Bureau;
- c) otherwise lawfully becomes available to Contractor from a third party that has no obligation of confidentiality; or
- d) is required to be shared to comply with applicable law.

5.6.3 Restrictions on the Contractor

- 1) The Contractor shall not, without the Bureau's prior written consent, make use of information mentioned above except for the sole purpose of performing this Contract.
- 2) The above provisions shall not in any way modify any undertaking of confidentiality (or Secrecy as the case may be) given by the Contractor prior to the date of the Contract inrespect of the Contract/ the Tender Document or any part thereof.
- 3) The provisions of this clause shall survive completion or termination for whatever reason, of the Contract.

5.6.4 Penalties for violation

Any breach of the aforesaid conditions shall entitle the Bureau to treat it as breach of contract as per <u>Clause 14.1</u> and avail any or all remedies thereunder.

5.7 Performance Bond/ Security

1) Within <u>seven days</u> after the issuance of notification of award or Letter of Acceptance by the Bureau, the Contractor shall furnish performance security to the Bureau for an amount mentioned in the Contract (and if not mentioned equal to 3%

- (Three percent) of the total wine of the Contract), valid up to sixty days after the date of completion of all contractual obligations by the Contractor, including the Service Warranty obligations, if any.
- 2) The Performance security shall be denominated in Indian Rupees or in the currency of the Contract and shall be in one of the following forms:
- a) Unless otherwise stipulated in SCC or Tender Document, Account Payee Demand Draft or Fixed DepositReceipt drawn on any commercial bank in India, in favour of the Bureau.
- b) Bank Guarantee issued by a commercial bank in India, in the prescribed form asprovided in the tender document.
- 3) If the Contractor, having been called upon by the Bureau to furnish security, fails tomake or maintain a performance security within the specified period, it shall be lawful for the Bureau:
- (a) To recover from the Contractor, the amount of such security deposit by deducting the amount from the pending bills of the Contractor under the Contract or any other contract with the Bureau, or
- (b) To treat it as breach of contract as per Clause 14.1and avail any or all remedies thereunder.
- 4) In the event of any amendment issued to the Contract, the Contractor shall, within <u>fourteen days</u> of issuance of the amendment, furnish suitably amended value and validity of the Performance Security in terms of the amended Contract.
- 5) The Bureau shall be entitled, and it shall be lawful on his part,
- (a) To deduct from the performance securities or to forfeit the said security in whole or inpart in the event of:
- (i) any default, or failure or neglect on the part of the Contractor in the fulfilmentor performance in all respect of the Contract under reference or any other contract with the Bureau or any part thereof
- (ii) for any loss or damage recoverable from the Contractor which the Bureau may suffer or be put to for reasons of or due to above defaults/ failures/neglect
- (b) and in either of the events aforesaid to call upon the Contractor to maintain the saidperformance security at its original limit by making further deposits, provided further that the Bureau shall be entitled, and it shall be lawful on his part, to recover any such claim from any sum then due or which at any time thereafter may become due for similar reasons.
- 6) Subject to sub-clause above, the Bureau shall release the performance security without any interest to the Contractor on completion of the Contractor's all contractualobligations including the Service Warranty obligations, if any.
- 7) No claim shall lie against the Bureau in respect of interest on cash deposits or Government Securities or depreciation thereof.

5.8 Insurances

- 1) The Contractor (a) shall take out and maintain, at its own cost insurance against the risks, and for the coverage, as specified in the Contract/ GCC/ SCC or any applicable law including Labour Laws; and at the Bureau's request, shall provide evidence to the Bureau showing that such insurance has been taken out and maintained and that the current premiums have been paid; for the following events which are due to the Contractor's risks:
- a) Loss of or damage to Equipment, materials etc. of the contractor.
- b) Personal injury or death of the employees of the contractor.
- c) Penalties and demands by labour regulatory authorities etc.
- 2) All such insurance shall provide for compensation to be payable in Indian Rupees to rectify the loss or damage incurred.
- 3) The Bureau shall have no liability on this account.

5.9 Permits, Approvals and Licenses

Whenever the delivery of Services and incidental Goods/ Works requires the Contractor to obtain permits, approvals, and licenses from local public authorities, it shall be sole responsibility of the Contractor to obtain these and keep these current and valid. This may include but not be restricted to licences or environmental clearance, if required. The Bureau shall, if required by the Contractor, make its best efforts to assist the Contractor in complying with such requirements in a timely and expeditious manner, without any dilution of Contractor's responsibility in this regard.

5.10 Publicity: Any **publicity** by the Contractor in which the name of the Bureau is to be used, can be done only with the explicit written permission of the Bureau.

6. Scope of Services

6.1 Scope of Services

- 1) This Contract is for the delivery of the Services on/during the specified date or dates and of the description, scope/quantum, performance standards, and quality assurance set forth in the Contract.
- 2) The Contractor shall deliver Services and submit to the Bureau the reports, deliverables, outputs, and documents as specified in the tender document.
- 3) The Services shall include all such work-elements not specifically mentioned in this Contractbut that can be reasonably inferred from this Contract as being required for attaining Completion of the Services as if such items were expressly mentioned in this Contract.

6.2 Option Clause for Extension of the Contract Period

The Bureau shall have the right to exercise the option, by written notification to the Contractor to extend the Contract Period by the time as deemed appropriate by the Bureau.

7. Performance Standards and Quality Assurance

7.1 Performance Standards

The Contractor shall perform the Services in accordance with the details contained in the tender document., and carry out its obligations with all due diligence, efficiency, and economy, observing sound management practices, and employ appropriate advanced technology and safe methods in accordance with the performance standards and quality control parameters as specified in the Contract. For matters where the Contract does not specify any Standard, the Services delivered shall conform to National/International Standards or generally accepted professional techniques and practices.

7.2 Quality Control and Defect Liability

- The Bureau shall check the quality of the Services and shall inspect the Contractor's performance. The Bureau shall promptly
 give notice to the Contractor of any defects that are identified, requesting the correction of the notified defect within a
 reasonable time.
- 2) If the Contractor has not corrected a Defect within the time specified in the Bureau's notice, the Bureau may take recourse to the penal clauses of the contract and may treat it as breach of contract and will be dealt accordingly.

8. Other Matters and Deployment of Resources

8.1 Security Arrangements

Contractor shall put in place security arrangements at site against unauthorized access/ trespass, pilferage, theft, leakage or misuse of property or belongings of his own or his staffor of Bureau and its Staff by his staff or third parties or trespassers.

1) Preservation of Peace

The Contractor shall take requisite precautions and use their best endeavours to prevent any riotous or unlawful behaviour by or amongst their workers and others, employed for the services, and for the preservation of peace and protection of the inhabitants and security of property in the neighborhood of the site of services.

2) Prohibition of Smoking and Intoxicants: The Contractor or his staff or any labour, shall be prohibited from Smoking in 'No Smoking Zone' and Public Places and also prohibited from the use of any intoxicating substances including, but not limited to, intoxicating beverages during the service period or on site or near the site or in any of the facilities, sites, buildings, encampments, or tenements owned, occupied by or within the control of the Contractor or any of his/ his employees. The Contractor shall exercise influence and authority to the utmost extent to secure strict compliance with this condition.

8.2 Clearance of Site on Completion

On completion of the services, the Contractor shall clear away and remove from the site all tools /plants and surplus materials, rubbish and temporary works of every kind and leave the whole of the site clean to the satisfaction of the Authorized Officer.

8.3 Key Personnel

- 1) The titles, agreed job descriptions, minimum qualifications, and estimated periods of engagement in the carrying out of the Services of the Contractor's Key Personnel are described in the tender document.
- 2) Except as the Bureau may otherwise agree, no changes shall be made in the Key Personnel. If, for any reason beyond the reasonable control of the Contractor, it becomes necessary to replace any of the Key Personnel, the Contractor shall provide as a replacement a person of equivalent or better qualifications.
- 3) Restrictions on the Employment of Retired Staff or Officers of the Bureau or the Government within One Year of their Retirement: The Contractor shall not, himself be aretired Government employee of Gazetted rank, or engage any employee or associate who is a retired Government employee of Gazetted rank, if such persons have not completed one year from the date of retirement, in connection with this Contract in any manner whatsoever without obtaining prior permission of the relevant authority. If the Contractor is found to have contravened this provision it will constitute a breach of contract and the Bureau shall be entitled to terminate the Contract as per clause 14.1 and avail all available remedies thereunder.

8.4 Removal of Personnel on Orders of Authorized Officer

- 1) If the Bureau finds that any of the Personnel have (i) committed serious misconduct or have been charged with having committed a criminal action, or (ii) have reasonable cause to be dissatisfied with the performance of any of the Personnel, then the Contractor shall, at the Bureau's written request specifying the grounds thereof, provide as a replacement a person with qualifications and experience acceptable to the Bureau, subject to sub-clause 2) below.
- 2) The Contractor shall have no claim for additional costs arising out of or incidental to any removal or replacement of Personnel.

8.5 Safety Issues

- 1) The Contractor shall be responsible for the safety of all activities on the Site.
- 2) The Contractor shall be responsible for safety of all persons, employed by him on Site, and shall report accidents to any of them, however, and wherever occurring on Works, to the Authorized Officer or his representative, and shall make every arrangement to render all possible assistance and to provide prompt and proper medical attention. The compensation for affected Workers or their relatives shall be paid by the Contractor in such cases expeditiously in accordance with the Workmen's Compensation Act and other labour Laws and regulations.
- 3) **Safety of Public and Third parties:** The Contractor shall be responsible to take all precautions to ensure the safety of the public and third parties, whether on public or

9. Delivery of Services and delays

9.1 Works Programme

Before commencement of the Services, the Contractor shall submit for approval of the Authorized Officer a Works Programme showing the Methods; schedule of delivery of services, the deployment plans for Personnel; Equipment and Materials for execution of theservices. The programme of delivery of Services amended as necessary by discussions with the Authorized Officer, shall be treated as the agreed Works programme for the purpose of this Contract. The Services shall be carried out and monitored in accordance with the approved Program as updated.

9.2 Compliance to Authorized Officer's Instructions

1) The Authorized Officer shall direct the order in which the several components of the Services shall be provided, and the Contractor shall execute without delay all orders given by the Authorized Officer from time to time; but the Contractor shall not be relieved thereby from responsibility for the due performance of the Services in all respects.

- 2) Any instructions or approval given by the Authorized Officer's representative to Contractor in connection with the Services shall bind the Contractor as though it had been given by the Authorized Officer provided always as follows -
- a) Failure of the Authorized Officer's representative to disapprove any work/ Services ormaterials shall not prejudice the power of the Authorized Officer thereafter to disapprove such Services or material and to order the rectification thereof.
- b) If the Contractor shall be dissatisfied by reason of any decision of the Authorized Officer's representative, he shall be entitled to refer the matter to the Head of Procurement through the Authorized Officer who shall there upon confirm or vary such decision.
- 3) Compliance with Contractor's Request for Details: The Authorized Officer shall furnish withreasonable promptness, after receipt of the Contractor's request for the same, additional instructions by means of procedures, specifications or otherwise, necessary for the proper performance of the Services or any part thereof. All such procedures, specifications and instructions shall be consistent with the Contract Documents and reasonably inferable therefrom.

9.3 Commencement of Services

Contractor shall commence the Services and shall proceed with due expedition and without delay, **from the effective date of Contract which shall be the date on which the** Contract has been signed by the Contractor and the Bureau.

9.4 Time for Delivery of services and Extensions Thereof

The time and uninterrupted delivery of Services shall be deemed to be the essence of the Contract and subject to any requirement in the Contract as to completion of any portion or portions of the Services before completion of the whole, the Contractor shall fully and finally complete the whole of the services comprised in the Contract (with such modifications as may be directed under conditions of this Contract) in accordance with the Delivery and Completion Schedule specified in Tender document. If at any time during the currency of the Contract, the Contractor encounters conditions hindering timely performance of services, the Contractor shall promptly inform the Bureau in writing about the same and its likely duration and make a request to the Bureau for extension of the delivery schedule. On receiving the Contractor's communication, the Bureau shall examine the situation and, at its discretion, may agree to extend the completion schedule, with or without liquidated damages by issuing an amendment to the Contract in terms of the following clauses.

9.5 Extension for Delay Not Due to either the Bureau or Contractor

- 1) If in the opinion of the Contractor, the progress of Services has any time been delayed due to following reasons, he shall forthwith give notice thereof in writing to the Authorized Officer, but shall nevertheless do due diligence to bring down or make good the delays and to proceed with the services:
- a) any act or neglect of the Bureau's employees or
- b) proceeding taken or threatened by or dispute with external third parties arising otherwise than from the Contractor's own default etc. or
- c) delay authorized by the Authorized Officer pending arbitration or in consequences of the Contractor not having received in due time necessary instructions from the Bureau for which he shall have specially applied in writing to the Authorized Officer or his authorized representative
- 2) The Contractor may also indicate the period for which the Services are likely to be delayed and shall be bound to ask for necessary extension of time. The Authorized Officer on receipt of such request from the Contractor shall consider the same and shall grant such extension of time as in his opinion is reasonable having regard to the nature and period of delay and the type and quantum of work affected thereby. No other compensation shall be payable for works so carried forward to the extended period of time, the same rates, terms, and conditions of Contract being applicable as if such extended period of time was originally provided in the original Contract itself.

9.6 Extension for Delay Due to Bureau

In the event of any failure or delay by the Bureau, in discharging following obligations under the Contract or that are necessary for the delivery of the services, then such failure or delay shall in no way affect or vitiate the Contract or alter the character thereof or entitle the Contractor to damages or compensation therefor, but in any such case, the Bureau shall grant such extension or extensions of the completion date as may be considered reasonable:

- a) give the necessary notice to commence the services, or
- b) provide the necessary facilities/ documents/ data or instructions or approvals or
- c) any other delay caused by the Bureau due to any other cause whatsoever.

9.7 Extension of Time for Delay Due to Contractor

- 1) If the Contractor fails to deliver the Services within the period fixed for such delivery in the Contract or as extended or at any time repudiates the Contract before the expiry of such period for the reasons other than the reasons specified in subclauses above, the Bureau may, if satisfied that the service delivery can be completed by the Contractor within reasonable short time, thereafter, allow the Contractor further extension of time as the Authorized Officer may decide.
- On such extension, the Bureau shall be entitled without prejudice to any other right and remedy available on that behalf, to recover from the Contractor as agreed Liquidated Damages not by way of penalty.
- 3) Provided further, that if the Bureau is not satisfied that the services can be completed by the Contractor or in the event of failure on the part of the Contractor to complete the service within further extension of time allowed as aforesaid, the Bureau shall be entitled without prejudice to any other right or remedy available in that behalf, treat the delay as a breach of contract as per clause 14.1 and avail any or all the remedies therein including levy of penalty as per the terms of the contract, whether or not actual damage is caused by such default.

10. Suspension of Services

10.1 Suspension Ordered by Authorized Officer

The Contractor shall on the order of the Authorized Officer, suspend the progress of the Services orany part thereof for such time or times and in such manner as the Authorized Officer may consider necessary, if such suspension is considered

necessary for the proper execution of the Services or by the reason of extraneous conditions or by some default on the part of the Contractor.

10.2 Extension of Time and Compensation

The Contractor shall not be entitled to the extra costs, if any, incurred by him during the period of suspension of the service, but in the event of any suspension ordered by the Authorized Officer for reasons other than aforementioned and when each such period of suspension exceeds 14 days, the Authorized Officer shall extend the time of service for completion of the Services as he may consider proper, having regard to the period or periods of such suspensions and to such compensations to the Contractor as the Authorized Officer may consider reasonable in respect of the recurring expenses such as salaries or wages paid by the Contractor to his employees/ workers during the periods of such suspension subject to production of the supporting documents substantiating such payments to his employees or labours whose details were furnished by him to the Bureau as having deployed solely for the execution of the contract before ordering such suspension and which had been agreed by the Bureau.

10.3 Force Majeure

If at any time during the continuance of this Contract, the performance in whole or in part by either party of any obligation under this contract shall be prevented or delayed by the reasons of any war, hostility, acts of the public enemy, epidemics, civil commotion, sabotage, fires, floods, explosion, quarantine restrictions, strikes, lockouts or act of God (hereinafter referred to as such acts) provided notice of happening of such event is given by one party to the other within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or the delay in performance, and deliveries under contract shall be resumed as soon as practicable after such event has come to an end or ceased to exist, and the decision of the Director General of the Bureau as the whether the deliveries have been so resumed or not, shall be final and conclusive, PROVIDED FURTHER that if the performance in whole or part of any obligation under this contract is prevented or delayed by reason of any such event for a period exceeding 60 days, either party may at its option terminate the contract provided also that the Bureau shall be at liberty to take over from the Contractor at a price to be fixed by Director General, which shall be final, all unused, undamaged and accepted material, bought out components and stores in course of manufacture in the possession of the contractor at the time of such termination or such portion thereof as the Bureau elect to retain.

11. Prices and Payments

11.1 Prices

Unless otherwise stipulated in the SCC or the Contract, Prices shall be fixed and firm.

11.2 Taxes and Duties

1) The Contractor shall be entirely responsible for all taxes, duties, fees, levies etc. incurred until delivery of the Contracted Services to the Bureau. Further instruction, if any, shall be as provided in the SCC or Tender Document.

2) Payment of GST Tax under the Contract:

- (a) Wherever the successful bidder invoices the Services at GST rate or HSN number which is different from that incorporated in the Contract; payment shall be made as per GST rate which is lower of the GST rates incorporated in the Contract or billed. The Bureaushall not be responsible for the payment of tax or duty made by the Contractor under misapprehension of law.
- (b) While claiming reimbursement of duties, taxes etc. (like GST) from the Bureau, the Contractor shall also certify that, in case he gets any refundout of such taxes and duties from the concerned authorities at a later date, he shall refund to the Bureau, the Bureau's share out of such refundimmediately on receiving the same from the concerned authorities.
- (c) All necessary adjustment vouchers such as Credit Notes/ Debit Notes for any short/ excess supplies or revision in prices or for any other reason under the Contract shall be submitted to the Bureau in compliance with GST provisions.
- (d) In case of profiteering by the Contractor relating to GST tax, the Contractor shall be liableto administrative actions such as deregistration, suspension of business dealing or banning of business dealing, in addition to recovery and action by the GST authorities under the Act.
- (e) Contractor should issue Receipt vouchers immediately on receipt of all types of payments along with tax invoice after adjusting advance payments if any as per Contractual terms and GST Provisions.
- (f) Any late delivery i.e., delivery after the due date attracts payment of damages by the vendor/Contractor as agreed mutually. It is agreed by the Contractor that such damages become recoverable by the Bureau with applicable GST thereon.

3) GST Compliance Rating of Bidders:

- (a) Contractor of Goods/ Services shall make all out efforts to comply with the provisions under GST Act and Rules thereunder and also strive to maintain high compliance rating score under GST during the period of Contract with the Bureau.
- (b) In the event of default on Contractor's part in payment of tax and submission/uploading of monthly returns, the Bureau shall be well within its contractual right to withhold payments, especially the tax portion, until Contractor corrects the default or complies with the provisions of GST and produces satisfactory evidence to that effect or upon GST appearing on the Bureau's GST portal.

4) Statutory Variations:

Any amendment to GST rate or HSN number in the Contract shall be as per the Contractual conditions and statutory amendments in the quoted GST rate and HSN number.

11.3 Terms and Mode of Payment

1) The payments shall be made in the manner as per the Bureau's payment procedures. Unless otherwise stipulated in the SCC, payments above INR 5,000 (or any other threshold specified in SCC/Contract) to Contractors shall be made through

- ECS only. The Contractor shall give his consent in a mandate form for receipt of payment through NEFT. In case of non-payment through EFT, or where EFT facility is not available, payment may be released through cheque.
- 2) The Contractor shall send its claim for payment in writing as per GST compliant Invoice and documents, when contractually due, along with relevant documents etc., duly signed with date, as specified in Contract and in a manner as also specified therein.
- 3) While claiming payment, the Contractor is also to certify in the bill that the payment being claimed is strictly in terms of the Contract and all the obligations on the part of the Contractor for claiming that payment has been fulfilled as required under the Contract.
- 4) Withholding and lien in respect of sums claimed:
- a) Whenever any claim or claims for payment of a sum of money arises out of or under the Contract against the Contractor, the Bureau shall be entitled, and it shall be lawful on his part, to withhold and also have a lien to retain such sum or sums, in whole or in part pending finalization or adjudication of any such claim from -
- (i) Any security or retention money, if any, deposited by the Contractor.
- (ii) In the event of the security being insufficient to cover the claimed amount or amounts or if no security has been taken from the Contractor, from any sum or sums found payable or which at any time thereafter may become payable to the Contractor under the same Contract or any other contract with the Bureau.
- b) Where the Contractor is a partnership firm or a limited company, the Bureau shall be entitled, and it shall be lawful on his part, to withhold and also have a lien to retain towards such claimed amount or amounts in whole or in part from any sum found payable to any partner/limited company, as the case may be, whether in his individual capacity or otherwise.
- c) It is an agreed term of the Contract that the sum of money or moneys so withheld or retained under the lien referred to above, by the Bureau shall be kept withheld or retained as such by the Bureau till the claim arising out of or under the Contract is determined by the Arbitrator (if the Contract is governed by the Arbitration Agreement) or by the competent court, as the case may be, and that the Contractor shall have no claim for interest or damages whatsoever on any account in respect of such withholding or retention under the lien referred to supra and duly notified as such to the Contractor.
- d) Lien in respect of Claims in other Contracts: Any sum of money due and payable to the Contractor (including the performance security deposit returnable to him) under the Contract may be withheld or retained by way of lien by the Bureau against any claim of the Bureau in respectof payment of a sum of money arising out of or under any other contract made by the Contractor with the Bureau.

11.4 Final payment

11.4.1 Cessation of Bureau's Liability

After the issuance of Completion Certificate, the Bureau shall not be liable to the Contractor for any matter arising out of or in connection with the Contract for the delivery of the Services, unless the Contractor shall have made a claim in writing in respect thereof before the issue of the Completion Certificate for service in Contract.

11.4.2 Unfulfilled Obligations

Notwithstanding the issuance of Completion Certificate for service. the Contractor and the Bureau, shall remain liable for the fulfilment of any obligation incurred under the provision of the Contract prior to the issuance of the Completion Certificate for service, which remains unperformed at the time such certificate is issued. For the purposes of determining the nature and extent of any such obligations, the Contract shall be deemed to remain in force between the parties thereto.

11.5 Payment Against Time Barred Claims

All claims against the Bureau shall be legally time barred after a period of three years calculated from the date when the payment falls due. The Bureau is entitled to and it shall be lawful for it to reject such claims.

11.6 Signing of "No Claim" Certificate

The Contractor shall not be entitled to make any claim whatsoever against the Bureau under or by virtue of or arising out of this Contract, nor shall the Bureau entertain or consider any such claim, if made by the Contractor, after he shall have signed a "No Claim" Certificate in favour of the Bureau in such form as shall be required by the Bureau after the services are provided or works are finally measured up. The Contactor shall be debarred from disputing the correctness of the items covered by "No Claim" Certificate or demanding a clearance to arbitration in respect thereof.

12. Resolution of Disputes

12.1 Settlement of Disputes:

The Bureau and the Contractor shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiation, any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the contract. If a dispute(s) of any kind whatsoever that cannot be resolved, the same shall be referred to the Arbitrator, appointed by the Authorized Officer. The provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996, as amended from time to time shall apply.

13. The conditions relevant to the nature, context, requirements and scope of the procurement intended through this tender document or Expression of Interest or Request for Proposal shall govern the contract save as otherwise provided in SCC and other Contract documents which have overriding effect over GCC.

14. Defaults, Breaches, Termination, and closure of Contract

14.1 Termination due to Breach, Default, and Insolvency

14.1.1 Defaults and Breach of Contract

In case the Contractor undergoes insolvency or receivership; neglects or defaults or expresses inability or disinclination to honour his obligations relating to performance of Contract or ethical standards or any other obligation that substantively affects the Bureau's rights and benefits under the Contract, it shall be treated as a breach of Contract. Such defaults could include inter-alia:

1) **Default in Performance and Obligations:** if the Contractor fails to deliver any or all of the Services or fails to perform any other contractual obligations (including Code of Ethics) within the time period specified in the Contract, or within any extension thereof granted by the Bureau.

- 2) **Insolvency:** if the Contractor being an individual or if a firm, any partner thereof, shall at any time, be adjudged insolvent or shall have a receiving order or order for administration of his estate made against him or shall take any proceeding for composition under any Insolvency Act for the time being in force or make any conveyance or assignment of his effects or enter into any assignment or composition with his creditors or suspend payment or if the firm be dissolved under the Partnership Act, or
- 3) **Liquidation:** if the Contractor being a company is wound up voluntarily or by the order of a Court or a Receiver, Liquidator or Manager on behalf of the Debenture—holders is appointed, or circumstances shall have arisen which entitle the Court or Debenture-holders to appoint a Receiver, Liquidator or Manager

14.1.2 Notice for Default:

As soon as a breach of contract is noticed, a show-cause 'Notice of Default' shall be issued to the Contractor, giving "two weeks' notice, reserving the right to invoke contractual remedies. After such a show-cause notice, all payments to the Contractor would be temporary withheld to safeguard needed recoveries, that may become due on invoking contractual remedies.

14.1.3 Terminations for Default

- 1) Notice for Termination for Default: In the event of unsatisfactory resolution of 'Notice of Default' within <u>two weeks</u> of issue of Notice of Default to the Contractor as per sub-clause above, the Bureau, if so decided, shall by written Notice of Termination for Default sent to the Contractor, terminate the Contract in whole or in part, without compensation to the Contractor.
- 2) Such termination shall not prejudice or affect the rights and remedies which have accruedor shall accrue thereafter to the Bureau
- 3) Unless otherwise instructed by the Bureau, the Contractor shall continue toperform the Contract to the extent not terminated.
- 4) All Service Warranty obligations if any shall continue to survive despite the termination.

14.1.4 Contractual Remedies for Breaches and Defaults

If there is an unsatisfactory resolution within this period, the Bureau shall take one; or more of following contractual remedies

- Temporarily withhold payments due to the Contractor till recoveries due to invocation of other contractual remedies are complete
- 2) Call back any loaned property or advances of payment, if any, with levy of interest at prevailing rate
- 3) Recover liquidated damages for delays
- 4) Encash or Forfeit performance or other contractual securities
- 5) Prefer claims against insurances if any
- 6) Terminate Contract for default, fully or partially
- 7) Debar the Contractor following due process, from participation in the Bureau's tenders, including delisting from list of registered suppliers.
- 8) Initiate proceedings in court of law for transgression of law, tort, and loss, not addressable by above means.

14.1.5 Limitation of Liability

Except in cases of criminal negligence or wilful misconduct, the aggregate liability of the Contractor to the Bureau, whether under the Contract, in tort or otherwise, shall not exceed the total Contract Price, provided that this limitation shall not apply to the cost of repairing or replacing defective equipment, or to any obligation of the Contractor to indemnify the Bureau with respect to patent infringement.

14.2 Termination for Convenience and Frustration

14.2.1 Notice for Determination of Contract

- 1) The Bureau reserves the right to terminate the Contract, in whole or in partfor its (the Bureau's) convenience or frustration of Contract as per clause <u>14.2.2</u> below, by serving written 'Notice for Determination of Contract' on the Contractor at any time during the currency of the Contract. The notice shall specify that the termination is for the convenience of the Bureau or for frustration. The notice shall also indicate inter-alia, the extent to which the Contractor's performance under the Contract is terminated, and the date with effect from which such termination shall become effective.
- 2) Such termination shall not prejudice or affect the rights and remedies which have accrued or shall accrue thereafter to the Bureau.
- Unless otherwise instructed by the Bureau, the Contractor shall continue toperform the Contract to the extent not terminated.
- 4) All Service Warranty obligations if any shall continue to survive despite the termination.

14.2.2 Frustration of Contract

- 1) **Notice of Frustration Event:** Upon a supervening cause occurring after the effective date of the Contract, including a change in law, beyond the control of either party whether as a result of Force Majeure clause or within the scope of section 56 of the Indian Contract Act, 1872, that makes it impossible to perform the Contract within a reasonable timeframe, the affected party shall give a 'Notice of Frustration Event' to the other party giving justification. The parties shall use reasonable efforts to agree to amend the Contract, as may be necessary to complete its performance. However, if the parties cannot reach mutual agreement within <u>60 days</u> of the initial notice, the Bureau, may issue a 'Notice for Determining the Contract' and terminate the Contract due to its frustration as in sub-clause above.
- 2) However, the following shall not be considered as such a supervening cause:
- a) Commercial impossibility or unviability or unprofitability or lack of funds
- b) If caused by either party's breach of its obligations under this Contract or failure to act in good faith or use commercially reasonable due diligence toprevent such an event.

14.3 Closure of Contract

14.3.1 No Claim Certificate and Release of Contract Securities

After mutual reconciliations of outstanding payments and assets on either side the <u>Contractor shall submit a "No-claim certificate"</u> to the Bureau requesting further forrelease of its contractual securities, if any. The Bureau shall release the Contractual securities without any interest, if there is no outstanding obligation, asset, or payments due from Contractor.

14.3.2 Completion of obligation

The Contract shall stand closed upon successful performance of all obligations by both parties to the Contract, including completion of warrantee obligations and final payment.

14.3.3 Upon Termination

Contract shall also be treated as closed on Termination and settlements, if any, thereafter asper clause 14.1 and 14.2 above.

15.Code of Integrity in Public Procurement and Serious Misdemeanours:

15.1 Code of Integrity

Procuring authorities as well as bidders, suppliers, contractors, and consultants - should observe thehighest standard of ethics and should not indulge in following prohibited practices, either directly or indirectly, at any stage during the Tender Process or during execution of resultant contracts:

- 1) "Corrupt practice" making offer, solicitation or acceptance of bribe, reward or gift or any material benefit, in exchange for an unfair advantage in the Tender Process or to otherwise influence the Tender Process;
- 2) "Fraudulent practice" any omission, or misrepresentation that may mislead or attempt to mislead so that financial or other benefit may be obtained, or an obligation avoided. This includes making false declaration or providing false information for participation in a tenderprocess or to secure a Contract or in execution of the Contract;
- 3) "Anti-competitive practice" any collusion, Bid-rigging or anti-competitive arrangement, or any other practice coming under the purview of The Competition Act, 2002, between two ormore bidders, with or without the knowledge of the Bureau, that may impair the transparency, fairness, and the progress of the Tender Process or to establish Bid prices at artificial, non-competitive levels;
- 4) "Coercive practice" harming or threatening to harm, persons, or their property to influence their participation in the Tender Process or affect the execution of a contract;
- 5) "Conflict of interest" —participation by a bidding firm or any of its affiliates who are either involved in the Consultancy Contract to which this procurement is linked or the Execution Contract to which this procurement of consultancy services is linked; or if they are part of more than one Bid in the procurement; or if their personnel have relationship or financialor business transactions with any official of Bureau who are directly or indirectly related to tender or execution process of contract; or improper use of information obtained by the (prospective) bidder from the Bureau with an intent to gain unfair advantage in the Tender Process or for personal gain;
- 6) "Obstructive practice" materially impede the Bureau's investigation into allegations of one or more of the above mentioned prohibited practices either by deliberately destroying, falsifying, altering; or by concealing of evidence material to the investigation; or by making false statements to investigators or by coercive practices mentioned above, to prevent it from disclosing its knowledge of matters relevant to the investigation or frompursuing the investigation; or by impeding the Bureau's rights of audit or access to information;

15.2 Obligations for proactive disclosures:

- 1) The Bureau as well as bidders, suppliers, contractors, and consultants, are obliged under this Code of Integrity to *suo-moto* proactively declare any conflict of interest (coming under the definition mentioned above pre-existing or as and as soon as these arise at any stage) in any Tender Process or execution of contract. Failure to do so shall amount to violation of this code of integrity.
- 2) Any bidder must declare, whether asked or not in a Bid-document, any previous transgressions of such code of integrity with any entity in any country during the last threeyears or of being debarred by any other procuring organisation. Failure to do so shall amount to violation of this code of integrity.

15.3 Restriction on Potential Conflict of Interests

During the term of ensuing Contract and after its termination, the successful Contractor, and its affiliates, shall be disqualified from providing goods, works, or Services (other than the subject Service of this Contract and any continuation thereof) for any project resulting from or closely related to the subject Services of this Contract. Neither the Contractor nor the Personnel shall engage, either directly or indirectly, in any of the following activities:

- a) during the term of this Contract, any business or professional activities in the India whichwould conflict with the activities assigned to them under this Contract.
- b) after the termination of this Contract, such other activities as may be specified in the SCC or Tender Document.

15.4 Serious Misdemeanours

15.4.1 Serious Misdemeanours

Following shall be considered serious misdemeanours - if a bidder/ contractor:

- 1) Other than in situations of force majeure, after opening of financial bids, the Contractor withdraws from the Tender Process or after being declared as successful bidder: (a) withdraws from the process; (b) fails to enter into a procurement contract; or (c) fails to provide performance security or any other document or security required in terms of the Tender Document.
- 2) Directly or through an agent violates during procurement or execution of the Contract the code of ethics mentioned in clause 15 of the GCC or the Code of Integrity in Public Procurement or the Integrity Pact.
- 3) Violates the safety or statutory norms that result in industrial accidents leading to loss orinjury to life or property or to any other legal liability to the Bureau;
- 4) Employs a government servant, who has been dismissed or removed on account of corruption or employs a non-official convicted for an offence involving corruption or abetment of such an offence, in a position where he could corrupt government servants or employs a government officer within one year of his retirement, who has had business dealings with him in an official capacity before retirement; or

5) Is determined by an appropriate agency of the Government, to have doubtful loyalty to the country or national security consideration.

15.5 Penalties

Without prejudice to and in addition to the rights of the Bureau to other remedies as perthe tender document or the Contract, If the Bureau concludes that a (prospective) bidder/contractor directly or through an agent has violated this code of integrity or committed a serious misdemeanour in competing for the Contract or in executing a contract, the Bureau shall take appropriate measures including the following:

1) if his bids are under consideration in any procurement

- a) Forfeiture or encashment of Performance Security (EMD) or Invocation of the Bid Security Declaration, as may be applicable
- b) calling off of any pre-contract negotiations, and;
- c) rejection and exclusion of the bidder from the Tender Process

2) if a contract has already been awarded

- a) Termination of Contract for Default and availing all remedies prescribed thereunder;
- b) Encashment or Forfeiture of any contractual security or bond relating to the procurement;
- c) Recovery of payments including advance payments, if any, made by the Bureau along with interest thereon at the prevailing rate;

3) Remedies in addition to above:

- a) Debarment from participation in future procurements of the Bureau for aperiod upto a period of **two years** (save as otherwise provided for in contract documents) or removal from the list of registered Contractors or
- b) In case of anti-competitive practices, information for further processing shall be filedunder a signature of the Joint Secretary level officer, with the Competition Commission of India;
- c) Initiate proceedings in court of law for transgression not addressable by above means.
- d) Initiation of suitable disciplinary or criminal proceedings against any individual or stafffound responsible.

फाइल सं-पीआरडी/आईसीए की नियुक्ति/2021-22

भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली

राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (एनसीबी)

एकीकृत संचार एजेंसी की नियुक्ति

भारतीय मानक ब्यूरो और इसकी गतिविधियों के प्रचार एवं प्रोन्नयन हेतु पीआर एवं संचार नीतियों का विकास एवं कार्यान्वयन

प्रस्ताव हेतु अनुरोध

जारी कर्ताः जनसंपर्क विभाग भारतीय मानक ब्यूरो 9 बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली – 110 002

फोन: +91-11-23234048

ईमेल आईडी: pr@bis.org.in

<u>डाटा शीट</u>

4	}	and a mark and	
1.	क्रेता का नाम एवं	भारतीय मानक ब्यूरो	
	पता	मानक भवन,	
		9 बहादुरशाह जफर मार्ग,	
		नई दिल्ली - 110 002	
2.	निविदा का नाम	बीआईएस के लिए मीडिया आयोजना, डिजिटल प्रवर्धन	
		बीआईएस और इसके अधीनस्थ कार्यालयों की	
		ऑनलाइन/ऑफलाइन अन्तर्वस्तु सृजन और समय-समय पर	
		की गई पहलों के व्यापक प्रसार/आउटरिच सहित बीआईएस	
		के लिए संचार नीति को विकसित और कार्यान्वित करने में	
		सक्षम प्रोफेशनल मल्टी मीडिया इन्टेग्रेटिड कम्यूनिकेशन	
		एजेंसी की नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए	
		जाते हैं ।	
3.	निविदा सं. एवं	फाइल सं.: पीआरडी/आईसीए की नियुक्ति/2021-22	
	दिनांक	दिनांकित 27-01-2022	
4.	चयन की विधि	चयन की विधि गुणता और लागत के लिए क्रमश: 70:30	
		वेटेज का उपयोग करके संयुक्त गुणता सह लागत आधारित	
		चयन (क्यूसीबीएस) है ।	
5.	बोली वैध रहने की	आवेदन की बोली वित्तीय बोली खोले जाने से 90 (नब्बे)	
	तारीख	दिनों के लिए वैध होगी ।	
6.	निविदा दस्तावेजों	इसे बीआईएस की वेबसाइट <u>www.org.in</u> से तथा केन्द्रीय	
	की उपलब्धता	सार्वजनिक क्रय पोर्टल <u>http://epure.gov.in/eprocure/app</u>	
		से डाउनलोड किया जा सकता है ।	
		बोलीदाता को केवल केन्द्रीय सार्वजनिक क्रय पोर्टल के	
		माध्यम से बोली जमा करनी होगी । कोई प्रत्यक्ष बोली	
		स्वीकार नहीं की जाएगी । बोली में निम्नलिखित शामिल	
		होने चाहिए :	
		• अर्हता पूर्व प्रस्ताव	
		• तकनीकी प्रस्ताव	
		• वित्तीय प्रस्ताव	
7.	बोली दस्तावेज	27 जनवरी 2022 1830 h	
	डाउनलोड आरंभ		
	करने की तारीख		
	एवं समय		
8.	बोलीपूर्व पूछताछ	सभी प्रकार की पूछताछ निर्धारित तारीख एवं समय तक या	
	जमा करने की	उससे पहले "एकीकृत संचार एजेंसी की नियुक्ति हेतु ई-	
	अंतिम तारीख	निविदा" विषय के अंतर्गत केवल ई-मेल द्वारा प्राप्त होनी	
		चाहिए ।	

9.	बोलीपूर्व बैठक का	7 फरवरी 2022 समय 1800h या इससे पहले स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया जाना चाहिए । किसी स्पष्टीकरण के अनुरोध के समय बोलीदाता को एमएस वर्ड या पीडीएफ फाइल में बोलीपूर्व प्रश्नों की सॉफ्टकॉपी भेजनी होगी। स्पष्टीकरण का अनुरोध करने के लिए ई-मेल पता है: pr@bis.gov.in
	समय, तारीख एवं स्थान	
10.	बोली जमा करने की आरंभ तारीख और समय	28 जनवरी 2022, 1000hrs
11.	बोली जमा करने की अंतिम तारीख	प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तारीख 23 फरवरी 2022, 1700hrs है । यह प्रस्ताव केवल सीपीपी के माध्यम से जमा किया जाएगा ।
12.	तकनीकी बोली आरंभ करने की तारीख	CPP पर सुचित किया जाएगा।
13.	तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुतिकरण	CPP पर सुचित किया जाएगा।
14.	बोली जमा करने की भाषा	प्रस्ताव केवल अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में जमा किया जाना चाहिए ।
15.	—————————————————————————————————————	बोली केवल आईएनआर में कोट करें ।
16.	किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु संपर्क अधिकारी का नाम	निदेशक(विपणन एंव सी ए) जनसंपर्क विभाग भारतीय मानक ब्यूरो 9 बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली – 110002 फोन: +91-11-23234048 ईमेल आईडी: pr@bis.gov.in

भारतीय मानक ब्यूरो प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित करती है ।

भारतीय मानक ब्यूरो(बीआईएस), राष्ट्रीय मानक निकाय बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत स्थापित किया गया था। बीआईएस मानकीकरण गतिविधि के सामंजस्यपूर्ण विकास, अनुरूपता मूल्यांकन, माल की गुणवत्ता आश्वासन, वस्तुओं, प्रक्रियाओं, प्रणालियों और सेवाओं तथा उनसे संबंधित मुद्दों उससे प्रकांतर से मुद्दों के लिए उत्तरदायी है।

कार्य :

बीआईएस मानकीकरण की अनुरूपता मूल्यांकन की मुख्य गतिविधि के माध्यम से सुरक्षित, विश्वसनीय और गुणता की वस्तुएँ उपलब्ध कराने; उपभोक्ता के स्वास्थ्य को होने वाले जोखिम को न्यूनतम करने; पर्यावरण का संरक्षण करने, निर्यात को बढ़ावा देने और आयात की स्थानापन्न वस्तुओं को उपलब्ध कराने; किस्मों की प्रचुरता नियंत्रित करने इत्यादि के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाता रहा है। बीआईएस की मानक और प्रमाणन योजनाएँ उपभोक्ताओं और उद्योग को लाभ पहुँचाने के अलावा विभिन्न सार्वजनिक नीतियों, खास तौर से उत्पाद सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य निरापदता, पर्यावरण संरक्षण, भवन तथा निर्माण इत्यादि के क्षेत्र में सहायक हैं।

आरएफपी का उद्देश्य:

आरएफपी का उद्देश्य बीआईएस और इसके अधीनस्थ कार्यालयों और समय-समय पर की गई विभिन्न पहलें/गतिविधियों/पहलों का व्यापक प्रचार-प्रसार/पहुँच के लिए रणनीतिक संचार एवं प्रवर्धन एजेंसी (मीडिया नियोजन एवं डिजिटल प्रवर्धन सहित, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन विषयवस्तु मृजन और वेबसाइट विकसित करने में सक्षम) मल्टी मीडिया इन्टेग्रेटिड कम्यूनिकेशन एजेंसी को नियुक्त करना है । इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि अपने प्रत्युत्तर नीचे दिए गए केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल (CPPP: http://eprocure.gov.in) पर दिनांक 23 फरवरी 2022 समय 1700hrs को या इससे पहले प्रस्तुत करें ।

इस एसाइंमेंट का मुख्य उद्देश्य 'ब्रांड बीआईएस' का पुनर्स्थापन है। एजेंसी से इसे प्राप्त करने के लिए आइडिया विकसित करने और नीतियों का निष्पादन करने की अपेक्षा है। एजेंसी से ब्रांड आइडिया का मृजन करने और अन्ततः ब्रांड रणनीति का विकास करने और ऐसी सृजनात्मकता रणनीति का विकास करने की अपेक्षा है, जो निविदा दस्तावेज में दिए गए अन्य कार्यों के साथ आम आदमी को मानकों और अन्ततः उनके जीवन में बीआईएस की

प्रासंगिकता समझने में सहायक हो। ब्यूरो अन्य कार्यों के साथ निविदा दस्तावेज में विस्तृत है।

गुणता सह लागत आधारित संयुक्त चयन के अनुसार एक उपयुक्त एकीकृत संचार एजेंसी का चयन किया जाएगा। आरएफपी का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

1)	पात्रता मापदंड	आरएफपी के भाग-2, बिंदु-5 के अनुसार
2)	संविदा की वैधता	शुरू में एक साल। संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर,
	एक बार में दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सक	
3)	आरएफपी दस्तावेज़ की	(क) सीपीपी पोर्टल <u>www.eprocure.gov.in</u>
	उपलब्धता	(ख) ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.gov.in (केवल
		संदर्भ के लिए)
4)	प्रस्तुत करने का तरीका	केवल ऑनलाइन
5)	बोली पद्धति और	दो बोली पद्धति (तकनीकी और वित्तीय बोली दो अलग-
	लिफाफा	अलग लिफाफों में)
6)	ईएमडी	बोली सुरक्षा घोषणा ईएमडी के बदले निर्धारित प्रारूप
		में प्रस्तुत की जानी है
7)	निष्पादन सुरक्षा	कुल संविदा मूल्य का 3%
8)	बोलियों की वैधता	बोलियां जमा करने की तारीख से 90 दिन
9)	आरएफपी की लागत	शून्य
10)	अनुमानित लागत	2 करोड़ से रु. 3 करोड़

सभी स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र का प्रकाशन केवल सीपीपी पोर्टल और बीआईएस की वेबसाइट पर ही किया जाएगा । इस आरएफक्यू-सह-आरएफपी से संबंधित सूचना तक पहुँचाने के लिए कार्यालय की वेबसाइट <u>www.bis.gov.in</u> और केन्द्रीय सार्वजनिक क्रय पोर्टल (http://eprocure.gov.in) है ।

सामान्य शर्ते

- 1. यह आरएफपी दस्तावेज, भावी बोलीदाता या अन्य किसी व्यक्ति के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), जिसे आगे बीआईएस कहा गया है, द्वारा न कोई करार है और न ही कोई प्रस्ताव है। इस आरएफपी का उद्देश्य इस आरएफपी के लिए प्रस्ताव तैयार करने हेतु इच्छुक पक्षों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना है।
- 2. बीआईएस के पास किसी भी भावी आवेदक / फर्म / या किसी भी अन्य व्यक्ति के तहत किसी भी कानून के तहत कोई देयता नहीं होगी (जिसमें अनुबंध, टोर्ट कानून के बिना सीमा, इक्विटी के सिद्धांत, पुनर्स्थापन या अन्यायपूर्ण संवर्द्धन या अन्यथा किसी भी हानि, व्यय के लिए या इस आरएफपी दस्तावेज में निहित किसी भी चीज़ के संबंध में उत्पन्न या

क्षितिग्रस्त या पीड़ित होने वाली क्षिति, किसी भी मामले को इस आरएफपी दस्तावेज़ का हिस्सा बनाने के लिए समझा जाता है, असाइनमेंट का पंचाट, जानकारी और कोई भी अन्य सूचनाएं बीआईएस या उनके कर्मचारियों द्वारा या किसी भी परामर्श एजेंसी द्वारा या अन्यथा असाइनमेंट के लिए चयन प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली किसी भी तरह से उत्पन्न हुई हो। बीआईएस किसी भी तरीके से उत्तरदायी नहीं होगा चाहे लापरवाही के परिणामस्वरूप या अन्यथा इस आरएफपी में किसी भी विवरण पर किसी भी आवेदक के निर्भर होने से उत्पन्न होती है।

विषयसूची

आरएफपी में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं:

खंड 1 : बोलीदाता को निर्देश

खंड 2 : संदर्भ की शर्तें

खंड 3: पूर्व-योग्यता और तकनीकी प्रस्ताव - मानक प्रपत्र

खंड 4 : वित्तीय प्रस्ताव - मानक प्रपत्र

खंड 5 : सेवा स्तर समझौता

खंड 6 : सत्यनिष्ठा समझौता

खंड 7: फर्म या कंपनी को गैर-काली सूची में डालने के संबंध में घोषणा

खंड 8: फर्म के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं होने के संबंध में घोषणा

खंड 9: अनुबंध की सामान्य शर्तें (जीसीसी)

खंड 1: बोलीदाता हेतु निर्देश

प्रस्तावना

- 1.1.1 डेटा शीट में नामित संगठन (बाद में "ब्यूरो" कहा जाता है) डेटा शीट में निर्दिष्ट चयन की विधि के अनुसार एक एकीकृत संचार एजेंसी (इसके बाद "एजेंसी" कहा जाता है) का चयन करेगा और यह चयन इस आरएफपी (चयन प्रक्रिया) में निर्दिष्ट चयन प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यांकन के आधार पर होगा। बोलीदाता को समझा और सहमत माना जाएगा कि चयन प्रक्रिया के किसी भी पहलू के लिए कोई स्पष्टीकरण या औचित्य नहीं दिया जाएगा और ब्यूरो के निर्णय किसी भी अपील के अधिकार के बिना अंतिम हैं।
- 1.1.2 बोलीदाता को असाइनमेंट के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए डेटा शीट में निर्दिष्ट पूर्व-योग्यता, तकनीकी और वितीय प्रस्ताव (सामूहिक रूप से 'प्रस्ताव कहा जाता है) प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोलीदाता इस आरएफपी में निर्दिष्ट प्रपत्र और तरीके से संबंधित अनुभागों में प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। प्रदर्शन प्रतिभूति घोषणा ईएमडी के बदले निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जानी है।प्रस्ताव चयनित एजेंसी के कार्य आदेश की अनुमित के आधार पर बनेगा (जिसे बाद में 'एजेंसी' कहा गया है)। एजेंसी इस आरएफपी (द-टीओआर) के संदर्भ की शर्त पर काम को पूरा करेगी।
- 1.1.3 प्रस्ताव चयनित एजेंसी के कार्य आदेश की अनुमित के आधार पर बनेगा (जिसे बाद में 'एजेंसी' कहा गया है)। एजेंसी इस आरएफपी (द-टीओआर) के संदर्भ की शर्त पर काम को पूरा करेगी।
- 1.1.4 आवेदक अपने प्रस्ताव की स्कैनड प्रति प्री- अर्हता प्रस्ताव, तकनीकी प्रस्ताव एवं वित्तीय प्रस्ताव के रूप में केन्द्रीय लोक प्राप्ति पोर्टल पर क्रमश: तीन लिफाफों में प्रस्तुत करेगा। पूर्व अर्हता हेतु प्रस्तुति को इस आरएफपी में यथानिर्दिष्ट पहले मूल्यांकित किया जाएगा। तद्गुरूप इस आरएफपी में यथानिर्दिष्ट तकनीकी मूल्यांकन केवल उन बोलीदाताओं के ही किए जायेंगे, जो पूर्व अर्हता मानदंड को पूरा करते हैं। इस तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित तकनीकी रूप से अर्हक बोलीदाताओं की सूची उनके मैरिट अनुसार बनाई जाएगी। तकनीकी रूप से उच्चतम रैंक पाने वाले अर्हक आवेदक के वित्तीय प्रस्ताव खोले जायेंगे
- 1.1.5 किसी भी भाग जिसे केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, एक सांविधिक प्राधिकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैसा भी मामला हो, किसी भी परियोजना में शामिल होने से रोका गया है और बोली प्रस्तुति की अंतिम तिथि तक रोक लगाई जाती है तो वह प्रस्ताव जमा करने के योग्य नहीं है।

- 1.1.6 आवेदक पिछले 1 (एक) वर्ष के दौरान, किसी भी समझौते को निष्पादित करने में असफल रहा, जैसा कि मध्यस्थ या न्यायिक प्राधिकार द्वारा जुर्माना लगाने या आवेदक या उसके सहयोगी के खिलाफ न्यायिक घोषणा या मध्यस्थता से प्रमाणित हो, न ही किसी भी परियोजना या समझौते से निष्कासित कर दिया हो और न ही भारत के भीतर ऐसे आवेदक या उसके सहयोगी उल्लंघन करने पर कोई समझौता समाप्त हो गया है।
- 1.1.7 अतीत में यदि कभी ब्यूरों के लिए काम किया है, तो बोलीदाता को बैंक गारंटी की जब्ती या किसी भी दंड के मामले में कभी भी दंडित नहीं किया गया हो।
- 1.1.8 कोई भी आवेदक एक से अधिक आवेदन जमा नहीं करेगा।

1.2 आरएफपी दस्तावेजों का स्पष्टीकरण और संशोधन

- 1.2.1 बोलीदाता प्री-बोली मीटिंग पर या उससे पहले इस आरएफपी दस्तावेज पर स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिए कोई भी अनुरोध मानक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (पीडीएफ और शब्द फ़ाइल) द्वारा भेजा जाना चाहिए। बीआईएस का ई-मेल: pr@bis.gov.in है।
- 1.2.2 प्रस्ताव जमा करने से पहले किसी भी समय, बीआईएस किसी भी कारण से, चाहे वह अपनी पहल पर हो या संभावित आवेदक द्वारा अनुरोध किए गए स्पष्टीकरण के जवाब में, संशोधन द्वारा आरएफपी दस्तावेजों को संशोधित कर सकता है। सभी संशोधन / corrigenda केवल बीआईएस की आधिकारिक वेबसाइट के साथ सीपीपीपोर्टल पर पोस्ट किया जाएगा।बोलीदाता को खाते में संशोधन करने के लिए उचित समय देने के लिए, या किसी अन्य कारण से, बीआईएस अपने विवेकाधिकार पर बोली सबमिशन तिथि का विस्तार कर सकता है।

1.3 प्री-बिड मीटिंग

- 1.3.1 आवेदकों की प्री-बिड बैठक ("बोलीदाताओं") डाटा शीट में दिए गए स्थान तिथि, समय पर ऑफ लाइन बुलाई किया जाएगी और बोली पूर्व बोली में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता को ब्यूरों को पहले से लिखित और ईमेल में सूचित करना चाहिए । प्रत्येक बोलीदाता के अधिकतम दो प्रतिनिधियों को [Form3C] से प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
- 1.3.2 प्री-बिड मीटिंग के दौरान, बोलीदाता स्पष्टीकरण मांगने और बीआईएस के विचार के लिए स्वतंत्र होंगे। बीआईएस अपने विवेकाधिकार से, एक निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए स्पष्टीकरण और इस तरह के और जानकारी देने के रूप में यह हो सकता है उपयुक्त पर विचार का प्रयास करेंगा।

1.4 प्रस्ताव की तैयारी

1.4.1 बोलीदाता से अनुरोध है कि वे अपने प्रस्ताव को अंग्रेजी या हिंदी भाषा में प्रस्तुत करें और कड़ाई से इस आरएफपी में दिए गए प्रारूपों में जमा करें। बीआईएस केवल उन प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगा जो निर्दिष्ट रूपों में प्राप्त होते हैं और सभी मामलों में पूर्ण होते

- 1.4.2 उनके प्रस्ताव की तैयारी में, बोलीदाता को अच्छी तरह से आरएफपी दस्तावेज की जांच करने की संभावना है। अनुरोध की गई जानकारी प्रदान करने में सामग्री की कमी के परिणामस्वरूप प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
- 1.4.3 यदि तकनीकी प्रस्ताव में वित्तीय प्रस्ताव से संबंधित कोई जानकारी शामिल है तो बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।.
- 1.4.4 प्रस्ताव को अधिकृत प्रतिनिधि (प्राधिकृत प्रतिनिधि) द्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए:
- (i) एक भागीदार द्वारा, एक साझेदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी के मामले में; या
- (ii) लिमिटेड कंपनी या निगम के मामले में, पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा
- 1.4.5 बोलीदाता प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए को डेटा शीट में निर्दिष्ट बोली सबिमशन तिथि को नोट करना चाहिए। विशेष रूप से इस आरएफपी में प्रदान किए जाने के अलावा, बीआईएस द्वारा कोई पूरक सामग्री पर विचार नहीं किया जाएगा, और मूल्यांकन केवल डेटा शीट में निर्दिष्ट बोली जमा करने की तारीख के समापन समय के प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। बोलीदाता को सामान्य रूप से जमा करने की तारीख के बाद अतिरिक्त सामग्री जानकारी या दस्तावेज़ प्रदान करने के लिए नहीं कहा जाएगा, और प्रस्तुत किए जाने पर अनचाही सामग्री को खारिज कर दिया जाएगा। बीआईएस किसी भी पहलुओं पर संदेह से बचने के लिए प्रस्ताव गैर-उत्तरदायी होने पर स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 1.4.6 वितीय प्रस्ताव: वितीय प्रस्ताव तैयार करते समय, बोलीदाता से इस आरएफपी दस्तावेज में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं और शर्तों को ध्यान में रखे जाने की उम्मीद है। एजेंसी को ब्यूरो को ड्राफ्ट की प्रस्तुति भी देनी होगी और वितीय प्रस्ताव एक मुश्त प्रस्ताव असाइनमेंट के साथ जुड़े सभी करों को छोड़कर सभी लागतों के सिहत होना चाहिए। वितीय प्रस्ताव जमा करते समय, आवेदक निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:
- 1. सभी घरेलू यात्रा और (भारत के भीतर)असाइनमेंट से जुड़े लागतों को वित्तीय प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा। ये आम तौर पर सभी किर्मियों (विदेश में रह रहे और निवासी, क्षेत्र में, कार्यालय आदि के वेतन) आवास, हवाई किराया, परिवहन, उपकरण के सभी प्रकार के दस्तावेजों की छपाई, माध्यमिक और प्राथमिक डेटा संग्रह आदि इसमें शामिल किए जाएंगे। वित्तीय प्रस्ताव में इंगित कुल राशि किसी भी संलग्न शर्त या किसी भी धारणा के अधीन बिना लागू होगी और अंतिम और बाध्यकारी होगी। किसी भी धारणा या शर्त

को वित्तीय प्रस्ताव में इंगितिकए जाने के मामले में इसमें गैर संवेदनशील होने और खारिज कर दिए जाने पर विचार किया जाएगा।

- 2. वितीय प्रस्ताव में किसी भी स्थित में कोई शर्त शामिल न हो और ऐसे किसी सशर्त वितीय प्रस्ताव को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा ।
- 3. बीआईएस की आवश्यकताओं के आधार पर, वास्तविक मात्रा सूचक मात्रा से भिन्न हो सकती है और भुगतान केवल वास्तविक मात्रा के अनुसार जारी किया जाएगा।
- 4. प्रस्ताव इस आरएफपी में निर्धारण के अनुसार मानक वितीय प्रस्ताव प्रविष्टि फार्म में जमा होना चाहिए।
- 1.4.7 बोलीदाता केवल भारतीय रुपयों में अपनीसेवाओं केमूल्य व्यक्त करेगा ।
- 1.4.8 वितीय उद्धरण में एक वर्ष के लिए सोशल मीडिया प्रबंधन करने के लिए रिटेनर शुल्क और इस निविदा के फॉर्म 4बी में निर्दिष्ट अन्य डिलिवरेबल्स के लिए दर अनुबंध शामिल होगा।
- 1.4.9 दर अनुबंध के तहत कार्यों के लिए एजेंसी द्वारा उद्धृत दरें उक्त कार्य के लिए बीओसी दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए, जहां कहीं लागू हो।
- 1.4.10 बोली वित्तीय बोली खुलने की तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के लिए वैध होगी।
- 1.4.11 अंकों और शब्दों के बीच गैर-अन्रूपता:
- यदि, आवश्यक सेवाओं के लिए उद्धृत मूल्य संरचना में, इकाई मूल्य और कुल मूल्य (जो मात्रा से इकाई मूल्य को गुणा करके प्राप्त किया जाता है) के बीच विसंगति है, तो इकाई मूल्य प्रबल होगा और कुल मूल्य तदनुसार सही किया जाएगा;
- यदि उप-योग के जोड़ या घटाव के अनुरूप कुल में कोई त्रुटि है, तो उप-योग मान्य होगा और कुल को सही किया जाएगा; तथा
- यदि शब्दों और अंकों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी

1.5 बोली प्रतिभूति घोषणा

- i.बोलीदाता द्वारा निविदा दस्तावेज के फॉर्म 3के में दिए गए प्रारूप में एक बोली प्रतिभूति घोषणा (बीएसडी) प्रस्तुत की जाएगी।
- ii.बीएसडी केवल तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- iii.असफल बोलीदाताओं का बीएसडी अंतिम बोली वैधता की समाप्ति के बाद और अनुबंध के पुरस्कार के 30 दिनों के बाद या उससे पहले वैध नहीं होगा।
- iv.बीएसडी अंतिम बोली वैधता अविध के बाद पैंतालीस दिनों की अविध के लिए वैध रहेगा। यदि किसी भी कारण से बीएसडी का आह्वान किया जाता है, तो संबंधित बोलीदाता को भविष्य में 5 वर्षों के लिए आरएफपी या ब्यूरो द्वारा जारी निविदाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा और तथ्य को ब्यूरो की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और सीपीपी पोर्टल को सूचित किया जाएगा।

1.6 निष्पादन प्रतिभूति :

- 1.6.1 वितीय प्रस्ताव की कुल लागत के **3** (तीन) प्रतिशत के बराबर निष्पादन प्रतिभूति किसी भी वाणिज्यिक बैंक से, असाइनमेंट पर काम शुरू करने से पहले, डिमांड इाफ्ट/एफडीआर/बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। बैंक गारंटी का प्रारूप RFP के फॉर्म **3J** में निर्दिष्ट है। सफल बोली लगाने वाले के लिए प्रदर्शन प्रतिभूति ब्यूरो द्वारा बोलीदाता द्वारा असाइनमेंट पूरा होने तक बरकरार रखी जाएगी और असाइनमेंट पूरा होने के **60** (साठ) दिन बाद जारी की जाएगी।
- 1.6.2 निष्पादन प्रतिभूति किसी भी वाणिज्यिक बैंक से लागू कानूनों के अनुपालन में प्राप्त की जाएगी (यदि बोलीदाता अनिवासी है, तो लागू विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के अनुपालन में)।
- 1.6.3 निष्पादन प्रतिभूति को तदनुसार इस प्रकार बढ़ाया जाएगा कि कार्य निष्पादन प्रतिभूति कार्य के पूरा होने की तिथि से 60 (साठ (दिनों की अविध की समाप्ति तक वैध रहे। यदि ब्यूरो को मौजूदा निष्पादन प्रतिभूति की समाप्ति की तारीख से कम से कम तीस)30) दिन पहले इस खंड के अनुसार विस्तारित/प्रतिस्थापन प्रदर्शन प्रतिभूति प्राप्त नहीं हुई होगी, तो ब्यूरो बैंक गारंटी की पूरी राशि निकालने का हकदार होगा। एकीकृत संचार एजेंसी द्वारा इस आरएफपी के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन के लिए प्रतिभूति के रूप में निकालने और बनाए रखने के लिए उपलब्ध है।
- 1.6.4 ब्यूरों को निष्पादन प्रतिभूति के तहत दावा करने का अधिकार होगा और यदि निम्नलिखित में से कोई भी होता है तो आय का उपयोग करें:
 - क) एजेंसी दंड का भ्गतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाती है;
 - ख) इसकी शर्तों का कोई भी भौतिक उल्लंघन; या
- ग) उपरोक्त पैराग्राफ पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एजेंसी इस आरएफपी के प्रावधानों के अनुसार प्रदर्शन प्रतिभूति की वैधता बढ़ाने या प्रतिस्थापन प्रदर्शन प्रतिभूति प्रदान करने में विफल रहती है।
- 1.7 प्रस्ताव की प्रस्तुति, प्राप्ति और खोलना
- 1.7.1 आवेदक ई-खरीद पोर्टल पर क्रमशः पूर्व-योग्यता प्रस्ताव, तकनीकी प्रस्ताव और वित्तीय प्रस्ताव के विवरण सहित तीन कवरों में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
- 1.7.2 प्रस्ताव ई-खरीद पोर्टल सीपीपीपी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। पोर्टल पर ई-निविदा दाखिल करने की प्रक्रिया प्रदान की जाती है। पोर्टल पर अपलोड की गई फ़ाइलों निम्न स्वरूप[प्रपत्र नाम, आवेदक का नाम] के अनुसार फ़ाइल नाम होना चाहिए। आवेदक के नाम में इसके नाम के पहले दो शब्द होना चाहिए। किसी अन्य तरीके से प्राप्त प्रस्ताव को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, देखें (प्री-क्वालिफिकेशन प्रस्ताव, कंपनी का नाम)

- 1.7.3 आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि को अपने डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके पूर्व-योग्यता, तकनीकी और वितीय प्रस्ताव प्रमाणित करना चाहिए । प्राधिकृत प्रतिनिधि के प्राधिकरण को फॉर्म 3 सी में दिए गए प्रस्ताव के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित पॉवर ऑफ एटोनी द्वारा पृष्टि की जानी चाहिए।
- 1.7.4 प्रस्ताव जमा करने के समापन समय के बाद कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 1.7.5 प्रस्ताव जमा करने की समयसीमा के बाद, प्री-क्वालिफिकेशन प्रस्ताव मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि बोलीदाता के पास निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंड है या नहीं। आरएफपी विवरण जिसमें धरोहर धन जमा, पूर्व-योग्यता प्रस्ताव, तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव शामिल हैं, रखे जाएंगे।
- 1.7.6 कार्य आदेश की अनुमित तक प्रस्ताव जमा करने के बाद, यदि कोई आवेदक अपने प्रस्ताव से संबंधित किसी भी मामले पर बीआईएस से संपर्क करना चाहता है, तो उसे सीपीपी पोर्टल या pr@bis.gov.in पर संपर्क करें। प्रस्तावित मूल्यांकन के दौरान बीआईएस को प्रभावित करने के लिए फर्म द्वारा किए गए किसी भी प्रयास, प्रस्ताव तुलना या कार्य आदेश निर्णयों की अनुमित के परिणामस्वरूप आवेदक के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है।

1.8 प्रस्ताव मूल्यांकन

- 1.8.1 मूल्यांकन के भाग के रूप में, पूर्व योग्यता प्रस्ताव प्रस्तुति का मूल्यांकन करने के लिए कि क्या आवेदक (प्वाइंट नंबर 2, इस निविदा दस्तावेज की धारा 2 के भाग 2 में निर्दिष्ट के रूप में) निर्धारित न्यूनतम योग्यता के मानदंडों की जाँच की जाएगी।
- 1.8.2 प्रस्तावों के मूल्यांकन से पहले, बीआईएसयह निर्धारण करेगा कि क्या प्रत्येक प्रस्ताव नीचे दर्शाये अनुसार प्रत्येक मूल्यांकन के स्तर पर आरएफपी की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। बीआईएस, अपने विवेकाधिकार से, किसी भी प्रस्ताव को इसके अंतर्गत गैर-रेस्पोंसिव हो तो अस्वीकार कर सकता हैं। प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर केवल तभी विचार किया जाएगा अगर यह प्रत्येक चरण पर क्वालीफाई करता हो।

- 1.8.3 मूल्यांकन के भाग के रूप में, [फार्म 3 ए में] प्रस्तुत पूर्व योग्यता प्रस्तावों को न्यूनतम योग्यता मानदंड को पूरा करना चाहिए। यदि एक आवेदक न्यूनतम योग्यता मानदंड को पूरा नहीं करता, तकनीकी प्रस्ताव इस तरह के आवेदक का [फार्म 3D में] खोला नहीं जाएगा और आगे का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा । ऐसे मामलों में, पूर्व-योग्यता के मूल्यांकन के पूरा होने के बाद तकनीकी प्रस्ताव, और वितीय प्रस्ताव वाले आरएफपी विवरण खोले नहीं जाएंगे।
- 1.8.4 इसके बाद जिन बोलीदाता को तकनीकी प्रस्ताव जमा न्यूनतम योग्यता मानदंड को पूरा करते है (Shortlisted आवेदक), आरएफपी की आवश्यकताओं के अनुसार होगा मूल्यांकन किया जाएगा और केवल जो तकनीकी प्रस्ताव संतोषजनक पाए जाते हैं उन्हें इस आरएफपी दस्तावेज़ में निर्धारित आगे मापदंड के अनुसार जाँच की जाएगी।
- 1.8.5 केवल उन फर्मों का वितीय प्रस्ताव जो तकनीकी रूप से योग्य हैं, बोलीपत्रकों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में डेटा शीट में निर्दिष्ट तारीख और समय पर खोले जाएंगे, जो फॉर्म 3 सी में दिए गए लिखित पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ भाग लेने का विकल्प चुनते हैं।
- 1.8.6 बीआईएस किसी भी ऐसे प्रस्ताव को निरस्त करने का अधिकार रखता है जो गैर जबावी होते है जो इस तरह के प्रस्तावों के परिवर्तन, संशोधन, प्रतिस्थापनया वापसी के लिए कोई अनुरोध संबंध में बीआईएस द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, बीआईएस मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान आवेदक से स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बीआईएस बाद में विस्तृत चयन प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तावों की जांच और मूल्यांकन करेगा।

1.9 चयन प्रक्रिया

1.9.1 तकनीकी और वाणिज्यिक स्कोर के सामान्यीकरण को शामिल करने की पद्धति को चिह्नित करना:

प्रस्तावों का मूल्यांकन इस निविदा दस्तावेज की धारा 2 के प्वाइंट 10, भाग 2 के तहत दिए गए अनुसार किया जाएगा।

तकनीकी स्कोर: (एसटी)

केवल उन बोलीदाताओं जिन्होंने 70 या उससे अधिक के तकनीकी स्कोर प्राप्त किए है उन्हें उनके 'वित्तीय बोली' के मूल्यांकन के लिए योग्य घोषित किया जाएगा। तकनीकी स्कोर के लिए 70 से कम प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं को खारिज कर दिया जाएगा।

उच्चतम तकनीकी अंकों (परामर्शक मूल्यांकन समिति द्वारा आवंटित) के साथ प्रस्ताव 100 (सौ) का स्कोर दिया जाएगा और अन्य प्रस्ताव तकनीकी स्कोर दिए जाएंगे जो उनके अंकों के आनुपातिक हैं, जो उच्चतम तकनीकी अंक प्राप्त करते हैं।

वितीय प्रस्ताव में सांकेतिक लागत को अंतिम के रूप में समझा जाएगा और सेवाओं की कुल लागत को दर्शाया जाएगा और केवल भारतीय रूपए में ही बताया जाना चाहिए। किसी भी वस्तु की लागत में, यदि कोई हो, तो आवेदक को मुआवजा देने के लिए पात्र नहीं होगा और कुल उद्धृत मूल्य के भीतर संदर्भ की शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने की देयता आवेदक की होगी। मूल्यांकन लागू कानूनों के तहत लगाए गए करों को बाहर रखा जएगा। सबसे कम वितीय प्रस्ताव (एफएम) को 100 अंक का वितीय स्कोर (एसएफ) दिया जाएगा। अन्य वितीय प्रस्तावों के वितीय स्कोर (एसएफ) को निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके निर्धारित किया जाएगा:

एसएफ = 100 x एफएम / एफ;

जहां एसएफ वितीय स्कोर है, एफएम न्यूनतम वितीय प्रस्ताव है, और एफ बिड्रिस विचाराधीन वितीय प्रस्ताव (INR में) है ।

अंतिम अंकन:

तकनीकी और वित्तीय दोनों, कुल स्कोर गुणवता और लागत स्कोर को मिलाकर और उन्हें जोड़कर प्राप्त किया जाएगा। गुणवता और लागत के लिए संयुक्त मिलेस्कोर के आधार पर, सलाहकार को प्राप्त कुल स्कोर के मामले में रैंक दिया जाएगा। अंततः प्रस्तावों को उनके संयुक्त तकनीकी (एसटी) और वित्तीय (एसएफ) स्कोर के अनुसार क्रमबद्ध किया जाएगा:

S = St X TW + SfxFw;

जहां एस संयुक्त स्कोर है, और टीडब्ल्यू और एफडब्ल्यू तकनीकी प्रस्ताव और वितीय प्रस्ताव को सौंपा है जो 0.70: 0.30 होगा।

गुणवत्ता और लागत के मूल्यांकन में उच्चतम कुल संयुक्त स्कोर प्राप्त करने का प्रस्ताव एच -1 के रूप में इसके बाद एच-2, एच-3 आदि के रूप में कम अंक प्राप्त करने वाले प्रस्तावों के बाद रैंक किया जाएगा।

1.9.2 बीआईएस को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सूचक मात्रा को बदलने का अधिकार सुरक्षित है और भुगतान केवल बीआईएस द्वारा उपयोग की जाने वाली वास्तविक मात्रा के आधार पर जारी किया जाएगा।

1.10 कार्य आदेश प्रदान करना

1.11.1 चयन के बाद, कार्य आदेश जारी होने के 7 (सात) कार्य दिवसों के भीतर, सफल आवेदक को बीआईएस द्वारा डुप्लिकेट में, एक कार्य आदेश जारी किया जाएगा, कार्य आदेश की प्राप्ति के 7 (सात) कार्य दिवसों के भीतर इसकी स्वीकृति में, हस्ताक्षर और कार्य आदेश की डुप्लिकेट प्रति लौटाई जाएगी। यदि कार्य आदेश प्रति विधिवत सफल आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद नियत तिथि तक प्राप्त नहीं होती है तो समय अविध बढ़ाने की अनुमित न करने पर बीआईएस अगले उच्चतम रैंकिंग H-2 आवेदक पर को संविदा दे देगा।

1.11 निष्पादन समीक्षा

1.11.1 ब्यूरो असाइनमेंट की प्रगति की निगरानी के लिए एक अनुबंध प्रबंधन समिति (सीएमसी) का गठन करेगा.

1.12 गोपनीयताः

1.12.1 कार्य आदेश प्रदान करने से संबंधित सिफारिशों के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी और प्रस्तावबोलीदाता को नहीं दिए जाएंगे, जो प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हैं या अन्य व्यक्तियों को आधिकारिक तौर पर इस प्रक्रिया से संबंधित नहीं हैं, जब तक कि विजेता फर्म को सूचित नहीं किया जाता है कि इसे कार्यआदेश दिया गया है। प्रक्रिया से संबंधित गोपनीय जानकारी के किसी भी बोलीदाता द्वारा अनुचित उपयोग के परिणामस्वरूप इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जा सकता है,

1.13 विविध:

- 1.13.1 चयन प्रक्रिया भारत के कानूनों के द्वारा शासित होगी और नई दिल्ली के न्यायालयों में चयन प्रक्रिया के संबंध में और या इसके तहत उत्पन्न होने वाले सभी विवादों पर पूरा क्षेत्राधिकार होगा।
- 1.13. बीआईएस, अपने विवेकाधिकार में और किसी भी बाध्यता या देयता के बिना, किसी भी समय निम्न अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है:
- क) चयन प्रक्रिया को निलंबित और/ या रद्द करने और/ या संशोधन प्रक्रिया को संशोधित करने और/ या पूरक तारीख या अन्य नियमों और शर्तों को संशोधित करने;
- ख) स्पष्टीकरण या आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी आवेदक से परामर्श लेना;
- ग) बीआईएस के पास किसी भी किसी भी जानकारी और/या सबूत को बनाए रखने और/या किसी भी आवेदक के संबंध में और/या की ओर से;
- घ) किसी आवेदक की ओर से स्वतंत्र रूप से किसी भी और सभी सबमिशन या अन्य जानकारी और / या सबूत सत्यापित, अयोग्य घोषित, अस्वीकार और या स्वीकार करना।
 - 1.13.3 प्रस्ताव प्रस्तुत करके, आवेदक भी इससे सहमत माना जाता हैं और बीआईएस, उसके कर्मचारियों, एजेंट और परामर्शदाता, अपरिवर्तनीय जारी करता है, बिना शर्त, पूरी तरह से और अंत में दावे, हानि, क्षिति, लागत, किसी में खर्चों या देयताओं के लिए किसी भी और सभी देयता से समझा जाएगा किसी भी अधिकार और / या यहां किसी भी दायित्व के कार्य निष्पादन से उत्पन्न होने या उससे उत्पन्न होने के तरीके से संबंधित, और इसके संबंध में और इसके संबंध में किसी भी और सभी अधिकारों और/या दावों को इस संबंध में छोड़ दिया जा सकता है, भले ही वास्तविक या आकस्मिक, चाहे वर्तमान या भविष्य।

- 1.13.4 बीआईएस द्वारा प्रदान किए गए सभी दस्तावेज और अन्य जानकारी या बीआईएस को आवेदक द्वारा जमा की गई जानकारी बीआईएस की संपत्ति बनी रहेगी या बन जाएगी। बोलीदाता और डिजिटल एजेंसी, जैसा भी मामला हो, सभी सूचनाओं को सख्ती से गोपनीय रखना है। बीआईएस किसी भी प्रस्ताव या उससे संबंधित किसी भी जानकारी को वापस नहीं करेगा। सभी एकत्रित जानकारी, विश्लेषण किया, संसाधित या जो भी काम के संबंध में बीआईएस के लिए आवेदक द्वारा प्रदान की, बीआईएस की संपत्ति होगी।
- 1.13.5 बीआईएस को अपने पिछले अनुभव रिकॉर्ड के बारे में किसी भी बोलीदाता के साथ पूछताछ करने का अधिकार सुरक्षित है।

<u>खंड 2: संदर्भ की शर्तें</u>

भाग 1: उद्देश्यों और सेवाओं का दायरा

क) असाइनमेंट का उद्देश्य

- 1. असाइनमेंट का मुख्य उद्देश्य 'ब्रांड बीआईएस' को पुनर्स्थापित करना है। एजेंसी को इसे प्राप्त करने के लिए विचारों और निष्पादन रणनीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है। एजेंसी से ब्रांड विचार उत्पन्न करने और अंततः एक ब्रांड रणनीति विकसित करने की उम्मीद है।
- 2. एजेंसी से एकीकरत संचार रणनीति और प्रचार योजना विकसित करने की उम्मीद है जो एक आम व्यक्ति को मानकों की प्रासंगिकता को समझने में मदद करेगी और अंत में स्तकेहोल्डर को मानक और मानक मुहर प्रभावी रूप से समझ आएगी।
- 3. एजेंसी आवश्यक रचनात्मक और प्रचार सामग्री का डिजाइन और उत्पादन करेगी और एक (1) वर्ष की अविध के लिए बीआईएस के तहत सभी योजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए संचार अभियान आगे बढ़ाने के लिए एक रचनात्मक दृष्टि और रणनीति प्रदान करेगी जिसे बाद में के लिए पारस्परिक सहमति पर दो (2) वर्ष (एक बार में एक वर्ष) की अविध, एजेंसी के संतोषजनक कार्य निष्पादन के अधीन बढ़ाया जा सकता है।

4. एजेंसी बीआईएस के लिए सभी प्रचार गतिविधियों को निष्पादित करने, एकीकृत करने, सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने और डिलीवर करेगी। एजेंसी प्रमुख राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय इवेंटों, दिनों और अनुष्ठानों की पहचान करेगी जिनके पास बीआईएस द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बढ़ावा देने और बीआईएस ब्रांड के लिए व्यापक दृश्यता और पहुंच प्रदान करने की क्षमता है और ऐसे अवसरों पर पूंजीकरण के लिए एक प्रभावी योजना तैयार करने में सहायता मिलेगी।

ख) कार्य और मुख्य डिलिवरेबल्स का दायराः

सेवाओं के दायरे में शामिल प्रमुख वर्ग निम्नानुसार हैं;

- 1. संगठनात्मक समर्थन:
- 1.1 'ब्रांड बीआईएस' को पुनर्स्थापित करने के लिए संचार रणनीति विकसित करना
- 1.2. प्रस्तुतीकरण, प्रेस विज्ञित, ईडीएम, विपणन सामग्री, संचार आदि के विकास सिहत दैनिक संचार गतिविधियों में ब्यूरो की सहायता और सहयोग ।
- 1.3. एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने वाले दो प्रमुख पेशेवर (एक ग्राहक सेवा देने वाला व्यक्ति और रचनात्मक डिजाइनर) बीआईएस मुख्यालय परिसर से सीधे दिन-प्रतिदिन काम करेंगे, और
- 1.4 वह सुनिश्चित करेगा कि डिलिवरेबल्स समय और गुणवत्ता की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे
- 2. अन्य आवश्यकताएं:
 - 2.1 12 महीने (संविदा अविध) की अविध में कार्य निष्पादन के लिए एक रोड मैप;
 - 2.2 बीआईएस के लिए पीआर संचार रणनीति का विकास और निष्पादन, दीर्घकालिक और अल्पकालिक उद्देश्यों के आधार पर,
 - 2.3 ब्रांड मैनुअल का विकास, जिसमें रंगीन योजनाएं, फोंट और अन्य टेम्पलेट्स शामिल हैं, ऑनलाइन और ऑफ़लाइनआउटरीच सामग्री के माध्यम से समानता सुनिश्वित करने के लिए और एक विशिष्ट लोगो इवैंट लोगो कॅम्पेन लोगो पहचान पत्र और बीआईएस के ब्रांड मैनुअल के अनुरूप पत्र शीर्ष का विकास
 - 2.4 ब्रोशर, प्रकाशन, प्रस्तुतियों, और अन्य प्रचार सामग्री सहित आउटरीच सामग्री का विकास,
 - 2.5 ब्रांड बीआईएस के लिए आउटरीच/ संचार अवसरों की पहचान करने में सक्रिय रूप से सहायता करना
 - 2.6 एजेंसी आवश्यक रचनात्मक (ओं), टीवीसी, रेडियो जिंगल्स, फिल्में, ऑनलाइन और डिजिटल विज्ञापन, प्रचार सामग्री, प्रतियोगिताओं, बीटीएल गतिविधियां आदि तैयार करेगी और बीआईएस की टीम के साथ समन्वय के साथ इसे लागू करेगी।
 - 2.7 कार्य निष्पादन मूल्यांकन और मासिक आधार पर संचार अभियानों के प्रभाव का अध्ययन।
 - 2.8 टेलीविजन वाणिज्यिक (टीवीसी)

- 2.8.1 टीवीसी को बीआईएस की विभिन्न सेवाओं / कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 15 सेकंड/ 20 सेकंड/ 10 सेकंड के संपादन के साथ, 30 सेकंड की अवधि के टेलीविज़न कमर्शियल, सेलिब्रिटी संचालित, बजाए एक विचार संचालित अभियान होना चाहिए। उत्पादित होने वाली टीवीसी अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का होगा। टीवीसी की सामग्री पूरी तरह ताजा शूट पर होगी जो बीआईएस अनुमोदित करता है।
 - 2.8 .2 विज्ञापन फिल्मों में सभी सेवाओं / कार्यों को शामिल किया जाएगा जो बीआईएस इस तरह से करता है कि यह दर्शकों को मानकों और बीआईएस संचालन की भूमिका में बेहतर तरीके से समझने की पेशकश करता है।
 - 2.8.3 हिंदी और में मास्टर प्रोडक्शन। कम से कम 10 अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं में डबिंग।
 - 2.8.4 सेलिब्रिटी की लागत, अगर कोई है, तो दायरे में शामिल नहीं है। एजेंसी को उस क्षेत्र के लिए पेशेवर अभिनेताओं का सुझाव देना होगा जो सबसे उपयुक्त हैं।

2.9 फिल्में

- 2.9.1 फिल्में उत्पादों या मानकों पर ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं पर शैक्षिक या व्याख्यात्मक प्रकृति की हो सकती हैं।
- 2.9.2 फिल्में 5 मिनट से 30 मिनट की अवधि की हो सकती हैं।
- 2.9.3 फिल्म को वांछित भाषाओं में डब करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें मास्टर प्रोडक्शन हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है। उपशीर्षक जोड़ना भी आवश्यक हो सकता है।
- 2.9.4 2डी/3डी एनिमेशन, ग्राफिक्स आदि को फिल्म में जोड़ना होगा।
- 2.9.5 फिल्मों को नए सिरे से शूट के साथ विकसित किया जाना है, जब तक कि ब्यूरो स्टॉक फुटेज को जोड़ने की मंजूरी नहीं देता।
- 2.9.6 पेशेवर एंकर, अभिनेता (यदि आवश्यक हो), वॉयस ओवर कलाकारों, पटकथा लेखकों और तकनीशियनों आदि को फिल्मों के लिए लगाया जाना आवश्यक है। इस संबंध में ब्यूरो का अनुमोदन अंतिम माना जाएगा।

2.10 रेडियो

2.10.1 घरेलू बाजार के लिए रेडियो स्पॉट, बीआईएस और इसकी विभिन्न सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए 30 सेकंड/ 20 सेकंड संपादन की अवधि के साथ। मास्टर उत्पादन हिंदी और अंग्रेजी में होगा। कम से कम 10 अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं में डिबंग

3. मीडिया रणनीति

- 3.1. ब्यूरो के अभियानों / कार्यक्रमों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से निष्पादित करें और लक्षित दर्शकों की पहचान करके स्थिति विश्लेषण करें।
- 3.2. मीडिया विश्लेषण और उपभोक्ता अंतर्दृष्टि द्वारा समर्थित मीडिया रणनीतियों का विकास

करना और ब्यूरो अभियानों को डिजाइन करना,

- 3.3. नए प्लेटफार्मी और प्रासंगिक चैनलों पर ब्यूरो की उपस्थिति की शुरुआत करें
- 3.4. सुनिश्चित करें कि रणनीति मान्य समर्थन और रणनीति के साथ संरेखित विचारों के साथ कार्रवाई योग्य हैं
- 3.5. ब्यूरो की गतिविधियों/घटनाओं/रिपोर्टों के प्रसार को व्यापक बनाने के लिए रणनीतिक भागीदारों की पहचान करें और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म/पेशेवरों (ऑनलाइन और ऑफलाइन) के साथ संपर्क करें,
- 3.6. गतिविधियों का वांछित परिणाम हो रहा है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए अभियानों/घटनाओं पर समीक्षा, विश्लेषण और प्रतिक्रिया प्रदान करें। हर महीने सबिमट किए जाने वाले सभी मापदंडों के लिए डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट।
- 3.7. पीआर गतिविधियों की योजना बनाएं और उन्हें क्रियान्वित करें।
- 3.8. सेलिब्रिटी द्वारा एंडोसेमेंट, यदि आवश्यक हो
- 4. सामग्री विकास और प्रबंधन
- 4.1 बनाने और बढ़ाने में सहायता प्रदान करें:
- ब्लॉग
- डिजिटल मीडिया के लिए आउटरीच सामग्री
- ब्यूरो द्वारा संचालित अभियानों/कार्यक्रमों के लिए प्रचार सामग्री
- 4.2 संचार के अवसरों (सरकार के भीतर और बाहर) की पहचान करने में ब्यूरो की सहायता करें और संगठन के लिए एक रणनीतिक संचार प्रवर्धक नीति तैयार करने में मदद करें।
- 4.3 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक प्रमुख प्रभावक कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना
 - 4.4 एजेंसी ब्यूरो के सोशल मीडिया प्रबंधन में भी सहायता करेगी
- 4.5 एक वर्ष की अवधि के दौरान प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, ऑनलाइन, आउटडोर और अन्य मीडिया के लिए क्रिएटिव की डिजाइनिंग और उत्पादन, अर्थात् समझौते की तारीख से शुरू होने वाला एक वर्ष, जैसा कि नीचे वर्णित है, विषयों / विषयों पर परामर्श करके निर्णय लिया जाना है ब्यूरो और मास्टर अभियान बस पैनल, आश्रय, मेट्रो पैनल / रैप्स / ट्रेन पैनल / डिजिटल साइनेज का अनुकूलन
- 4.6 ब्यूरो मुख्यालय और ब्यूरो के अन्य कार्यालयों में डिस्प्ले बोर्ड के लिए प्रबंधन और सामग्री/क्रिएटिव निर्माण।
- 5. सोशल मीडिया प्रबंधन

बीआईएस ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सभी लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। इन प्लेटफार्मों के माध्यम से, बीआईएस अपने लिक्षित दर्शकों को अपनी नवीनतम पहलों, घटनाओं, मानक प्रचार गतिविधियों, घोषणाओं और महत्वपूर्ण मानकों पर जागरूकता और सामान्य रूप से बीआईएस की प्रमुख गतिविधियों से अवगत कराता है। सोशल मीडिया प्रबंधन टीम से इन सभी प्लेटफार्मों के लिए प्रत्येक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए उपयुक्त रूप से रणनीति बनाने और पोस्ट विकसित करने की अपेक्षा की जाती है ताकि जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचा जा सके। सोशल मीडिया प्रबंधन टीम से मुख्य अपेक्षाएं हैं:

- 5.1 ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू ट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीआईएस के आधिकारिक खातों / पेजों का निर्माण और / या रखरखाव जो भविष्य में आवश्यक हो सकता है या सामने आ सकता है। नियमित आधार पर ब्यूरों के सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियों कैप्सूल और लाइव कवरेज के साथ लिक्षित दर्शकों (लिक्षित दर्शकों) तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए पोस्ट, जीआईएफ, एनीमेशन और अन्य सामग्री बनाना।
- 5.2 नियमित आधार पर सामग्री (चित्रात्मक और प्रतिलिपि) का विकास, जो सरल लेकिन आकर्षक होना चाहिए। संदेश को सरल लेकिन प्रभावी तरीके से संप्रेषित करने के लिए पोस्ट को रचनात्मक रूप से विकसित किया जाना चाहिए। प्रासंगिक पाठ, चित्र, ऑडियो, अद्वितीय / संवादात्मक सामग्री, साक्षात्कार, समाचार, प्रश्लोत्तरी आदि के रूप में दैनिक सूचनात्मक और प्रचार अपडेट पोस्ट किए जाएंगे।
- 5.3 उपयुक्त लोगों/संगठनों/विचारों को टैग करने के साथ उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट अपलोड करना जहां ब्यूरो मौजूद है। पोस्ट को विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के चरित्र को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाना चाहिए। सभी संबंधित और उपयुक्त लोगों, संगठनों, मंत्रालयों और अन्य संबंधित निकायों को प्रभावी पहुंच के लिए पोस्ट में टैग किया जाना चाहिए।
- 5.4 अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पहचान करना, यदि कोई हो, जो ब्यूरो की ब्रांड छिव को बढ़ाता है और मदद करता है, संदेश प्रभाव को पूरी तरह से लक्षित दर्शकों तक पहुंचाता है।
- 5.5 प्रासंगिक ब्लॉग सामग्री का निर्माण
- 5.6 बीआईएस के परामर्श से प्रासंगिक प्लेटफार्मी पर ऑनलाइन सर्वेक्षण, प्रश्नोत्तरी, प्रतियोगिता आयोजित करके उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़ें।
- 5.7 सोशल मीडिया पर विचारों, पसंदों, अनुयायियों, सदस्यताओं, समग्र दृश्यता में वृद्धि
- 5.8 उपयुक्त हैशटैग की पहचान करना और उनका विकास करना। सोशल मीडिया पर ब्यूरो की उपस्थिति बढ़ाने के लिए मौजूदा लोकप्रिय हैशटैग का उचित उपयोग।
- 5.9 एजेंसी को फेसबुक लाइव/लाइव वेबकास्टिंग आदि के माध्यम से बीआईएस के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/कार्यक्रमों को लाइव कवर करना चाहिए
- 5.10 बीआईएस में कर्मियों को प्रशिक्षण, कौशल-उन्नयन और क्षमता निर्माण प्रदान करना ताकि उन्हें सोशल मीडिया प्रबंधन और कंटैंट सपोर्ट के लिए सुविधा प्रदान करने और सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया जा सके।

5.2 प्रतिक्रिया प्रबंधन

- (क) ब्यूरों के सोशल मीडिया हैंडल के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र का विकास। ब्यूरों के अनुमोदन से प्राप्त टिप्पणियों/प्रश्नों/शिकायतों को उत्तर देना। टिप्पणियों/प्रश्नों/शिकायतों को तुरंत संबोधित/जवाब देने के लिए तंत्र मौजूद होना चाहिए।
- (ख) संकट और आपात स्थितियों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए एक विश्वसनीय आकस्मिक योजना होनी चाहिए।

5.3 भाव विश्लेषण

(क) एजेंसी को उन संदर्भों का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और/या अन्य डिजिटल मीडिया की नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए जिनमें बीआईएस समाचार में है। सोशल मीडिया प्रबंधन टीम द्वारा सोशल मीडिया पर कहीं भी बीआईएस या इसकी गतिविधियों के बारे में क्या कहा जा रहा है, यह तुरंत जानने के लिए एक तंत्र अपनाया जाना चाहिए। यदि कोई चिंता है तो तत्काल समाधान के लिए एक तंत्र होना चाहिए।

5.4 क्रएटिव डिजाइनिंग और पुनः पैकेजिंगः

- (क) रचनात्मक सामग्री निर्माण, सामग्री को फिर से बनाना या परिवर्तित करना और उपलब्ध सामग्री को पुन: पैकेज करना। सामग्री बीआईएस योजनाओं और कार्यक्रमों और नीतियों आदि के आधार पर ग्राफिक्स, कार्टून, स्मार्टर्ट, एनिमेशन, स्टोरीबोर्ड इत्यादि जैसे विभिन्न रूपों में हो सकती है।

 (ख) उपयुक्त प्रारूपों (वीडियो पैकेज और अन्य) में सामग्री (वीडियो और फोटो) की पुन: पैकेजिंग

 (ग) विभिन्न सोशन मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टिवटर फेसबक और यटयब आदि पर पैक की गई और
- (ग) विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब आदि पर पैक की गई और रचनात्मक सामग्री को अपलोड करना।
- (घ) बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के किसी भी उल्लंघन के बिना।
- (न) इस तरह की गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता लेखन कौशल
- 5.5 इंटरनेट और सोशल मीडिया साइटों पर सामग्री की पहुंच बढ़ाना:
- (ए) एजेंसी भुगतान/गैर-भुगतान के माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदेशों और सरकार की अन्य योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होगी ताकि सामग्री वास्तविक समय के आधार पर इंटरनेट डोमेन पर अंतिम मील तक पहुंच सके। एजेंसी के पास विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री की पहुंच को बढ़ाने और सामग्री को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देने की क्षमता होनी चाहिए।
- (बी) एजेंसी को वास्तविक समय के आधार पर सामग्री की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए दिलचस्प और अभिनव सामग्री, अभियानों, प्रतियोगिताओं को विकसित करने में सक्षम होना चाहिए।
- 5.6 सामग्री का भंडारण और प्रस्तुत करना:

- (क) डिजिटल प्रारूपों में संग्रह के उद्देश्य से कच्चे फुटेज/सामग्री और संसाधित सामग्री (वीडियो पैकेज) इत्यादि का भंडारण, और हर तिमाही में आसानी से बनाए रखने योग्य प्रारूप में बीआईएस को इसे जमा करना।
- (ख) संग्रह सामग्री की उपलब्धता कम से कम 180 दिनों के लिए होनी चाहिए।

5.7 निगरानी

बीआईएस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की चौबीसों घंटे निगरानी, उनके अद्यतन, विश्लेषण, मॉडरेशन और जब भी आवश्यक हो हस्तक्षेप करना ।

कार्य का दायरा और नियत समय-सीमा निम्नानुसार है:

क्रमांक	मद का विवरण	प्रति वर्ष सांकेतिक मात्रा	समयसीमा
1.	विस्तृत जनसंपर्क और संचार रणनीति	01	ब्रीफिंग से 4 सप्ताह
2.	ब्रांड मैनुअल	01	पीआर एंड संचार रणनीति जमा करने के 2 सप्ताह बाद।
	प्रिंट के लिए क्रिएटिव		
	समाचार पत्र	विज्ञापन	
3.	स्ट्रिप विज्ञापन	2	चार दिन
	तिमाही पृष्ठ विज्ञापन	4-6	चार दिन
	आधा पृष्ठ विज्ञापन	4-6	चार दिन
4.	प्रेस विज्ञप्ति (1-2 पृष्ठ) लेखन/अनुवाद	80	एक ही दिन
	रेडियो के लिए क्रिएटिव		
5.	रेडियो स्पॉट (30 सेकंड) - बीआईएस जेनेरिक	2	3 सप्ताह

	रेडियो स्पॉट (30 सेकंड) - विशिष्ट विषय	6	3 सप्ताह	
	रेडियो स्पॉट का भाषा संस्करण (8X10 भाषा	80	2 सप्ताह	
	क्रिएटिव (एचडी)			
	टेलीविज़न कमर्शियल (30 सेकंड)	6	4 सप्ताह	
	क. टीवीसी का छोटा संस्करण (15/20 सेकंड)	6	1 सप्ताह	
	ख. कॉर्पोरेट फिल्म + अन्य विषय (5-10 मिनट)	5	4 सप्ताह	
6.	ग. फिल्मों की डबिंग (बिंदु ख) [5X10 भाषाएं]	50	2 सप्ताह	
	ख . टीवीसी के लिए वीडियो की डबिंग (6X10 भाषा)	60	2 सप्ताह	
	न । अन्य फिल्में			
	10-15 मिनट की अवधि)	5	4 सप्ताह	
	15-30 मिनट की अवधि	5	6 सप्ताह	
	डिजिटल फिल्मों के	। लिए क्रिएटिव		
	(वर्ष भर में प्रत्येक तिमाही में समान रूप से विभाजित की जाने			
	प्रचार अभियान फिल्म - साक्षात्कार प्रमुख (2-6 मिनट की अवधि)	12	1 सप्ताह	
7.	घटना और अन्य सूचना आधारित वीडियो आदि (2-6 मिनट की अविध)	12	2 सप्ताह	
	2डी एनिमेशन फिल्म (2-3 मिनट की अवधि)	5	2 सप्ताह	
	3डी एनिमेशन फिल्म (30 सेकंड से 2 मिनट)	4	2 सप्ताह	
	न्यू मीडिया/सोशल मीडिन	या के लिए क्रिएटिव		
8.	क) मूलपाठ	180	दो दिन	

	ख)स्थिर		
	ग) जीआईएफ (5 सेकंड)		
	फेसबुक लाइव / पेरिस्कोप / लाइव ट्विटर	15	एक ही दिन
	चैट / क्यू एंड ए / गूगल हैंगआउट / वेबिनार		
	प्रभावशाली लोगों/विचारकों/हितधारकों के	24	1 सप्ताह
	ब्लॉग		
	ब्लॉग (एक महीने में 800 शब्दों के 3 ब्लॉग)	36	1 सप्ताह
		HTML5 विज्ञापन-	1 सप्ताह
	मोबाइल विज्ञापन	30	
	,	स्टेटिक विज्ञापन-	
		30	
	फेसबुक , इंस्टाग्राम , लिंक्डइन आदि) के	10 लाख	12 महीने
	सोशल मीडिया खातों पर बीआईएस के		
	अनुयायियों / ग्राहकों की संख्या में वृद्धि।		
	भुगतान किया गया सोशल मीडिया	5 अभियान	2 सप्ताह
	अभियान योजना और निष्पादन		
	बाहरी मीडिया के लिए	! क्रिएटिव (OOH)	
9.	अभियान (योजना और क्रिएटिव का	6	1 सप्ताह
	विकास)		
	मेरचनडाइस (ब्रांडिंग)		
	एस्पिरेशनल मर्चेंडाइज (1 वर्ष की अवधि में)	प्रत्येक को 1	2 सप्ताह
	जैसे नोटपैड, लेटरहेड, मग, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी,		
10.	पेन, पेन-ड्राइव, फोल्डर, बैग, स्मृति चिन्ह		
	आदि के लिए क्रिएटिव ।		
	वस्तुओं की खरीद ब्यूरो द्वारा की जाएगी,		
	एजेंसी को केवल डिजाइन करना है।		
	वुकलेट/साहित्य हि	डेजाइनिंग	
	कॉफी टेबल		
11.		1	6 सप्ताह

डिजाइनिंग, संपादन, पुन: प्रारूपण,		
प्रूफरीडिंग, प्रिंटिंग		
ई-बुक	2	3 सप्ताह
एचडी प्रारूप (जिसे बाद में बुकलेट के रूप		
में मुद्रित किया जा सकता है) और ई-बुक		
के रूप में उपयुक्त प्रारूप		
पृष्ठों की संख्या: 200 से 400		
पुराने उपलब्ध चित्रों के उन्नयन के साथ एचडी चित्र		
लेआउट डिजाइनिंग, प्रूफ रीडिंग, पुनर्लेखन, यदि आवश्यक हो तो		
ईबुक को ब्यूरो की वेबसाइट पर अपलोड करने की सुविधा		
भाषाः हिंदी और अंग्रेजी (अंग्रेजी और हिंदी में सामग्री प्रदान की जाएगी)।		
पृष्ठवार प्रदर्शन, पृष्ठ कर्ल प्रभाव और ध्वनि प्रभाव के साथ फ़्लिपिंग		
बैक एंड में अपडेट होने में सक्षम		
सभी पृष्ठों पर प्रदर्शित होने के लिए होम पर जाएं बटन		
पाठ आकार में वृद्धि और कमी।		
पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करने योग्य।		
पॉकेट बुकलेट	6	4 सप्ताह
10 से 20 पृष्ठ - A6 आकार		
प्रतिवेदन	5	1 सप्ताह
रिपोर्ट डिजाइनिंग, संपादन, पुन: प्रारूपण,		
प्रूफरीडिंग, प्रिंटिंग		
भाषा अंग्रेजी + हिंदी		
•		

	कलेनदर	1	6 सप्ताह
	पेज: 12+2 (महीने में एक पेज और कवर +		
	छुट्टियों की सूची)		
	डायरी	1	6 सप्ताह
	लगभग २४० पृष्ठ (१२० लीफ)		
	विभाजक पृष्ठ: 12		
	ब्रोशर -	6	4 सप्ताह
	आकार भिन्न हो सकते हैं		
12.	बैनर डिजाइनिंग	60	1-2 दिन
	मीडिया स्कैनिंग और रिपोर्टिंग (मीडिया में		साप्ताहिक रिपोर्ट
13.	बीआईएस के लिए मीडिया की		(कुछ भी
13.	प्रासंगिक/कवरेज का संकलन)।		तत्काल सूचित
			किया जाए)

नोट 1: उल्लिखित सभी डिलिवरेबल्स वांछनीय नहीं हो सकते हैं। सूची संभावित डिलिवरेबल्स का संकेत है जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पन्न हो सकती है।

नोट 2: यदि सोशल मीडिया प्रबंधन के लिए आवश्यक छवियों के अलावा, किसी भी क्रिएटिव के लिए छवियों को खरीदना आवश्यक है, तो छवियों को खरीदने के लिए, ब्यूरो के अनुमोदन पर, वास्तविक बिल के अनुसार भुगतान किया जाएगा (एजेंसी द्वारा विधिवत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा) एजेंसी के बिल के साथ)

नोट 3: किसी भी क्रिएटिव के आकार/लेआउट/आयाम बदलने के लिए कोई अतिरिक्त अनुकूलन शुल्क नहीं दिया जाएगा।

सी. डिलिवरेबल्स जमा करनाः

सी .1 एजेंसी को उपयुक्त प्रारूपों में आवश्यक संख्या में वेरिएंट में अंतिम डिलिवरेबल्स जमा करने की आवश्यकता है (उदाहरण के लिए सभी वीडियो-आधारित डिलिवरेबल्स एचडी प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए) और ये डिलिवरेबल्स कॉपीराइट के साथ ब्यूरो की संपत्ति रहेंगे और आरएफपी के तहत इच्छित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

सी.2एजेंसी को ब्यूरो को ड्राफ्ट की एक प्रस्तुति देने और अंतिम डिलिवरेबल्स में सुझावों को शामिल करने की भी आवश्यकता होगी।

सी .3 अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद ब्रीफिंग से चार (4) सप्ताह में संचार रणनीति प्रस्तुत की जानी है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा वांछित होने पर ही संचार रणनीति प्रस्तुत करने के 2 सप्ताह के भीतर ब्रांड मैनुअल प्रस्तुत किया जाना है।

सी .4 अभियान के प्रदर्शन और प्रभाव की एक मासिक रिपोर्ट के साथ-साथ विशेष महीने की मीडिया निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और एजेंसी द्वारा अगले महीने के पहले सप्ताह में प्रस्तुत की जाएगी।

भाग 2: टीओआर संबंधित जानकारी

- 1 जिन शर्तों के तहत यह आरएफपी जारी किया गया है
 - 1.1 बीआईएस प्रस्तावों को प्राप्त करने में किसी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस आरएफक्यू-कम-आरएफपी का मुद्दा यह संकेत नहीं करता है कि बीआईएस सेवाओं के लिए एक आवेदक का चयन करने या चयनित आवेदक की नियुक्ति के लिए(जैसा भी मामला हो)बाध्य है और बीआईएस किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताए आरएफपी दस्तावेज के जवाब में प्रस्तुत किए गयेकिसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बीआईएस के पास आरएफपी आवेदन जमा करने वाले सभी को सूचित कर किसी भी स्तर पर प्रक्रिया को रोकने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है।
 - 1.2 एजेंसी को बीआईएस द्वारा प्रदान किया गया डेटा गोपनीय प्रकृति काहै। एजेंसी को बीआईएस की अनुमित के बिना डेटा साझा नहीं करना चाहिए। तकनीकी प्रस्ताव के साथ परामर्शदाता द्वारा तीसरे पक्ष को गोपनीय डेटा के गैर-साझाकरण / सूचना न देने के संबंध में एक प्रमाणपत्र देना होगा।
 - 1.3 बीआईएस के पास इस आरएफपी दस्तावेज़ के किसी भी या सभी प्रावधानों को बदलने / अंशशोधित / संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है। पुनरीक्षित आरएफक्यू-सह-आरएफपी / संशोधित आरएफक्यू-सह-आरएफपी में इस तरह के संशोधन बीआईएस और सीपीपी पोर्टल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
 - 1.4 बीआईएस की अपेक्षा है कि आवेदक बीआईएस के हित को सर्वोपिर रखें,दूसरे असाइनमेंट और अपने हितों के संघर्ष से बचें, और भविष्य में काम मिलनेकी बिना चिंता किए कार्य करें।आवेदक किसी भी ऐसे असाइनमेंट को स्वीकार न करे या उसमें

संलग्न नहीं हो जो इसे बीआईएस और परियोजना के सर्वोत्तम हितों में असाइनमेंट करने में असक्षम बनाए।

- 1.5 बोलीदाता अपने प्रस्तावों को तैयार करने और जमा करने, चयन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी, और प्रस्तुति, वितरण शुल्क, किसी भी प्रदर्शन या जो कि बीआईएस को आवश्यक हो ऐसीप्रस्तुतियों से जुड़े खर्चों औरइसके प्रस्ताव के संबंध में या उससे संबंधित अन्य लागतों का स्वंय वहन करेगा।
- 1.6 यह बीआईएस की नीति है कि बोलीदाता चयन प्रक्रिया और कार्य / असाइनमेंट के निष्पादन के दौरान उच्च नैतिकता का पालन करे। इस नीति के अनुसरण में, बीआईएस:
 - (i) प्रस्ताव को अस्वीकार करदेगा यदि वह ऐसा पाता है कि आवेदक कार्य आदेश को पूर्ण करने में भ्रष्ट या धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल है;
 - (ii) ,, अगर यह पाया जाता है कि किसी भी समय आवेदक काम के आदेश को क्रियान्वित करने में या पूर्ण करने में भ्रष्ट अथवा जालसाजी वाले कार्य में लगा हुआ है तो किसी भी अनुबंध या कार्य आदेश के लिएआवेदक को अयोग्य घोषित करेंगे या तो अनिश्वित काल या समय की एक घोषित अविध के लिए।
- 2. किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार
 - 2.1 इस आरएफपी में निहित कुछ भी होने के बावजूद, बीआईएस किसी भी प्रस्ताव या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने और चयन प्रक्रिया को रद्द करने और किसी भी समय किसी भी प्रस्ताव को बिना उत्तरदायित्व केअस्वीकृत या रद्द करने और कारण बताए बिना सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, ।
 - 2.2 उपर्युक्त की सामान्यता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बीआईएस किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि:
 - क) अगरिकसी भी समय कोईठोस गलत प्रस्तुती की जाती है या पायी जाती है, या
 - ख) आवेदक बीआईएस द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर, प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए बीआईएस को अनुपूरक जानकारी प्रदान नहीं करता है।
 - 2.3 आवेदक द्वारा इस तरह की गलत प्रस्तुती / अनुचित प्रतिक्रिया आवेदक की अयोग्यता का कारण बन सकती है। यदि प्रस्तावों को खोले जाने के बाद इस तरह के अयोग्यता / अस्वीकृति होती है और उच्चतम रैंकिंग वाले आवेदक को अयोग्य पाया / अस्वीकार कर दिया जाता है, तो बीआईएस के पास अगले सर्वश्रेष्ठ आवेदक पर विचार करने का अधिकार सुरक्षित होगा, या फिरचयन प्रक्रिया को रद्द करने सिहत किसी अन्य उपाय को बीआईएस के विवेकाधिकार के अनुसार उपयुक्त समझा जा सकता है।

- 3. निबंधन समझौते की अभिस्विकृति
- 3.1 प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण से यह समझा जाएगा कि आवेदक के पास निम्नलिखित है:
 - क) आरएफपी की पूरी तरह से एवं सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है;
 - ख) बीआईएस से किए गए अनुरोध से सभी संबद्ध सूचनाएँ प्राप्त;
 - ग) आरएफक्यू-सह-आरएफपी में उपलब्धकराई गई सूचना या बीआईएसकी ओर से भेजी गई सूचना में अपर्याप्तता, त्रुटि या गलती के जोखिम स्वीकार्य;
 - घ) उक्त में दर्शाई गई सामग्री, सूचित आवेदन पत्र में प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक एवं अपेक्षित तथा इसके तहत इसकी देयताओं के सभी कार्यनिष्पादन की सामग्रियों सहित सभी सामग्रियों, चीजों और सूचना के बारे में स्वयं की संतुष्टि;
 - ड़) पावती कि इसमें हितों का कोई टकराव नहीं है; एवं
 - च) वचन पत्र द्वारा बाध्य होने के लिए सहमत होना कि इसके और इसकी शर्तों के अधीन है।
- 3.2 बीआईएस एवं/या इसके सलाहकार/परामर्शदाता बीआईएस एवं/या इसके परामर्शी द्वारा दिए गए इसके किसी भी प्रकार की गलती या त्रुटि या किसी प्रकार की सूचना या डाटा सहित उक्त के किसी संबंध में आवेदक के भाग पर किसी चूक, गलती या त्रुटिया किसी सामग्री से संबद्ध या आरएफपी चयन प्रक्रिया से उपजी वस्तु या संबद्ध से संबंधित किसी चूक, गलती या चूक के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

4. विवादों का निपटारा

4.1 इस आरएफपी, या किसी भी खंड की व्याख्या या दोनों पक्षों के अधिकारों, दायित्वों, देनदारियों के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में, इसे भारतीय मानक ब्यूरो, महानिदेशक द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित किया जाएगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता और समझौता अधिनियम, 2015 के प्रावधान लागू होंगे।

5. पात्रता मापदंड:

बोली लगाने वाले को बोली जमा करने की तिथि पर निम्नलिखित सभी पात्रता मानदंडों को स्वतंत्र रूप से पूरा करना होगा। न्यूनतम योग्यता मानदंड को पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों पर बोली के तकनीकी मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। संघ के मामले में, पात्रता मानदंड को संघ के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से पूरा किया जाना चाहिए। हालांकि, लीड पार्टनर को टर्नओवर और अनुभव मानदंड के कम से कम 50% को पूरा करना चाहिए। इसके अलावा, अन्य सदस्यों को भी टर्नओवर और अनुभव मानदंड के कम से कम 25% को पूरा करना चाहिए।

क्रम	मानदंड	पूर्व योग्यता मानदंड विवरण	प्रस्तुत करने के लिए सहायक
सं.			दस्तावेज
1	कानूनी इकाई	बोलीदाता निम्न होना चाहिए • कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में शामिल एक कंपनी और उसके बाद के संशोधन या एलएलपी अधिनियम, 2008 / भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत साझेदारी फर्म • माल और सेवा कर प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत हो • भारत में 31 दिसंबर 2021 तक पिछले चार (4) वर्षों के लिए परिचालन कर रहा हो।	समाविष्टी / साझेदारी कार्यप्रमाण पत्र की प्रति जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकरण की प्रति पैन कार्ड की प्रति
2	टर्नओवर	बोलीदाता के पास होना चाहिए मीडिया संचार सेवाओं / क्रिएटिव सेवाओं / प्रोमोशनल सेवाओं में से पिछले 3 वितीय वर्षों (वित्त वर्ष , 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20) में 25 करोड़ रुपये का टर्नओवर हो इस मानदंड के प्रयोजन के लिए, केवल बोली लगाने वाली इकाई का टर्नओवरमाना जाएगा। किसी भी संबंधित अर्थातमाता-पिता, सहायक, या अन्य संबंधित इकाई का टर्नओवर नहीं माना जाएगा। एमएसई के लिए, पिछले 4 वितीय वर्षों में औसत टर्नओवर 20 करोड़ रुपये से कम नहीं हो, जैसा कि ऊपर बताया गया	(कुल और मीडिया संचार सेवाओं/रचनात्मक सेवाओं/प्रचार सेवाओं दोनों
		18	

3.	कम से कम	बोलीदाता को प्रिंट, टीवी, रेडियो,	प्रत्येक कार्य के लिए प्राधिकृत
	2 विशिष्ट	ऑनलाइन, आउटडोर, आदि, और डिजिटल	हस्ताक्षरकर्ता से कार्य आदेश
	सरकारी	मीडिया (सोशल मीडिया, इंटरनेट	और सेवा समझौते और स्व-
	निकायों /	मार्केटिंग, ब्लॉग इत्यादि सहित विभिन्न	प्रमाण पत्र का विवरण
	पीएसयू	मीडिया के लिए क्रिएटिव / विज्ञापनों	
	ग्राहकों के	के डिजाइन / उत्पादन) को कवर करने के	
	ਕਿए 360	360 डिग्री अभियान को संभालने का	
	डिग्री	अनुभव होना चाहिए पिछले 4 वर्षों में कम	
	अभियान	से कम 2 अलग सरकारी निकायों /	
	संभालने का	पीएसयू के ग्राहकों के लिए।	
	अनुभव		
4.	एनसीआर में	बोलीदाता के पास दिल्ली एनसीआर के	एनसीआर में कार्यालयों के
	उपस्थिति	बाहर के प्रमुख कर्मियों की कोर टीम	पतोंका स्व-प्रमाण पत्र
		होनी चाहिए, और जिसमें रचनात्मक /	
		कार्यनीति / सर्विसिंग / मीडिया / डिजिटल	
		इत्यादि शामिल हो।	
5.	भौगोलिक	भारत में कम से कम ४ राज्यों मेंबोलीदाता	स्व-प्रमाण पत्र जिसमें ऐसे
	0 0	की उपस्थिति होनी चाहिए,वरीय रुप से	
	उपस्थिति	था उपास्थात हाना वाहिए,वराय रूप स	कायालया का पता हा
	उपस्थिति	मुंबई में हो।	कायालया का पता हा
6.	उपस्थिति सामान्य		
6.		मुंबई में हो।	प्रपत्र 3एम के रूप में दिए गए
6.	सामान्य	मुंबई में हो। ऐसे देशों के कोई भी बोलीदाता जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, केवल	प्रपत्र 3एम के रूप में दिए गए प्रारूप में पत्र शीर्ष पर सामान्य
6.	सामान्य वितीय	मुंबई में हो। ऐसे देशों के कोई भी बोलीदाता जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, केवल	प्रपत्र 3एम के रूप में दिए गए प्रारूप में पत्र शीर्ष पर सामान्य
6.	सामान्य वितीय नियमावली के	मुंबई में हो। ऐसे देशों के कोई भी बोलीदाता जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, केवल तभी बोली लगाने के पात्र होंगे जब बोलीदाता भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट	प्रपत्र 3एम के रूप में दिए गए प्रारूप में पत्र शीर्ष पर सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 144
6.	सामान्य वितीय नियमावली के नियम	मुंबई में हो। ऐसे देशों के कोई भी बोलीदाता जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, केवल तभी बोली लगाने के पात्र होंगे जब बोलीदाता भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट	प्रपत्र 3एम के रूप में दिए गए प्रारूप में पत्र शीर्ष पर सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 144 (xi) के अनुपालन की पृष्टि
6.	सामान्य वितीय नियमावली के नियम 144(xi) का	मुंबई में हो। ऐसे देशों के कोई भी बोलीदाता जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, केवल तभी बोली लगाने के पात्र होंगे जब बोलीदाता भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट	प्रपत्र 3एम के रूप में दिए गए प्रारूप में पत्र शीर्ष पर सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 144 (xi) के अनुपालन की पृष्टि
6.	सामान्य वितीय नियमावली के नियम 144(xi) का अनुपालन एवं	मुंबई में हो। ऐसे देशों के कोई भी बोलीदाता जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, केवल तभी बोली लगाने के पात्र होंगे जब बोलीदाता भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हो। बोलीदाताओं को अपनी पात्रता के बारे में	प्रपत्र 3एम के रूप में दिए गए प्रारूप में पत्र शीर्ष पर सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 144 (xi) के अनुपालन की पृष्टि
6.	सामान्य वितीय नियमावली के नियम 144(xi) का अनुपालन एवं उसके अधीन	मुंबई में हो। ऐसे देशों के कोई भी बोलीदाता जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, केवल तभी बोली लगाने के पात्र होंगे जब बोलीदाता भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हो।	प्रपत्र 3एम के रूप में दिए गए प्रारूप में पत्र शीर्ष पर सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 144 (xi) के अनुपालन की पृष्टि
6.	सामान्य वितीय नियमावली के नियम 144(xi) का अनुपालन एवं उसके अधीन	मुंबई में हो। ऐसे देशों के कोई भी बोलीदाता जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, केवल तभी बोली लगाने के पात्र होंगे जब बोलीदाता भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हो। बोलीदाताओं को अपनी पात्रता के बारे में सुनिश्चित करने के लिए जीएफआर के नियम 144 (xi) और उसके तहत जारी	प्रपत्र 3एम के रूप में दिए गए प्रारूप में पत्र शीर्ष पर सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 144 (xi) के अनुपालन की पृष्टि
6.	सामान्य वितीय नियमावली के नियम 144(xi) का अनुपालन एवं उसके अधीन	मुंबई में हो। ऐसे देशों के कोई भी बोलीदाता जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, केवल तभी बोली लगाने के पात्र होंगे जब बोलीदाता भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हो। बोलीदाताओं को अपनी पात्रता के बारे में सुनिश्वित करने के लिए जीएफआर के	प्रपत्र 3एम के रूप में दिए गए प्रारूप में पत्र शीर्ष पर सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 144 (xi) के अनुपालन की पृष्टि
6.	सामान्य वितीय नियमावली के नियम 144(xi) का अनुपालन एवं उसके अधीन	मुंबई में हो। ऐसे देशों के कोई भी बोलीदाता जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, केवल तभी बोली लगाने के पात्र होंगे जब बोलीदाता भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हो। बोलीदाताओं को अपनी पात्रता के बारे में सुनिश्चित करने के लिए जीएफआर के नियम 144 (xi) और उसके तहत जारी आदेशों की जांच करनी चाहिए। यदि बोलीदाता ऐसे देश से है, तो उपरोक्त	प्रपत्र 3एम के रूप में दिए गए प्रारूप में पत्र शीर्ष पर सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 144 (xi) के अनुपालन की पृष्टि
6.	सामान्य वितीय नियमावली के नियम 144(xi) का अनुपालन एवं उसके अधीन	मुंबई में हो। ऐसे देशों के कोई भी बोलीदाता जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, केवल तभी बोली लगाने के पात्र होंगे जब बोलीदाता भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हो। बोलीदाताओं को अपनी पात्रता के बारे में सुनिश्चित करने के लिए जीएफआर के नियम 144 (xi) और उसके तहत जारी आदेशों की जांच करनी चाहिए। यदि बोलीदाता ऐसे देश से है, तो उपरोक्त प्रमाण पत्र के साथ वैध पंजीकरण का	प्रपत्र 3एम के रूप में दिए गए प्रारूप में पत्र शीर्ष पर सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 144 (xi) के अनुपालन की पृष्टि
6.	सामान्य वितीय नियमावली के नियम 144(xi) का अनुपालन एवं उसके अधीन	मुंबई में हो। ऐसे देशों के कोई भी बोलीदाता जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, केवल तभी बोली लगाने के पात्र होंगे जब बोलीदाता भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हो। बोलीदाताओं को अपनी पात्रता के बारे में सुनिश्चित करने के लिए जीएफआर के नियम 144 (xi) और उसके तहत जारी आदेशों की जांच करनी चाहिए। यदि बोलीदाता ऐसे देश से है, तो उपरोक्त	प्रपत्र 3एम के रूप में दिए गए प्रारूप में पत्र शीर्ष पर सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 144 (xi) के अनुपालन की पृष्टि

7.	'मेक	इन
	इंडिया'	को
	प्राथमिक	ता

सार्वजनिक खरीद आदेश ('मेक इन इंडिया' को वरीयता) में परिभाषित केवल श्रेणी I और वर्ग II के स्थानीय आपूर्तिकर्ता बोली के लिए पात्र होंगे और गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता बोली लगाने के लिए पात्र नहीं होंगे। अद्यतन नियम स्थिति से अवगत होने के लिए बोलीदाताओं को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), भारत सरकार की वेबसाइट पर जाना चाहिए।

सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 (नवीनतम आदेश दिनांक 16.09.2020*) के पैरा 9 (ए) के अनुसार प्रमाण पत्र।

न्यूनतम स्थानीय सामग्री - किसी आपूर्तिकर्ता को श्रेणी-1 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 'स्थानीय सामग्री' की आवश्यकता न्यूनतम 50% है। द्वितीय श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के लिए, न्यूनतम 'स्थानीय सामग्री' की आवश्यकता 20% है।

*लिंक

https://dipp.gov.in/sites/default/files/PPP%20MII%20Order%20dated%2016%2009%202020 .pdf पर पाया जा सकता है.

- 5.2 एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी तकनीकी दस्तावेजों (पात्रता मानदंड) को एक अलग सामग्री शीट के साथ उचित रूप से पृष्ठांकित किया जाना चाहिए जो प्रस्तुत किए गए प्रत्येक दस्तावेज़ के लिए पृष्ठांकन दर्शाता है।
- 5.3बिना आवश्यक/प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों और उचित पेजिनेशन के बिना बोली/प्रस्ताव को अमान्य माना जाएगा।
- 5.4 ऊपर उल्लिखित मानदंड प्रारंभिक जांच का गठन करेंगे और इसका अनुपालन करने वाले बोलीदाता तकनीकी मूल्यांकन के लिए पात्र होंगे।
- 5.5 यदि कोई बोलीदाता अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की तकनीकी स्वीकार्यता के बारे में गलत या भ्रामक डेटा, विवरण आदि प्रस्तुत करता है, तो इस संबंध में ब्यूरो उपलब्ध अन्य उपाय करने के अलावा उसकी बोली को अनदेखा और अस्वीकार कर सकता है।

6. तकनीकी प्रस्ताव की विषयवस्तु

बोलीदाता की क्षमता को उजागर करने के लिए संदर्भ की शर्तों, विस्तृत दृष्टिकोण और पद्धति और किसी अन्य जानकारी पर विचार करतेहुए तकनीकी प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए।

तकनीकी प्रस्ताव विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए अर्थात फॉर्म 3ई से फॉर्म 31 में आरएफपी की धारा 3 यानी तकनीकी प्रस्ताव-मानक फॉर्म और अन्य उपक्रम शामिल हैं। दस्तावेजों को अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, जो प्राधिकरण पत्र के साथ हस्ताक्षर करने की क्षमता रखता है।

- 7. तकनीकी प्रस्ताव के साथ योग्यता के समर्थन में स्वयं प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे
- क) आरएफपी की धारा 3 के फॉर्म 3ई से फॉर्म 3आई में दिए गए विधिवत भरे हुए प्रारूप ख) अनुबंध/कार्य आदेशों की प्रति के साथ-साथ पूर्ण किए गए पिछले असाइनमेंट का विवरण, क्लाइंट, असाइनमेंट का मूल्य/प्रोजेक्ट के उपयोग में आनुपातिक मूल्य/प्रक्रिया की तारीख और प्रदान के वर्ष में असाइनमेंट का विवरण।
- ग) अलग-अलग दर्नओवर (कुल और मीडिया संचार सेवाओं / रचनात्मक सेवाओं / प्रचार सेवाओं से दोनों) को प्रमाणित करने वाले सीए / सीएमए से प्रमाण पत्र।
- घ) डिज़ाइन किए गए प्रचार विपणन संपार्श्विक, लोगो, ब्रोशर, न्यूज़लेटर्स, फ़्लायर्स, वेब पेज, बैनर और होर्डिंग्स आदि का नमूना।
- ण) केंद्र/राज्य सरकार के कार्यक्रमों के लिए विकसित टीवीसी, रेडियो विज्ञापनों, प्रिंट विज्ञापनों का विवरण। नमूने वेब लिंक के रूप में साझा किए जा सकते हैं।
- च) डिज़ाइन किए गए प्रचार विपणन संपार्श्विक, लोगो, ब्रोशर, न्यूज़लेटर्स, फ़्लायर्स, वेब पेज, बैनर और होर्डिंग्स आदि का नमूना (प्रतिस्पर्धी 360-डिग्री मीडिया और रचनात्मक कार्य वाली परियोजनाओं पर पर्याप्त सहायक दस्तावेज़ के साथ मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा)
- छ) पिछले 4 वर्षों में अपने रचनात्मक कार्यों के लिए बोली लगाने वाले द्वारा जीते गए राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त पुरस्कारों का विवरण।
- ज) तीसरे पक्ष के साथ गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने/साझा करने के संबंध में एक प्रमाण पत्र।
- च) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित कंपनी के लेटर हेड पर भारत में किसी भी केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा बोलीदाता को काली सूची में नहीं डाला गया है, इस आशय का स्व-प्रमाण पत्र।
- छ) स्व-प्रमाण पत्र इस आशय का प्रमाण पत्र कि बोलीदाता को बीआईएस द्वारा पहले कभी दंडित नहीं किया गया है। (फॉर्म 3ए का हिस्सा)।

ज) आरएफपी की धारा 6 में दिए गए अनुसार सत्यनिष्ठा समझौता

8. प्रस्तृतिकरण

बोलीदाता को कंसल्टेंसी मूल्यांकन समिति (सीईसी) के समक्ष अपनी प्रमाणपत्र और प्रस्तावित पद्धित और दृष्टिकोण की प्रस्तुति देनी होगी और प्रस्तुति की अवधि एक घंटे की होगी। प्रस्तुति की तारीख, समय और स्थान (या वर्चुअल प्रस्तुति के मामले में लिंक) को समय पर अधिसूचित किया जाएगा। समिति प्रस्तुति के आधार पर 40 अंकों (जैसा कि बिंदु 10.2 तालिका, बिंदु 3 में विस्तृत है)के लिए बोली लगाने वाले का मूल्यांकन करेगी।

9. वित्तीय प्रस्ताव की विषयवस्त्

वित्तीय प्रस्ताव आरएफपी यानी वित्तीय प्रस्ताव-मानक फार्मों को धारा 4 के अनुसार सभी को विधिवत हस्ताक्षरित फार्मों के रूप में जमा किया जाना चाहिए। वित्तीय प्रस्ताव फार्मों में उद्धृत सभी राशी भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

10. प्रस्तावों का मूल्यांकन

- 10.1 बोली दस्तावेज में बोलीदाताओं के प्रस्तावों का मूल्यांकन आरएफपी में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार और इस आरएफपी में वर्णित योग्यता मानदंडों को अंगीकृत करके किया जाएगा। बोलीदाताओं को आरएफपी में निर्दिष्ट योग्यता मानदंडों के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। बीआईएस प्रस्ताव का मूल्यांकन करने और असाइनमेंट की प्रगति/समापन की निगरानी करने के लिए परामर्श मूल्यांकन समिति (सीईसी) का गठन करेगा।
- 10.2 प्रत्येक प्रस्ताव, जो पूर्व-अर्हता प्राप्त करता है, उसका मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा और उसे अंक दिये जाएंगे। यदि नीचे उल्लिखित स्कोरिंग मानदंडों के अनुसार 50 अंक से कम है, तो बोलीदाता वित्तीय मूल्यांकन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करेगा और बोलीदाता की वित्तीय बोली खोली नहीं जाएगी।

क्रम <u>.</u>	मानदंड	संख्या
सं.		
1	संगठनात्मक क्षमता और अनुभव	50
1 ক	मीडिया संचार सेवाओं / रचनात्मक सेवाओं / प्रचार सेवाओं से फर्म का सकल वार्षिक कारोबार (भारत में पिछले 3 वर्षों के राजस्व के औसत के रूप में) रू. 25 करोड़ कारोबार <रू. 30 करोड़: 2 अंक (एमएसई के लिए, टर्नओवर 20 से 30 करोड़ के बीच : 4 अंक) रू. 30 करोड़ कारोबार <रू. 35 करोड़: 4 अंक रू. 35 करोड़: 6 अंक रू. 40 करोड़ कारोबार <रू. 45 करोड़: 8 अंक	10
	टर्नओवर रु. ४५ करोड़ : १० अंक	10
1ख	डिज़ाइन किए गए प्रचार विपणन संपार्श्विक, लोगो, ब्रोशर, न्यूज़लेटर, फ्लायर, वेब	10
	पेज, बैनर और होर्डिंग इत्यादि का नमूना। (360 डिग्री मीडिया और रचनात्मक	
	कार्य को प्रतिस्पर्धा करने वाली परियोजनाओं को पर्याप्त सहायक दस्तावेज़ के	
	साथ मूल्यांकन के लिए योग्य माना जाएगा)	
	4 या अधिक उद्धरण = 10 अंक	
	3 उद्धरण और अधिक = 6 अंक	
	2 उद्धरण = 4 अंक	
	1 उद्धरण = 2 अंक	
	कोई उद्धरण नहीं = 0 अंक	
1ग	सोशल मीडिया प्रबंधन में अनुभव	10
	10 वर्ष या अधिक = 10 अंक	
	8-10 वर्ष = 8 अंक	
	6-8 वर्ष = 6 अंक	
	4-6 वर्ष = 4 अंक	
	2-4 वर्ष = 2 अंक	
	2 वर्ष से कम = 0 अंक	

1 ਬ	केंद्र/राज्य सरकार के कार्यक्रमों या गतिविधियों के लिए टीवीसी, रेडियो विज्ञापन, प्रिंट विज्ञापन विकसित करने का अनुभव (मूल्यांकन के लिए किसी भी घटना की रिकॉर्डिंग पर विचार नहीं किया जाएगा), 4 या अधिक उद्धरण = 10 अंक 3 उद्धरण = 6 अंक 2 उद्धरण = 4 अंक 1 उद्धरण = 2 अंक कोई उद्धरण नहीं = 0 अंक	10
15	पुरस्कार विजेता 360 डिग्री अभियान बोलीदाता को पिछले 4 वर्षों में अपने रचनात्मक कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पुरस्कार प्राप्त होना चाहिए। 5 या अधिक उद्धरणों के लिए पुरस्कार = 10 अंक 4 उद्धरणों के लिए पुरस्कार = 8 अंक 3 उद्धरणों के लिए पुरस्कार = 6 अंक 2 उद्धरणों के लिए पुरस्कार = 4 अंक 1 प्रशस्ति पत्र के लिए पुरस्कार = 2 अंक कोई उद्धरण नहीं = 0 अंक	10
2	असाइनमेंट (योग्यता और अनुभव) के लिए वर्तमान टीम का उपयुक्त अनुभव - कोर टीम और मूल्यांकन मानदंडों की न्यूनतम आवश्यकता का विवरण	10
	A	
2क	डिजाइन/मीडिया विशेषज्ञ	05
2क	18 साल अनुभव <10 साल - 2 अंक 10 साल अनुभव <12 साल - 3 अंक 12 साल अनुभव <15 साल - 4 अंक ≥15 साल का अनुभव- 5 अंक	05
2 क 2 ख	8 साल अनुभव <10 साल - 2 अंक 10 साल अनुभव <12 साल - 3 अंक 12 साल अनुभव <15 साल - 4 अंक ≥15 साल का अनुभव- 5 अंक सामग्री लेखक / कॉपीराइटर 5 साल अनुभव <7 साल - 2 अंक 7 साल अनुभव <9 साल - 3 अंक 9 साल अनुभव <12 साल - 4 अंक	10
	8 साल अनुभव <10 साल - 2 अंक 10 साल अनुभव <12 साल - 3 अंक 12 साल अनुभव <15 साल - 4 अंक ≥15 साल का अनुभव- 5 अंक सामग्री लेखक / कॉपीराइटर 5 साल अनुभव <7 साल - 2 अंक 7 साल अनुभव <9 साल - 3 अंक	
2 ख	8 साल अनुभव <10 साल - 2 अंक 10 साल अनुभव <12 साल - 3 अंक 12 साल अनुभव <15 साल - 4 अंक ≥15 साल का अनुभव- 5 अंक सामग्री लेखक / कॉपीराइटर 5 साल अनुभव <7 साल - 2 अंक 7 साल अनुभव <9 साल - 3 अंक 9 साल अनुभव <12 साल - 4 अंक 12 साल का अनुभव- 5 अंक हिष्टकोण और पद्धति (बोलीदाता द्वारा प्रस्तुतीकरण के आधार पर, जैसा कि बिंदु	10
2 অ 3	8 साल अनुभव <10 साल - 2 अंक 10 साल अनुभव <12 साल - 3 अंक 12 साल अनुभव <15 साल - 4 अंक ≥15 साल का अनुभव- 5 अंक सामग्री लेखक / कॉपीराइटर 5 साल अनुभव <7 साल - 2 अंक 7 साल अनुभव <9 साल - 3 अंक 9 साल अनुभव <12 साल - 4 अंक 12 साल का अनुभव- 5 अंक दिष्टकोण और पद्धति (बोलीदाता द्वारा प्रस्तुतीकरण के आधार पर, जैसा कि बिंदु 8 में बताया गया है)	10 40
2 অ 3 3 ক	8 साल अनुभव <10 साल - 2 अंक 10 साल अनुभव <12 साल - 3 अंक 12 साल अनुभव <15 साल - 4 अंक ≥15 साल का अनुभव- 5 अंक सामग्री लेखक / कॉपीराइटर 5 साल अनुभव <7 साल - 2 अंक 7 साल अनुभव <9 साल - 3 अंक 9 साल अनुभव <12 साल - 4 अंक 12 साल का अनुभव- 5 अंक दृष्टिकोण और पद्धति (बोलीदाता द्वारा प्रस्तुतीकरण के आधार पर, जैसा कि बिंदु 8 में बताया गया है) 'ब्रांड ब्यूरो' की समझ	10 40
2 অ 3 3 ক 3 অ	8 साल अनुभव <10 साल - 2 अंक 10 साल अनुभव <12 साल - 3 अंक 12 साल अनुभव <15 साल - 4 अंक ≥15 साल का अनुभव- 5 अंक सामग्री लेखक / कॉपीराइटर 5 साल अनुभव <7 साल - 2 अंक 7 साल अनुभव <9 साल - 3 अंक 9 साल अनुभव <12 साल - 4 अंक 12 साल का अनुभव- 5 अंक दृष्टिकोण और पद्धति (बोलीदाता द्वारा प्रस्तुतीकरण के आधार पर, जैसा कि बिंदु 8 में बताया गया है) 'ब्रांड ब्यूरो' की समझ बीआईएस के लिए प्रस्तुत ब्रांड विजन और पीआर और संचार कार्यनीति	10 40 10

तकनीकी मूल्यांकन के लिए कुल अंक- 100

i. बोलीदाता धारा 4 में दिए गए प्रारूप के अनुसार अपना उद्धरण जमा करेंगे। दशमलव में किसी भी मौद्रिक आंकड़े को निकटतम भारतीय रुपयाबना दिया जाएगा। शब्दों और आंकड़ों में उद्धृत कीमतों के बीच विसंगति के मामलों में, दोनों में से जो कम होगा उसे माना जाएगा। किसी अन्य गणना/सारांश त्रुटि इत्यादि होने पर बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

ii. वित्तीय मूल्यांकन की संपूर्ण अविध के लिए कुल शुल्क पर विचार किया जाएगा। प्रत्येक गतिविधि का वांछित ब्रेक अप का उपयोग केवल करार की अविध बढ़ने के दौरान किया जाएगा जोकि दो साल (एक समय में 12 महीने) के लिए होता है। अनुबंध के विस्तार के लिए नियम और शर्तें और दरें प्रारंभिक अनुबंध के लिए सहमित के अनुसार ही रहेंगी।

iii. बीआईएस की आवश्यकताओं के आधार पर, वास्तविक मात्रा सूचक मात्रा से भिन्न हो सकती है और भुगतान केवल वास्तविक मात्रा के अनुसार किया जाएगा।

10.5 कोर टीम संरचना:

क्रम	भूमिका	मोड	शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता
सं.			
1.	डिजाइन /	पूर्ण	• जन संचार/ डिजाइन / विज्ञापन / क्रिएटिव और इसी
	मीडिया	कालिक	तरह के क्षेत्रों में स्नातक / पीजी डिप्लोमा / मास्टर डिग्री
	विशेषज्ञ		• राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए विपणन
			कॉललेटरल तैयार करने में अनुभव सहित कम से कम 8
			वर्षों का पेशेवर अनुभव।
2	कंटेंट	पूर्ण	• जन संपर्क/ अंग्रेजी में बैचलर्स /पीजी डिप्लोमा/
	लेखक /	कालिक	मास्टर्स
	कॉपीराइटर		• राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए कंटेंट
			लेखन और कंटेंट निर्माण और प्रतिलेखन (अधिमानतः
			कानूनी क्षेत्र से) में पेशेवर अनुभव का न्यूनतम 5 वर्ष

11. खरीद वरीयता

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार खरीद वरीयता लागू होगी। पीपीपी (एमआईआई) के नवीनतम आदेश यानी दिनांक 16.09.2020 को संदर्भित किया जा सकता है।

१२. भुगतान

- i. अग्रिम भ्गतान पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ii. ब्यूरो उस विशेष महीने के दौरान कार्य/गतिविधियों के निष्पादन के आधार पर मासिक आधार पर भुगतान करेगा। बिल 'भारतीय मानक ब्यूरो' के नाम से दिए जाएंगे। इनवाँयस को महीने के दौरान किए गए कार्यों के पूरे विवरण, सहायक दस्तावेजों और बिलों के साथ-साथ असाइनमेंट/गतिविधि जिसके लिए बिल जमा किए गए हैं, उनको पूरा करने के लिए तकनीकी प्रमाण पत्र के साथ जमा किया जाना चाहिए। हर महीने बिलों से संबंधित एक समाधान पत्रक प्रस्तुत किया जाएगा। भुगतान सुपुर्दगी से जुड़े होंगे और

ब्यूरो द्वारा तकनीकी स्वीकृति के बाद जारी किए जाएंगे। भुगतान इस तरह की तकनीकी स्वीकृति के अधीन डिलीवरी के बाद 30 दिनों के भीतर किया जाना है।

iii. एजेंसी द्वारा उद्धृत मूल्य के अलावा कोई अन्य प्रोत्साहन / शुल्क / व्यय इस निविदा में प्रस्तावित कार्य के लिए देय नहीं होगा। संचार/ निगरानी के उद्देश्य के लिए किसी भी उपकरण/ सॉफ्टवेयर / भुगतान प्रवर्धन कामूल्य केवल एजेंसी द्वारा दिया जाएगा।

iv. लागू होने वाले कर बीआईएस द्वारा भुगतान किए जाएंगे।

v. भुगतान, यदि कोई हो, टीडीएस की कटौती और समय-समय पर लागू होने वाले अन्य करों के अधीन किया जाएगा।

vi. एजेंसी किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए सभी दावों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगी और बीआईएस पर किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा शुरू किएगए किसी भी मुकदमें के सभी खर्चों के लिए भी जिम्मेदार होगी।

vii.अंतिम भुगतान, वर्ष के लिए आवश्यक कार्य पूरा होने के बाद ही जारी किया जाएगा और आरएफपी दस्तावेज़ में विस्तृत आवश्यकताओं के अनुसार निष्पादित किए गए कार्य का विवरण प्रस्तुत करने पर, या बाद में ब्यूरो द्वारा सूचित किया जाएगा।

viii. फंड के लिए इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण की सुविधा के लिए चयनित बोलीदाता को बैंक और शाखा का नाम, खाता संख्या (अर्थात् बैंक का नाम, आईएफएससी कोड और बैंक खाता संख्या) का उल्लेख करना होगा और दिए गए विवरण को सत्यापित करने के लिए विधिवत रद्द किए गए चेक के कॉपी को भी अग्रेषित करें। ये विवरण चयनित बोलीदाता द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए प्रत्येक बिल के मुख्य भाग पर भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

ix. यदि किसी रचनात्मक के लिए छवियों को लाना आवश्यक है, तो ब्यूरो के अनुमोदन पर छिवयों को खरीदने के लिए भुगतान वास्तविक बिल के अनुसार किया जाएगा (एजेंसी द्वारा विधिवत रूप से एजेंसी के बिल के साथ जमा किया जाना है)

x. किसी भी क्रिएटिव के आकार/लेआउट/आयाम बदलने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।

13. धोखाधड़ी और भ्रष्ट रीतियाँ

131. बोलीदाता और उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट और सलाहकार चयन प्रक्रिया के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करेंगे। इस आरएफक्यू-सह-आरएफपी में निहित इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, बीआईएस आवेदक के प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी हुए बिना किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा, यदि उसे पता लगता है कि चयन प्रक्रिया में आवेदक को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या उसके एजेंट के माध्यम से भ्रष्ट रीति, धोखाधड़ी रीति, प्रतिरोधी रीति, अवांच्छित रीति या प्रतिबंधिंत रीति(सामूहिक रूप से वर्जित रीति) में लिस पाया है। ऐसा होने पर, बीआईएस किसी भी अन्य अधिकार या उपचार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, आरएफक्यू-सह-आरएफपी के संबंध में, ऐसे आवेदक के प्रस्ताव पर विचार और मूल्यांकन सहित, बीआईएस का समय, लागत और प्रयास के साथ-साथ बीआईएस को हुई वास्तविक पूर्व-अनुमानित हानि या नुकसान की ऐसे आवेदक के बयाना से, पहले से हुई आपसी सहमित से जब्त करेगा और उगाहेगा।

132. इस खंड के तहत बीआईएस के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यहां और ऐसे अधिकार तथा उपचार जो बीआईएस के कार्य आदेश या करार के तहत हो सकते हैं, यदि कोई आवेदक या डिजिटल एजेंसी, जैसा मामला हो, बीआईएस द्वारा पाया जाता है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से, किसी भी भ्रष्ट रीति, धोखाधड़ी रीति, प्रतिरोधी रीति, अवांछित रीति या चयन प्रक्रिया के दौरान प्रतिबंधित रीति, में कार्य आदेश जारी करने या अनुबंध के निष्पादन के बाद, लिस पाया जाता हैतो ऐसे , आवेदक या डिजिटल एजेंसी बीआईएस द्वारा जारी किए गए किसी भी निविदा या आरएफक्यू सह-आरएफपी में, 2 (दो)-वर्ष की अवधि के दौरान भाग लेने के लिए योग्य नहीं होगी।

13.3 इस खंड के प्रयोजन निम्नलिखित शब्दावली के अर्थ क्रमशः दिए गए हैं:

13.3.1 भ्रष्ट रीति का अर्थ है (i) चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी ट्यिक की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए कोई मूल्यवान चीज देने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेशकश करना, देना, लेना, या याचना करना, संदेह से बचने के लिए, बीआईएस के किसी भी ऐसे अधिकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की पेशकश या किसी भी तरीके से नियुक्त करने या प्रलोभन देने, जो किसी भी तरीके से चयन प्रक्रिया या कार्य आदेश के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो या करार से संबंधित मामलों या उससे उत्पन्न होने वाले मामलों को देखताहो, चाहे इसके निष्पादन से पहले या उसके बाद, किसी भी समय, यह समास होने की तारीख से एक वर्ष की समासि से पहले बीआईएस की सेवा में ऐसाअधिकारीत्यागपत्र या सेवानिवृत्त हो रहा हो, चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए समझा जाएगा; या (ii) जैसा यहां उपलब्ध कराया गया है, किसी भी तरीके से शामिल होना, चाहे चयन प्रक्रिया के दौरान या कार्य आदेश जारी करने के बाद या समझौते के निष्पादन के बाद, जैसा भी मामला हो, किसी भी व्यक्ति से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में परियोजना या कार्य आदेश या अनुबंध, जो किसी भी समय परियोजना से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में बीआईएस का कानूनी, वितीय या तकनीकी सलाहकार/ सलाहकार रहा हो या है;

- क) "कपटपूर्ण रीति" से अभिप्राय है कि चयन प्रकिया को प्रभावित करने के लिए तथ्यों का मिथ्या निरूपणया तथ्यों का लोप करना या अपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना;
- ख) "बलपूर्वक रीति "से अभिप्राय है कि चयन प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति की प्रतिभागिता या कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए किसी संपत्ति या किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाना, या हानि या हानि की धमकी देना;
 - ख) "अवांछित रीति" का अर्थ है (i) चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य सेबीआईएस द्वारा नियुक्तया संबंधित किसी व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करना या प्रयास करना या याचना करना या लॉबिंग या किसी भी तरीके से चयन प्रक्रिया दखल देना; या (ii) हितों में टकराव होना; और
 - ग) "प्रतिबंधक रीति" का अर्थ चयन प्रक्रिया में पूर्ण और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सीमित करने या छेड़छाड़ करने के उद्देश्य से आवेदकों के बीच कोई समझौता करना या व्यवस्था पर एक कार्टेल बनाना हो।

14. कंसोर्टियम

14.1 कंसोर्टियम में भागीदारों की अधिकतम संख्या तीन होगी। पात्रता मानदंड को कंसोर्टियम के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से पूरा किया जाना चाहिए। हालांकि, लीड पार्टनर को टर्नओवर और अनुभव मानदंड के कम से कम 50% को पूरा करना चाहिए। इसके अलावा, अन्य सदस्यों को भी टर्नओवर और अनुभव मानदंड के कम से कम 25% को पूरा करना चाहिए। कार्य आदेश केवल उस चयनित एजेंसी को जारी किया जाएगा जिसने बोली लगाई है और अनुबंध पर भी उसी के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे। एजेंसी, यदि आवश्यक हो, किसी भी एजेंसी को आगे काम आवंटित कर सकती है। तथापि, ब्यूरो ऐसी किसी भी एजेंसी के साथ किसी भी तरह का पत्राचार/संचार नहीं करेगा। ब्यूरो द्वारा ऐसी एजेंसी(यों) से किसी बिल/भुगतान अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

15. अप्रत्याशित घटना

15.1 इस संविदा क्लॉज के दौरान किसी पक्ष द्वारा इस संविदा के अंतर्गत किसी कार्य को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी युद्ध, विरोधपूर्वक, सार्वजनिक शत्रुता के कृत्य, महामारी, असैन्य विद्रोह, तोड-फोड़, आगजनी, बाढ़, विस्फोट, कोरांटिन प्रतिबंध, हड़ताल, तालाबंदी या दैवीय घटना (जिसे बाद में में यहां ऐसे कृत्य कहा गया है) के कारण न किया जाए अथवा उसमें विलंब हो तो एक पक्ष को दूसरे पक्ष को ऐसी घटना घटित होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर ऐसी घटना घटन का नोटिस देना होगा और ऐसी घटना घटित होने के कारण किसी भी पक्ष को न तो संविदा समाप्त करने का अधिकार होगा और न ही कोई पक्ष कार्य न होने अथवा उसमें विलंब के कारण दूसरे पक्ष से नुकसान का दावा करेगा। ऐसी स्थिति समाप्त होने अथवा पहले जैसी होने पर यथा शीघ्र डिलीवरी आरंभ करनी होगी, और डिलवरी प्रारंभ कर दी गई है अथवा नहीं इस संबंध में ब्यूरो के महानिदेशक का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। यदि ऐसी किसी घटना के कारण 60 दिनों से अधिक समय तक इस संविदा के अंतर्गत कोई कार्य पूर्ण या आंशिक रूप से नहीं होता है या उसमें विलंब होता है तो कोई भी पक्ष संविदा को समाप्त कर सकता है और यह भी कि ब्यूरो को महानिदेशक द्वारा निर्धारित मूल्य, जो कि अंतिम होगा, पर संविदाकार से सभी चीजों को टेकओवर करने का अधिकारी होगा।

16. बीआईएस में एजेंसियों के प्रतिनिधियों की निय्क्ति

16.1 एजेंसी के दो पेशेवरों को ब्यूरो मुख्यालय में नियमित आधार पर साइट पर काम करना आवश्यक है। कम से कम 2 साल के अनुभव के साथ ग्राहक सेवा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वह ब्यूरो से इनपुट प्राप्त करेगा और वांछित काम करेगा। दूसरे को रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो आवश्यकताओं के अनुसार क्रिएटिव डिजाइन कर सके। ब्यूरो केवल पेशेवरों के लिए बैठने की जगह उपलब्ध कराएगा। इन पेशेवरों की अन्य सभी सुविधाओं/आवश्यकताओं का ध्यान केवल एजेंसी द्वारा ही लिया जाएगा।

17. अनुबंध की समाप्ति

17.1 ब्यूरो द्वारा: ब्यूरो इस खंड में निर्दिष्ट किसी भी घटना के घटित होने के बाद दी जाने वाली एकीकृत संचार एजेंसी को समाप्ति की लिखित सूचना के साथ समझौते को समाप्त कर सकता है:

- क) यदि एजेंसी आरएफपी के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन में विफलता को पंद्रह (15) दिनों की अविध के भीतर, अधिसूचित होने के बाद या ऐसी और अविध के भीतर नहीं सुधारती है जिसे ब्यूरों ने बाद में लिखित रूप में अनुमोदित किया हो;
- ख) यदि एजेंसी दिवालिया या दिवालिया हो जाती है;
- ग) पंद्रह (15) दिनों के भीतर, यदि एजेंसी इसके प्रासंगिक खंडों के अनुसार मध्यस्थता की कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्राप्त किसी अंतिम निर्णय का अनुपालन करने में विफल रहती है; घ) सात (7) दिनों के भीतर, यदि एजेंसी ब्यूरो को एक झूठा बयान प्रस्तुत करती है जिसका ब्यूरो के अधिकारों, दायित्वों या हितों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि एकीकृत संचार एजेंसी खुद को हितों के टकराव की स्थिति में रखती है या ब्यूरों को हितों के टकराव का तुरंत खुलासा
- ड) सात (7) दिनों के भीतर, यदि एजेंसी, ब्यूरो के निर्णय में समझौते के लिए प्रतिस्पर्धा करने
 या उसे क्रियान्वित करने में भ्रष्ट या कपटपूर्ण व्यवहार में संलग्न है
- च) ब्यूरो, अपने विवेकाधिकार में और किसी भी कारण से, समझौते को समाप्त करने का निर्णय लेता है, यह 30 दिनों के नोटिस के साथ ऐसा किया जाएगा।

17.2. एजेंसी द्वारा: यदि एजेंसी निर्णय लेती है

अनुबंध की अविध समाप्त होने से पहले अनुबंध समाप्त करें, एजेंसी कम से कम साठ (60) दिनों की अग्रिम सूचना देगी। यदि एजेंसी साठ (60) दिनों की पूर्व सूचना के बिना अनुबंध को समाप्त कर देती है, तो ब्यूरो द्वारा रोकी गई निष्पादन सुरक्षा की पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।

18 क्षतिपूर्तिः

करने में विफल रहती है;

18.1 एकीकृत संचार एजेंसी बीआईएस को क्षितिपूर्ति करने और उसे सभी प्रकार के दावों, कार्यों, कार्यवाही, मुकदमों, मांग, हानि, दायित्व, क्षिति, दंड और खर्चों से हानिरहित रखने पर सहमत है (जिसमें, ब्याज, दंड, वकील की फीस और अनुसंधान एवं प्रतिरक्षा की फीस शामिल होगी i) जोिंक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनसे उत्पन्न हो, क)चयिनत एजेंसी द्वारा संबंधित खंडों में दिए गए कर्तव्यों का उल्लंघन करने परख) बीआईएस को प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित एजेंसी द्वारा कथित लापरवाही, गलत या अन्यथा अनुचित कृत्य या कोई भूल जिसमें व्यावसायिक उपेक्षा या कदाचार पर; ग) कोई भी ऐसी सेवाएं जो बीआईएस को कार्य आदेश के अनुसार दी गई है (समग्र रूप से – क्षितिपूर्ति विषयक)। बीआएएस को तीसरे पक्ष से कार्यवाही का नोटिस मिलने पर जैसे ही संभव हो बीआईएस इसकी शुरुआत की अधिसूचना एकीकृत संचार एजेंसी को देगा: बशर्ते इसको सूचित करने का लोप होने पर एजेंसी बीआईएस या तीसरे पक्ष के प्रति अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगी। हानि, दावों, घाटे, कार्यवाही, क्षिति और क्षितिपूर्ती विषय दायित्वों से रक्षा करने और क्षितिपूर्ती करने के कर्तव्य और/अथवा अनिवार्य भुगतान से एजेंसी तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक की क्षितिपूर्ती/और या अनिवार्य भुगतान के दावे बाकी हैं और उनका अंतिम निवारण न हो जाए।पूर्ववर्ती प्रावधान बीआईएस के उन अधिकारों

- के सिवाय है जो कि उनके सामान्य कानून में हो सकते हैं स्वभाविक न्याय (in equity) या अन्यथा है।
- 18.2 एकीकृत संचार एजेंसी परियोजना के तहत अपनी सेवाएं प्रदान करते समय किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के किसी भी उल्लंघन के लिए ब्यूरो को सभी दावों /क्षिति आदि के लिए हर समय क्षितपूर्ति और क्षितिपूर्ति करेगी।
- 18.3 एकीकृत संचार एजेंसी हर समय ब्यूरो अपने (एकीकृत संचार एजेंसी के) कर्मचारियों या एजेंटों या किसी अन्य तीसरे पक्ष द्वारा किए गए किसी भी कार्रवाई, चूक या संचालन के परिणामस्वरूप किसी भी दुर्घटना या चोट के परिणाम में देय किसी भी नुकसान या मुआवजे के संबंध में किसी भी दावे के खिलाफ एकीकृत संचार एजेंसी द्वारा या उसकी ओर से क्षतिपूर्ति करेगी।
- 18.4 एकीकृत संचार एजेंसी हमेशा इसके बीआईएस कर्मचारियों, कामगारों, ठेकेदारों, उपठेकेदारों, सप्लायर के सभी दावों के प्रति (जोकि भत्ता, वेतन, प्रतिपूर्ती, मुआवजा य समानान्तर के लिए है) बीआईएस को क्षतिपूर्ति करेगा।
- 18.5 सभी क्षतिपूर्ती के दावे कार्य आदेश की समाप्ति तक रहेंगे।
- 19. एकीकृत संचार एजेंसी का दायित्व: इस आरएफपी में अतिरिक्त प्रावधानों के अधीन, यदि कोई हो, तो इस समझौते के तहत एकीकृत संचार एजेंसी की देयता लागू कानून द्वारा प्रदान की जाएगी।
- 19.1 व्यवसायिक दायित्व बीमाः एकीकृत संचार एजेंसी अपना व्यय, ऐसी बीमा कंपनी से व्यावसायिक देयता बीमा जिसमें लापरवाही के कारण होने वाली भूलचूक और इस कार्य आदेश के तहत कर्तव्य भंग होना शामिल है, का खर्च वहन करेगी जो भारत में इस प्रकार के बीमा करती हो, जो कि प्रभावी तिथि से लेकर सेवाएं समाप्त होने की तिथि तक एक वर्ष के लिए होगा, जो कि (i) समायोजित चयनित एजेंसी को दिए जाने वाले व्यावसायिक या संभावित शुल्क की से अधिक की राशि का न हो (ii) प्रक्रिया, एकीकृत संचार एजेंसी किसी बीमा से पारप्त कर सकती है जो ऐसी देयता, जो (i)या (ii) के [राशि और मद्रा दें] न्यूनतम कवरेज से अधिक हो, को कवर करने के लिए एजेंसी द्वारा अनुरक्षित हो।

20. ब्यूरो के दायित्व

- 20.1 सहायता और छूट: ब्यूरो एकीकृत संचार एजेंसी को वर्क परिमट और ऐसे अन्य दस्तावेज प्रदान करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा जो एकीकृत संचार एजेंसी को सेवाओं को करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं।
- 21. एकीकृत संचार एजेंसी के दायित्व
- 21.1 सामान्यः एकीकृत संचार एजेंसी समायोजित सभी सेवाओं और कर्तव्यों का निष्पादनयथोचित परिश्रम, दक्षता और मितव्ययता से करे जो कि सामान्य रूप से स्वीकार्य

पेशेवर तकनीक और रीतियों के अनुरूप हो तथा साथ ही इसके लिए ठोस प्रबंधन रीतियों का अनुपालन तथा उचित उन्नत तकनीक और सुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल किया जाए। एकीकृत संचार एजेंसी इस कार्य आदेश और सेवाओं के मामले में बीआईस के निष्ठावान परामर्शदाता के रूप में कार्य करेगी और समय-समय पर उप एजेंसी और तीसरे पक्ष से किसी भी व्यवहार में बीआईएस के वैध हितों की रक्षा करेगी।

- 21.2 हितों का टकराव: परस्पर विरोधी गतिविधियों का निषेध: न तो एकीकृत संचार एजेंसी और न ही कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी व्यवसाय या व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होंगे, जो इस आरएफपी की अविध के दौरान कार्य आदेश की समाप्ति या उसके बाद इस आरएफपी के तहत उन्हें सौंपी गई गतिविधियों के साथ टकराव करेंगे।
- 21.3 गोपनीयता : एकीकृत संचार एजेंसी , उसकीउप एजेंसी और कार्मिक या दोनों में से कोई भी कार्यआदेश की अविध के दौरान या उसके समाप्त होने की दो (2) वर्ष की अविध के दौरान पिरयोजना से संबंधित मालिकाना या गोपनीय जानकारी सेवाएं, संपर्क या बीआईएस के व्यापार या प्रचालन के बारे में बिना बीआईएस की पूर्व अनुमित के गोपनीय जानकारी को प्रकट नहीं कर सकता है।
- 21.4 ब्यूरो की संपत्ति होने के लिए एकीकृत संचार एजेंसी द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज़/ रचनात्मकः इस आरएफपी के अनुसार एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी डिज़ाइन, रिपोर्ट, अन्य दस्तावेज़ और सॉफ़्टवेयर ब्यूरो की संपत्ति बन जाएंगे और बने रहेंगे, और एजेंसी कार्य आदेश की समाप्ति या उसके बाद, ऐसे सभी दस्तावेज़ और सॉफ़्टवेयर ब्यूरो को वितरित करें, साथ ही उसकी विस्तृत सूची भी दें। एकीकृत संचार एजेंसी ऐसे दस्तावेज़ों और सॉफ़्टवेयर की एक प्रति अपने पास रख सकती है। इन दस्तावेज़ों और सॉफ़्टवेयर के भविष्य के उपयोग के बारे में प्रतिबंध, यदि कोई हो, कार्य आदेश में निर्दिष्ट किया जाएगा।

22. तरलता क्षति

इस कार्य क्षेत्र के साथ सुपुर्दगीय की समय-सीमा ऊपर सारणीबद्ध है। एजेंसी को उपरोक्त उल्लिखित गतिविधियों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करना होगा। कार्य क्षेत्र में दिए गए लक्ष्य को प्राप्त न करने में किसी भी देरी के लिए दिए गए कार्य के कुल मूल्य का 0.2% जुर्माना लगेगा जब तक कि इस तरह के विलंब को ब्यूरो द्वारा विधिवत अनुमोदित नहीं किया जाता है। प्रत्येक एसाइनमेंट के लिए दंड अलग होगा और अधिकतम दंड अनुबंध के कुल मूल्य का 10% होगा।

23. पृथक्करणीयता

यदि इस अनुबंध का कोई प्रावधान या शर्त निषिद्ध है या अमान्य या अप्रवर्तनीय है, तो इस तरह का निषेध, अमान्यता या अप्रवर्तनीयता इस अनुबंध के किसी भी अन्य प्रावधानों और शर्तों की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगी। 24. पात्रता और योग्यता बनाए रखने की बाध्यता

विशिष्ट पात्रता और योग्यता मानदंडों के आधार पर ठेकेदार को अनुबंध प्रदान किया गया है। ठेकेदार अनुबंध के निष्पादन के दौरान ऐसी पात्रता और योग्यता बनाए रखने के लिए संविदात्मक रूप से बाध्य है। कोई भी परिवर्तन जो ठेकेदार को ठेका दिए जाने के आधार को विकृत कर दे, उसे ठेकेदार/एजेंसी की जानकारी में आने के 07 दिनों के भीतर ब्यूरों के संज्ञान में सिकृय रूप से लाया जाना चाहिए।

25. एक अनुबंध व्यवसाय के संविधान/वितीय हिस्से/जिम्मेदारियों में परिवर्तनः ठेकेदार को अनुबंध के निष्पादन के दौरान अपने गठन/वितीय दांव/जिम्मेदारियों में किसी भी बदलाव के बारे में प्रोक्योरिंग एंटिटी को सिक्रय रूप से सूचित करना चाहिए। जहां ठेकेदार एक साझेदारी फर्म है, अनुबंध के निष्पादन के दौरान संविधान में परिवर्तन पर निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होंगे:

- 1. अनुबंध के अनुसार चूक के लिए अनुबंध और एक नए भागीदार का लाभ उठाएं या उसके तहत सभी उपायों को फर्म में पेश नहीं किया जाएगा, सिवाय प्रोक्योरिंग एंटिटी की लिखित में पिछली सहमति के, जो केवल नए पार्टनर द्वारा लिखित वचनबद्धता के निष्पादन पर प्रदान किया जाएगा। इस तरह के उपक्रम की तारीख से पहले अनुबंध को पूरा करने और अनुबंध के तहत फर्म द्वारा किए गए सभी देनदारियों को स्वीकार करने के लिए।
- 2. अनुबंध के पूर्ण निष्पादन से पहले ठेकेदार फर्म के किसी भी भागीदार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर, खरीद संस्था, उसके विकल्प पर, समाप्त कर सकती है।
- 3. यदि अनुबंध को उप-खंड (2) में प्रदान किए गए अनुसार समाप्त नहीं किया जाता है, तो फर्म से एक भागीदार की सेवानिवृत्ति के बावजूद, वह भागीदार फर्म के कार्यों के लिए अनुबंध के तहत तब तक उत्तरदायी रहेगा जब तक कि सार्वजनिक नोटिस की एक प्रति नहीं दी जाती है। उसे साझेदारी अधिनियम की धारा 32 के तहत, उसके द्वारा लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोक्योरिंग एंटिटी को भेजा गया है।

26. शासी कानून और न्याय क्षेत्र इस समझौते से होने वाले किसी मुकदमे का निर्णय या अपील करने का अधिकार केवल दिल्ली के न्याय क्षेत्र की अदालतों को होगा।

खंड :3 पूर्वअर्हता-एवं तकनीकी प्रस्ताव मानक -प्ररूप

प्ररूप उक: पूर्व-अर्हता प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण प्ररूप

प्ररूप 3ख: न्यूनतम अर्हता पूरा करने की स्व घोषणा

प्ररूप 3ग: प्राधिकृत प्रतिनिधि के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए प्ररूप

प्ररूप 3घ: तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण

प्ररूप ३ड़: प्रस्तावित पेशेवर स्टाफ का जीवनवृत्त

प्ररूप 3च: ब्रांड बीआईएस की समझ।

प्ररूप उछ: बीआईएस के लिए प्रस्तुत ब्रांड विजन और जनसंपर्क और संचार कार्यनीति

प्ररूप 3ज: नवोन्मेषी प्रचार अभियान

झ 3 प्ररूप: "मानकों के महत्व" पर जागरुकता और प्रचार के लिए कार्यनीति

प्ररूप 3ट निष्पादन प्रतिभूति हेतु बयाना हेतु बैंक गारंटी प्ररूप

प्ररूप 3ठ ईएमडी के बदले बोलीदाताओं से बोली सुरक्षा घोषणा का प्रारूप

प्ररूप 3ड सीए से टर्नओवर और नेट वर्थ के लिए प्रमाणपत्र का प्रारूप

प्ररूप3 ढः सामान्य वितीय नियमावली के नियम 144 (xi) के अनुपालन के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप और उसके तहत जारी आदेश

प्ररूप 3क : पूर्व-अर्हता प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण प्रारूप

कृपया ध्यान दें: निम्नलिखित प्ररूप स्व-अनुप्रमाणित और जमा करने वाली एजेंसी के पत्रशीर्ष पर मुद्रित होना चाहिए।

[स्थान, दिनांक] सेवा में, निदेशक (मार्केटिंग एवं उपभोक्ता मामले) जनसंपर्क विभाग, बीआईएस, बहादुशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 एकीकृत संचार एजेन्सी के चयन हेतु दिनांकित आरएफक्यू-सह-आरपीएफ (दिनांक)

प्रिय महोदय,

आपके आरएफक्यू-सह-आरपीएफ दस्तावेज दिनांक [दिनांक] के संदर्भ में, हमने सभी संगत दस्तावेजों की जाँच की है और उनकी विषयवस्तु को समझ लिया है, एतद्द्वारा [कार्य का नाम] के रूप में चयन के लिए हमारा पूर्व-अर्हता प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। यह प्रस्ताव प्रस्ताव बिना शर्त और अनर्ह है।

हम अपना प्रस्ताव [आवेदक का नाम] के रूप में प्रस्त्त कर रहे हैं।

हम समझते है कि आपको प्राप्त हुए किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु आप बाध्य नहीं है। आगे :

- 1. हम स्वीकार करते हैं कि बीआईएस एकीकृत संचार एजेंसी के चयन हेतु प्रस्ताव में दी गई जानकारी और प्रस्ताव के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों के आधार पर निर्भर करेगा, और हम प्रमाणित करते हैं कि प्रस्ताव और सहायक दस्तावेजों में उपलब्ध कराई गई सभी जानकारी सत्य और सही हैं, कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं गया है जो भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करता हो; और इस प्रस्ताव के साथ संलग्न सभी दस्तावेज संबंधित दस्तावेजों कीमूल प्रतियां हैं।
- 2. ये विवरण उपरोक्त परियोजना हेतु एक एकीकृत संचार एजेंसी नियुक्त करने के स्पष्ट उद्देश्य से दिए गए हैं।
- 3. हम बीआईएस को कोई भी ऐसी अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराएंगे हैं जो इस प्रस्ताव के लिए पूरक या प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक समझी जाए।
- 4. हम स्वीकार करते हैं कि बीआईएस कोई कारण बताए बिना या अन्यथा हमारे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, और किसी वजह से ऐसा होने पर, हम अपने चुनौति देने के ऐसे अधिकार को एतद्द्वारा छोड़ते हैं।
- 5. हम प्रमाणित करते हैं कि पिछले एक साल में, हम किसी भी कार्य या अनुबंध का निष्पादन करने में असफल नहींहुए हैं, जैसा कि मध्यस्थ या न्यायिक प्राधिकारी द्वारा जुर्माना लगाया गया हो या आवेदक के खिलाफ न्यायिक घोषणा या मध्यस्थता पंचाट हुआ होऔर न ही किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा कार्य या अनुबंध से किसी भीसार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा हमारे ओर से उल्लंघन के लिए कोई कार्य या अनुबंध समाप्त नहीं किया गया है और न ही किसी भी परियोजना से निष्कासन किया गया है।
- 6. हम प्रमाणित करते हैं कि देश की सुरक्षा और अखंडता के अलावा अन्य मामलों के संबंध में, हम या हमारे किसी भी सहयोगी को कानून की अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है या नियामक प्राधिकारी द्वारा पारित या प्रतिकूल आदेशों से दोषी नहीं ठहराया गया है जो हमारे ऊपर संदेह करेगा और ऐसी परियोजना को शुरू करने की क्षमता या जो एक गंभीर अपराध से संबंधित हो,या जो समुदाय की नैतिक भावना को अपमानित करती है।
- 7. हम घोषणा करते हैं कि:

- क) हमने जाँच कर ली है और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुशेष सहित आरएफक्यू-सह-आरपीएफ के लिए कोई आपित नहीं है;
- ख) हमारे हितों का आरएफक्यू-सह-आरपीएफ की शर्तों के साथ कोई टकराव नहीं है;
- ग) हम किसी निविदा या हमारे द्वारा जारी किए गए प्रस्ताव के लिए अनुरोध या बीआईएस के साथ किए गए किसी करार या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी सरकार, केंद्रीय या राज्य के साथ, जैसा कि आरएफक्यू-सह-आरपीएफ में परिभाषित किया गया है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या किसीएजेंट के माध्यम से भ्रष्ट रीति, धोखाधड़ी रीति, प्रतिरोधी रीति, अवांच्छित रीति या प्रतिबंधित रीति में लिस नहीं हुए हैं; और
- घ) हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएहैं कि हमारे द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति या हमारी ओर से किसी भ्रष्ट रीति, धोखाधड़ी रीति, प्रतिरोधी रीति, अवांच्छित रीति या प्रतिबंधिंत रीति में लिस नहीं होगा।
- 8. हम समझते हैं कि आप चयन प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द कर सकते हैं और आपको प्राप्त बोलीदाता के किसी भी प्रस्ताव को किसी उत्तरदायित्व के बिना किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए या एकीकृत संचार एजेंसी का चयन करने बाध्य नहीं हैं।
- 9. हम प्रमाणित करते हैं कि देश की सुरक्षा और अखंडता के अलावा अन्य मामलों के संबंध में, हमें या हमारे किसी भी सहयोगी को अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है या नियामक प्राधिकरण द्वारा पारित या प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है जो हमारी क्षमता पर संदेह पैदा करेगा। परियोजना को हाथ में लेना या जो एक गंभीर अपराध से संबंधित है जो समुदाय की नैतिक भावना को ठेस पहुँचाता है।
- 10. हम आगे प्रमाणित करते हैं कि देश की सुरक्षा और अखंडता से संबंधित मामलों के संबंध में, हमें या सहयोगी कंपनियों को सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा चार्जशीट नहीं किया गया है या हमारे द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए कानून की अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। हम आगे प्रमाणित करते हैं कि न तो हम और न ही हमारे किसी भी परिसंघ के सदस्यों को किसी भी परियोजना या बोली में भाग लेने से, किसी भी राज्य सरकार, किसी सांविधिक निकाय या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, और कोई भी इस तरह की रोक, यदि कोई हो, तो इस आरएफक्यू-सह-आरएफपी की तारीख कोकोई आधार नहीं रखती है।
- 11. हम आगे प्रमाणित करते हैं कि किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा हमारे खिलाफ या हमारे सहयोगियों के खिलाफ या हमारे सीईओ या हमारे निदेशकों / प्रबंधकों / कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी जांच लंबित नहीं है।
- 12. हम उपरोक्त उल्लिखित परियोजना के संबंध में एकीकृत संचार एजेंसी या चयन प्रक्रिया के संबंध में बीआईएस द्वारा लिए गए किसी निर्णय पर उपजने वाली किसी चुनौति या प्रश्न पर हमारे किसी ऐसे कानूनी अधिकार जो किसी भी स्तर पर हो सकता है या अन्यथा एतद्द्वारा बिना किसी परिवर्तन या उपाय के छोड़ते हैं।
- 13. हम सहमत हैं और समझते हैं कि यह प्रस्ताव आरएफक्यू-सह-आरएफपी दस्तावेज के प्रावधानों के अधीन है। किसी भी मामले में, अगर यह परियोजना हमें नहीं दी जाती है या हमारा प्रस्ताव नहीं खोला या खारिज किया जाता है, तो हमारे पास किसी भी प्रकृति का कोई दावा या अधिकार नहीं होगा।

- 14. हम आरएफक्यू-सह-आरएफपी में निर्दिष्ट प्रस्तावित नियत तिथि (पीडीडी) से 90 (नब्बे) दिनों तक यह प्रस्ताव वैध रखने के लिए सहमत हैं।
- 15. हम वचन देते हैं कि हमें भारत के केंद्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने कालीसूची में नहीं डाला है।
- 16. इस प्रस्ताव और दस्तावेजों को हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में एक पावर ऑफ अटॉर्नी इसके साथ संलग्न है।
- 17. तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव अलग कवर में जमा किये जा रहे हैं। तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव के साथ पढ़ा गया यह पूर्व-अर्हता प्रस्ताव ऐसे उस आवेदन का गठन करेगा जो कि बाध्यकारी होगा।
- 18.हम आरएफक्यू-सह-आरएफपी द0स्तावेज के निबंधनों एवं शर्तों का पालन करने के लिए अपनी सहमति और वचन देते हैं ।

सदैव आपके,

भवदीय

प्राधिकृत हस्ताक्षर [पूरा या आद्याक्षर]

हस्तक्षरकर्ता नाम और उपाधिः

फर्म का नाम:

पता:

टेलीफोन:

फैक्स:

(आवेदक/प्रभारी सदस्य का नाम एवं मुहर)

फैक्स:

(बोलीदाता/प्रभारी सदस्य का नाम और मुहर)

फार्म 3 बी : न्यूनतम योग्यता का स्व-प्रमाणीकरण

कृपया नोट करें : निम्नलिखित फार्म स्व-सत्यापित एवं प्रस्तुत जमा करने वाली एजेंसी के पत्र शीर्ष के साथ मुदित हो।

[स्थान/तिथि]

- 1. निवेश /साझेदारी प्रमाण पत्र की प्रति
- 2. जीएसटी प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण की प्रति
- 3.पैन कार्ड की प्रति
- 4. (i) अलग-अलग टर्नओवर (कुल और मीडिया संचार सेवाओं/रचनात्मक सेवाओं/प्रचार सेवाओं दोनों से) को प्रमाणित करने वाले सीए/सीएमए से प्रमाणपत्र।
- (ii) एमएसई के लिए, उपयुक्त प्राधिकारी से सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के रूप में पंजीकरण का स्वप्रमाणित वैध प्रमाण पत्र।
- 5. (i) प्रत्येक कार्य के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से कार्य आदेशों और स्व-प्रमाण पत्र का विवरण (ii) एमएसई के लिए, उपयुक्त प्राधिकारी से सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के रूप में पंजीकरण का स्व-सत्यापित वैध प्रमाण पत्र।
- 7. एनसीआर में कार्यालयों के पतों का स्व-प्रमाण पत्र।
- 8. स्व-प्रमाण पत्र कि बोली दाता की भारत के 4 राज्यों में उपस्थिति है साथ ही उन कार्यालयों के पते का उल्लेख करें।
- 9. सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 (नवीनतम 16 सितंबर 2020) के पैरा 9 (क) के अनुसार प्रमाण पत्र

* अगर किसी समय यह पाया जाता है कि इंटीग्रेटिड कम्यूनिकेशनएजेंसी के पास ऊपर उल्लिखित के रूप में क्षमताएँ नहीं हैं तो बीआईएस इंटीग्रेटिड कम्यूनिकेशनएजेंसी को कानून के तहत किसी भी अन्य सिविल/आपराधिक कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना नकारात्मक सूची में डाल सकता है और धरोहर राशि को जब्त कर सकता है।

पगन ३ सा :	япчул	प्रातानाय पर	ालए मुख्तारनाम	। पग प्रारंप

कृपया नोट करें : निम्नलिखित फार्म 100 रू के स्टाम्प कागज पर नोटरीकृत हो

यह सबको ज्ञात हो कि, हम [संगठन का नाम और पंजीकृत कार्यालय का नाम] श्री/स्श्री [नाम], जो [नाम] का पुत्र/पुत्री/पत्नी है, एतदद्वारा गठित, नामांकन, नियुक्ति और प्राधिकृत करते हैं और वर्तमान में [पता] पर रह रहे हैं, जो वर्तमान में हमारे द्वारा नियोजित/रिटेन किए गए हैं और हमारे वास्तविक और वैध काउंसिल के रूप में पद [पदनाम]पर हैं (जिसे इसमें आगे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में संदर्भित किया गया है), किसी भी व्यक्ति को उपप्रतिनिधि के लिए शक्ति के साथ, हमारे नाम और हमारी ओर से करने के लिए, ऐसे सभी कार्य, कृत्य और मुद्दे जो जरूरी हैं, या आवश्यक हैं, बीआईएस (प्राधिकरण) द्वारा विकसित किए जाने वाली इंटीग्रेटिड कम्यूनिकेशन एजेंसी (मीडिया प्लानिंग एंड डिजिटल एम्प्लीफिकेशन, ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री निर्माण और वेबसाइट तैयार करना) के रूप में हमारे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने और चयन के लिए संलग्न है, लेकिन सभी को हस्ताक्षर करने और जमा करने तक सीमित नहीं है। आवेदन, प्रस्ताव और अन्य दस्तावेज और लेखन, पूर्व-बोली और अन्य सम्मेलनों में भाग लेना और प्राधिकरण को सूचना/प्रतिक्रिया प्रदान करना, प्राधिकरण और उपक्रमों के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना हमारे प्रस्ताव की स्वीकृति के अन्क्रम और सामान्यत: प्राधिकरण के साथ कार्य आदेश को स्वीकार करने तक हमारे प्रस्ताव के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में या उससे संबंधित या सभी मामलों में प्राधिकरण से निपटाना शामिल है।

और, हम इस मुख्तारनामा द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और उसके अनुसार उक्त अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले सभी कार्यों,कृत्यों और कानूनी रूप से की गई चीजों की अभिपृष्टि या पृष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि एतदद्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग करते हुए हमारे अधिकृत उक्त प्रतिनिधि द्वारा किए गए सभी कार्यों, कृत्यों को हमारे द्वारा किया हुआ माना जाएगा । इसके साक्ष्य स्वरूप हम,[संगठन का नाम], उपरोक्त नामित प्रिंसिपल ने इस [तिथि में] के दिन[महीना][वर्ष में -YYY 'प्रारूप'में]पर इस मुख्तारनामे की शिक्त को निष्पादित किया है ।

[संगठन का नाम और पंजीकृत पते] के लिए [हस्ताक्षर] [नाम] [पदनाम] और साक्षी:

- 1. [हस्ताक्षर, साक्षी का नाम और पता]
- [इस्ताक्षर, साक्षी का नाम और पता] स्वीकृतहस्ताक्षर] [नाम] [पदनाम]
 [पता] टिप्पणीः

टिप्पणियाँ:

1. मुख्तारनामे के निष्पादन का तरीका लागू कानून और निष्पादक(कों) के चार्टर दस्तावेजों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, यदि कोई हो, के अनुसार हो और यथा आवश्यक अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार लगी सील के तहत हो ।

- 1. जहाँ कही भी अपेक्षित हो, उसकी ओर से शक्ति का प्रत्यायोजन के लिए मुख्तारनामें की इस शक्ति को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पक्ष में चार्टर दस्तावेजों और अन्य दस्तावेजों जैसे संकल्प/मुख्तारनामें के सत्यापन का सार को जमा करना होगा।
- 2. विदेश में निष्पादित और जारी किए गए मुख्तारनामे के लिए दस्तावेज को भारतीय दूतावास द्वारा वैधित हो और जहाँ मुख्तारनामा जारी किया जा रहा है वहां अधिकार क्षेत्र में नोटराइज हो, हालांकि, यदि यह अनुरूप प्रमाण पत्र लेता है, तो हेग लेजिस्लेशन कन्वेंशन, 1961 पर हस्ताक्षर किए गए देशों से बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया मुख्तारनामा के लिए भारतीय दूतावास द्वारा वैधता की आवश्यकता नहीं है।

फॉर्म 3 डी: तकनीकी प्रस्ताव जमा करने का फॉर्म

कृपया नोट करें : निम्नलिखित फार्म स्व-सत्यापित एवं जमा करने वाली एजेंसी के पत्र शीर्ष के साथ मुदित हो।

[स्थान/तिथि]

निदेशक (मार्केटिंग एवं उपभोक्ता मामले) जनसंपर्क विभाग बीआईएस, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली -110002

विषय : एकीकृत संचार एजेंसी के चयन के हेतु आरएफक्यू-सह-आरएफपी दिनांकित [दिनांक]

महोदय,

दिनांकित [दिनांक] के आपके आरएफक्यू-सह-आरएफपी दस्तावेज के संदर्भ में, हमने सभीसंबंधित दस्तावेजों की जांच कर लीहै और उनकी सामग्री को समझ लिया है, हम इसके द्वारा चयन के लिए हमारे तकनीकी प्रस्ताव को [असाइनमेंट का नाम] के रूप में जमा करते हैं। यह प्रस्ताव बिना शर्त और अनर्हत है।

हम अपने प्रस्ताव को [आवेदक का नाम] के रूप में जमा कर रहे हैं।

यदि प्रस्ताव की वैधता की अविध के दौरान बातचीत आयोजित की जाती है, तो हम आरएफक्यू-सह-आरएफपी के अनुसार बातचीत करने का वचन देते हैं। हमारा प्रस्ताव हमारे लिए बाध्यकारी होगा, यह केवल आरएफक्यू-सह-आरएफपी के अनुसार बातचीत से होने वाले संशोधनों के अधीन है।

हम समझते हैं कि आप प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। आगे कि:

- 1. हम स्वीकार करते हैं कि बीआईएस प्रस्ताव में प्रदान की गई जानकारी और एकीकृत संचार एजेंसीके चयन के लिए प्रस्ताव के साथ दस्तावेजों पर निर्भर करेगा, और हम प्रमाणित करते हैं कि प्रस्ताव में और सहायक दस्तावेजों में प्रदान की गई सभी जानकारी सत्य और सही है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है जो कि भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करता हो; और इस तरह के प्रस्ताव के साथ सभी दस्तावेज उनसे संबंधित मूल की वास्तविक प्रतियां हैं।
- 2. यह बयान उपर्युक्त परियोजना के लिए एकीकृत संचार एजेंसी के रूप में नियुक्ति के अभिव्यक्त उद्देश्य के लिए किया गया है।
- 3. हम बीआईएस को कोई भी अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराएगें जो को पूर्णकरने या अधिप्रमाणीकृत करने के लिए आवश्यकता अथवा अपेक्षित हों ।
- 4. हम बिना कोई कारण बताए या अन्यथा आवेदन को अस्वीकार करने के बीआईएस के अधिकार को स्वीकार करते हैं और इसके द्वारा किसी भी कारण से इसे चुनौती देने का अपना अधिकार छोड़ते हैं।
- 5. हम प्रमाणित करते हैं कि पिछले 3 (तीन) वर्षों में, हम किसी भी असाइनमेंट या अनुबंध पर काम करने में विफल नहीं रहे हैं, जैसा कि मध्यस्थ या न्यायिक प्राधिकारी द्वारा जुर्माना लगाया जाना या आवेदक के खिलाफ न्यायिक आदेश या आवेदक के विरूद्ध विवाचन, न ही किसी सार्वजानिक प्राधिकरण द्वारा किसी भी परियोजना, असाइनमेंट या अनुबंध से हटाया जाना और न ही किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा हमारी ओर से उल्लंघन के कारण कोई असाइनमेंट या अनुबंध को समाप्त किया जाना।

- 6. हम घोषणा करते हैं कि:
 - क) हमने जाँच कर ली है और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुशेष सहित आरएफपी के लिए कोई आपित नहीं है;
 - ख) हमारे हितों का आरएफपी की शर्तों के साथ कोई टकराव नहीं है;
 - ग) हम किसी निविदा या हमारे द्वारा जारी किए गए प्रस्ताव के लिए अनुरोध या ब्यूरो के साथ किए गए किसी करार या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी सरकार, केंद्रीय या राज्य के साथ, जैसा कि आरएफपी में परिभाषित किया गया है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से भ्रष्ट रीति, धोखाधड़ी रीति, प्रतिरोधी रीति, अवांच्छित रीति या प्रतिबंधित रीति में लिप्त नहीं हुए हैं; और
 - घ) हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि हमारे द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति या हमारी ओर से किसी भ्रष्ट रीति, धोखाधड़ी रीति, प्रतिरोधी रीति, अवांच्छित रीति या प्रतिबंधिंत रीति में लिस नहीं होगा।
 - 7. हम समझते हैं कि आप चयन प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द कर सकते हैं और बोलीदाता को कोई दायित्व दिए बिना आप किसी भी प्रस्ताव को को स्वीकार करने के लिए या एकीकृत संचार एजेंसी का चयन करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
 - 8. हम प्रमाणित करते हैं कि देश की सुरक्षा और अखंडता के अलावा अन्य मामलों के संबंध में, हम या हमारे किसी भी सहयोगी को कानून की अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है या नियामक प्राधिकारी द्वारा पारित या प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे परियोजना शुरू करने की हमारी क्षमता पर संदेह हो या जो एक गंभीर अपराध से संबंधित हो, या जो समुदाय की नैतिक भावना को अपमानित करती हो।
 - 9. हम आगे प्रमाणित करते हैं कि देश की सुरक्षा और अखंडता से संबंधित मामलों के संबंध में, हमें या सहयोगी कंपनियों को सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा चार्जशीट नहीं किया गया है या हमारे द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए कानून की अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। हम आगे प्रमाणित करते हैं कि न तो हम और न ही हमारे किसी भी परिसंघ के सदस्यों को किसी भी परियोजना या बोली में भाग लेने से, किसी भी राज्य सरकार, किसी सांविधिक निकाय या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, और कोई भी इस तरह की रोक, यदि कोई हो, तो इस आरएफपी की तिथि के अनुसार अस्तित्व में नहीं है।
 - 10. हम आगे प्रमाणित करते हैं कि किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा हमारे खिलाफ या हमारे

सहयोगियों के खिलाफ या हमारे सीईओ या हमारे निदेशकों / प्रबंधकों / कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी जांच लंबित नहीं है।

11. हम उपरोक्त परियोजना के संबंध में एकीकृत संचार एजेंसी या चयन प्रक्रिया के संबंध में ब्यूरो द्वारा लिए गए किसी निर्णय के कारण उत्पन्न होने वाली किसी चुनौति या प्रश्न पर हमारे किसी ऐसे कानूनी अधिकार जो किसी भी स्तर पर हो सकता है या अन्यथा एतद्द्वारा बिना किसी परिवर्तन या उपाय के छोड़ते हैं।

12. हम सहमत हैं और समझते हैं कि यह प्रस्ताव आरएफपी दस्तावेज के प्रावधानों के अधीन है। किसी भी मामले में, अगर यह परियोजना हमें नहीं दी जाती है या हमारा प्रस्ताव नहीं खोला या खारिज किया जाता है, तो हमारे पास किसी भी प्रकृति का कोई दावा या अधिकार नहीं होगा।

13. वित्तीय प्रस्ताव को अलग लिफाफे में जमा किया जाएगा । वित्तीय प्रस्ताव के साथ पठित यह तकनीकी प्रस्ताव बाध्यकारी होगा।

14. हम आरएफपी दस्तावेज के निबंधन एवं शर्तों का पालन करने के लिए अपनी सहमति और वचन देते है ।

भवदीय

प्राधिकृत हस्ताक्षर [पूरा या आद्याक्षर]

हस्तक्षरकर्ता नाम और उपाधि:

फर्म का नाम:

पता:

टेलीफोन:

फैक्स:

(बोलीदाता/प्रभारी सदस्य का नाम एवं मुहर)

फार्म 3 ई : प्रस्तावित व्यावसायिक स्टाफ के लिए कार्यवृत्त (सीवी)

कृपया नोट करें : निम्नलिखित फार्म स्व-सत्यापित एवं जमा करने वाली एजेंसी के पत्र शीर्ष के साथ मुदित हो।

- 1.प्रस्तावित स्थिति: [3 जी से अलग प्रमुख पेशेवर के प्रत्येक पद के लिए तैयार किया जाएगा]:
- 2.फर्म का नाम:
- 3.स्टाफ का नाम:
- 4.जन्म तिथि:
- 5.राष्ट्रीयता:
- 6.शैक्षणिक योग्यता: [कॉलेज/विश्वविद्यालय और स्टाफ के सदस्य की विशेषज्ञता का उल्लेख करें, संस्थान का नाम, प्राप्त् डिग्री और प्राप्त् करने की तिथि दें]:
- 7. व्यावसायिक संगठनों की सदस्यता:
- 8.अन्य प्रशिक्षण:
- 9.कार्य अनुभव के देश:

[उन देशों की सूची जहां स्टाफ ने पिछले दस वर्षी में कार्य किया है।]

10.भाषाः [प्रत्येक भाषा के लिए दक्षता का उल्लेख करें: बोलने, पढ़ने और लिखने में अच्छा,

सामान्य या कमज़ोर]

11. नियुक्ति का रिकॉर्ड [वर्तमान पद से आरंभ करें,स्टाफ के सदस्य द्वारा स्नातक उपाधि से प्रत्येक नियुक्ति की सूची उल्टे क्रम में (यहां नीचे प्रारूप देखें):नियोक्ता का नाम, नियुक्ति की तिथियां, नियोक्ता संगठन, किस पद पर कार्य किया]:

[वर्ष] से: वर्ष] तक नियोक्ता: पद जिस पर कार्य किया:

12 सौंपे गए कार्यो का विवरण: [इसअसाइनमेन्ट/कार्य के अंतर्गत किए गए सभी कार्यो की सूची]:

13 किए गए वह कार्य जिससे सर्वोत्तम रूप से सौपे गए कार्य को करने का पता चलता हो: [सौपे गए कार्योमें वह असाइनमेन्ट/कार्य जो स्टाफ ने किए, उस असाइनमेन्ट/कार्यों हेतु निम्नलिखित जानकारी दें जिनसे बिन्दु 12 में सूचीबद्ध कार्यों को स्टाफ द्वारा सर्वोत्त्म रूप से करने की क्षमता का पता चलता हो]।

असाइनमेन्ट/कार्य का नाम अथवा परियोजना का नाम : वर्ष : स्थान : नियोक्ता :

मुख्य परियोजना की विशेषताएं : पद जिस पर कार्य किया: किए गए क्रियाकलाप :

14. प्रमाणन:

में, अधोहस्ताक्षरी यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस सीवी में मेरी, मेरी योग्यता और अनुभव की सही जानकारी दी गई है। मैं यह समझता हूं कि इसमें जानबूझकर दिए गए गलत विवरण से मुझे अयोग्य ठहराया जा सकता है या बर्खास्त, यदि मुझे काम दिया जाता है, किया जा सकता है।

[स्टाफ के सदस्य के अथवा स्टाफ के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर] [अधिकृत प्रतिनिधि का पूरा नाम]

तिथि:

स्थान :

फार्म 3 एफ : ब्रांड बीआईएस की समझ

कृपया नोट करें : निम्नलिखित फार्म स्व-सत्यापित एवं जमा करने वाली एजेंसी के पत्र शीर्ष पर मुदित हो।

[स्थान तिथि] बोलीदाता यहां दे :

-ब्यूरो के पुर्नस्थापन हेतु प्रस्तावित संचार कार्यनीति
-संचार कार्यनीति के अनुरूप एकीकृत ऑनलाइन एवं ऑफलाइन अभियान हेतु कार्यनीति
योग्य बोलीदाता को, ये विचार बाद में स्वयं मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करने होंगे।

फार्म 3 जी : ब्यूरो के लिए प्रस्तुत ब्रांड विजन और जनसंपर्क एवं संचार कार्यनीति

कृपया नोट करें : निम्नलिखित फार्म स्व-सत्यापित एवं जमा करने वाली एजेंसी के पत्र शीर्ष पर मुदित हो। -बोलीदाता टीवीसी हेतु (टेलीविजन कमर्शियल) तथा रेडियो स्पॉट के लिए स्क्रिप्ट एवं स्टोरीबोर्ड यहां दें, जो कि दोनों 30 सेकंड के हों।

योग्य बोलीदाता को, ये विचार बाद में स्वयं मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करने होंगे।

फार्म 3 एच: नवीन प्रचार अभियान ऑनलाइन (सोशल मीडिया पर बल) और ऑफलाइन

कृपया नोट करें : निम्नलिखित फार्म स्व-सत्यापित एवं जमा करने वाली एजेंसी के पत्र शीर्ष पर मुदित हो।

-बोलीदाता प्रचार अभियान के लिए प्रस्तावित कार्यनीति यहां दें जिसमें नवीन विचार (विचार एवं मीडिया वाहन) हों।

योग्य बोलीदाता को, ये विचार बाद में स्वयं मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करने होंगे।

फार्म 3 आई : 'मानकों के महत्त्व' पर जागरूकता एवं प्रचार की कार्यनीति

कृपया नोट करें : निम्नलिखित फार्म स्व-सत्यापित एवं जमा करने वाली एजेंसी के पत्र शीर्ष पर मुदित हो। [स्थान, तिथि]

-आम आदमी के जीवन में 'मानकों के महत्तव'पर जागरूकता लाने एवं उसके प्रचार के लिए समग्र कार्यनीति ।

योग्य बोलीदाता को, ये विचार बाद में स्वयं मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करने होंगे।

(To be stamped in accordance with Stamp Act if any, of the country for issuing bank) Ref.:

Bank Guarantee:

In consideration of The Bureau of Indian Standards, Government of India

Date:

Dear Sir,

(hereinafter referred as the - The Bureau, which expression shall, unless repugnant to the context of meaning thereof include its successors, administrators and assigns) having awarded to M/s [name of the Integrated Communications Agency] a [type of company], established under laws of [country] and having its registered office at [address] (hereinafter referred to as the - Integrated Communications Agency, which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, include its successors, administrators, executors and permitted assigns), an Assignment for preparation of [name of assignment] Work order by issue of The Bureau 's Work order Letter of Award No. [reference] dated [date] and the same having been unequivocally accepted by the Integrated Communications Agency, resulting in a Work order valued at Rs. [amount in figures and words] for (Scope of Work) (hereinafter called the - Work order) and the Integrated Communications Agency having agreed to furnish a Bank Guarantee amounting to Rs. [amount in figures and words] to The Bureau for performance of the said Agreement. We [Name of Bank] incorporated under [law and country] having its Head Office at [address](hereinafter referred to as the Bank), which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, include its successors, administrators executors and assigns) do hereby guarantee and undertake to pay The Bureau immediately on demand an or, all monies payable by the Integrated Communications Agency to the extent of Rs. [amount in figure and words] as aforesaid at any time up to [date] without any demur, reservation, contest, recourse or protest and/ or without any reference to the Integrated Communications Agency. Any such demand made by The Bureau on the Bank shall be conclusive and binding notwithstanding any difference between The Bureau and the Integrated Communications Agency or any dispute pending before any Court, Tribunal, Arbitrator or any other authority.

We agree that the Guarantee herein contained shall be irrevocable and shall continue to be enforceable until The Bureau discharges this guarantee.

The Bureau shall have the fullest liberty without affecting in any way the liability of the Bank under this Guarantee, from time to time to vary the advance or to extend the time for performance of the Work order by the Integrated Communications Agency nor shall the responsibility of the bank be affected by any variations in the terms and conditions of the work order or other documents. The Bureau shall have the fullest liberty without affecting this guarantee, to postpone from time to time the exercise of any powers vested in them or of any right which they might have against The Bureau and to exercise the same at any time in any manner, and either to enforce or to forbear to enforce any covenants, contained or implied, in the Work order between The Bureau and the Integrated Communications Agency any other course or remedy or security available to The Bureau. The Bank shall not be relieved of its obligations under these presents by any exercise by The Bureau of its liberty with reference to the matters aforesaid or any of them or by reason of any other act or forbearance or other acts of omission or commission on the part of The Bureau or any other indulgence shown by The Bureau or The Bank also agrees that The Bureau at its option shall be entitled to enforce by any other matter or thing whatsoever which under law would but for this this Guarantee against the Bank as a principal debtor, in the first instance provision have the effect of relieving the Bank. without proceeding against the Integrated Communications Agency and not withstanding any security or other guarantee that The Bureau may have in relation to the Integrated Communications Agency's liabilities.

This Guarantee shall be irrevocable and shall remain in full force and effect until discharge by the Bank of all its obligations hereunder. This Guarantee shall not be affected by any change in the constitution or winding up of the Integrated Communications Agency /the Bank or any absorption, merger or amalgamation of the Integrated Communications Agency /the bank with any other Person.

Notwithstanding anything contained herein above our liability under this guarantee is limited to Rs. [amount in figure and words] and it shall remain in force up to and including [date] and shall extend from time to time for such period(s) (not exceeding one year), as may be desired by M/s [name of the Integrated Communications Agency on whose behalf this guarantee has been given. Date this [date in words] day [month] of [year in - yyyy' format] at [place].

- 1. [signature, name and address]
- 2. [signature, name and address]

फॉर्म 3के : ईएमडी के स्थान पर बोलीदाताओं से बोली प्रतिभूति घोषणा का प्रारूप

(बोलीदाताओं के शीर्षपत्र पर)

मैं / हम, मैसर्स के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, विषय निविदा संख्या पीआरडी / आईसीए की नियुक्ति / 2021-22 में भाग ले रहे हैं। ब्यूरो और इसकी एकीकृत संचार एजेंसी के रूप में इसकी गतिविधियों के प्रचार और प्रसार के लिए जनसंपर्क और संचार रणनीति के विकास और का्र्यनिष्पादन के लिए, एतद्द्वारा घोषणा करते हैं:

- (i) कि मैंने/हमने उपर्युक्त निविदा के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय ईएमडी की छूट का लाभ उठाया है और उक्त निविदा के लिए कोई ईएमडी जमा नहीं की है।

बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
कंपनी का नाम

[टिप्पणी: संयुक्त उद्यम के मामले में, बोली के लिए जमा की जाने वाली बोली प्रतिभूति घोषणा पर संयुक्त उद्यम के सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए।]

फॉर्म 3एल : सीए से टर्नओवर और निवल मूल्य के लिए प्रमाणपत्र का प्रारूप

(सीए के शीर्ष पत्र पर)

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स का पंजीकृत कार्यालय है, जिसका वार्षिक टर्नओवर और निवल मूल्य रु. 25 करोड़ से कम नहीं है। विवरण इस प्रकार हैं:

	•	, ,	
वितीय वर्ष	कुल टर्नओवर	आईईसी से सर्वाधित टर्नओवर (रु. करोड़ में)	निवल मूल्य
	5	टर्नओवर (रु. करोड़ में)	
	(रु. करोड़ में)	, ,	(रु. करोड़ में)
	• • •		

तीय वर्ष 2016-17		
वित्तीय वर्ष 2017- 18		
वित्तीय वर्ष 2018- 19		
वित्तीय वर्ष 2019- 20		

यह प्रमाण पत्र मुझे प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी साक्ष्यों और लेखापरीक्षित खातों के आधार पर जारी किया गया है और जिनकी प्रतियां मेरे पास उपलब्ध हैं, यदि आयुष मंत्रालय द्वारा निर्देशित या मांग की जाती है तो मैं इन्हें प्रस्तुत करूंगा। प्रमाणपत्र मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

हस्ताक्षर	
व्यक्ति का नाम	
पदनाम	चाटेड अकाउटेट
फर्मे का नाम	
पंजीकरण सं./ सदस्यता सं.	
पता	
ईमेल एड्रेस	
संपर्क नंबर	

दिनांक:

स्थान:

फॉर्म 3एम : सामान्य वितीय नियमों के नियम 144 (xi) और उसके तहत जारी आदेश के अनुपालन के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप

(बोलीदाता के शीर्ष पत्र पर)

मैंने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोली लगाने वाले से खरीद पर प्रतिबंध के बारे में खंड पढ़ा है; मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि यह बोलीदाता ऐसे देश से नहीं है या, यदि ऐसे देश से है, तो सक्षम प्राधिकारी से पंजीकृत है। मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि यह बोलीदाता इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और विचार किए जाने के योग्य है।

सक्षम प्राधिकारी से पंजीकृत एजेंसियों के मामले में, एक वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न किया जाएगा । बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम कंपनी का नाम

खंड 4: वितीय प्रस्ताव - मानक प्रपत्र

फॉर्म4ए: वितीय प्रस्ताव प्रस्तुत करना

फॉर्म4बी: लागत का सारांश

फॉर्म 4ए: वितीय प्रस्ताव जमा करने का फॉर्म

[स्थान, तिथि]

प्रति

निदेशक (विपणन एवं सीए)

जनसंपर्क विभाग

भारतीय मानक ब्यूरो

9, बहादुर शाह जफर मार्ग,

नई दिल्ली-110002

महोदया/महोदय,

विषय: एकीकृत पत्राचार एजेंसी के चयन के लिए आरएफपी दिनांक [तारीख]

हम, अधोहस्ताक्षरी, आपके दिनांक [दिनांक] प्रस्ताव के अनुरोध और हमारे प्रस्ताव के अनुसार एकीकृत पत्राचार एजेंसी के लिए सेवाएं प्रदान करने की पेशकश करते हैं। हमारा संलग्न वितीय प्रस्ताव [राशि(राशि) शब्दों और अंकों में] के योग के लिए है।

हमारा वित्तीय प्रस्ताव प्रस्ताव की वैधता अविध की समाप्ति तक, यानी [तारीख] तक, अंकगणितीय सुधार, यदि कोई हो, के परिणामस्वरूप होने वाले संशोधनों के अधीन हम पर बाध्यकारी होगा।

हम यह वचन देते हैं कि, उपरोक्त असाइनमेंट के लिए (और, यदि हमें दिया जाता है, निष्पादित करने में) प्रतिस्पर्धा में, हम भारत में लागू धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनों अर्थात् "भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988" का सख्ती से पालन करेंगे.।

हम समझते हैं कि आप प्राप्त होने वाले किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

सादर,

अधिकृत हस्ताक्षर [पूर्ण और आद्याक्षर में]: हस्ताक्षरकर्ता का नाम और शीर्षक:

फर्म का नाम: पता:

वित्तीय मूल्यांकन के लिए, अविध के लिए कुल शुल्क पर विचार किया जाएगा। यह निश्चित वार्षिक शुल्क कार्य के दायरे में विस्तृत रूप से कार्य करने के लिए एकीकृत पत्राचार एजेंसी की लागत/व्यय को कवर करेगा।

कार्य के दायरे में सूचीबद्ध कार्य की प्रत्येक मद के लिए लागत का विवरण एक अलग कागज़ पर प्रस्तुत किया जाना है। वितीय मूल्यांकन के लिए व्यक्तिगत लागतों के इस ब्रेक-अप पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, भुगतान केवल प्रत्येक घटक की वास्तविक मात्रा के लिए प्राप्त सेवाओं के आधार पर किया जाएगा।

फॉर्म 4बी: लागत का सारांश बोलीदाता जहां लागू हो वहां लागू बीओसी (डीएवीपी) दरों से अधिक उद्धरण नहीं देंगे।

	ı		T	1	1
भाग	क्रमांक	मद का विवरण	लागत	प्रति	वर्ष
			पु.यू.*	सांकेतिक	
			रुपये में	मात्रा**	
क		मासिक रिटेनर शुल्क	(मासिक	12	
			शुल्क का		
	1.		उल्लेख		
			किया		
			जाना है)		
		मासिक रिटेनिंग शुल्क में			
		निम्नलिखित शामिल होंगेः			
		क. सोशल मीडिया प्रबंधन जिसमें			
		रचनात्मक विचारों का विकास,			
		अभियान, क्रिएटिव,			
		पोस्ट,पोस्ट के लिए कॉपी			
		राइटिंग, ब्यूरो के सोशल			
		मीडिया हैंडल के लिए प्रभावी			

		प्रतिक्रिया तंत्र का विकास और		
		सोशल मीडिया पर ब्यूरो की		
		उपस्थिति के लिए मासिक		
		निगरानी रिपोर्ट शामिल है।		
		ख. मीडिया स्कैनिंग और रिपोर्टिंग		
		अर्थात् बीआईएस के कवरेज/		
		प्रासंगिक की एक साप्ताहिक		
		रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि		
		आवश्यक हो, तो कवरेज की		
		तुरंत सूचना दी जाए)।		
ख		दर कार्ड नौकरियां		
	1.	विस्तृत सार्वजनिक वास्तविकताएं और		1
		् पत्राचार रणनीति		
	2.	ब्रांड मैन्अल		1
	3.	एचडी फोटोग्राफी - आधा दिन ३५-५०		35-50
		एचडी फोटोग्राफी - पूरा दिन		
	_	Zu igi		
	4.	प्रिंट के लिए क्रिएटिव		
		एचडी में विज्ञापन डिजाइनिंग प्रिंट करें		
		स्ट्रिप विज्ञापन/क्वार्टर पेज विज्ञापन/	(प्रति	10-12
		आधा पृष्ठ विज्ञापन	वर्ग	
			सेमी)	
	5.	प्रेस विज्ञित (1-2 पृष्ठ)		80
		प्रेस विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद		
	6.	रेडियो के लिए ब्रि	न्एटिव <u> </u>	
		रेडियो स्पॉट (अस्थायी रूप से 30		8
		सेकंड की अवधि) (प्रति 10 सेकंड के		
		आधार पर उद्धरण)		
		रेडियो स्पॉट का भाषा संस्करण (प्रति		80 (8X10
		भाषा) अस्थायी रूप से 30 सेकंड की		भाषा)
		अवधि		
	7.	एचडी में टीवी के लिए क्रिएटिव		6
		(फिल्मों/विज्ञापनों में 3डी एनिमेशन,		
		ग्राफिक्स हो सकते हैं)		
		टेलीविज़न कमर्शियल (30 सेकंड)		6
		क. टीवीसी के अनुकूलन (15/20		
•	1	y .		
		सेकंड)		
		संकड) ख. बीआईएस + अन्य विषयों की		5

		प्रमुख गतिविधियों/ पहलों पर		
		फिल्में (5-10 मिनट)		
		ग. फ़िल्मों की डबिंग (बिंदु ग)		50 (5X10
		(प्रति भाषा)		भाषाएं)
		घ. टीवीसी के लिए वीडियो की		60
		डबिंग (6X10)		
		ङ. फिल्में (10-15 मिनट की		5
		अवधि)		
		च. फिल्में (15-30 मिनट की		5
		अवधि)		
	8.	एचडी में डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए द्रि	फ्टिव	
		प्रचार अभियान फिल्म - साक्षात्कार		12
		के नेतृत्व में (२-६ मिनट की अवधि)		
		घटना और अन्य सूचना आधारित		12
		वीडियो आदि (२-६ मिनट की		
		अवधि)		
		2डी एनिमेशन फिल्म (2-3 मिनट की		5
		अवधि)		
		3डी एनिमेशन फिल्म (30 सेकंड से 2		4
		मिनट)		
	9.	न्यू मीडिया/सोशल मीडिया के लिए क्रिग	। एटिव	
_	,	जीआईएफ (५ सेकंड)		180
				.00
		फेसबुक लाइव / पेरिस्कोप / लाइव		
		ट्विटर चैट / क्यू एंड ए / गूगल		
		हैंगआउट / वेबिनारः प्रति लाइव		
		संगीत या वॉयस ओवर के साथ सोशल		
		मीडिया के लिए 5 से 15 सेकेंड का		
		एनिमेशन		
		प्रभावशाली		12
		लोगों/विचारकों/हितधारकों के ब्लॉग		
		बीआईएस द्वारा ब्लॉग (800 शब्दों में)		24
		सोशल मीडिया पर भुगतान किए गए		6
		अभियानों के लिए सुविधा शुल्क		
		(प्रतिशत में)** (मूल एजेंसी/Google		
		से वास्तविक बिल से अधिक)।		
		डिस्प्ले बोर्ड (रिसेप्शन क्षेत्रों में)		15-16 प्रति
		क्रिएटिव (प्रति दिन ४-५) और इसका		माह
		प्रबंधन (प्रति माह के आधार पर		

	उद्धरण)		
	क्रिएटिव में संशोधित सोशल		
	मीडियापोस्ट, जीआईएफ, टीवी स्पॉट,		
	दिन का विचार, उद्धरण, दिन का		
	मीटिंग शेड्यूल, अभिलेखीय सामग्री		
	इत्यादि शामिल हैं। क्रिएटिव में		
	संशोधित सोशल मीडिया पोस्ट,		
	जीआईएफ, टीवी स्पॉट, दिन का		
	विचार, उद्धरण, दिन की मीटिंग		
	शेड्यूल, अभिलेखीय सामग्री इत्यादि		
	शामिल हैं।		
10.	आउटडोर मीडिया के लिए क्रिएटिव	(OOH):	प्रति क्रिएटिव
	डिजाइनिंग	, ,	
	आउटडोर क्रिएटिव (एचडी) डिजाइन		6
	करना		
11.	बुकलेट/साहित्य (केवल डिजाइनिंग)		
	ई-पुस्तक का विकास: प्रति पृष्ठ दरें		2
	एचडी प्रारूप (जिसे बाद में बुकलेट के		
	रूप में मुद्रित किया जा सकता है) और		
	उपयुक्त प्रारूप ई-बुक के रूप में पृष्ठों		
	की संख्या: 200 से 400		
	पुराने उपलब्ध चित्रों के उन्नयन के		
	साथ एचडी चित्र		
	लेआउट डिजाइनिंग, प्रूफ रीडिंग,		
	पुनर्लेखन, यदि आवश्यक हो तो		
	ईबुक को ब्यूरो की वेबसाइट पर		
	अपलोड करने की सुविधा		
	भाषाः हिंदी और अंग्रेजी (अंग्रेजी और		
	हिंदी में सामग्री प्रदान की जाएगी)।		
	पृष्ठवार निष्पादन, पृष्ठ कर्ल प्रभाव और		
	ध्वनि प्रभाव के साथ फ़्लिपिंग		
	बैक एंड में अपडेट होने में सक्षम		
	सभी पृष्ठों पर प्रदर्शित होने के लिए		
	'होम पर जाएं' बटन		
	पाठ आकार में वृद्धि और कमी।		
	पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करने		
	योग्य।		
	कॉफी टेबल बुक (एचडी)		
	डिजाइनिंग, एडिटिंग, रिड्राफ्टिंग,		
	प्रूफरीडिंग : प्रति पेज के आधार पर		
	दरें		

	पॉकेट बुकलेट डिजाइनिंग एचडी (10	दरें प्रति यूनिट
	से 20 पेज) में	
	एचडी में रिपोर्ट (100 से 200 पेज+	1 प्रत्येक
	कवर)	
	डिजाइनिंग, संपादन, पुन: प्रारूपण,	
	प्रूफरीडिंग	
	हिंदी और अंग्रेजी	
	एचडी में कैलेंडर डिजाइनिंग 12+2	1
	(महीने में एक पेज और कवर +	
	छुट्टियों की सूची)	
	एचडी में डायरी डिजाइनिंग	1
	240 पेज (120 लीफ) सेपरेटर पेज:	
	कवर के साथ 12 पेज	
	एचडी में ब्रोशर/फ्लायर डिजाइनिंग	12
	एक तरफा A4 आकार पृष्ठ के लिए	
	भाव (किसी भी अन्य आकार की	
	गणना आनुपातिक आधार पर की	
	जाएगी)	
12.	बैनर/स्टैंडी डिजाइनिंग	60
	कुल लागत (करों को छोड़कर)	

* केवल कुल में प्रति यूनिट लागत पर वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु विचार करें।

** ब्यूरो की आवश्यकताओं के आधार पर, वास्तविक मात्रा सांकेतिक मात्रा से भिन्न हो

सकती है (जैसा कि उपरोक्त संशोधनों पर विचार करने के बाद निविदा दस्तावेज के खंड 2

के भाग 1 में दिया गया है) और भुगतान वास्तविक मात्रा या सेवाओं के अनुसार जारी

किया जाएगा या केवल मांगा जायेगा।

*** भुगतान के समय लागू होने पर, सुविधा शुल्क (प्रतिशत में) सिहत एजेंसी बिल के साथ सोशल मीडिया हैंडल (मूल एजेंसी/गूगल) के मालिक से वास्तविक बिल जमा करना होगा।

कृपया ध्यान दें:

- 1. अनुबंध की अवधि के दौरान लागत स्थिर रहेगी।
- 2. ऊपर उल्लिखित सेवाओं की मांग और जब भी आवश्यकता होगी, 'रिटेनिंग शुल्क' को छोड़कर, जो एजेंसी के ऑन-बोर्ड होने तक मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

सेवा स्तर समझौता ब्यूरो और एकीकृत पत्राचार एजेंसी के बीच निष्पादित किया जाएगा मेसर्स _____ (सफल बोलीदाता का नाम और पता) के बीच के इस _____ दिन पर किया गया यह समझौता (इसके बाद एजेंसी के रूप में जाना जाता है, जो अभिव्यक्ति होगी, जब तक कि यह प्रतिकूल न हो एक भाग और भारतीय मानक ब्यूरो, 9, बहाद्र शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 (इसके बाद के रूप में संदर्भित, जो अभिव्यक्ति होगी, जब तक कि यह संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, अन्य भाग के अर्थ और उसके उत्तराधिकारी और समन्देशितियों को शामिल करें) समझा जाए। जबिक एजेंसी एक सेवा प्रदाता है। और जबिक ब्यूरो संसद द्वारा अधिनियमित एक निगमित निकाय है। ब्यूरो अनुबंध के आधार पर _____ को खरीदने/खरीदने का इरादा रखता है, इसलिए खुली या विज्ञापित/सीमित/एकल निविदा पूछताछ दिनांक _____ के माध्यम से बोलियां आमंत्रित करता है। जबिक एजेंसी ने बोली दस्तावेज के अनुसार _____ के माध्यम से अपनी बोली प्रस्तुत की और बोली प्रक्रिया और अनुबंध की कीमतों पर बातचीत के अनुसार 'सफल बोलीदाता' के रूप में चुना गया, एजेंसी को 'स्वीकृति पत्र' को (एलओए) संख्या ____ से सम्मानित किया गया। आरएफपी/निविदा दस्तावेज दिनांक _____ में उल्लिखित सभी नियम और शर्तें इस समझौते का हिस्सा होंगी। यहां दोनों पक्ष एकीकृत पत्राचार एजेंसी की नियुक्ति के प्रस्ताव के अनुरोध में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं। (ब्यूरो के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर) (एजेंसी के हस्ताक्षर/ अधिकृत प्रतिनिधि) पदनाम___ पदनाम_ पता पता__

फर्म/कंपनी की मुहर	ब्यूरो की मुहर
साक्षी :	साक्षी :
(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर)	
गवाह का नाम	गवाह का नाम
पता पता	1416 341 51101

बोलीदाता के लेटरहेड पर

"ब्यूरो" और "बोलीदाता" एतद्द्वारा अनुबंध के किसी भी पहलू पर लेनदेन को प्रभावित करने के लिए किसी भी गतिविधि या कार्रवाई सिहत किसी भी भ्रष्ट आचरण में शामिल नहीं होने के लिए सहमत हैं और ब्यूरो से संबंधित सभी गतिविधियाँ में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपायों को पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उपयोगकर्ता निम्नानुसार सत्यनिष्ठा संधि दिशानिर्देशों का पालन करने और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं:

प्रस्तावना

ब्यूरो भूमि के सभी प्रासंगिक कानूनों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग और अपने बोलीदाता के साथ अपने संबंधों में निष्पक्षता/पारदर्शिता के पूर्ण अनुपालन को महत्व देता है।

खंड 1- ब्यूरो की प्रतिबद्धताएं

- 1. ब्यूरो भ्रष्टाचार को रोकने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है:
- क) ब्यूरो का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से, बोली लगाने या किसी व्यक्ति के निष्पादन के संबंध में, कोई भी सामग्री या अभौतिक लाभ नहीं देगा, जिसका वह व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है।
- ख) ब्यूरो बोली प्रक्रिया के दौरान सभी बोलीदाताओं के साथ समानता और तर्क के साथ व्यवहार करेगा। ब्यूरो विशेष रूप से, बोली प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान, सभी बोलीदाताओं को समान जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी बोलीदाता को गोपनीय / अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिसके माध्यम से बोलीदाता प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन के संबंध में लाभ प्राप्त कर सके।
- ग) ब्यूरो इस प्रक्रिया से सभी ज्ञात पूर्वाग्रही व्यक्तियों को बाहर कर देगा।
- 2. यदि ब्यूरो अपने किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में सूचना प्राप्त करता है जो आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत एक आपराधिक अपराध है, या इस संबंध में कोई वास्तविक संदेह है, तो ब्यूरो मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा और इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

- 1. आपूर्तिकर्ता भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता है। वह बोली प्रक्रिया में भाग लेने और अनुबंध निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करता है।
- क) बोलीदाता, सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, बोली प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन में शामिल ब्यूरों के किसी भी कर्मचारी को या किसी तीसरे व्यक्ति को कोई भी सामग्री या अन्य लाभ नहीं देगा, जिसके वह अनुबंध के निष्पादन से पहले या उसके दौरान बदले में कोई लाभ प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से हकदार नहीं है।
 - ख) बोलीदाता अन्य बोलीदाताओं के साथ किसी भी अज्ञात समझौते या सहमित पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणपत्रों, सहायक अनुबंधों, बोलियों को प्रस्तुत करने या प्रस्तुत न करने या प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रतिबंधित करने या बोली प्रक्रिया में कार्टेलाइज़ेशन शुरू करने के लिए किसी भी अन्य कार्रवाई पर लागू होता है।
 - ग) बोलीदाता प्रासंगिक आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेगा; इसके अलावा, बोलीदाता प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के प्रयोजनों के लिए या दूसरों को, व्यावसायिक संबंध के हिस्से के रूप में ब्यूरो द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी या दस्तावेज, योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों के बारे में, जिसमें निहित जानकारी शामिल है या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित अनुचित तरीके से उपयोग नहीं करेगा।
 - घ) बोलीदाता, अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, अपने द्वारा किए गए किसी भी और सभी भुगतानों का खुलासा करेगा, जो अनुबंध देने के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थों को देने के लिए प्रतिबद्ध है या करने का इरादा रखता है।
 - 2. बोलीदाता तीसरे व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अपराध करने के लिए नहीं उकसाएगा या ऐसे अपराधों का सहायक नहीं होगा.

खंड 3: बोली प्रक्रिया से अयोग्यता और भविष्य के अनुबंधों से बहिष्करण

यदि बोलीदाता, संविदा देने से पहले या निष्पादन के दौरान, धारा 2 के उल्लंघन के माध्यम से, ऊपर या किसी अन्य रूप में उल्लंघन करता है जैसे कि उसकी विश्वसनीयता या विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाने के लिए, ब्यूरो बोली प्रक्रिया से बोली लगाने वाले को अयोग्य घोषित करने या GeM पोर्टल पर उपलब्ध "घटना प्रबंधन नीति" में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करने का हकदार है।

खंड 4: नुकसान के लिए क्षतिपूर्ती

1. यदि ब्यूरो ने बोली लगाने वाले को धारा 3 के अनुसार संविदा देने से पहले बोली प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया है, तो ब्यूरो बोलीदाता के बोली प्रस्ताव को अस्वीकार करने का हकदार 2. यदि ब्यूरो ने धारा 3 के अनुसार अनुबंध को समाप्त कर दिया है, या यदि ब्यूरो धारा 3 के अनुसार अनुबंध को समाप्त करने का हकदार है, तो ब्यूरो कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी के बराबर राशि की बोलीदाता से क्षिति की मांग करने और वसूली का हकदार होगा।

खंड 5: पिछला अपराध

1. बोलीदाता घोषणा करता है कि पिछले तीन वर्षों में किसी भी सरकारी संगठन के साथ ऐसा कोई उल्लंघन नहीं हुआ है जो बोली प्रक्रिया से उसके बहिष्करण को उचित ठहरा सके।

2. यदि बोलीदाता इस विषय पर गलत बयान देता है, तो उसे बोली प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है और "घटना प्रबंधन नीति" में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर)

खंड 7: फर्म या कंपनी की गैर-ब्लैकलिस्टिंग के संबंध में घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म या कंपनी को केंद्र सरकार/राज्य सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग या पीएसयू या नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैस्कॉम) या केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अधीन अन्य निकायों द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।

दिनांक2022 का दिन।

प्राधि	कृत अधि	कारी के	हस्ताक्षर	
हस्ताक्षरकर्ता	का नाम	और पत	- 11	
				

खंज 8: फर्म या कंपनी के खिलाफ किसी भी आपराधिक मामले की कोई पेंडेंसी या कानून की किसी भी अदालत द्वारा दोषसिद्धि के संबंध में घोषणा

मैं/हम घोषणा करते हैं कि भारत में कहीं भी फर्म या कंपनी या उसके मालिक या भागीदारों या निदेशकों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज या लंबित नहीं है। मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि न तो मैं/हम और न ही हमारी फर्म/कंपनी किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी या किसी न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया है।

	दिनांक	2022		का दिन।
प्राधिकृत	अधिकारी	के हस्ता	क्षर	
हस्ताक्षरकर्ता का	नाम और	पता		
		দ্য	र्म/कंपनी	की मुहर

1.1 परिभाषित शर्तें

- 1) "एजेंट" किसी अन्य के लिए कोई कार्य करने के लिए या तीसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित व्यक्ति है। सार्वजनिक खरीद के संदर्भ में, एक एजेंट एक प्रतिनिधि होता है जो अपने प्रिंसिपल के लिए और उसकी ओर से निविदा प्रक्रिया में भाग लेता है।
- 2) "अधिकृत अधिकारी" का अर्थ उस अधिकारी से है जिसे ब्यूरो की ओर से संबंधित अनुबंध को निष्पादित करने का अधिकार दिया गया है।
- 3) "लाभार्थी" (सेवाओं/कार्यों का) का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसके लिए अनुबंध में निर्दिष्ट सेवाओं/कार्यों को वितरित किया जाना है।
- 4) "बोली" (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'प्रस्ताव', 'उद्धरण' या 'प्रस्ताव' सहित) का अर्थ है ऐसे प्रस्तावों को आमंत्रित करने वाले दस्तावेज़ में माल, सेवाओं की आपूर्ति या निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार किए गए कार्यों के निष्पादन का प्रस्ताव।
- 5) "बोलीदाता" ब्यूरो के साथ एक निविदा प्रक्रिया में भाग लेना (कुछ संदर्भों में 'बोलीदाता', 'सलाहकार' या 'सेवा प्रदाता' शब्द सिहत) का अर्थ है कोई भी पात्र व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें एक संयुक्त उद्यम या संघ शामिल है (जो कई व्यक्तियों का एक संघ है, या फर्म या कंपनियां)।
- 6) "बिल की मात्रायें" (मूल्य अनुसूची या बीओक्यू शब्द सहित) का अर्थ बोली का हिस्सा बनने वाली मात्रा का मूल्य और पूरा बिल है।
- 7) "परामर्श सेवाएं" सेवाओं की एक श्रृंखला को कवर करती हैं जो सलाहकार या पेशेवर प्रकृति की होती हैं और सलाहकारों द्वारा प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं में आम तौर पर विशेषज्ञ या रणनीतिक सलाह प्रदान करना शामिल होता है, जैसे प्रबंधन सलाहकार, नीति सलाहकार या पत्राचार सलाहकार। सलाहकार और परियोजना से संबंधित परामर्श सेवाएं जिनमें शामिल हैं, उदाहरण के लिए: व्यवहार्यता अध्ययन, परियोजना प्रबंधन, इंजीनियरिंग सेवाएं, वास्तुकला सेवाएं, वित्त लेखा और कराधान सेवाएं, प्रशिक्षण और विकास। इसमें छोटे कार्य या माल या अन्य सेवाओं की आपूर्ति शामिल हो सकती है जो ऐसी सेवाओं के लिए आकस्मिक या परिणामी हैं;
- 8) "अनुबंध" का अर्थ है पत्र या जापन जो ठेकेदार को उसकी बोली की स्वीकृति के बारे में सूचित करता है और इसमें संविदा देने की अधिसूचना, अनुबंध की सामान्य शर्तें, विशेष, और अन्य शर्तें और औपचारिक अनुबंध दस्तावेज शामिल हैं, जिसमें इसके अनुबंध शामिल हैं, यदि निष्पादित किया जाता है;
- 9) "ठेकेदार" या "आपूर्तिकर्ता" का अर्थ है वह व्यक्ति या फर्म जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करता है। इस शब्द में उनके कर्मचारी, एजेंट, उत्तराधिकारी,

अधिकृत डीलर, स्टॉकिस्ट और वितरक शामिल हैं। अन्य सजातीय शब्द हैं: विक्रेता, फर्म, निर्माता, ओईएम, बोलीदाता आदि;

- 10) "दिन" का अर्थ कैलेंडर दिवस है।
- 11) "आरेखण" का अर्थ है विशिष्टताओं या निविदा दस्तावेज़ / अनुबंध में निर्दिष्ट या संलग्न ड्राइंग या चित्र;
- 12) "उपकरण" का अर्थ है सेवा के निष्पादन के लिए अस्थायी रूप से साइट पर लाए गए ठेकेदार की मशीनरी और वाहन।
- 13) "सामान्य शर्तें" का अर्थ है अनुबंध की सामान्य शर्तें, जिन्हें जीसीसी भी कहा जाता है।
- 14) "माल" (कुछ संदर्भों में 'सेवाएं', 'सामग्री' शब्द सहित) में सभी वस्तुयें, सामग्री, वस्तु, लाइवस्टॉक, दवाएं, फर्नीचर, जुड़नार, कच्चा माल, उपभोग्य वस्तुएं, स्पेयर पार्ट्स, उपकरण, मशीनरी शामिल हैं। , उपकरण, औद्योगिक संयंत्र, वाहन, विमान, जहाज, रोलिंग स्टॉक असेंबली, सब-असेंबली, सहायक उपकरण, मशीनों का एक समूह जिसमें एक एकीकृत उत्पादन प्रक्रिया या ऐसी अन्य श्रेणियों के सामान या अमूर्त, उत्पाद जैसे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, लाइसेंस, पेटेंट या अन्य शामिल हैं। बौद्धिक संपदा (लेकिन पुस्तकालय के लिए पुस्तकों, प्रकाशनों, पत्रिकाओं आदि को छोड़कर), प्राप्त या अन्यथा अर्जित की गई। माल की खरीद में कुछ छोटे काम या कुछ सेवाएं शामिल हो सकती हैं, जो ऐसे सामानों की आपूर्ति के लिए आकस्मिक या परिणामी हैं, जैसे परिवहन, बीमा, स्थापना, कमीशनिंग, प्रशिक्षण और रखरखाव;
- 15) "सरकार" का अर्थ केंद्र सरकार जैसा भी मामला हो;
- 16) "निरीक्षण" का अर्थ है उत्पाद या सेवा की एक या अधिक विशेषताओं को मापना, जांचना, परीक्षण करना, विश्लेषण करना, मापना और अनुरूपता निर्धारित करने के लिए निर्दिष्ट आवश्यकता के साथ इसकी तुलना करना।.
- 17) "संयुक्त उद्यम" का अर्थ है एक संयुक्त उद्यम या एक संघ (जो कई व्यक्तियों, या फर्मों या कंपनियों का एक संघ है जिसे जेवी / सी भी कहा जाता है)
- 18) "सामग्री" का अर्थ है उपभोग्य सामग्रियों सिहत सभी आपूर्ति, जिसका उपयोग ठेकेदार द्वारा सेवा के निष्पादन के लिए या उसके कर्मचारियों द्वारा उपयोग के लिए किया जाता है।
- 19) "सेवाओं की आउटसोर्सिंग" का अर्थ है अन्य सेवाओं के निष्पादन के लिए निरंतर लंबी अविध (एक वर्ष या अधिक के लिए) पर बाहरी एजेंसियों की तैनाती, जो परंपरागत रूप से मंत्रालयों / विभागों के कर्मचारियों द्वारा आंतरिक रूप से की जा रही थी (जैसे, सुरक्षा सेवाएं, हॉर्टिकल्चर सर्विसेज, हॉस्टल और गेस्ट हाउस के लिए चौकीदार/कुकिंग/कैटरिंग/मैनेजमेंट सर्विसेज, सफाई/हाउसकीपिंग सर्विसेज, एरंड/मैसेंजर सर्विसेज आदि)। आउटसोर्सिंग के

अलावा, अन्य सेवाओं में अल्पकालिक स्टैंडअलोन सेवाओं की खरीद भी शामिल है।

- 20) "पक्ष"। अनुबंध के पक्ष "ठेकेदार" और "ब्यूरो" हैं, जैसा कि इस खंड में परिभाषित किया गया है;
- 21) "निष्पादन सुरक्षा" का अर्थ सफल बोलीदाता द्वारा उस पर रखे गए अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जाने वाली मौद्रिक गारंटी से है। निष्पादन सुरक्षा को सुरक्षा जमा या निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में भी जाना जाता है।
- 22) "खरीद" या "सार्वजनिक खरीद" (या कुछ संपर्कों में 'खरीद', या 'सरकारी खरीद/खरीद') का अर्थ है खरीद, पट्टे, लाइसेंस या अन्यथा, सार्वजनिक धन या धन के किसी अन्य स्रोत का उपयोग करके अधिग्रहण (जैसे अनुदान, ऋण, उपहार, निजी निवेश आदि) माल, कार्यों या सेवाओं या उसके किसी भी संयोजन, जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को देना शामिल है, चाहे सीधे या किसी एजेंसी के माध्यम से जिसके साथ खरीद सेवाओं के लिए अनुबंध किया गया हो, लेकिन बिना प्रतिफल के माल, कार्यों या सेवाओं का कोई अधिग्रहण शामिल नहीं है, और "खरीद" या "खरीदा" शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;
- 23) "खरीद प्रक्रिया" का अर्थ है आवश्यकता के आकलन से लेकर खरीद की प्रक्रिया; पूर्व-अर्हता या पंजीकरण या बोली लगाने के लिए आमंत्रण जारी करना, जैसा भी मामला हो; खरीद अनुबंध प्रदान करना; अनुबंध की समाप्ति तक अनुबंध का निष्पादन:
- 24) "अनुस्चित वाणिज्यिक बैंक" का अर्थ एक बैंक है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 (ई) के तहत अनुस्चित बैंक के रूप में परिभाषित किया गया है।
- 25) "सेवा" को अपवाद के रूप में परिभाषित किया गया है, सामान या कार्यों के अलावा खरीद के किसी भी विषय के रूप में, सेवा के लिए आकस्मिक या परिणामी को छोड़कर और इसमें भौतिक, रखरखाव, पेशेवर, बौद्धिक, प्रशिक्षण, परामर्श और सलाहकार सेवाएं या वर्गीकृत कोई अन्य सेवा शामिल है। या एक खरीद संगठन द्वारा इस तरह घोषित किया गया है लेकिन इसमें किसी भी कानून, नियमों, विनियमों या इस संबंध में जारी आदेश के तहत किसी व्यक्ति की नियुक्ति शामिल नहीं है। इसमें 'परामर्श सेवाएं' और 'अन्य (गैर-परामर्शी) सेवाएं' शामिल हैं;
- 26) "डिलीवरी की साइट" का अर्थ है भूमि, रिक्त स्थान, और अन्य स्थान, जिसके तहत, या जिसके माध्यम से सेवाएं दी जानी हैं और अनुबंध के उद्देश्य के लिए खरीद संगठन द्वारा प्रदान की गई कोई अन्य भूमि या स्थान।

- 27) "विशेष शर्तें" का अर्थ है अनुबंध की विशेष शर्तें, जो सामान्य शर्तों से आगे निकल जाती हैं, जिन्हें SCC भी कहा जाता है।
- 28) "विनिर्देश" या "तकनीकी विशिष्टता" का अर्थ है ड्राइंग / दस्तावेज़ / मानक जो उस आवश्यकता को निर्धारित करता है जिसके लिए उत्पाद या सेवा को अनुरूप होना है।
- 29) "हस्ताक्षरित" में बोली की स्वीकृति या उसके किसी संशोधन के मामले को छोड़कर, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित और या मुद्रांकित शामिल है;
- 30) "उप-ठेकेदार" का अर्थ है एक व्यक्ति या कॉर्पोरेट निकाय जिसका ठेकेदार के साथ अनुबंध में निर्माण कार्य या नियमित रखरखाव का एक हिस्सा है, जिसमें साइट पर काम शामिल है।
- 31) "अस्थायी कार्य" का अर्थ है ठेकेदार द्वारा डिज़ाइन, निर्मित, स्थापित और हटाए गए कार्य जो सेवाओं के निष्पादन के दौरान आवश्यक हैं।
- 32) "वेरिएशन" का अर्थ अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया एक निर्देश है, जो निष्पादित की गई सेवा के दायरे, मात्रा या निष्पादन मानकों को बदलता है।
- 33) "निविदा"; "निविदा दस्तावेज़"; "निविदा पूछताछ" या "निविदा प्रक्रिया" या "प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी)": निविदा दस्तावेज का अर्थ है एक निविदा प्रक्रिया में बोलियां आमंत्रित करने के लिए ब्यूरो द्वारा प्रकाशित दस्तावेज (इसके सभी अनुभागों, प्रपत्रों और प्रारूपों आदि सहित), जो निविदा दस्तावेज के प्रकाशन से अनुबंध के परिणामी प्रदान करने तक की पूरी प्रक्रिया है। दोनों निविदा दस्तावेज, साथ ही निविदा प्रक्रिया को सामान्य रूप से "निविदा' या 'निविदा पूछताछ' के रूप में संदर्भित किया जा सकता है जो अस्पष्टता के बिना संदर्भ से स्पष्ट होगा।
- 2. अनुबंध
- 2.1 व्याख्या और सामान्य मामले
- 2.1.1 सामान्य व्याख्याएं

जहां संदर्भ के सिवाय अन्यथा इस पूरे अनुबंध में आवश्यक हो:

- 1) शीर्षक केवल संदर्भ के लिए हैं और अनुबंध में व्याख्याओं को सीमित, परिवर्तित या प्रभावित नहीं करेंगे।
- 2) एकवचन शब्दों में शामिल बह्वचन और इसके विलोमतः शामिल होते हैं।
- 3) पुल्लिंग अभिप्राय करने वाले शब्दों को अन्य लिंगों को शामिल करने के लिए लिया जाएगा और शब्दों को शामिल करने वाले व्यक्तियों में कोई भी कंपनी या

संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल होगा, चाहे शामिल किया गया हो अथवा नहीं

- 4) यहां परिभाषित नहीं किए गए नियमों और अभिव्यक्तियों का अर्थ भारतीय माल बिक्री अधिनियम, 1930 (संशोधित) या भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (संशोधित) या सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (संशोधित) में निर्दिष्ट अर्थ होगा, के रूप में मामला हो सकता है।
- 5) जीसीसी के किसी भी सामान्य संदर्भ में एससीसी का भी संदर्भ होगा।
- 6) विवाद के मामले में, एससीसी के प्रावधान और निविदा दस्तावेज या प्रस्ताव के लिए अनुरोध या रुचि की अभिव्यक्ति जीसीसी में उन पर लागू होगी।

2.1.2 गंभीरता

यदि इस अनुबंध का कोई प्रावधान या शर्त निषिद्ध है या अमान्य या अप्रवर्तनीय है, तो इस तरह का निषेध, अमान्यता या अप्रवर्तनीयता इस अनुबंध के किसी भी अन्य प्रावधानों और शर्तों की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगी।

2.2 संशोधन/संशोधन

- 1) पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित संशोधन के अलावा अनुबंध की शर्तों में कोई बदलाव या संशोधन नहीं किया जाएगा। अनुबंध के किसी भी प्रावधान की स्थिति में अनुबंध दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद संशोधित करने की आवश्यकता होती है, संशोधन लिखित रूप में किए जाएंगे और ब्यूरो और ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और कोई भी सेवा ऐसे संशोधनों के तहत तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि ऐसा नहीं किया गया हो। किया हुआ। परिवर्तन और संशोधन के लिए अनुरोध ठेकेदार द्वारा ब्यूरो को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ब्यूरो किसी भी समय अनुबंध की अवधि के दौरान, स्वप्रेरणा से या ठेकेदार के अनुरोध पर, लिखित आदेश द्वारा, अनुबंध के सामान्य दायरे में परिवर्तन और संशोधन करके अनुबंध में संशोधन कर सकता है।
- 2) यदि ठेकेदार ब्यूरो द्वारा किए गए स्व-प्रेरणा संशोधन/संशोधन के लिए सहमत नहीं है, तो ठेकेदार ब्यूरो के संशोधन/परिशोधन के संशोधन की ठेकेदार की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर ब्यूरो को अपने विचार व्यक्त करेगा। अन्यथा, यह मान लिया जाएगा कि ठेकेदार ने संशोधन के लिए सहमति दे दी है।
- 3) अनुबंध को छोड़ने, संशोधित करने, विस्तारित करने, कम करने या पूरक करने वाली कोई भी मौखिक या लिखित व्यवस्था सशर्त मानी जाएगी और ब्यूरो पर बाध्यकारी नहीं होगी जब तक कि इसे औपचारिक साधन में शामिल नहीं किया जाता है और हस्ताक्षर नहीं किया जाता है। ब्यूरो और ठेकेदार द्वारा, और तब तक ब्यूरो को ऐसी व्यवस्थाओं को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

2.3 छूट और सहनशीलता

इस अनुबंध के तहत किसी भी छूट, सहनशीलता, या इसी तरह की कार्रवाई के संबंध में निम्नलिखित लागू होंगे:

- क) इस अनुबंध के तहत ब्यूरो के अधिकारों, शिक्तयों या उपायों की कोई भी छूट लिखित, दिनांकित और एक अधिकृत अधिकारी या ब्यूरो के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए जो ऐसी छूट प्रदान करती है, और उन शर्तों को निर्दिष्ट करना चाहिए जिनके तहत छूट दी जा रही है। .
- ख) इस अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने में ब्यूरो द्वारा कोई छूट, सहनशीलता, देरी, या लिसता या ठेकेदार को ब्यूरो द्वारा समय का विस्तार प्रदान करना, किसी भी तरह से, पूर्वाग्रह, प्रभावित या प्रतिबंधित नहीं करेगा। इस अनुबंध के तहत ब्यूरों के अधिकार, न ही अनुबंध के किसी भी उल्लंघन के ब्यूरों द्वारा किसी भी छूट को अनुबंध के किसी भी अनुवर्ती या निरंतर उल्लंघन की छूट के रूप में संचालित किया जाएगा।

2.4 पक्ष

2.4.1 पक्ष

अनुबंध के पक्षकार ठेकेदार और ब्यूरो हैं, जैसा कि ऊपर खंड 1.1 में परिभाषित किया गया है।

- 3.शासी कानून और क्षेत्राधिकार और श्रम कानून और संबंधित दायित्व
- 3.1 शासी कानून और क्षेत्राधिकार
- 3.1.1 शासी कानून: अनुबंध को भारतीय कानूनों के तहत शासित और व्याख्यायित किया जाएगा।
- 3.1.2 कानूनी क्षेत्राधिकार: केवल दिल्ली की स्थानीय सीमाओं के भीतर अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालयों को छोड़कर, किसी भी न्यायालय में ठेकेदार द्वारा अनुबंध के निष्पादन या उल्लंघन से संबंधित कोई मुकदमा या अन्य कार्यवाही दायर या ली नहीं की जाएगी।
- 3.2 श्रम कानून और संबंधित दायित्व
- 3.2.1 स्वतंत्र ठेकेदार
- 1) ठेकेदार की स्थिति एक स्वतंत्र ठेकेदार और उसके या अन्य सहयोगियों द्वारा अनुबंध के दौरान तैनात कर्मचारियों के प्राथमिक नियोक्ता की होगी। केवल इस अनुबंध के अनुसार प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर ठेकेदार, उसके कर्मचारी, इस अनुबंध के तहत काम करने वाले एजेंट ब्यूरों के कर्मचारी या एजेंट नहीं हैं।
- 2) केवल ठेकेदार ही कानूनों और विनियमों आदि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा, जो श्रम कानूनों तक सीमित नहीं है; इस निविदा दस्तावेज के तहत सेवाओं को नियंत्रित करने और इस संबंध में ब्यूरो का कोई दायित्व नहीं होगा।

4. पत्राचार

4.1 पत्राचार

- 1) अनुबंध के तहत सभी पत्राचार पक्षों द्वारा लिखित रूप में, अनुबंध की भाषा में और व्यापार और वाणिज्यिक लेनदेन में प्रथागत और स्वीकार्य तरीके से प्रस्तुत किये जाएगें।
- 2) इस तरह के पत्राचार की प्रभावी तिथि या तो वह तारीख होगी जब प्राप्तकर्ता को वितरित की जाएगी या पत्राचार में विशेष रूप से उल्लिखित प्रभावी तिथि, जो भी बाद में हो।
- 3) अनुबंध के संशोधन के औपचारिक पत्र को छोड़कर, यथा अभिकल्पित अनुबंध के नियमों और शर्तों में संशोधन के लिए कोई पत्राचार नहीं होगा, इस प्रकार नामित।

4.2 पत्राचार पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति

अनुबंध के सभी उद्देश्यों के लिए, इसके तहत मध्यस्थता सहित, अन्य पक्ष को सभी पत्राचार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे:

- (क) ठेकेदार के मामले में, वह व्यक्ति जिसने अपनी ओर से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसा करने के लिए अपने अधिकार का खुलासा किए बिना, ठेकेदार की ओर से होने या होने के लिए अनुबंध के संबंध में पत्राचार पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को यह वारंट माना जाएगा कि उसके पास ठेकेदार को बाध्य करने का अधिकार है। यदि किसी भी समय यह पता चलता है कि हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, तो ब्यूरो किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नीचे दिए गए खंड 14.1 के अनुसार अनुबंध को समास कर सकता है और उपलब्ध सभी उपायों का लाभ उठा सकता है। उसमें और ऐसे व्यक्ति को अनुबंध की समाप्ति के लिए ऐसे उपायों से उत्पन्न होने वाली सभी लागतों और क्षतियों के लिए व्यक्तिगत रूप से ब्यूरो के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं।
- (ख) जब तक अन्यथा अनुबंध या एससीसी में निर्धारित नहीं किया जाता है, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकृत अधिकारी ब्यूरो की ओर से अनुबंध और पत्राचार पर हस्ताक्षर करेगा। अनुबंध या एससीसी में उल्लिखित सेवाओं के लाभार्थी और भुगतान करने वाले प्राधिकरण भी अनुबंध निष्पादन के दौरान संबंधित कार्यों का प्रबंधन करेंगे।
- 4.3 दूसरे पक्ष द्वारा पत्राचार भेजने के लिए पक्षो का पता

अनुबंध के सभी उद्देश्यों के लिए, इसके तहत मध्यस्थता सिहत पक्षों के पते, जिन पर सभी पत्राचार और नोटिस दूसरे पक्ष द्वारा संबोधित किए जाएंगे:

- क) अनुबंध में उल्लिखित ठेकेदार का पता, जब तक कि ठेकेदार ने अन्य पत्राचार वाले एक अलग पत्र द्वारा परिवर्तन को अधिसूचित नहीं किया है और ब्यूरो को पावती रसीद के किसी भी माध्यम से भेजा है। उपरोक्त तरीके से पते के परिवर्तन को अधिसूचित करने में चूक के परिणाम के लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, और
- ख) ब्यूरो का पता अनुबंध में उल्लिखित पता होगा। ठेकेदार अतिरिक्त प्रतियां ब्यूरो के अधिकारियों को भी भेजेगा जो वर्तमान में अनुबंध से निपट रहे हैं।
- 5. ठेकेदार के दायित्व और उसके अधिकारों पर प्रतिबंध
- 5.1 ठेकेदार के व्यवसाय में परिवर्तन

क) अनुबंध के निष्पादन के दौरान ठेकेदार की फर्म/इकाई के गठन में किसी भी बदलाव की अनुमित नहीं दी जाएगी। ठेकेदार को ऐसे परिवर्तनों के बारे में ब्यूरों को लगातार सूचित करना चाहिए। जहां ठेकेदार एक साझेदारी फर्म है, ब्यूरों की लिखित पूर्व सहमित के अलावा फर्म में एक नया भागीदार पेश नहीं किया जाएगा, जो केवल नए भागीदार द्वारा अनुबंध को पूरा करने और स्वीकार करने के लिए एक लिखित वचनबद्धता के निष्पादन पर इस तरह के उपक्रम की तारीख से पहले अनुबंध के तहत फर्म द्वारा किए गए सभी दायित्व प्रदान किया जाएगा।

5.2 पात्रता और योग्यता बनाए रखने की बाध्यता

कुछ पात्रता और योग्यता मानदंडों के आधार पर ठेकेदार को अनुबंध दिया गया है। ऐसी पात्रता और योग्यताओं को बनाए रखने के लिए ठेकेदार संविदात्मक रूप से बाध्य है। इस अनुबंध को प्राप्त करने के लिए ठेकेदार की योग्यता या योग्यता को प्रभावित करने वाले किसी भी परिवर्तन को ठेकेदार के संज्ञान में आने के 7 दिनों के भीतर सिक्रय रूप से ब्यूरों के ध्यान में लाया जाना चाहिए, अन्यथा यह अनुबंध का उल्लंघन होगा और निष्ठा संहिता का उल्लंघन भी होगा। इन परिवर्तनों में शामिल हैं, लेकिन इन्हीं निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं:

- 1) इसके द्वारा अपनी बोली में की गई घोषणाओं के संबंध में परिवर्तन, जिसमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
- क) इसका स्वामित्व और निगमन पैटर्न
- ख) एक चालू इकाई के रूप में इसकी स्थिति दिवाला, दिवालियापन, रिसीवरशिप
- ग) कानूनी कार्यवाही सहित किसी भी कारण से अपने व्यवसाय या वाणिज्यिक गतिविधियों का निलंबन
- घ) इसके (उनके सदस्यों या सहयोगियों या सहायक कंपनियों सिहत) को सरकार या सार्वजनिक संस्था द्वारा भ्रष्ट और कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए या किसी अन्य दुराचार के लिए अपात्र या प्रतिबंधित घोषित किया जा रहा है
- ङ) इसके मालिक, कर्मचारी, भागीदार या प्रतिनिधि, निदेशकों और अधिकारियों को किसी न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा रहा है जिसमें व्यापारिक व्यवहार में नैतिक अधमता शामिल है
- च) निविदा दस्तावेज या आरएफपी में परिभाषित हितों का टकराव, ब्यूरो के कर्मचारियों और खरीद प्रक्रिया में शामिल ठेकेदार या उसके एजेंटों के कर्मचारियों / प्रतिनिधियों के बीच विकसित / खोजा गया;
- छ) निम्नलिखित के तहत अपनी घोषित स्थिति में परिवर्तनः
- (i) भारत के साथ भूमि-सीमा वाले देशों की संस्थाओं पर प्रतिबंध,
- (ii) मेक इन इंडिया प्रावधान या इसके प्रस्तावित उत्पाद (उत्पादों) की स्थानीय सामग्री

- (iii) एमएसई और स्टार्ट-अप
- 2) अपनी बोली में प्रस्तुत योग्यता मानदंड में परिवर्तन निविदा दस्तावेज या आरएफपी में निहित पात्रता मानदंड के अनुसार अनुभव; पिछला कार्यनिष्पादन; गैर-निष्पादित अनुबंध / मुकदमेबाजी; निष्पादन क्षमता; प्रधान कार्मिक; महत्वपूर्ण उपकरण; वितीय क्षमता आदि
- 5.3 संभावित हितों के टकराव पर प्रतिबंध

निम्नलिखित में से किसी भी गतिविधि में न तो ठेकेदार और न ही ठेकेदार के कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे:

- क) इस अनुबंध की अविध के दौरान, भारत में कोई भी व्यवसाय या व्यावसायिक गतिविधियाँ जो इस अनुबंध के तहत उन्हें सौंपी गई गतिविधियों के साथ टकराव करती हैं।
- ख) इस अनुबंध की समाप्ति के बाद, ऐसी अन्य गतिविधियां जो एससीसी में निर्दिष्ट की जा सकती हैं।
- 5.4 एक ठेकेदार के संघटकों द्वारा उल्लंघन का परिणाम
- 5.4.1 साझेदारी फर्म के मामले में

यदि ठेकेदार फर्म में कोई भागीदार चूक करता है या खंड 5.1 का उल्लंघन करता है, तो ब्यूरों के लिए यह वैध होगा कि वह खंड 14.1 के अनुसार चूक के लिए अनुबंध को समाप्त करें और उसके तहत उपलब्ध किसी भी या सभी उपायों का लाभ उठाए।

5.4.2 ब्यूरो का निर्णय अंतिम होगा

इस खंड से संबंधित या उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले या बात के बारे में ब्यूरो का निर्णय या किसी भी प्रश्न पर कि क्या ठेकेदार या ठेकेदार फर्म के किसी भागीदार ने इस खंड में किसी भी शर्त का उल्लंघन या उल्लंघन किया है, अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा

5.5 ब्यूरो की क्षतिपूर्ति करने की बाध्यता

ठेकेदार सभी नुकसानों और किसी भी व्यक्ति या किसी भी संपित को क्षिति या क्षिति के दावों के खिलाफ ब्यूरो को क्षितिपूर्ति करेगा और क्षितिपूर्ति करेगा जो अनुबंध से या उसके पिरणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती है और सभी दावों, मांगों, कार्यवाही, नुकसान, लागत, शुल्क के लिए और समय-समय पर संशोधित विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों के तहत या उसके संबंध में खर्च जो भी हो सकते हैं। ठेकेदार किसी भी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि या ऐसे अन्य वैधानिक उल्लंघनों के उल्लंघन के पिरणामस्वरूप होने वाले सभी दावों, नुकसानों, लागतों के नुकसान, खर्च, कार्रवाई सूट और अन्य कार्यवाही के लिए ब्यूरो की क्षितिपूर्ति, सुरक्षा और बचाव करेगा।

5.6 गोपनीयता, गुप्तता, आईपीआर अधिकार

5.6.1 आईपीआर अधिकार

इस अनुबंध के तहत ठेकेदार द्वारा जमा किए गए सभी डिलिवरेबल्स, आउटपुट, प्लान, ड्रॉइंग, विनिर्देश, डिजाइन, रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज और सॉफ्टवेयर (जो भी लागू हो) ब्यूरो की संपति बन जाएंगे और कॉपीराइट के कानूनों के अधीन रहेंगे और ब्यूरो की पूर्व लिखित सहमति के बिना किया गया या पुन: प्रस्तुत किया गया, चाहे पूरे या आंशिक रूप से, तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं होने चाहिए । ठेकेदार, इस अनुबंध की समाप्ति या समाप्ति के बाद, ब्यूरो को ऐसे सभी दस्तावेज और सॉफ्टवेयर साथ ही इसकी विस्तृत सूची भी प्रदान करेगा, ठेकेदार ऐसे दस्तावेजों और सॉफ्टवेयर की एक प्रति अपने पास रख सकता है लेकिन किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेगा.

5.6.2 गोपनीयता

- 1) अनुबंध और निविदा दस्तावेज के संबंध में ब्यूरो द्वारा या उसकी ओर से ठेकेदार को प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज, चित्र, नमूने, डेटा, या अन्य जानकारी, चाहे ऐसी जानकारी पूरा होने से पहले, उसके दौरान या उसके बाद प्रस्तुत की गई हो या अनुबंध की समाप्ति गोपनीय है और ब्यूरो की संपत्ति रहेगी और ब्यूरो की पूर्व लिखित सहमति के बिना न तो ठेकेदार द्वारा किसी तीसरे पक्ष को प्रकट किया जाएगा, और न ही डिजाइन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए खरीद या इस अनुबंध के निष्पादन के लिए आवश्यक अन्य कार्य और सेवाएं। उसके द्वारा उपयोग किया जाएगा।
- 2) हालांकि, इस खंड के तहत ठेकेदार का दायित्व उस जानकारी पर लागू नहीं होगा जो:
- क) अभी या इसके बाद ठेकेदार की गलती के बिना सार्वजनिक डोमेन में प्रवेश करता है।
- ख) प्रकटीकरण के समय ठेकेदार के पास साबित हो सकता है और कौन सी जानकारी ब्यूरों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहले प्राप्त नहीं की गई थी;
- ग) अन्यथा कानूनी रूप से ठेकेदार को तीसरे पक्ष से उपलब्ध हो जाता है जिस पर गोपनीयता का कोई दायित्व नहीं है; या
- घ) लागू कानून का पालन करने के लिए साझा करना आवश्यक है।

5.6.3 ठेकेदार पर प्रतिबंध

- 1) ठेकेदार, ब्यूरो की पूर्व लिखित सहमति के बिना, इस अनुबंध को निष्पादित करने के एकमात्र उद्देश्य को छोड़कर ऊपर वर्णित जानकारी का उपयोग नहीं करेगा।
- 2) उपरोक्त प्रावधान किसी भी तरह से अनुबंध/निविदा दस्तावेज या उसके किसी भाग के संबंध में अनुबंध की तारीख से पहले ठेकेदार द्वारा दी गई गोपनीयता (या गोपनीयता जैसा भी मामला हो) के किसी भी उपक्रम को संशोधित नहीं करेंगे।

3) इस खंड के प्रावधान अनुबंध के किसी भी कारण से पूरा होने या समाप्त होने तक बने रहेंगे।

5.6.4 उल्लंघन के लिए दंड

उपरोक्त शर्तों का कोई भी उल्लंघन ब्यूरो को क्लॉज 14.1 के अनुसार अनुबंध के उल्लंघन के रूप में मानने का अधिकार देगा और इसके तहत किसी भी या सभी उपायों का लाभ उठाएगा।

5.7 निष्पादन बांड/प्रतिभूति

- 1) ब्यूरो द्वारा संविदा देने या स्वीकृति पत्र की अधिसूचना जारी होने के सात दिनों के भीतर, ठेकेदार अनुबंध में उल्लिखित राशि के लिए ब्यूरो को निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा (और यदि 3% (तीन प्रतिशत) के बराबर उल्लेख नहीं किया गया है अनुबंध का कुल मूल्य), सेवा वारंटी दायित्वों, यदि कोई हो, सिहत ठेकेदार द्वारा सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की तारीख के बाद साठ दिनों तक वैध है।
- 2) निष्पादन प्रतिभूति भारतीय रूपये में या अनुबंध की मुद्रा में मूल्यवर्गित की जाएगी और निम्नलिखित रूपों में से एक में होगी:
- क) जब तक अन्यथा एससीसी या निविदा दस्तावेज में निर्धारित न हो, ब्यूरो के पक्ष में भारत में किसी भी वाणिज्यिक बैंक पर आहरित खाता प्राप्तकर्ता डिमांड ड्राफ्ट या साविध जमा रसीद।
- ख) भारत में एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी, निर्धारित प्रपत्र में जैसा कि निविदा दस्तावेज में दिया गया है।
- 3) यदि ठेकेदार, ब्यूरो द्वारा प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है, निर्दिष्ट अविध के भीतर प्रतिभूति निष्पादन प्रस्तुत करने या बनाए रखने में विफल रहता है, तो यह ब्यूरो के लिए वैध होगा:
- (क) ठेकेदार से वस्ती के लिए, अनुबंध या ब्यूरो के साथ किसी अन्य अनुबंध के तहत ठेकेदार के लंबित बिलों से राशि काटकर ऐसी प्रतिभूति जमा की राशि, या
- (ख) इसे क्लॉज 14.1 के अनुसार अनुबंध के उल्लंघन के रूप में मानना और उसके तहत किसी भी या सभी उपायों का लाभ उठाना।
- 4) अनुबंध में जारी किए गए किसी भी संशोधन की स्थिति में, ठेकेदार, संशोधन जारी होने के चौदह दिनों के भीतर, संशोधित अनुबंध के अनुसार उपयुक्त रूप से संशोधित मूल्य और निष्पादन प्रतिभूति की वैधता प्रस्तुत करेगा।
- 5) ब्यूरो हकदार होगा, और यह उसकी ओर से वैध होगा,
- (क) निष्पादन प्रतिभूतियों से कटौती करने के लिए या उक्त सुरक्षा को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त करने की स्थिति में:

- (i) ब्यूरो या उसके किसी हिस्से के साथ संदर्भ या किसी अन्य अनुबंध के तहत अनुबंध के सभी मामलों में पूर्ति या निष्पादन में ठेकेदार की ओर से कोई चूक, या विफलता या उपेक्षा
- (ii) ठेकेदार से वसूली योग्य किसी भी हानि या क्षिति के लिए जो ब्यूरो को उपरोक्त चूकों/विफलताओं/उपेक्षाओं के कारण या कारण से भुगतना पड़ सकता है या डाला जा सकता है
- (क) और उपरोक्त में से किसी भी घटना में ठेकेदार को आगे जमा करके अपनी मूल सीमा पर उक्त निष्पादन प्रतिभूति को बनाए रखने के लिए कॉल करना, बशर्ते कि ब्यूरो हकदार होगा, और यह उसकी ओर से, वसूली के लिए वैध होगा किसी भी राशि से ऐसा कोई दावा जो उस समय देय हो या जो उसके बाद किसी भी समय समान कारणों से देय हो सकता है।
- 6) उपरोक्त उप-खंड के अधीन, ब्यूरो ठेकेदार को सेवा वारंटी दायित्वों, यदि कोई हो, सिहत सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने पर ठेकेदार को बिना किसी ब्याज के निष्पादन प्रतिभूति जारी करेगा।
 - 7) नकद जमा या सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज या उसके मूल्यह्नास के संबंध में ब्यूरो से कोई दावा नहीं होगा।

5.8 बीमा

- 1) ठेकेदार (ए) अनुबंध/जीसीसी/एससीसी या श्रम कानूनों सिहत किसी भी लागू कानून में निर्दिष्ट जोखिमों के लिए, और कवरेज के लिए, अपनी लागत पर बीमा लेगा और बनाए रखेगा; और ब्यूरो के अनुरोध पर, ब्यूरो को यह दिखाते हुए साक्ष्य प्रदान करेगा कि ऐसा बीमा लिया और बनाए रखा गया है और वर्तमान प्रीमियम का भुगतान किया गया है; निम्नलिखित घटनाओं के लिए जो ठेकेदार के जोखिमों के कारण हैं:
- क) ठेकेदार के उपकरण, सामग्री आदि की हानि या क्षति।
- ख) ठेकेदार के कर्मचारियों की व्यक्तिगत चोट या मृत्यु।
- ग) श्रम नियामक प्राधिकरणों आदि द्वारा दंड और मांगें।
- 2) इस तरह के सभी बीमा नुकसान या क्षति को ठीक करने के लिए भारतीय रुपये में देय मुआवजे का प्रावधान करेंगे।
- 3) इस संबंध में ब्यूरो का कोई दायित्व नहीं होगा।
- 5.9 परमिट, अनुमोदन और लाइसेंस
- जब भी सेवाओं और आकस्मिक वस्तुओं/कार्यों की डिलीवरी के लिए ठेकेदार को स्थानीय सार्वजनिक प्राधिकरणों से परिमट, अनुमोदन और लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, तो यह ठेकेदार की पूरी जिम्मेदारी होगी कि वह इन्हें प्राप्त करे और इन्हें चालू और वैध बनाए रखे। इसमें शामिल हो सकता है लेकिन यदि आवश्यक हो तो लाइसेंस या पर्यावरण मंजूरी तक सीमित नहीं है। ब्यूरो, यदि ठेकेदार द्वारा आवश्यक हो, इस संबंध में ठेकेदार की जिम्मेदारी को

कम किए बिना, समय पर और शीघ्र तरीके से ऐसी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में ठेकेदार की सहायता करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा।

- 5.10 प्रचार: ठेकेदार द्वारा कोई भी प्रचार जिसमें ब्यूरो के नाम का उपयोग किया जाना है, ब्यूरो की स्पष्ट लिखित अनुमति के साथ ही किया जा सकता है।
 - 6. सेवाओं का दायर
 - 6.1 सेवाओं का दायरा
- 1) यह अनुबंध निर्दिष्ट तिथि या तिथियों के दौरान और अनुबंध में निर्धारित विवरण, दायरे / मात्रा, निष्पादन मानकों और गुणवत्ता आश्वासन के दौरान सेवाओं के वितरण के लिए है।
 - 2) ठेकेदार सेवाएं प्रदान करेगा और निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट रिपोर्ट, डिलिवरेबल्स, आउटपुट और दस्तावेजों को ब्यूरो को जमा करेगा।
 - 3) सेवाओं में ऐसे सभी कार्य-तत्व शामिल होंगे जिनका इस अनुबंध में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सेवाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होने के रूप में इस अनुबंध से उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है जैसे कि इस अनुबंध में ऐसी वस्तुओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था।
 - 6.2 अनुबंध अवधि के विस्तार के लिए विकल्प खंड
 ब्यूरों के पास ठेकेदार को लिखित अधिसूचना द्वारा विकल्प का प्रयोग करने का
 अधिकार होगा, जो ब्यूरो द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले समय तक अनुबंध की
 अविध बढ़ा सकता है।
 - 7. निष्पादन मानक और गुणवत्ता आश्वासन

7.1 निष्पादन मानक

ठेकेदार निविदा दस्तावेज में निहित विवरण के अनुसार सेवाओं का निष्पादन करेगा, और सभी उचित परिश्रम, दक्षता और अर्थव्यवस्था के साथ अपने दायित्वों को पूरा करेगा, ध्विन प्रबंधन प्रथाओं का पालन करेगा, और उपयुक्त उन्नत तकनीक और सुरक्षित तरीकों को नियोजित करेगा। अनुबंध में निर्दिष्ट के रूप में निष्पादन मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण मानकों, उन मामलों के लिए जहां अनुबंध किसी मानक को निर्दिष्ट नहीं करता है, प्रदान की जाने वाली सेवाएं राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों या आम तौर पर स्वीकृत पेशेवर तकनीकों और प्रथाओं के अनुरूप होंगी।

- 7.2 गुणवत्ता नियंत्रण और दोष दायित्व
- 1) ब्यूरो सेवाओं की गुणवता की जांच करेगा और ठेकेदार के निष्पादन का निरीक्षण करेगा। ब्यूरो तत्काल पाये गये किसी भी दोष की जो एक उचित समय के भीतर अधिसूचित दोष के सुधार का अनुरोध करते हुए ठेकेदार को नोटिस देगा।

2) यदि ठेकेदार ने ब्यूरो के नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर एक दोष को ठीक नहीं किया है, तो ब्यूरो अनुबंध के दंडात्मक खंडों का सहारा ले सकता है और इसे अनुबंध के उल्लंघन के रूप में मान सकता है और तदन्सार निपटा जाएगा।

अन्य मामले और संसाधनों की तैनाती स्रक्षा व्यवस्था

ठेकेदार अपने कर्मचारियों या तीसरे पक्ष या अतिचारियों द्वारा अपने या अपने कर्मचारियों या ब्यूरों और उसके कर्मचारियों की संपत्ति या सामान के अनिधकृत उपयोग / अतिचार, चोरी, चोरी, रिसाव या दुरुपयोग के खिलाफ साइट पर सुरक्षा व्यवस्था करेगा।

1) शांति का संरक्षण

ठेकेदार अपेक्षित सावधानी बरतेगा और सेवाओं के लिए नियोजित उनके कर्मचारियों और अन्य लोगों द्वारा या उनके बीच किसी भी दंगाई या गैरकानूनी व्यवहार को रोकने के लिए, और शांति के संरक्षण और निवासियों की सुरक्षा और पड़ोस में संपत्ति की सुरक्षा के लिए सेवाओं की साइट अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा।

2) धूम्रपान और नशीले पदार्थों का निषेध: ठेकेदार या उसके कर्मचारी या किसी भी श्रमिक को 'नो स्मोकिंग जोन' और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से प्रतिबंधित किया जाएगा और किसी भी नशीले पदार्थों के उपयोग से भी प्रतिबंधित किया जाएगा, जिसमें मादक पेय शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। सेवा अविध के दौरान या साइट पर या साइट के पास या ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी के स्वामित्व, कब्जे वाले या उसके नियंत्रण में किसी भी सुविधा, साइट, भवन, शिविर, या किरायेदारी में, ठेकेदार इस शर्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्वित करने के लिए अधिकतम सीमा तक प्रभाव और अधिकार का प्रयोग करेगा।

8.2 पूरा होने पर साइट की मंजूरी

सेवाओं के पूरा होने पर, ठेकेदार साइट से सभी उपकरण/संयंत्रों और अधिशेष सामग्री, कचरा और हर प्रकार के अस्थायी कार्यों को हटा देगा और पूरी साइट को अधिकृत अधिकारी की संतुष्टि के लिए साफ करके देगा।

8.3 प्रमुख कार्मिक

- 1) ठेकेदार के प्रमुख कर्मियों की सेवाओं को पूरा करने की अनुमानित अविधि शीर्षक, सहमत नौकरी विवरण, और न्यूनतम योग्यता, निविदा दस्तावेज में वर्णित है।
- 2) जब तक ब्यूरो अन्यथा सहमत न हो, मुख्य कार्मिक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि, किसी कारण से, ठेकेदार के उचित नियंत्रण से परे, किसी भी प्रमुख कार्मिक को बदलना आवश्यक हो जाता है, तो ठेकेदार प्रतिस्थापन के रूप में समकक्ष या बेहतर योग्यता वाले व्यक्ति प्रदान करेगा।
- 3) सेवानिवृत्त कर्मचारियों या ब्यूरो या सरकार के अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर रोजगार पर प्रतिबंध: ठेकेदार स्वयं राजपत्रित

रैंक का सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी नहीं होगा, या किसी ऐसे कर्मचारी या सहयोगी को नियुक्त नहीं करेगा जो एक सेवानिवृत्त है। राजपत्रित रैंक के कर्मचारी, यदि ऐसे व्यक्तियों ने संबंधित प्राधिकारी की पूर्व अनुमित प्राप्त किए बिना इस अनुबंध के संबंध में सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पूरा नहीं किया है। यदि ठेकेदार को इस प्रावधान का उल्लंघन करते पाया जाता है तो यह अनुबंध का उल्लंघन होगा और ब्यूरो खंड 14.1 के अनुसार अनुबंध को समाप्त करने और उसके तहत उपलब्ध सभी उपायों का लाभ उठाने का हकदार होगा।

8.4 प्राधिकृत अधिकारी के आदेश पर कार्मिकों को हटाया जाना

- 1) यदि ब्यूरो को पता चलता है कि किसी भी कार्मिक ने (i) गंभीर कदाचार किया है या उस पर आपराधिक कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है, या (ii) किसी भी कार्मिक के निष्पादन से असंतुष्ट होने का उचित कारण है, तो ठेकेदार, ब्यूरो के लिखित अनुरोध पर, उसके आधारों को निर्दिष्ट करते हुए, एक प्रतिस्थापन के रूप में एक व्यक्ति को योग्यता और अनुभव के साथ प्रदान करेगा जो ब्यूरो को स्वीकार्य है, जो नीचे उप-खंड 2 के अधीन है।
- 2) ठेकेदार के पास कार्मिक के किसी भी निष्कासन या प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाली या आकस्मिक अतिरिक्त लागतों के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

8.5 सुरक्षा मुद्दे

- 1) ठेकेदार साइट पर सभी गतिविधियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।
- 2) ठेकेदार साइट पर उसके द्वारा नियोजित सभी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा, और उनमें से किसी को भी दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करेगा, हालांकि, और जहां कहीं भी काम होता है, प्राधिकृत अधिकारी या उसके प्रतिनिधि को रिपोर्ट करेगा, और हर संभव सहायता प्रदान करने हर व्यवस्था करेगा और शीघ्र और उचित चिकित्सा सहायता प्रदान करना। प्रभावित कामगारों या उनके रिश्तेदारों को ऐसे मामलों में ठेकेदार द्वारा कामगार मुआवजा अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों और विनियमों के अनुसार शीघ्रता से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।
- 3) सार्वजनिक और तीसरे पक्ष की सुरक्षाः ठेकेदार जनता और तीसरे पक्ष की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानी बरतने के लिए जिम्मेदार होगा, चाहे वह सार्वजनिक हो या

9. सेवाओं की डिलीवरी और देरी

9.1 कार्य तालिका

सेवाओं के शुरू होने से पहले, ठेकेदार अधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के लिए विधियों को दर्शाने वाला एक कार्य तालिका प्रस्तुत करेगा; सेवाओं के वितरण की अनुसूची, कर्मियों के लिए तैनाती की योजना; सेवाओं के निष्पादन के लिए उपकरण और सामग्री। प्राधिकृत अधिकारी के साथ विचार-विमर्श करके आवश्यकतानुसार संशोधित सेवाओं के वितरण के कार्यक्रम को इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए सहमत कार्य कार्यक्रम के रूप में माना

जाएगा। अद्यतन के रूप में अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार सेवाओं का संचालन और निगरानी की जाएगी।

- 2.2 प्राधिकृत अधिकारी के निर्देशों का अन्पालन
- 1) अधिकृत अधिकारी उस आदेश को निर्देशित करेगा जिसमें सेवाओं के कई घटक प्रदान किए जाएंगे, और ठेकेदार बिना देरी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिए गए सभी आदेशों को निष्पादित करेगा; लेकिन ठेकेदार को सभी तरह से सेवाओं के उचित निष्पादन के लिए जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जाएगा।
- 2) सेवाओं के संबंध में अधिकृत अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा ठेकेदार को दिया गया कोई भी निर्देश या अनुमोदन ठेकेदार को बाध्य करेगा जैसे कि यह अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया हो, हमेशा निम्नानुसार प्रदान किया जाता है -
- क) प्राधिकृत अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा किसी कार्य/सेवाओं या सामग्री को अस्वीकृत करने में विफल रहने से उसके बाद ऐसी सेवाओं या सामग्री को अस्वीकृत करने और उसमें सुधार का आदेश देने की अधिकृत अधिकारी की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- ख) यदि ठेकेदार अधिकृत अधिकारी के प्रतिनिधि के किसी भी निर्णय के कारण असंतुष्ट होगा, तो वह मामले को अधिकृत अधिकारी के माध्यम से खरीद के प्रमुख को संदर्भित करने का हकदार होगा, जो इस तरह के निर्णय की पृष्टि या परिवर्तन करने पर होगा।
- 3) विवरण के लिए ठेकेदार के अनुरोध का अनुपालनः अधिकृत अधिकारी उचित तत्परता के साथ, ठेकेदार के अनुरोध की प्राप्ति के बाद, सेवाओं या किसी भी हिस्से के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं, विनिर्देशों या अन्यथा के माध्यम से अतिरिक्त निर्देश प्रस्तुत करेगा। उसके। ऐसी सभी प्रक्रियाएं, विनिर्देश और निर्देश अनुबंध दस्तावेजों के अनुरूप होंगे और उनसे उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

2.3 सेवाओं का प्रारंभ

ठेकेदार सेवाओं को शुरू करेगा और अनुबंध की प्रभावी तिथि से, जो कि ठेकेदार और ब्यूरो द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख होगी, उचित अभियान के साथ और बिना देरी के कार्य शुरू करेगा।

9.4 सेवाओं और उसके विस्तार के वितरण के लिए समय

सेवाओं के समय और निर्बाध वितरण को अनुबंध का सार माना जाएगा और अनुबंध में किसी भी आवश्यकता के अधीन सेवाओं के किसी भी हिस्से या हिस्से को पूरा करने से पहले, ठेकेदार पूरी तरह से और अंततः उन्हें पूरा करेगा। निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट वितरण और पूर्णता अनुसूची के अनुसार अनुबंध में शामिल सभी सेवाएं (ऐसे संशोधनों के साथ जिन्हें इस अनुबंध की शर्तों के तहत निर्देशित किया जा सकता है)। यदि अनुबंध की अविध के दौरान किसी भी समय, ठेकेदार सेवाओं के समय पर निष्पादन में बाधा डालने वाली शर्तों का सामना करता है, तो ठेकेदार तुरंत ब्यूरो को उसी और इसकी संभावित अविध के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा और डिलीवरी शेड्यूल के विस्तार के लिए ब्यूरो से अनुरोध करेगा। ठेकेदार के पत्राचार प्राप्त होने पर, ब्यूरो स्थिति की जांच करेगा

और, अपने विवेक पर, निम्नलिखित खंडों के संदर्भ में अनुबंध में संशोधन जारी करके, पूरा करने की समय-सारणी का विस्तार करने के लिए सहमत हो सकता है, जिसमें परिसमाप्त नुकसान हो सकता है या नहीं।

- 9.5 ब्यूरो या ठेकेदार दोनों के कारण देरी न होने की स्थिति में विस्तार
- 1) यदि ठेकेदार की राय में, निम्नलिखित कारणों से सेवाओं की प्रगति में किसी भी समय देरी हुई है, तो वह तत्काल अधिकृत अधिकारी को लिखित रूप में सूचना देगा, लेकिन फिर भी अच्छा करने, देरी और सेवाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए उचित परिश्रम करेगा।
- क) ब्यूरो के कर्मचारियों का कोई कार्य या उपेक्षा या
- ख) ठेकेदार की अपनी चूक आदि से अन्यथा उत्पन्न होने वाली बाहरी तृतीय पक्षों द्वारा की गई या धमकी या विवाद की कार्यवाही या
- ग) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत देरी से लंबित मध्यस्थता या ठेकेदार द्वारा नियत समय पर ब्यूरो से आवश्यक निर्देश प्राप्त नहीं होने के परिणाम में जिसके लिए उसने अधिकृत अधिकारी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को विशेष रूप से लिखित रूप में आवेदन किया होगा
- 2) ठेकेदार उस अविध को भी इंगित कर सकता है जिसके लिए सेवाओं में देरी होने की संभावना है और समय के आवश्यक विस्तार के लिए पूछने के लिए बाध्य होगा। प्राधिकृत अधिकारी ठेकेदार से इस तरह का अनुरोध प्राप्त होने पर उस पर विचार करेगा और देरी की प्रकृति और अविध और इससे प्रभावित कार्य के प्रकार और मात्रा को ध्यान में रखते हुए समय का ऐसा विस्तार प्रदान करेगा जैसा कि उनकी राय में उचित है। समय की विस्तारित अविध के लिए आगे किए गए कार्यों के लिए कोई अन्य मुआवजा देय नहीं होगा, अनुबंध की समान दरें, नियम और शर्तें लागू होती हैं जैसे कि इस तरह की विस्तारित अविध मूल रूप से मूल अनुबंध में ही प्रदान की गई थी।
- 9.6 ब्यूरो के कारण विलंब के लिए विस्तार
- ब्यूरो द्वारा किसी भी विफलता या देरी की स्थिति में, अनुबंध के तहत निम्नलिखित दायित्वों के निर्वहन में या सेवाओं के वितरण के लिए आवश्यक हैं, तो ऐसी विफलता या देरी किसी भी तरह से अनुबंध को प्रभावित या खराब नहीं करेगी या उसके स्वरूप को नहीं बदलेगी या ठेकेदार को हर्जाने या मुआवजे का अधिकार देता है, लेकिन ऐसे किसी भी मामले में, ब्यूरो पूरा होने की तारीख का ऐसा विस्तार या विस्तार प्रदान करेगा जैसा कि उचित माना जा सकता है:
- क) सेवाएं शुरू करने के लिए आवश्यक नोटिस दें, या
- ख) आवश्यक सुविधाएं/दस्तावेज/डेटा या निर्देश या अनुमोदन प्रदान करें या
- ग) किसी अन्य कारण से ब्यूरो द्वारा की गई कोई अन्य देरी।
- 9.7 ठेकेदार के कारण विलंब के लिए समय का विस्तार

- 1) यदि ठेकेदार अनुबंध में इस तरह की डिलीवरी के लिए निर्धारित अविध के भीतर या विस्तारित के रूप में सेवाओं को वितरित करने में विफल रहता है या किसी भी समय उपरोक्त उप-खंडों में निर्दिष्ट कारणों के अलावा अन्य कारणों से ऐसी अविध की समाप्ति से पहले अनुबंध को अस्वीकार कर देता है, ब्यूरो, यदि संतुष्ट है कि ठेकेदार द्वारा उचित कम समय के भीतर सेवा वितरण पूरा किया जा सकता है, उसके बाद, ठेकेदार को और समय के विस्तार की अनुमति दे सकता है जैसा कि अधिकृत अधिकारी तय कर सकता है।
- 2) इस तरह के विस्तार पर, ब्यूरो उस ओर से उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार और उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार से सहमत परिसमापन नुकसान के रूप में वसूल करने का हकदार होगा, न कि दंड के रूप में।
- 3) बशर्ते आगे, िक यदि ब्यूरो संतुष्ट नहीं है िक ठेकेदार द्वारा सेवाओं को पूरा िकया जा सकता है या ठेकेदार की ओर से पूर्वोक्त अनुमत समय के आगे विस्तार के भीतर सेवा को पूरा करने में विफलता की स्थिति में, ब्यूरो होगा इस संबंध में उपलब्ध िकसी भी अन्य अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के बिना हकदार, खंड 14.1 के अनुसार अनुबंध के उल्लंघन के रूप में देरी का उपचार करें और अनुबंध की शर्तों के अनुसार दंड लगाने सहित िकसी भी या सभी उपचारों का लाभ उठाएं, चाहे वास्तविक हो या नहीं ऐसी चूक से नुकसान होता है।

10. सेवाओं का निलंबन

10.1 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निलंबन आदेश

ठेकेदार प्राधिकृत अधिकारी के आदेश पर सेवाओं या उसके किसी भाग की प्रगति को ऐसे समय या समय के लिए और इस तरह से निलंबित करेगा जैसा कि प्राधिकृत अधिकारी आवश्यक समझे, यदि ऐसा निलंबन माना जाता है संविदाकार सेवा के निलंबन की अविध के दौरान उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त लागत, यिद कोई हो तो, उसका हकदार नहीं होगा, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त के अलावा अन्य कारणों से किसी भी निलंबन के आदेश की स्थिति में और जब निलंबन की ऐसी प्रत्येक अविध 14 दिनों से अधिक होने पर, प्राधिकृत अधिकारी सेवाओं को पूरा करने के लिए सेवा के समय का विस्तार करेगा, जैसा कि वह उचित समझे, इस तरह के निलंबन की अविध या अविध और संविदाकार को इस तरह के मुआवजे के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी उचित समझे। इस तरह के निलंबन की अविध के दौरान संविदाकार द्वारा अपने कर्मचारियों / श्रमिकों को भुगतान किए गए वेतन या मजदूरी जैसे आवर्ती व्यय, अपने कर्मचारियों या मजदूरों को ऐसे भुगतान की पुष्टि करने वाले सहायक दस्तावेजों के उत्पादन के अधीन, जिनके विवरण उनके द्वारा ब्यूरों को प्रस्तुत किए गए थे इस तरह के निलंबन का आदेश देने से पहले पूरी तरह से अनुबंध के निष्पादन के लिए तैनात किया गया था और जिस पर ब्यूरों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।

10.3 अप्रत्याशित घटना

यदि इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान किसी भी समय, इस अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व के किसी भी पक्ष द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से प्रदर्शन को किसी भी युद्ध, शत्रुता, सार्वजनिक शत्रु के कृत्यों, महामारी, नागरिकता, हंगामा, तोड़फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल, तालाबंदी या भगवान का कार्य (इसके बाद ऐसे कृत्यों के रूप में संदर्भित) के कारणों से रोका या निलंबित किया जाएगा बशर्ते कि ऐसी घटना के होने की सूचना एक पक्ष द्वारा दूसरे को 21 दिनों के भीतर दी जाए। उसके घटित होने पर, न तो पक्ष ऐसी घटना के कारणों से इस अन्बंध को समाप्त करने का हकदार होगा और न ही ऐसी घटना के कारणों से कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा और न ही किसी भी पक्ष के पास दूसरे के खिलाफ नुकसान के लिए कोई दावा होगा। इस तरह के गैर-प्रदर्शन या प्रदर्शन में देरी के संबंध में, और अनुबंध के तहत डिलीवरी इस तरह की घटना के समाप्त होने या अस्तित्व समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द फिर से शुरू हो जाएगी, और निदेशक का निर्णय ब्यूरों के महानिदेशक के रूप में डिलीवरी को फिर से शुरू किया गया है या नहीं, अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि यदि इस अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण या आंशिक प्रदर्शन को ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि ब्यूरो को संविदाकार से महानिदेशक द्वारा तय की जाने वाली कीमत पर अधिकार लेने की स्वतंत्रता होगी, जो अंतिम, सभी अप्रयुक्त, क्षतिग्रस्त और स्वीकृत सामग्री, खरीदे गए घटकों और द्कानों को निर्माण के दौरान संविदाकार के कब्जे में ऐसी समाप्ति के समय या उसके ऐसे हिस्से के रूप में ब्यूरो ने बनाए रखने के लिए चुना।

11. कीमतें और भुगतान

जब तक अन्यथा एससीसी या अनुबंध में निर्धारित नहीं किया जाता है, कीमतें निश्चित और अपरिवर्ती होंगी।

11.2 कर और कर्तव्य

- 1) ब्यूरो को अनुबंधित सेवाओं की सुपुर्दगी तक सभी करों, कर्तव्यों, शुल्कों, लेवीज आदि के लिए संविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। अन्य अनुदेश, यदि कोई हो, एससीसी या निविदा दस्तावेज में दिए गए के अनुसार होगें।
- 2) अनुबंध के तहत जीएसटी कर का भुगतान:
- (क) जहां भी सफल बोलीदाता जीएसटी दर या एचएसएन संख्या पर सेवाओं का चालान करता है जो अनुबंध में शामिल से अलग है; भुगतान जीएसटी दर के अनुसार किया जाएगा जो अनुबंध या बिल में शामिल जीएसटी दरों से कम है। ब्यूरो कानून की कम समझ के तहत संविदाकार द्वारा किए गए कर या शुल्क के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ब्यूरो कानून की कम समझ के तहत संविदाकार द्वारा किए गए कर या शुल्क के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- (ख) ब्यूरो से कर्तव्यों, करों आदि (जैसे जीएसटी) की प्रतिपूर्ति का दावा करते समय, संविदाकार यह भी प्रमाणित करेगा कि, यदि उसे बाद की तारीख में संबंधित प्राधिकारियों से ऐसे करों और शुल्कों में से कोई धनवापसी मिलती है, तो वह संबंधित से प्राप्त होने पर तुरंत इस तरह की वापसी में से ब्यूरो, ब्यूरो के हिस्से को वापस कर देगा।
- (ग) सभी आवश्यक समायोजन वाउचर जैसे क्रेडिट नोट्स/डेबिट नोट्स किसी भी छोटी/अधिक आपूर्ति या कीमतों में संशोधन या अनुबंध के तहत किसी अन्य कारण से जीएसटी प्रावधानों के अनुपालन में ब्यूरो को प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (घ) जीएसटी कर के संबंध में संविदाकार द्वारा मुनाफाखोरी के मामले में, संविदाकार अधिनियम के तहत जीएसटी अधिकारियों द्वारा वसूली और कार्रवाई के अलावा, गैर-पंजीकरण, व्यापार व्यवहार के निलंबन या व्यापार सौदे पर प्रतिबंध जैसी प्रशासनिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
- (ड) संविदात्मक शर्तों और जीएसटी प्रावधानों के अनुसार अग्रिम भुगतानों को समायोजित करने के बाद कर चालान के साथ सभी प्रकार के भुगतान प्राप्त होने पर संविदाकार को तुरंत रसीद वाउचर जारी करना चाहिए।
- (च) किसी भी देर से डिलीवरी यानी, देय तिथि के बाद डिलीवरी के लिए विक्रेता/संविदाकार द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति के अनुसार हर्जाने का भुगतान करना होगा। संविदाकार द्वारा यह सहमति दी जाती है कि इस तरह के नुकसान ब्यूरो द्वारा उस पर लागू जीएसटी के साथ वसूली योग्य हो जाते हैं।
- 3) बोलीदाताओं की जीएसटी अनुपालन रेटिंग:

- (क) माल/सेवाओं का संविदाकार जीएसटी अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और ब्यूरो के साथ अनुबंध की अवधि के दौरान जीएसटी के तहत उच्च अनुपालन रेटिंग स्कोर बनाए रखने का भी प्रयास करेगा।
- (ख) कर के भुगतान और मासिक रिटर्न जमा करने/अपलोड करने में संविदाकार की ओर से चूक की स्थित में, ब्यूरो भुगतान को रोकने के अपने संविदात्मक अधिकार के भीतर अच्छी तरह से होगा, विशेष रूप से कर भाग, जब तक कि संविदाकार चूक को ठीक नहीं करता है या जीएसटी के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। और ब्यूरो के जीएसटी पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाले जीएसटी पर या उस प्रभाव के लिए संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करता है।

4) सांविधिक विभिन्नता :

अनुबंध में जीएसटी दर या एचएसएन संख्या में कोई भी संशोधन संविदात्मक शर्तों और उद्धृत जीएसटी दर और एचएसएन संख्या में संविधिक संशोधनों के अनुसार होगा।

11.3 भुगतान की शर्तें और प्रणाली

- (1) भुगतान ब्यूरो की भुगतान प्रक्रियाओं के अनुसार तरीके से किया जाएगा। जब तक एससीसी में अन्यथा निर्धारित न हो, संविदाकारों को 5,000 रुपये (या एससीसी/अनुबंध में निर्दिष्ट कोई अन्य सीमा) से अधिक का भुगतान केवल ईसीएस के माध्यम से किया जाएगा। एनईएफटी के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए संविदाकार को अपनी सहमति अनिवार्य रूप में देनी होगी। ईएफटी के माध्यम से भुगतान न करने की स्थिति में, या जहां ईएफटी सुविधा उपलब्ध नहीं है, भुगतान चेक के माध्यम से जारी किया जा सकता है।
- 2) जब संविदात्मक रूप से देय हो, तब संविदाकार जीएसटी अनुपालन चालान और दस्तावेजों के अनुसार भुगतान के लिए अपना दावा लिखित रूप में जैसे संविदा में बताया गया है वैसे ही, प्रासंगिक दस्तावेजों आदि के साथ, संविदा में निर्दिष्ट तिथि सहित विधिवत हस्ताक्षरित निर्दिष्ट तरीके भेजेगा।
- 3) भुगतान का दावा करते समय, संविदाकार को बिल में यह भी प्रमाणित करना होता है कि जिस भुगतान का दावा किया जा रहा है वह संविदा के अनुसार ही है और भुगतान का दावा करने के लिए संविदाकार की ओर से सभी दायित्वों को संविदा के तहत आवश्यक के रूप में पूरा किया गया है।
- 4) दावा की गई राशि के संबंध में रोक और ग्रहणाधिकार :
- (क जब भी संविदाकार के खिलाफ अनुबंध से बाहर या उसके तहत किसी राशि के भुगतान के दावे या कोई दावा उत्पन्न होता है, तो ब्यूरो हकदार होगा, और उसकी ओर से, ऐसी राशि को रोकने और रखने के लिए एक ग्रहणाधिकार भी होगा। इस तरह के किसी भी दावे को अंतिम रूप देने या न्यायनिर्णयन के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से लंबित है –
- (i) संविदाकार द्वारा जमा की गई कोई भी सुरक्षा या प्रतिधारण राशि, यदि कोई हो।

- (ii) दावा की गई राशि या राशि को कवर करने के लिए सुरक्षा अपर्याप्त होने की स्थिति में या यदि संविदाकार से कोई सुरक्षा नहीं ली गई है, तो देय किसी भी राशि या राशि से या जो उसके बाद किसी भी समय संविदाकार को देय हो सकती है। ब्यूरो के साथ समान अनुबंध या कोई अन्य अनुबंध।
- (ख) जहां संविदाकार एक साझेदारी फर्म या एक सीमित कंपनी है, ब्यूरो हकदार होगा, और यह उसकी ओर से वैध होगा, ऐसी दावा की गई राशि या राशि को किसी भी राशि से पूर्ण या आंशिक रूप से रोकने के लिए और धारणाधिकार भी होगा। किसी भी भागीदार/सीमित कंपनी को देय पाया गया, जैसा भी मामला हो, चाहे उसकी व्यक्तिगत क्षमता में या अन्यथा।
- (ग) यह अनुबंध की एक सहमत शर्त है कि ब्यूरो द्वारा उपरोक्त संदर्भित ग्रहणाधिकार के तहत रोकी गई या रखी गई धनराशि या धन की राशि को तब तक रोके रखा या रखा जाएगा जब तक कि अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या उसके तहत दावा नहीं किया जाता है। मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जाता है (यदि अनुबंध मध्यस्थता समझौते द्वारा शासित होता है) या सक्षम अदालत द्वारा, जैसा भी मामला हो, और संविदाकार के पास इस तरह के रोक के संबंध में किसी भी खाते पर ब्याज या नुकसान का कोई दावा नहीं होगा या सुप्रा को संदर्भित ग्रहणाधिकार के तहत प्रतिधारण और संविदाकार को इस तरह से विधिवत अधिसूचित किया गया।
- (घ) अन्य अनुबंधों में दावों के संबंध में ग्रहणाधिकार: अनुबंध के तहत संविदाकार को देय और देय किसी भी राशि (प्रदर्शन सुरक्षा जमा सिहत) को अनुबंध के तहत ब्यूरो के किसी भी दावे के खिलाफ ब्यूरो द्वारा ग्रहणाधिकार के रूप में रोका या रखा जा सकता है। संविदाकार द्वारा ब्यूरो के साथ किए गए किसी अन्य अनुबंध से या उसके तहत उत्पन्न होने वाली राशि के भुगतान के संबंध में।

11.4 अनंतिम भुगतान

11.4.1 ब्यूरो के दायित्व की समाप्ति

पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के बाद, ब्यूरो संविदाकार के लिए सेवाओं के वितरण के लिए अनुबंध से संबंधित या उसके संबंध में किसी भी मामले के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि संविदाकार ने इसके संबंध में लिखित में दावा नहीं किया होगा। अनुबंध में सेवा के लिए पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करना।

11.4.2 अपूर्ण दायित्व

सेवा के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के बावजूद। संविदाकार और ब्यूरो, सेवा के लिए पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने से पहले अनुबंध के प्रावधान के तहत किए गए किसी भी दायित्व की पूर्ति के लिए उत्तरदायी रहेंगे, जो इस तरह के प्रमाण पत्र जारी होने के समय अप्रभावित रहता है। इस तरह के किसी भी दायित्व की प्रकृति और सीमा को निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए, अनुबंध को पार्टियों के बीच लागू माना जाएगा।

11.5 समय बाधित दावों पर भुगतान

ब्यूरों के खिलाफ सभी दावों को भुगतान के देय होने की तारीख से गणना की गई तीन साल की अविध के बाद कानूनी रूप से समय बाधित किया जाएगा। ब्यूरो इस तरह के दावों को खारिज करने का हकदार है और यह उसके लिए वैध होगा।

11.6 " अ-दावा " प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर

संविदाकार इस अनुबंध के तहत या उसके आधार पर या उससे उत्पन्न होने वाले ब्यूरो के खिलाफ कोई भी दावा करने का हकदार नहीं होगा, न ही ब्यूरो ऐसे किसी भी दावे पर विचार करेगा या विचार करेगा, यदि संविदाकार द्वारा "हस्ताक्षर किए जाने के बाद" नो क्लेम" प्रमाण पत्र ब्यूरो के पक्ष में इस तरह के रूप में जैसा कि ब्यूरो द्वारा सेवाओं के प्रदान किए जाने या कार्यों को अंतिम रूप से मापने के बाद आवश्यक होगा। संपर्ककर्ता को "नो क्लेम" सर्टिफिकेट द्वारा कवर की गई वस्तुओं की शुद्धता पर विवाद करने या उसके संबंध में मध्यस्थता की मंजूरी की मांग करने से वंचित कर दिया जाएगा।

12. विवादों का समाधान

12.1 विवादों का निपटाराः

ब्यूरो और संविदाकार अनुबंध के तहत या उसके संबंध में उनके बीच उत्पन्न होने वाली किसी भी असहमति या विवाद को सीधे अनौपचारिक बातचीत द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद जिसे सुलझाया नहीं जा सकता है, तो उसे अधिकृत अधिकारी द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा। समय-समय पर संशोधित भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू होंगे।

- 13. इस निविदा दस्तावेज़ या रुचि की अभिव्यित या प्रस्ताव के लिए अनुरोध के माध्यम से खरीद की प्रकृति, संदर्भ, आवश्यकताओं और दायरे से संबंधित शर्तें अनुबंध को नियंत्रित करेंगी, जैसा कि एससीसी और अन्य अनुबंध दस्तावेजों में प्रदान किया गया है, जिनका जीसीसी पर अधिभावी प्रभाव है।
- 14. चूक, उल्लंघन, समाप्ति और अनुबंध का समापन
- 14.1 उल्लंघन, चूक और दिवालिया के कारण समाप्ति

यदि संविदाकार दिवालिया या प्राप्ति से गुजरता है; उपेक्षा या चूक या अनुबंध या नैतिक मानकों या किसी अन्य दायित्व के प्रदर्शन से संबंधित अपने दायित्वों का सम्मान करने में असमर्थता या अनिच्छा व्यक्त करता है जो अनुबंध के तहत ब्यूरों के अधिकारों और लाभों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, इसे अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। इस तरह की चूक में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हो सकते हैं:

- 1) निष्पादन और दायित्वों में चूक: यदि संविदाकार किसी या सभी सेवाओं को वितरित करने में विफल रहता है या अनुबंध में निर्दिष्ट समय अविध के भीतर या ब्यूरो द्वारा दिए गए किसी भी विस्तार के भीतर किसी भी अन्य संविदात्मक दायित्वों (आचार संहिता सहित) को पूरा करने में विफल रहता है।
- 2) दिवालिया : यदि संविदाकार एक व्यक्ति है या यदि कोई फर्म, उसका कोई भागीदार है, तो उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित किया जाएगा या उसके खिलाफ अपनी संपत्ति के प्रशासन के लिए एक प्राप्त आदेश या आदेश दिया जाएगा या संरचना के लिए कोई कार्यवाही करेगा कुछ समय के लिए लागू किसी दिवालिया अधिनियम के तहत या उसके प्रभाव का कोई हस्तांतरण या असाइनमेंट करना या अपने लेनदारों के साथ किसी भी असाइनमेंट या संरचना में प्रवेश करना या भुगतान को निलंबित करना या यदि फर्म को साझेदारी अधिनियम के तहत भंग कर दिया जाता है, या
- 3) परिशोधनः यदि संविदाकार एक कंपनी होने के नाते स्वेच्छा से या किसी न्यायालय के आदेश से या डिबेंचर की ओर से एक रिसीवर, परिशोधक या प्रबंधक-धारकों को नियुक्त किया जाता है, या धारक एक रिसीवर, परिशोधक या प्रबंधक नियुक्त करने के लिए या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो न्यायालय या डिबेंचर का अधिकार देती हैं।
- 14.1.2 अदायकी में चूक के लिए नोटिस: जैसे ही अनुबंध के उल्लंघन पर ध्यान दिया जाता है, संविदाकार को "दो सप्ताह का नोटिस" देते हुए, संविदात्मक उपायों को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए, कारण बताओ 'डिफॉल्ट का नोटिस' जारी किया जाएगा। इस तरह के कारण बताओ नोटिस के बाद, आवश्यक वसूली की सुरक्षा के लिए संविदाकार के सभी भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिए जाएंगे, जो संविदात्मक उपायों को लागू करने के कारण हो सकते हैं।

14.1.3 अदायकी में चूक के लिए समाप्ति

- 1) अदायकी में चूक के लिए समाप्ति की सूचना: उपरोक्त उपखंड के अनुसार संविदाकार को चूक की सूचना जारी करने के दो सप्ताह के भीतर 'डिफॉल्ट की सूचना' के असंतोषजनक समाधान की स्थिति में, यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है, तो ब्यूरो लिखित सूचना द्वारा संविदाकार को भेजे गए चूक के लिए समाप्ति की, संविदाकार को मुआवजे के बिना, अनुबंध को पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त करें।
- 2) इस तरह की समाप्ति ब्यूरों को अर्जित या उसके बाद अर्जित किए गए अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी या प्रभावित नहीं करेगी।
- 3) जब तक अन्यथा ब्यूरो द्वारा निर्देश नहीं दिया जाता है, संविदाकार अनुबंध को समाप्त न होने की सीमा तक जारी रखेगा।
- 4) सभी सेवा वारंटी दायित्व, यदि कोई हों, समाप्ति के बावजूद बने रहेंगे।

14.1.4 उल्लंघनों और अदायकी में चूकों के लिए संविदात्मक उपचार

यदि इस अविध के भीतर कोई असंतोषजनक समाधान होता है, तो ब्यूरो निम्नितिखित में से एक या अधिक संविदात्मक उपाय करेगाः

- 1) अन्य संविदात्मक उपायों के आह्वान के कारण वसूली पूरी होने तक संविदाकार के भुगतान को अस्थायी रूप से रोकना।
- 2) किसी भी उधार की गई संपत्ति या भुगतान की अग्रगति, यदि कोई हो, को प्रचलित दर पर ब्याज के साथ वापस लेना
- 3) देरी के लिए परिसमास नुकसान की वसूली
- 4) प्रदर्शन या अन्य संविदात्मक प्रतिभूतियों को भुनाना या जब्त करना
- 5) बीमा के खिलाफ दावों को प्राथमिकता दें यदि कोई हो
- 6) चूक के लिए अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त करें
- 7) संविदाकार को ब्यूरो की निविदाओं में भाग लेने से, जिसमें पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की सूची से असूचीबद्ध होना शामिल है, उचित प्रक्रिया का पालन करना।
- 8) कानून के उल्लंघन, अपकार और नुकसान के लिए अदालत में कार्यवाही शुरू करना, जो उपरोक्त माध्यमों से संबोधित नहीं है।

14.1.5 दायित्वों की सीमा

आपराधिक लापरवाही या जानबूझकर कदाचार के मामलों को छोड़कर, ब्यूरो के लिए संविदाकार की कुल देयता, चाहे अनुबंध के तहत, यातना में या अन्यथा, पेटेंट उल्लंघन के संबंध में या ब्यूरो की क्षतिपूर्ति करने के लिए संविदाकार के किसी भी दायित्व के लिए कुल अनुबंध मूल्य से अधिक नहीं होगी। बशर्ते कि यह सीमा दोषपूर्ण उपकरणों की मरम्मत या बदलने की लागत पर लागू नहीं होगी।

- 14.2 सुविधा और विफलीकरण के लिए समाप्ति
- 14.2.1 अनुबंध के निर्धारण के लिए सूचना
- 1) ब्यूरो के पास अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से (ब्यूरो की) सुविधा या अनुबंध की निराशा के लिए नीचे दिए गए खंड 14.2.2 के अनुसार, संविदाकार पर लिखित 'अनुबंध के निर्धारण के लिए नोटिस' की सेवा करके समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। अनुबंध की अविध के दौरान किसी भी समय, नोटिस में निर्दिष्ट किया जाएगा कि समाप्ति ब्यूरो की सुविधा के लिए या हताशा के लिए है। नोटिस में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया जाएगा कि अनुबंध के तहत संविदाकार का प्रदर्शन किस हद तक समाप्त किया गया है, और किस तारीख से ऐसी समाप्ति प्रभावी होगी।

- 2) इस तरह की समाप्ति ब्यूरो को अर्जित या उसके बाद अर्जित किए गए अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी या प्रभावित नहीं करेगी।
- 3) संविदाकार अनुबंध को समाप्त न होने की सीमा तक जारी रखेगा, जब तक अन्यथा ब्यूरो द्वारा निर्देश नहीं दिया जाता है।
- 4) सभी सेवा वारंटी दायित्व, यदि कोई हों, समाप्ति के बावजूद बने रहेंगे।

14.2.2 अनुबंध का विफलीकरण

- 1) विफलीकरण की घटना की सूचनाः अनुबंध की प्रभावी तिथि के बाद होने वाले पर्यवेक्षण के कारण, कानून में बदलाव सिहत, किसी भी पक्ष के नियंत्रण से परे, चाहे अप्रत्याशित घटना खंड के पिरणामस्वरूप या भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 56 के दायरे में, जो बनाता है उचित समय सीमा के भीतर अनुबंध को पूरा करना असंभव है। प्रभावित पक्ष दूसरे पक्ष को औचित्य देते हुए विफलीकरण की घटना की सूचना' देगा। पार्टियों को अनुबंध में संशोधन करने के लिए सहमत होने के लिए उचित प्रयासों का उपयोग करना चाहिए, जैसा कि इसके प्रदर्शन को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है। हालांकि, यदि पार्टियां प्रारंभिक नोटिस के 60 दिनों के भीतर आपसी समझौते पर नहीं पहुंच पाती हैं, तो ब्यूरो, 'अनुबंध निर्धारित करने के लिए नोटिस' जारी कर सकता है और उपरोक्त उप-खंड में निराशा के कारण अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
- 2) हालांकि, निम्नलिखित को इस तरह के एक पर्यवेक्षण कारण के रूप में नहीं माना जाएगा:
- ए) वाणिज्यिक असंभवता या अव्यवहारिकता या लाभहीनता या धन की कमी
- ख) यदि इस अनुबंध के तहत किसी भी पक्ष द्वारा अपने दायित्वों के उल्लंघन या सद्भाव में कार्य करने में विफलता या ऐसी घटना को रोकने के लिए व्यावसायिक रूप से उचित परिश्रम का उपयोग करने के कारण होता है।

14.3 अनुबंध की समाप्ति

14.3.1 नो क्लेम सर्टिफिकेट और कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटीज जारी करना

दोनों पक्षों के बकाया भुगतानों और परिसम्पत्तियों के आपसी मेल-मिलाप के बाद, संविदाकार अपनी संविदात्मक प्रतिभूतियों, यदि कोई हो, को जारी करने के लिए आगे अनुरोध करते हुए ब्यूरों को "अना-दावा प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करेगा। यदि संविदाकार से कोई बकाया दायित्व, संपत्ति या भुगतान देय नहीं है तो ब्यूरों संविदात्मक प्रतिभूतियों को बिना किसी ब्याज के जारी करेगा।

14.3.2 दायित्व की पूर्ति

वारंटी दायित्वों को पूरा करने और अंतिम भुगतान सिहत अनुबंध के लिए दोनों पक्षों द्वारा सभी दायित्वों के सफल प्रदर्शन पर अनुबंध बंद हो जाएगा।

14.3.3 समाप्ति पर

अनुबंध को भी समाप्ति पर बंद माना जाएगा और निपटान, यदि कोई हो, उसके बाद उपरोक्त खंड 14.1 और 14.2 के अनुसार माना जाएगा।

15. सार्वजनिक खरीद और गंभीर दुराचार में सत्यनिष्ठा की संहिता:

15.1 सत्यनिष्ठा संहिता

खरीद अधिकारियों के साथ-साथ बोलीदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों और सलाहकारों को नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करना चाहिए और निविदा प्रक्रिया के दौरान या परिणामी अनुबंधों के निष्पादन के दौरान किसी भी स्तर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निषिद्ध प्रथाओं का पालन नहीं करना चाहिए:

- 1) "भ्रष्ट आचरण" निविदा प्रक्रिया में अनुचित लाभ या अन्यथा निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने के बदले में प्रस्ताव देना, याचना या रिश्वत, इनाम या उपहार या किसी भी भौतिक लाभ की स्वीकृति;
- 2) "धोखाधड़ी का व्यवहार" कोई भी चूक, या गलत बयानी जो गुमराह कर सकता है या गुमराह करने का प्रयास कर सकता है तािक वितीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके, या एक दाियत्व से बचा जा सके। इसमें झूठी घोषणा करना या निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए या अनुबंध को सुरक्षित करने या अनुबंध के निष्पादन में झूठी जानकारी प्रदान करना शािमल है;
- 3) "प्रतिस्पर्धी-विरोधी व्यवहार" कोई भी मिलीभगत, बोली-धांधली या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवस्था, या प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के दायरे में आने वाली कोई अन्य प्रथा, दो या दो से अधिक बोलीदाताओं के बीच, ब्यूरो के ज्ञान के साथ या उसके बिना, जो पारदर्शिता, निष्पक्षता और निविदा प्रक्रिया की प्रगति को बाधित कर सकता है या कृत्रिम, गैर-प्रतिस्पर्धी स्तरों पर बोली मूल्य स्थापित कर सकता है;
- 4) "जबरदस्ती व्यवहार" निविदा प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रभावित करने या अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए व्यक्तियों, या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना;
- 5) "हितों का टकराव" एक बोली लगाने वाली फर्म या उसके किसी भी सहयोगी द्वारा भागीदारी जो या तो परामर्श अनुबंध में शामिल है जिससे यह खरीद जुड़ी हुई है या निष्पादन अनुबंध जिससे परामर्श सेवाओं की यह खरीद जुड़ी हुई है; या यदि वे खरीद में एक से अधिक बोली का हिस्सा हैं; या यदि उनके कर्मियों का ब्यूरो के किसी अधिकारी के साथ संबंध या वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निविदा या अनुबंध की निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित हैं; या निविदा प्रक्रिया में या व्यक्तिगत लाभ के लिए अनुचित

लाभ प्राप्त करने के इरादे से ब्यूरों से (संभावित) बोलीदाता द्वारा प्राप्त जानकारी का अनुचित उपयोग;

6) "अवरोधक व्यवहार" - जानबूझकर नष्ट करने, मिथ्याकरण करने, या जांच के लिए साक्ष्य सामग्री छुपाकर; या जांचकर्ताओं को झूठे बयान देकर या ऊपर उल्लिखित जबरदस्ती प्रथाओं द्वारा बदलने से ऊपर उल्लिखित एक या अधिक निषिद्ध प्रथाओं के आरोपों में ब्यूरो की जांच को भौतिक रूप से बाधित करता है। इसे जांच से संबंधित मामलों के अपने ज्ञान का खुलासा करने या जांच को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए; या ब्यूरो के ऑडिट या सूचना तक पहुंच के अधिकारों को बाधित करके;

15.2 सक्रिय प्रकटीकरण के लिए दायित्वः

- 1) इस सत्यनिष्ठा संहिता के तहत ब्यूरों के साथ-साथ बोलीदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों, और सलाहकार, किसी भी निविदा प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन में (उपरोक्त परिभाषा के तहत आने वाले पहले से मौजूद या जैसे ही ये किसी भी स्तर पर उत्पन्न होते हैं) कैसे भी हितों के टकराव की घोषणा करने के लिए बाध्य हैं । ऐसा न करने पर इस सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
- 2) किसी भी बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी देश में किसी भी इकाई के साथ इस तरह की अखंडता के किसी भी पिछले उल्लंघन या किसी अन्य खरीद संगठन द्वारा वंचित होने की घोषणा करना चाहिए, चाहे बोली-दस्तावेज में पूछा गया हो या नहीं। ऐसा न करने पर इस सत्यिनष्ठा संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

15.3 संभावित हितों के टकराव पर प्रतिबंध

आगामी अनुबंध की अविध के दौरान और इसकी समाप्ति के बाद, सफल संविदाकार, और उसके सहयोगी, किसी भी परियोजना के लिए माल, कार्य, या सेवाएं (इस अनुबंध की विषय सेवा के अलावा और इसके जारी रहने के अलावा) प्रदान करने से अयोग्य हो जाएंगे या इस अनुबंध की विषय सेवाओं से निकटता से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसी भी गतिविधि में न तो संविदाकार और न ही कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे:

- a) इस अनुबंध की अविध के दौरान, भारत में कोई भी व्यवसाय या व्यावसायिक गतिविधियाँ जो इस अनुबंध के तहत उन्हें सौंपी गई गतिविधियों के साथ संघर्ष करती हैं।
- b) इस अनुबंध की समाप्ति के बाद, ऐसी अन्य गतिविधियाँ जो एससीसी या निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

15.4 गंभीर दुराचार

15.4.1 गंभीर द्राचार

निम्नलिखित को गंभीर दुराचार माना जाएगा - यदि कोई बोलीदाता/संविदाकारः

- 1) अप्रत्याशित घटना की स्थितियों के अलावा, वित्तीय बोली खोलने के बाद, संविदाकार निविदा प्रक्रिया से बाहर आ जाता है या सफल बोलीदाता घोषित होने के बाद: (क) प्रक्रिया से बाहर आ जाता है; (ख) एक खरीद अनुबंध में प्रवेश करने में विफल रहता है; या (ग) निविदा दस्तावेज के संदर्भ में आवश्यक प्रदर्शन सुरक्षा या कोई अन्य दस्तावेज या सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहता है।
- 2) सीधे या एक एजेंट के माध्यम से अनुबंध की खरीद या निष्पादन के दौरान उल्लंघन करता है – जीसीसी के खंड 15 या सार्वजनिक खरीद में अखंडता संहिता या अखंडता संधि में उल्लिखित आचार संहिता।
- 3) सुरक्षा या वैधानिक मानदंडों का उल्लंघन करता है जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हैं जिससे जीवन या संपत्ति को नुकसान या चोट लगती है या ब्यूरो को किसी अन्य कानूनी दायित्व का सामना करना पड़ता है;
- 4) एक सरकारी कर्मचारी से काम लेता है, जिसे भ्रष्टाचार के कारण बर्खास्त या हटा दिया गया है या एक गैर-सरकारी को भ्रष्टाचार या इस तरह के अपराध के लिए उकसाने वाले अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जहां वह सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्ट कर सकता है या अपनी सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर एक सरकारी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है, जिसने सेवानिवृत्ति से पहले आधिकारिक क्षमता में उसके साथ व्यापार किया हो; या
- 5) सरकार की एक उपयुक्त एजेंसी द्वारा देश के प्रति संदिग्ध निष्ठा या राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है।

15.5 दंड

निविदा दस्तावेज या अनुबंध के अनुसार अन्य उपायों के लिए ब्यूरो के अधिकारों के अलावा और पूर्वाग्रह के बिना, यदि ब्यूरो यह निष्कर्ष निकालता है कि एक (संभावित) बोली लगाने वाले/संविदाकार ने सीधे या किसी एजेंट के माध्यम से इस अखंडता संहिता का उल्लंघन किया है या अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या अनुबंध निष्पादित करने में गंभीर अपराध किया है, ब्यूरो निम्नलिखित सहित उचित उपाय करेगा:

- 1) यदि किसी प्रापण में उसकी बोलियां विचाराधीन हैं
- क) निष्पादन सुरक्षा (ईएमडी) को जब्त करना या भुनाना या बोली सुरक्षा घोषणा का आह्वान, जैसा लागू हो सकता है
- ख) किसी भी पूर्व-अनुबंध वार्ता को बंद करना, और;
- ग) निविदा प्रक्रिया से बोलीदाता को अस्वीकार और बहिष्कृत करना
- 2) यदि कोई अनुबंध पहले ही प्रदान किया जा चुका है
- क) चूक के लिए अनुबंध की समाप्ति और उसके तहत निर्धारित सभी उपायों का लाभ उठाना;

- ख) खरीद से संबंधित किसी भी संविदात्मक सुरक्षा या बांड का नकदीकरण या जब्ती;
- ग) ब्यूरो द्वारा किए गए अग्रिम भुगतान, यदि कोई हो, पर प्रचलित दर पर ब्याज के साथ भुगतान की वसूली;
- 3) उपरोक्त से अतिरिक्त उपचार:
- क) दो साल की अविध के लिए ब्यूरों की भविष्य की खरीद में भाग लेने से वंचित (अनुबंध दस्तावेजों में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर) या पंजीकृत संविदाकारों की सूची से हटाने या
- ख) प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के मामले में, आगे की प्रक्रिया के लिए सूचना संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास दायर की जाएगी;
- ग) उपरोक्त माध्यमों से संबोधित नहीं किए जाने वाले उल्लंघन के लिए अदालत में कार्यवाही शुरू करें।
- घ) जिम्मेदार पाए गए किसी व्यक्ति या कर्मचारी के खिलाफ उपयुक्त अनुशासनात्मक या आपराधिक कार्यवाही शुरू करना।